



सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

**संघ सरकार (आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय-सिविल)  
2021 की संख्या 16  
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां)**



# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय-सिविल)  
2021 की संख्या 16  
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां)

..... को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी गई



## विषय सूची

अध्याय/पैराग्राफ	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सार	vii
<b>अध्याय I प्रस्तावना</b>		
1.1	इस प्रतिवेदन के विषय में	1
1.2	लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1
1.3	लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन	2
1.4	बजट और व्यय	3
1.5	उपयोगिता प्रमाण पत्र	6
1.6	केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबीज़) द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब	7
1.7	संसद के समक्ष सीएबीज़ के लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति में देरी	8
1.8	लेखापरीक्षा के प्रमाणन के परिणाम	8
1.9	लंबित एटीएनस की स्थिति	9
1.10	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का उत्तर	10
<b>अध्याय II कारपोरेट कार्य मंत्रालय</b>		
2.1	एमसीए21 का डाटा विश्लेषण	11
<b>अध्याय III वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय</b>		
	<b>रबर बोर्ड</b>	
3.1	रबर बोर्ड की कार्यप्रणाली	32

<b>अध्याय IV</b>	<b>आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय</b>	
	<b>केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली</b>	
4.1	जल प्रभारों की अपर्याप्त वसूली	56
	<b>केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, कोलकाता</b>	
4.2	विभागीय प्रभारों के गैर उदग्रहण के कारण राजस्व की हानि	61
	<b>दिल्ली विकास प्राधिकरण</b>	
4.3	जल प्रभारों की अपर्याप्त वसूली	64
4.4	कपटपूर्ण अवकाश यात्रा रियायत का दावा	67
<b>अध्याय V</b>	<b>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>	
5.1	प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता योजना	72
	<b>एमएसएमई विकास संस्थान, नागपुर</b>	
5.2	परियोजना के निष्पादन पर निष्फल व्यय	91
<b>अध्याय VI</b>	<b>पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय</b>	
	<b>श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन</b>	
6.1	मुआवजा प्रभारों की कमतर दर लगाने के कारण निजी पार्टी को अनुचित लाभ	96
	<b>विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट</b>	
6.2	विलम्ब शुल्क के प्रति राजस्व की हानि	99
	<b>कोचीन पोर्ट ट्रस्ट</b>	
6.3	कर की परिहार्य प्रतिपूर्ति	103
<b>अध्याय VII</b>	<b>विद्युत मंत्रालय</b>	
7.1	विद्युत प्रणाली विकास निधि योजनाओं के कार्यान्वयन में नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर की सूचनाओं को विचारार्थ न लेने के कारण राजकोष को हानि	106

<b>अध्याय VIII</b>	<b>पर्यटन मंत्रालय</b>	
	<b>भारत पर्यटन कार्यालय, फ्रैंकफर्ट</b>	
8.1	बिलिंग बेस को जर्मनी में स्थानांतरित करने के कारण सरकारी राजकोष को हानि	110
	<b>भारत पर्यटन कार्यालय, न्यूयॉर्क</b>	
8.2	भारत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं की अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्धा की कमी	113
	<b>अनुलग्नक - I से XXXVI</b>	121-207





## प्राक्कथन

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/ विभागों, उनके संबंधित/ अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल किए गए हैं। भारत की समेकित निधि से दिए गए अनुदानों/ ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों या प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।
3. इस प्रतिवेदन में निर्दिष्ट मामलें वह हैं जो 2019-20 की अवधि हेतु नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए और साथ ही वह जो पूर्व वर्षों में पाए गए थे परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके। 2019-20 के बाद की अवधि के मामले भी, जहां आवश्यक थे, शामिल किए गए हैं।
4. यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुसार की गई है।



## कार्यकारी सार

### I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा निष्पादित आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों और उनके केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं और अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल किए गए हैं।
2. इस प्रतिवेदन में सात मंत्रालयों से संबंधित 14 पृथक अभ्युक्तियां शामिल हैं। ड्राफ्ट अभ्युक्तियों को संबंधित मंत्रालयों को भेजा गया था ताकि उन्हें प्रत्येक मामले में छः सप्ताह की अवधि में अपने उत्तर/टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर मिले। जब इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा था तब तक छः अभ्युक्तियों पर उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे जैसे कि निम्नलिखित पैरा 3 में दर्शाया गया है।
3. इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों और उनके केंद्रीय स्वायत्त निकायों से संबंधित हैं:

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफों की संख्या	उन पैराग्राफों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था
1.	कारपोरेट कार्य	1	-
2.	वाणिज्य एवं उद्यम	1	-
3.	आवासन और शहरी कार्य	4	4
4.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2	-
5.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	3	2
6.	विद्युत	1	-
7.	पर्यटन	2	-
	<b>कुल</b>	<b>14</b>	<b>6</b>

## II इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (मंत्रालय) ने एक एंड टू एंड ई-गवर्नेंस कार्यक्रम एमसीए21 परियोजना शुरू की थी जिसमें एक सुरक्षित संवादात्मक पोर्टल के माध्यम से दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, कंपनियों के पंजीकरण और कारपोरेट सूचना तक सार्वजनिक ओनलाइन पहुँच की परिकल्पना की गई है जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित निगमों के सभी पहलू, सांविधिक फाइलिंग और कंपनियों का नियमन शामिल है। एमसीए21 में लगभग 100 ई-फार्म शामिल हैं ताकि पणधारकों को अपेक्षित सूचना भरने में सक्षम बनाया जा सके।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में आरंभ में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अनुप्रयोग नियंत्रणों के मूल्यांकन और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी प्रभावकारिता को कवर करना अभिप्रेत था। परन्तु सूचना/डेटा/उत्तर देने में मंत्रालय के विलम्ब और अपर्याप्त समर्थन के कारण, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र 10 ई-फार्म तक सीमित था। घटे हुए कार्यक्षेत्र को भी मूर्तरूप नहीं दिया जा सका और लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र वस्तुतः एक ई-फार्म यथा कम्पनी के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमन के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा (एसपीआईसीई) तक रहा, जोकि एक कम्पनी के निगमन से संबंधित है। तथापि इस ई-फार्म के संबंध में पूर्ण डेटा तक अभिगम और उत्तर तथा प्रत्युत्तर में विलम्ब के मुद्दे लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान जारी रहे। इस प्रकार लेखापरीक्षा पूर्णरूप से एमसीए21 प्रणाली की प्रभावोत्पादकता के बारे में आश्वासन प्रदान करने में असमर्थ रही। संक्षेप में प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नानुसार थीं:

- विविध निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आवंटन को प्रणाली पहचान नहीं सकी चूँकि 6,78,161 अभिलेख डेटाबेस में पाए गए जहां 2,33,898 स्थायी खाता संख्याओं (पैन) को एक से अधिक डीआईएन आवंटित था। विविध डीआईएन से सम्बन्धित मुद्दे को उस फार्म डीआईआर-3 केवाईसी के प्रारंभ करने के बाद भी पूर्णतया नियत नहीं किया जा सका जहां एक व्यक्ति के केवल एक डीआईएन का केवाईसी-सत्यापन किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त कम्पनी पंजीयक को सावधान करने के लिए

प्रणाली में कोई सचेतक (रैड फ्लैग) नहीं था जिससे ऐसे मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। एमसीए21 के पास अपने डेटाबेस में इस त्रुटि का स्वतः पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

- डीआईएन के आवंटन में कतिपय आईडी फील्ड का अनिवार्य रूप से भरा जाना आवश्यक था। डीआईएन आवंटन के संबंध में वैधीकरण जांचों के अभाव के कारण अनिवार्य डेटा इनपुट के अभाव में भी डीआईएन के आवंटन का अनुमोदन किया गया।
- 2,127 मामलों के संबंध में, डीआईएन की 'प्रारंभ की तारीख' अर्थात् डीआईएन के अनुमोदन की तारीख 'शून्य' अथवा 'खाली' दर्शायी गयी थी। इसके कारण लेखापरीक्षा में यह जांच नहीं की जा सकी कि क्या एक व्यक्ति को उसके पहले डीआईएन के प्रयोग के बाद भी उसे दूसरा/डुप्लीकेट डीआईएन आवंटित किया गया था।
- प्रणाली में वैधीकरणों के अभाव के कारण व्यक्तियों ने अनुज्ञेय सीमा से आगे डायरेक्टरशिप धारित की जिससे कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि 1,626 व्यक्तियों ने एक ही समय में 20 से अधिक कम्पनियों में डायरेक्टरशिप धारित की। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत उपचारी कार्रवाई करने के लिए कम्पनी पंजीयक को समर्थ बनाने हेतु ऐसे मामलों का पता लगाने और फ्लैग करने के लिए एमसीए21 में कोई सिस्टम डिजाइन इनबिल्ट नहीं था।
- प्रणाली में पर्याप्त जांच नहीं रखी गयी थी जिससे डेटाबेस में उन कम्पनियों का स्वतः पता लगाया जा सके जिनमें न्यूनतम आवश्यकता से कम निदेशक हों अथवा जो किसी कार्यकारी निदेशक के बिना हों। अधिनियम के अंतर्गत उपचारी कार्रवाई करने के लिए कम्पनी पंजीयक को समर्थ बनाने हेतु ऐसे मामलों का पता लगाने और फ्लैग करने के लिए एमसीए21 में कोई सिस्टम डिजाइन इनबिल्ट नहीं था।
- डेटा का संग्रहण करने के लिए प्रयोग में लाए गए फार्मों में त्रुटियों और प्रणाली में अपर्याप्त इनपुट नियंत्रणों के कारण, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनियों के 20,08,456 अभिलेखों में से 8,53,254 कम्पनियों के संबंध में पैन डेटाबेस में खाली

थे। इनमें से 1,37,602 कम्पनियां सक्रिय पायी गयीं। इसके अतिरिक्त 2,805 कम्पनियों के मामले में, डेटाबेस में उल्लिखित पैन एक कम्पनी की बजाय एक व्यक्ति से संबंधित था।

- विश्लेषण से पता चला कि 11,830 मामले ऐसे थे जहां दो या अधिक कम्पनियां एक ही नाम वाली थीं और 1,165 मामलों में एक ही नाम वाली कम्पनियां सक्रिय पाई गई थीं जो कि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में था। प्रणाली में वैधीकरण के अभाव के कारण दो या अधिक कम्पनियों को एक जैसा या समान नाम आवंटित किया गया।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों के डेटा विश्लेषण से पता चला कि 8,159 कम्पनियों के मामले में लाइसेंस संख्या "000000" पाई गई। इनमें से 7,987 कम्पनियां प्रास्थिति में सक्रिय पायी गयीं।
- कम्पनी अधिनियम और रिजर्व यूनिफ़ॉर्म नेम (आरयूएन), एक वेब आधारित अनुप्रयोग, के लिए सिस्टम रिकवायरमेंट स्पेसिफिकेशन डाकुमेंट के अनुसार, कम्पनी के पंजीकरण से पहले इसका आरक्षित नाम एक नयी कम्पनी के लिए नाम के आरक्षण की स्थिति में अनुमोदन की तारीख से 20 दिनों और एक मौजूदा कम्पनी के नाम में परिवर्तन के लिए 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। विश्लेषण से पता चला कि 15,831 मामलों में आरक्षित नाम समाप्त नहीं हुए, जबकि कम्पनियों के निगमन के लिए आवेदन 22 दिन से 394 दिन बाद दाखिल किए गए थे। आरक्षित नाम को इसकी वैद्यता अवधि के बाद समाप्त के रूप में चिन्हित करने के कार्य के अभाव के कारण, नाम की वैद्यता की समाप्ति के बाद भी पूर्ववर्ती आरक्षित नाम के साथ कम्पनी के निगमन के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रणाली में अनुमत की गयी।

**पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा में सिफारिश की गयी है कि:**

1. **आवश्यक इनपुट नियंत्रण लागू किए जा सकते हैं ताकि एक स्थायी खाता संख्या के प्रति एक से अधिक निदेशक पहचान संख्या जारी करने जैसे मामले उत्पन्न न हों।**

2. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त जाँच बिंदु बनाये जाने चाहिए कि सभी अनिवार्य फ़ील्ड या तो संबंधित आवेदक कंपनी द्वारा भरे गए हैं या उन्हें किसी अन्य ई-फॉर्म में कैप्चर कर ऑटो-पॉप्युलेट किया जाना चाहिए।
3. संबंधित प्राधिकरण को रेड फ्लैग/चेतावनी सृजित करने के लिए सिस्टम में आवश्यक सत्यापन जांच बनाना चाहिए, जहां इनपुट डाटा कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।
4. मंत्रालय उचित व्यवसाय प्रक्रिया की पुनर्रचना पर विचार कर सकता है ताकि कई बिन्दुओं से उत्पन्न होने वाली डेटा प्रविष्टि/कैप्चर में अशुद्धि के जोखिम को कम किया जा सके।
5. मंत्रालय अन्य सभी ई-फार्मों में डाटा की जांच और सत्यापन पर विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि साफ्टवेयर में डाटा की त्रुटियों से होने वाले जोखिम से बचने के लिए अपेक्षित सत्यापन जांच शामिल की गई है।

(पैरा 2.1)

देश में रबड़ उद्योग के विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ रबड़ बोर्ड (बोर्ड) स्थापित किया गया। भारत में रबड़ की खेती का समग्र क्षेत्र मार्च 2011 से मार्च 2020 तक 7.11 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 8.22 लाख हैक्टेयर हो गया। तथापि अवधि के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 3.65 प्रतिशत से गिरकर 0.04 प्रतिशत रह गयी। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन भी अधिकांशतः 2010-11 से 2019-20 की अवधि के दौरान गिरती हुई प्रवृत्ति में रहा। यह क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त रोपण आर्थिक सहायता के जारी नहीं करने के कारण था क्योंकि बोर्ड द्वारा प्राप्त अधिकांश अनुदानों को गैर-योजनागत कार्यकलापों पर खर्च किया गया था। रबड़ बोर्ड के पास रबड़ के उत्पादकों का डेटा नहीं था और केरल में अंतिम सघन क्षेत्रीय सर्वेक्षण बोर्ड द्वारा केवल 2002 में किया गया था। रबड़ उत्पादक समितियों को पर्याप्त रूप से प्रोन्नत करने में भी बोर्ड विफल रहा और रबड़ की पैदावार का केवल 39.18 प्रतिशत क्षेत्र कवर किया गया। इसके अतिरिक्त लेटेक्स से क्वालिटी रबड़ की शीटों के उत्पादन के लिए बोर्ड द्वारा प्रोन्नत 122 गुप प्रोसेसिंग सेंटर कार्य नहीं कर रहे थे। कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में बोर्ड के साथ केरल सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना को प्रभावी रूप से

कार्यान्वित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप दोहरे भुगतान हुए, रबड़ के डीलरों द्वारा घोषित रिटर्न में बिक्री की मात्रा और रबड़ के उत्पादकों को जारी बिलों में बीजक मात्रा के बीच विसंगतियां रहीं। बोर्ड द्वारा प्रोन्नत रबर/रबर-वुड प्रोसेसिंग कम्पनियों को उपलब्ध कराए गए ₹17.83 करोड़ की राशि के कर्जों की वसूली की इन कम्पनियों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण संभावना कम थी। बोर्ड द्वारा कार्यान्वित श्रम कल्याण योजनाओं की कवरेज कम थी क्योंकि रबड़ बागान में लगे हुए 4.51 लाख कामगारों के प्रति पिछले 10 वर्षों के दौरान योजनाओं से केवल 2.1 लाख कामगार लाभान्वित हुए थे।

**पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा में सिफारिश की गयी है कि:**

1. **बोर्ड पूर्वोत्तर/अन्य गैर पारम्परिक क्षेत्रों में पौधारोपण क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दोहन को प्रोत्साहित और महत्वपूर्ण इनपुट आपूर्ति जैसी उत्पादकता वृद्धि योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा प्रभावी उपाय करे।**
2. **बोर्ड एक सूचना, शिक्षा और संचार नीति तैयार करे ताकि व्यवस्थित रूप से पालन की जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं और लागू योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके।**
3. **बोर्ड को रबड़ उत्पादक समितियों की भूमिका, गतिविधियों और रबड़ उत्पादकों को इनके लाभों के व्यापक प्रचार हेतु विस्तार विंग के माध्यम से पर्याप्त प्रयास सुनिश्चित करने चाहिए।**
4. **बोर्ड को प्रत्येक रबड़ उत्पादक सोसायटी द्वारा की जाने वाली विस्तार गतिविधियों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करके रबड़ उत्पादक समितियों के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना चाहिए और निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि की निगरानी भी करनी चाहिए।**
5. **बोर्ड को रबड़ उत्पादन के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए या तो जनगणना द्वारा या आवधिक प्रतिवेदन की प्रणाली द्वारा वृक्षारोपण के कुल क्षेत्रफल, उत्पादकों की संख्या, दोहकों की उपलब्धता आदि को अपने डेटाबेस में अद्यतन करना चाहिए।**



6. बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए कि बोर्ड द्वारा झूठे/धोखाधड़ीपूर्ण बीजकों के लिए सब्सिडी भुगतान की सिफारिश नहीं की जाए। बोर्ड अपात्र सब्सिडी भुगतान के मामलों की जांच के लिए भी कदम उठा सकता है क्योंकि ये भ्रष्टाचार/धोखाधड़ी का संकेत देते हैं और तदनुसार जिम्मेदारी तय की जाए।
7. रबड़ उत्पादन और श्रम कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं के लिए निधि उपयोग में वृद्धि सुनिश्चित करने के माध्यम से योजनाओं के लाभों के विस्तार हेतु बोर्ड द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

(पैरा 3.1)

सामान्य पूल निवासी आवास के आवंटियों से की जाने वाली जल प्रभारों की वसूली की दर का निर्धारण कार्यकारी अभियंता (लाइसेंस फीस), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यू डिवीजन में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आपूर्ति किए गए जल के प्रति सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आवंटियों से वसूली की गयी राशि की तुलना में अधिक भुगतान किया जा रहा था। यह व्यक्तिगत पानी के मीटरों का प्रतिष्ठापन न करने और पिछले 13 से 25 वर्षों से जल प्रभारों की वसूली के लिए दरों का संशोधन न करने के कारण था। इसके परिणामस्वरूप सीपीडब्ल्यूडी पर ₹63.69 करोड़ का वित्तीय भार पड़ा।

पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्ष के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा सिफारिश की गयी है कि जल के प्रभार की दरें समय-समय पर संशोधित करने और सभी बकाया राशियों की आवंटियों से समय पर/ समयबद्ध तरीके से वसूली को सुनिश्चित करने के लिए एक सुपरिभाषित तंत्र को संस्थागत बनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

(पैरा 4.1)

दिल्ली विकास प्राधिकरण और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने जाली टिकटों और तथ्यों की गलत बयानी के द्वारा वास्तविक हवाई यात्रा भुगतान की तुलना में अधिक राशि का दावा किया। लेखापरीक्षा में बताए जाने पर ₹8.19 लाख के ऐसे कपटपूर्ण दावों की प्रतिपूर्ति राशि के प्रति ₹9.69 लाख की वसूली हुई।

(पैरा 4.4)

अप्रैल 2012 से मार्च 2020 तक आठ वर्षों को कवर करते हुए प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता (एटीआई) योजना की लेखापरीक्षा उस सीमा की जांच करने के लिए की गयी थी जिस तक योजना के उद्देश्य प्राप्त हुए। योजना पर संक्षेप में लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

- एटीआई योजना का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वदेशी उद्यमिता का विकास करना था। योजना के लिए मंत्रालय अथवा स्क्रीनिंग कमिटी ने उद्यमिता के विकास के लिए कौशल की अपेक्षाओं का निर्धारण नहीं किया। इसने आवेदक प्रशिक्षण संस्थाओं की दक्षता, सक्षमता और अनुभव की न तो जाँच की और न ही जांचने के लिए कोई मापदंड बनाये तथा उनके संसाधनों और क्षमताओं के अननुपात में उनको प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए।
- मंत्रालय की संस्वीकृतियों के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के किसी भी भाग की आउटसोर्सिंग प्रतिबंधित थी। तथापि दो प्रशिक्षण संस्थानों नामतः राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नौएडा और राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), हैदराबाद ने अपने कार्यक्रम अधिकांशतः प्राइवेट एजेंसियों को आउटसोर्स किए। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आउटसोर्सिंग में कई अनियमितताएं देखी गयी थीं।
- एनआईएमएसएमई और एनआईईएसबीयूडी ने अपने उपयोग प्रमाणपत्रों में अनुदान और उस पर अर्जित ब्याज के क्रमशः ₹1.27 करोड़ और ₹2.78 करोड़ की राशि के अव्ययित शेष को घोषित नहीं किया। इस प्रकार ₹4.05 करोड़ की राशि के अव्ययित शेष को दो संस्थाओं द्वारा मंत्रालय से छिपाया गया था।
- मंत्रालय और संस्थाओं के स्तर पर योजना का पर्यवेक्षण और मानीटरिंग अपर्याप्त थी। रोजगार के सृजन और इस योजना के कारण उद्यम विकास के डेटा के अभिग्रहण के लिए मंत्रालय स्तर पर कोई ठोस तंत्र नहीं था। मंत्रालय ने बताया कि संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के कारण रोजगार सृजन 36 प्रतिशत की सीमा तक था जिस पर साक्ष्य के अभाव में विश्वास नहीं किया जा सकता था।

पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा में सिफारिश की गयी है कि:

1. किसी कार्यक्रम को मंजूरी देने से पहले, स्क्रीनिंग कमेटी की संस्था को पुनर्गठन करने की आवश्यकता है और इसके अपनाने के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता है।
2. मंत्रालय को निर्धारित और आवश्यक प्रत्येक प्रकार के कौशल सेटों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के आवश्यक न्यूनतम स्तरों को लागू करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
3. मंत्रालय को मंत्रालय/संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं की आजीविका की स्थिति के निर्धारण के लिए एक तंत्र बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
4. मंत्रालय, गुणवत्ता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और शामिल एजेंसियों का ई-केवाईसी सत्यापन शुरू करने पर विचार कर सकता है।
5. इस प्रतिवेदन में उजागर अनियमितताओं/खामियों की जांच की जाए और ऐसी खामियों के लिए संबंधित अधिकारियों/संस्थानों की जिम्मेदारी मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाए।
6. योजना के दिशा-निर्देशों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे पर्याप्त विस्तृत निर्देश दिए जा सकें कि उद्यमिता या रोजगार के माध्यम से प्रशिक्षण को आजीविका में बदलने और चरणों में इसे प्राप्त करने के उद्देश्यों को कैसे तर्कसंगत बनाया जाए।

(पैरा 5.1)

सूक्ष्म और लघु उद्यम-समूह विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में फ्लाइंग ऐश क्लस्टर में एक सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (फरवरी 2011)। एमएसएमई डिवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नागपुर, परियोजना की प्रगति के समन्वयन और निगरानी करने के लिए शीर्ष निकाय था। सामान्य सुविधा केन्द्र को फ्लाइंग ऐश यूनिटों को लाभ पहुंचाना, समूह कुल बिक्री में वृद्धि करना और रोजगार का सृजन करना था।

तथापि परियोजना की अनुपयुक्त आयोजना और कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ये उद्देश्य पूरे नहीं हुए और ₹8.89 करोड़ का व्यय अलाभप्रद रहा जिसमें ₹5.67 करोड़ का भारत सरकार का अनुदान शामिल था।

**(पैरा 5.2)**

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (पोर्ट) ने मैसर्ज एयर कंडीशनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ समामेलित हो गयी (अप्रैल 2008), को भूमि का दीर्घावधि पट्टा दिया (मई 1978)। पोर्ट ने एक बेदखली नोटिस जारी करने के बाद (जुलाई 2005) सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत व्यक्तियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी के समक्ष एक शिकायत फाईल की जो अनधिकृत निर्माण, पोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना भूमि को आगे किराए पर देने और सम्पदा किराए के अनियमित भुगतान के लिए ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के विरुद्ध बेदखली के लिए थी। ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के विरुद्ध बेदखली का आदेश जुलाई 2017 में पारित किया गया। इसके बाद ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने जून 2012 से अगस्त 2012 और अगस्त 2016 से जून 2017 तक की अवधि के दौरान पोर्ट को प्रदत्त ₹1.12 करोड़ की राशि के वर्धित क्षतिपूर्ति प्रभारों की प्रतिदाय की शर्त पर अधिगृहीत भूमि को अभ्यर्पित करने का प्रस्ताव किया। पोर्ट ने ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का प्रस्ताव स्वीकार किया। प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना सम्पदा अधिकारी के बेदखली आदेश के अनुरूप नहीं था। पोर्ट ने भूमि नीति दिशा निर्देशों के प्रावधानों में दिए गए पट्टा किराए के तीन गुना पर अनधिकृत कब्जे के लिए क्षतिपूर्ति प्रभार नहीं लगाये। यह भी बेदखली आदेश के उल्लंघन में था। इस प्रकार क्षतिपूर्ति प्रभारों को निम्नतर दर पर लगाने और बेदखली आदेश का अननुपालन करके एक प्राइवेट पार्टी को ₹7.66 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

**(पैरा 6.1)**

विद्युत प्रणाली विकास निधि एक सार्वजनिक निधि होती है और विद्युत मंत्रालय के अधीन लोक लेखा में इसका रखरखाव किया जाता है। नैशनल लोड डिसपेच सेंटर (एनएलडीसी), पॉवर सिस्टम आपरेशन कॉरपोरेशन की एक इकाई, को विद्युत प्रणाली

विकास निधि का सचिवालय कार्य करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। नेशनल लोड डिस्पेच सेंटर ने 2018-19 के लिए अनुमोदित विद्युत प्रणाली विकास निधियन परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए ₹5,505.61 करोड़ की निधि की आवश्यकता के लिए विद्युत मंत्रालय को सूचित किया (दिसम्बर 2018)। नेशनल लोड डिस्पेच सेंटर ने आगे सुझाव दिया (4 फरवरी 2019) कि निधियों के निष्क्रिय होने से बचने के लिए निधियों की उगाही चरणबद्ध तरीके में की जा सकती है। विद्युत मंत्रालय ने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधियों की उगाही की (मार्च 2019) परन्तु नेशनल लोड डिस्पेच सेंटर की सूचनाओं का संज्ञान नहीं लिया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज की निम्नतर दर पर ₹1,018.12 करोड़ की अप्रयुक्त निधि का परिहार्य सृजन और निष्क्रियता हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹11.17 करोड़ तक सार्वजनिक राजकोष को हानि हुई।

(पैरा 7.1)



## अध्याय I: प्रस्तावना

### 1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित सत्त्वों के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं के संबंध में संव्यवहारों की जांच से संबंधित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, सक्षम प्राधिकारणों द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों का पालन किया जा रहा है और अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, उपयुक्तता, विवेक और प्रभावकारिता को भी निर्धारित किया जा सके।

लेखापरीक्षाएं अनुमोदित लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की तरफ से की जाती हैं। इन मानकों में वे प्रतिमान निर्धारित किए गए हैं जिनका लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा पालन करना अपेक्षित है और अननुपालन के पृथक मामलों के साथ-साथ उन कमजोरियों जो लेखापरीक्षित सत्त्वों के वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में मौजूद हैं की रिपोर्टिंग देना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों/ अभ्युक्तियों से सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु कार्यकारियों को सक्षम बनाने, नीतियों और प्रक्रियाओं के निर्धारण की अपेक्षा भी की जाती है जिससे संगठनों का वित्तीय प्रबंधन बेहतर होगा और जो बेहतर शासन को बढ़ावा देगा।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना एवं सीमा की व्याख्या के अलावा आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/ विभागों, जो कि **अनुलग्नक-I** में सूचीबद्ध किए गए हैं के व्यय और उनके वित्तीय प्रबंधन का संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है। आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/ विभागों और उनके स्वायत्त निकायों जो कि **अनुलग्नक-II** में सूचीबद्ध किए गए हैं की अनुपालन लेखापरीक्षा से निकले निष्कर्ष/ अभ्युक्तियां अध्याय II से VIII में दी गई हैं।

### 1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा और संसद को रिपोर्टिंग का प्राधिकार क्रमशः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) से प्राप्त हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अधिनियम की धारा<sup>1</sup> 13 और धारा<sup>2</sup> 17 के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करते हैं।

संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत या उसके द्वारा स्थापित और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट प्रावधानों वाले निकायों को अधिनियम की धारा<sup>3</sup> 19(2) के अंतर्गत सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा हेतु लिया जाता है। अन्य संगठनों (निगमों या सोसायटियों) की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा<sup>4</sup> 20(1) के अंतर्गत लोकहित में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। इसके अलावा, भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों या प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा<sup>5</sup> 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

### 1.3 लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन

अनुपालन लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लागू किए गए लेखापरीक्षण मानकों में प्रतिपादित सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप से मंत्रालय/ विभाग तथा प्रत्येक इकाई के लिए किए गए व्यय, इसके कार्यकलापों के महत्व/ जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर और आंतरिक नियंत्रणों के मूल्यांकन

---

<sup>1</sup> (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय, (ii) आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित सभी संव्यवहार और (iii) सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

<sup>2</sup> संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे स्टोर और स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा और रिपोर्ट।

<sup>3</sup> संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत या उसके द्वारा स्थापित निगमों (कंपनियां नहीं) के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों का निष्पादन और प्रयोग उसके द्वारा संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

<sup>4</sup> जहां किसी निकाय या प्राधिकरण के खातों की लेखापरीक्षा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत सीएजी को नहीं सौंपी गई है, यदि वह राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या विधान सभा वाले संघ क्षेत्र के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त करता है, जैसा भी मामला हो, तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा

<sup>5</sup> जहां किसी निकाय या प्राधिकरण को भारत की समेकित निधि या किसी राज्य या विधान सभा वाले किसी भी संघ क्षेत्र से अनुदान या ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है, तो सीएजी उस समय निकाय या प्राधिकरण को लागू होने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन जैसा भी मामला हो, उस निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों और व्ययों की लेखा परीक्षा करेगा और उसके द्वारा लेखापरीक्षित प्राप्तियों और व्यय पर रिपोर्ट करेगा।



तथा पणधारकों के मुद्दों के आधार पर जोखिम निर्धारण के साथ शुरू होती है। इस कार्य में पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है। जोखिम निर्धारण के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा का निर्णय लिया जाता है। इसके पश्चात, ऐसे जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है। चयनित/ नियोजित इकाईयों की लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निर्दिष्ट करने वाली निरीक्षण रिपोर्टें इकाई के प्रमुख को जारी की जाती है। इकाई को निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के एक माह के अंदर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उत्तर देने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं तब लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु अगली कार्रवाई का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण रिपोर्टों की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के प्रमुखों को उनकी टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट पैरा के रूप में अलग से जारी किया जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलन हेतु संसाधित किया जाता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

#### 1.4 बजट और व्यय

आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/ विभागों (जहां लागू है) के संबंध में 2019-20 की रिपोर्टिंग अवधि और इसके पिछले वर्ष के दौरान बजट तथा व्यय<sup>6</sup> की तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/ विभागों का बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	बजट प्रावधान (बीई)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)	बजट प्रावधान (बीई)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)
<b>2019-2020</b>				<b>2018-2019</b>				
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1,66,616.66	1,52,161.35	14,455.31	8.68%	1,59,582.53	1,42,488.04	17,094.49	10.71%

<sup>6</sup> संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

2021 की प्रतिवेदन संख्या 16

मंत्रालय/ विभाग	बजट प्रावधान (बीई)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)	बजट प्रावधान (बीई)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)
वित्त मंत्रालय								
वित्तीय सेवाएं विभाग	83,884.03	83,233.52	650.51	0.78%	1,17,097.21	1,16,088.58	1,008.63	0.86%
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	132.08	105.1	26.98	20.43%	146.15	145.15	1.00	0.68%
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय								
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	45,501.86	42,812.23	2,689.63	5.91%	34,422.95	32,620.99	1,801.96	5.23%
विद्युत मंत्रालय	55,146.07	42,353.64	12,792.43	23.20%	50,254.47	40,874.26	9,380.21	18.67%
विद्युत मंत्रालय	22,900.29	21,135.10	1,765.19	7.71%	20,233.67	19,850.10	383.57	1.90%
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय								
वाणिज्य विभाग	6,998.78	6,944.44	54.34	0.78%	6,215.32	6,159.52	55.80	0.74%
उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने का विभाग	6,510.54	6,423.29	87.25	1.34%	6,156.61	6,020.57	136.04	2.21%
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय								
वस्त्र मंत्रालय	7,011.31	6,717.54	293.77	4.19%	6,561.17	6,513.12	48.05	0.73%
वस्त्र मंत्रालय	4,857.33	4,455.19	402.14	8.28%	8,660.82	6,695.47	1,965.35	22.69%
नागर विमानन मंत्रालय	4,500.02	3,646.82	853.20	18.96%	10,680.98	9,600.19	1,080.79	10.12%
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	2,653.67	2,193.46	460.21	17.34%	2,729.75	2,321.63	408.12	14.95%

मंत्रालय/ विभाग	बजट प्रावधान (बीई)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)	बजट प्रावधान (बीई)	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)
खान मंत्रालय	1,825.55	1,466.68	358.87	19.66%	2,164.54	1,397.10	767.44	35.46%
पर्यटन मंत्रालय	2,189.24	1,399.21	790.03	36.09%	2,150.03	2,102.52	47.51	2.21%
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय								
भारी उद्योग विभाग	1,367.01	1,306.19	60.82	4.45%	1,286.66	1,035.02	251.64	19.56%
सार्वजनिक उद्यम विभाग	22.64	21.09	1.55	6.85%	21.44	21.20	0.24	1.12%
कोयला मंत्रालय								
कोयला मंत्रालय	1,159.06	823.00	336.06	28.99%	781.85	708.34	73.51	9.40%
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	639.84	582.11	57.73	9.02%	643.98	610.41	33.57	5.21%
रसायन और उर्वरक मंत्रालय								
रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग	370.18	365.12	5.06	1.37%	399.65	339.86	59.79	14.96%
इस्पात मंत्रालय								
इस्पात मंत्रालय	241.29	194.33	46.96	19.46%	154.90	154.64	0.26	0.17%
<b>कुल</b>	<b>4,14,527.45</b>	<b>3,78,339.41</b>	<b>36,188.04</b>	<b>8.73%</b>	<b>4,30,334.68</b>	<b>3,95,746.71</b>	<b>34,587.97</b>	<b>8.04%</b>

2019-20 के दौरान भारत सरकार के उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों का कुल व्यय ₹3,78,339.41 करोड़ था, जबकि 2018-19 में ₹3,95,746.71 करोड़ था, अर्थात् ₹17,407.30 करोड़ (4.40 प्रतिशत) की कमी हुई। 2019-20 के दौरान इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए ₹3,78,339.41 करोड़ के कुल व्यय में से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 40.22 प्रतिशत और उसके बाद वित्तीय सेवाएं विभाग और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क्रमशः 22.00 प्रतिशत और 11.32 प्रतिशत) द्वारा किया गया था। उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों के वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक व्यय की भिन्नता की समीक्षा से पता चला है कि पिछले वर्ष यानी 2018-19 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के व्यय में अधिकतम वृद्धि (31.24 प्रतिशत) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में न्यूनतम वृद्धि (3.14 प्रतिशत) थी। इसी तरह, नागर विमानन मंत्रालय में पिछले वर्ष

यानी 2018-19 की तुलना में अधिकतम कमी (62.01 प्रतिशत)<sup>7</sup> और सार्वजनिक उद्यम विभाग के व्यय में न्यूनतम कमी (0.52 प्रतिशत) थी।।

पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान भारी उद्योग विभाग, इस्पात मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और वाणिज्य विभाग वास्तविक व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि करने वाले मंत्रालय/विभाग थे। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान वस्त्र मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग में वास्तविक व्यय में उल्लेखनीय कमी<sup>8</sup> देखी गई।

2019-20 के दौरान ₹4,14,527.45 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के संदर्भ में, मंत्रालयों/विभागों के पास ₹36,188.04 करोड़ का कुल अव्ययित बजट था जो कि कुल अनुदान/विनियोजन का 8.73 प्रतिशत था, जबकि जो 2018-19 के दौरान अव्ययित बजट 8.04 प्रतिशत था।

### 1.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, सांविधिक निकायों/ संगठनों को जारी किए गए अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकायो/ संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 महीने के अन्दर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। 4,865 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसीज़) की मंत्रालय/ विभाग-वार स्थिति (मार्च 2020 के अनुसार) का विवरण **अनुलग्नक-III** में दर्शाया गया है जिसमें 15 मंत्रालयों/ विभागों द्वारा मार्च 2019 तक जारी अनुदानों के संबंध में ₹18,181.39 करोड़ की राशि शामिल है। जो अनुदान जारी किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीनों के बाद बकाया थे ₹18,181.39 करोड़ वाले इन 4,865 यूसीज़ के संबंध में कोई भी आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका कि यह राशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च की गई थी जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/ अधिकृत किया गया। उपयोगिता प्रमाणपत्रों का भारी मात्रा में विलम्बन निधियों के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की काल-वार स्थिति नीचे तालिका 1.2 में संक्षेपित है:

<sup>7</sup> व्यय में उच्च कमी मुख्य रूप से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत बजट (2019-20) में कमी के कारण हुई जैसे कि एयर इंडिया लिमिटेड की टर्नअराउंड योजना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना और अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय।

<sup>8</sup> व्यय/बजट प्रावधान (2019-20) को मुख्य रूप से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में कम किया गया था जैसे कि संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, कपड़ा अवसंरचना, पर्यटन अवसंरचना और वित्तीय संस्थानों को सहायता।

तालिका 1.2: बकाया यूसीज़ की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्षों की संख्या में देरी की सीमा	31 मार्च 2020 को बकाया यूसीज़	
	संख्या	राशि
0-1	1,490	7,421.99
1-5	2,516	10,291.18
5 से अधिक	859	468.22
<b>जोड़</b>	<b>4,865</b>	<b>18,181.39</b>

बकाया यूसीज़ मुख्य रूप से छः मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित हैं। ये कुल बकाया यूसीज़ का 89.19 प्रतिशत है जिसका मूल्य कुल बकाया राशि का 95.93 प्रतिशत है। मार्च 2020 तक छः मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण मौद्रिक मूल्य के साथ बकाया यूसीज़ की स्थिति नीचे तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3: 31 मार्च 2020 को बकाया यूसीज़

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग	मार्च 2019 <sup>9</sup> तक	
		संख्या	राशि
1.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1,594	12,666.14
2.	वित्तीय सेवाएं विभाग	39	3,067.63
3.	वस्त्र मंत्रालय	2,582	796.35
4.	भारी उद्योग विभाग	54	396.51
5.	रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग	22	292.09
6.	पर्यटन मंत्रालय	48	223.23
	<b>जोड़</b>	<b>4,339</b>	<b>17,441.95</b>

### 1.6 केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे गए पेपर्स पर समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट (1975-76) में सिफारिश की थी कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय (एबी) को लेखांकन वर्ष (वित्तीय वर्ष) समाप्त होने के बाद तीन महीने के अन्दर अपने लेखाओं को अंतिम रूप देना/ तैयार करना चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। यह सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 237 में भी निर्धारित किया गया है।

<sup>9</sup> मार्च 2019 तक जारी किए गए अनुदानों के लिए

नीचे दी गई तालिका 1.4 में सीएबी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2018-19 के लिए लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब को दर्शाया गया है।

**तालिका 1.4: लेखाओं के प्रस्तुत करने में विलम्ब**

	देरी की अवधि			
	1 महीने तक	1-3 महीने	3-6 महीने	6 महीने से अधिक
सीएबीज़ की संख्या	8	8	7	4

सीएबीज़ के विवरण जिनके लेखे मार्च 2021 तक विलंबित थे, उन्हें **अनुलग्नक-IV** में दर्शाया गया है।

### 1.7 संसद के समक्ष सीएबीज़ के लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति में देरी

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि एबीज़ के लेखापरीक्षित लेखाओं को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के नौ महीनों के भीतर अर्थात् अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर तक संसद के समक्ष रखा जाएगा।

मार्च 2021 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति तालिका 1.5 में दी गई है:

**तालिका 1.5: संसद के समक्ष प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की स्थिति**

लेखा वर्ष	सीएबीज़ की संख्या जिसके लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गए थे, परन्तु संसद में प्रस्तुत नहीं किए गए
2013-14 से 2016-17	1
2017-18	3
2018-19	4
लेखा वर्ष	सीएबीज़ की संख्या जिनके लिए नियत तारीख के बाद लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत किए थे
2018-19	14

उन सीएबीज़ जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए अथवा देय तिथि के बाद प्रस्तुत किए गए के विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-V** और **अनुलग्नक-VI** में दिए गए हैं।

### 1.8 लेखापरीक्षा के प्रमाणन के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अधीन लेखापरीक्षित सीएबीज़ के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उन प्रमाणित अंतिम लेखाओं के साथ सलंग्न किये जाते हैं, जो संसद के पटल पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा रखे जाते हैं। वर्ष 2019-20 के लिए सीएबी के वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को **अनुलग्नक-VII** में दिया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए सीएबी के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण कमियाँ निम्नानुसार हैं:

- क) 16 सीएबी में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी (**अनुलग्नक-VIII**);
- ख) 16 सीएबी में स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था (**अनुलग्नक-IX**);
- ग) 13 सीएबी में मालसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था (**अनुलग्नक-X**);
- घ) 12 सीएबी में प्राप्ति/ नकद आधार पर अनुदानों के लिए लेखांकन वित्त मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित लेखा के समान प्रारूप के साथ असंगत पाया गया (**अनुलग्नक-XI**);
- ङ) 16 सीएबी में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन नहीं किया गया था (**अनुलग्नक-XII**); और
- च) लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप चार सीएबी के लेखाओं को संशोधित किया गया (**अनुलग्नक-XIII**)।
- छ) हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण ने वर्ष 2019-20 के दौरान अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया

### 1.9 लंबित एटीएनस की स्थिति

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 105वीं रिपोर्ट (दसवीं लोकसभा - 1995-96), जो 17 अगस्त 1995 को संसद में प्रस्तुत की गयी थी, में सिफारिश की थी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के सभी पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएनस), 31 मार्च 1996 के बाद वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से सदन के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके बाद, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी कक्ष बनाया गया जिसे सभी मंत्रालयों/ विभागों से उन एटीएनस के समन्वय और संग्रहण का काम सौंपा गया है जो संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित हैं और उन्हें संसद को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तारीख से चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पीएसी को भेजा जाता है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय) में शामिल पैराग्राफों पर एटीएनस की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि 39 एटीएनस बकाया थे परंतु केवल 30 प्राप्त हुए थे जिनमें से चार को अंतिम रूप दिया गया था जबकि शेष संबंधित मंत्रालयों/ विभागों (सितंबर 2021) के साथ पत्राचार के विभिन्न चरणों के तहत थे। बकाया एटीएनस का विवरण **अनुलग्नक-XIV** में दर्शाया गया है।

#### 1.10 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने पीएसी की सिफारिशों पर जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए कि वे सीएजी के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर छः सप्ताह के भीतर अपने उत्तर भेजें। ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए निहित समय के भीतर अपना उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए भेजा जाता है। इस प्रतिवेदन में 14 लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं। आठ पैराग्राफों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के उत्तर प्राप्त हुए थे। प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है (सितंबर 2021)।



## अध्याय II: कारपोरेट कार्य मंत्रालय

### 2.1 एमसीए21 का डेटा विश्लेषण

#### 2.1.1 प्रस्तावना

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (मंत्रालय/एमसीए) प्रमुख रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008, और उनके अंतर्गत बनाए गए अन्य संबद्ध अधिनियमों, नियमों और विनियमों के प्रशासन से संबंधित है, जो मुख्य रूप से कानून के अनुरूप कारपोरेट क्षेत्र के कामकाज को विनियमित करने के लिए बनाए गए हैं। मुख्यतः, मंत्रालय के कार्य दो श्रेणियों में विभाजित हैं-(i) कानून और अधीनस्थ कानून तैयार करने से जुड़े नीतिगत कार्य और (ii) उनके अंतर्गत बने अधिनियमों और नियमों के प्रशासन से जुड़े विनियामक कार्य।

मंत्रालय ने फरवरी 2006 में एमसीए21 परियोजना शुरू की थी। यह परियोजना एक ई-गवर्नेंस पहल है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित कंपनियों के समावेश और नियमन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह एक एंड टू एंड कार्यक्रम है जिसमें सुरक्षित इंटरैक्टिव पोर्टल के माध्यम से दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, कंपनियों के पंजीकरण और कॉर्पोरेट जानकारी तक ऑनलाइन सार्वजनिक पहुंच की परिकल्पना की गई है। पोर्टल सेवाओं को कहीं से भी किसी भी समय प्राप्त/लाभ उठाया जा सकता है, जो कॉर्पोरेट सत्त्वों, पेशेवरों और बड़े पैमाने पर जनता के लिए सुविधाजनक हो। इस परियोजना को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 2 फरवरी 2005 को छह साल की परियोजना अवधि के लिए ₹345.89 करोड़ की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी थी। सिस्टम एप्लीकेशन, डाटा सेंटर, आपदा बहाली केंद्र और सभी परियोजना स्थलों<sup>1</sup> में रोलआउट के विकास के बाद, परियोजना ने 17 जनवरी 2007 से अपना पूर्ण परिचालन शुरू किया।

परियोजना के पहले चरण को निर्माण, स्वामित्व, परिचालन, ट्रांसफर (बूट) मॉडल के आधार पर मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को (मार्च 2005) प्रदान किया गया, जिसे परिचालक कहा गया था। 2013 में पहले चरण की समाप्ति के बाद, परियोजना का दूसरा

<sup>1</sup> परियोजना स्थल का तात्पर्य देशभर में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालय तथा कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालयों से है।

चरण (एमसीए21 संस्करण-2) 17 जनवरी 2013 को शुरू किया। मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड को साढ़े छह साल की अवधि के लिए इस चरण के लिए सेवा प्रदाता के रूप में चुना गया था, जो दो साल और बढ़ाया जा सकता है। मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड को मौजूदा एमसीए21 प्रणालियों और संबंधित सेवाओं के परिवर्तन के लिए सेवाएं प्रदान करनी थीं और निरंतर रखरखाव और संचालन सेवाओं से इसका संवर्धन करना था।

परियोजना के दोनों चरणों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट को परियोजना निगरानी इकाई के रूप में नामित किया गया था। इस संबंध में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट और मंत्रालय के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट को मास्टर सेवा समझौते में वर्णित सेवा स्तरों पर परिचालक के प्रदर्शन का आकलन करने का कार्य करने की परिकल्पना की गई थी। परियोजना के तीसरे चरण का कार्य 31 दिसंबर 2019 को मेसर्स एलएंडटी इंफोटेक को प्रदान किया गया था। तीसरे चरण के व्यापक कार्यक्षेत्र में एमसीए 21 संस्करण 2 का परिवर्तन; एमसीए21 संस्करण 3 एप्लीकेशन का डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव; और मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों आदि में अवसंरचना का रोल आउट करना शामिल था।

### 2.1.2 एमसीए21 के उद्देश्य

परियोजना के लिए नियोजित प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार थे:

- इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनियों का ऑनलाइन समावेशन और कंपनियों का नाम और पता बदलना,
- फॉर्म और रिटर्न दाखिल करना,
- पंजीकरण के साथ-साथ प्रभारों<sup>2</sup> का सत्यापन कभी भी और कहीं से भी करना,
- कंपनियों के सार्वजनिक दस्तावेजों का कहीं से भी कभी भी निरीक्षण,
- भारत में कार्यरत कॉर्पोरेट्स के एक केंद्रीकृत डेटाबेस कोष का निर्माण, और
- निवेशकों की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण।

---

<sup>2</sup> समर्थक प्रतिभूति के रूप में काम करने के लिए ऋणदाताओं के पक्ष में एक कंपनी की परिसंपत्तियों पर निर्मित प्रभार।

### 2.1.3 संगठनात्मक संरचना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में कंपनी अधिनियम, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम और अन्य संबद्ध अधिनियमों और नियमों के प्रशासन के लिए त्रिस्तरीय संगठनात्मक संरचना का गठन किया गया है। इस त्रिस्तरीय संरचना में नई दिल्ली में सचिवालय, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, अहमदाबाद, गुवाहाटी और हैदराबाद में क्षेत्रीय निदेशालय और कंपनी रजिस्ट्रार के 26 कार्यालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी परिसमापकों के 19 कार्यालय हैं जो देश में कार्यरत विभिन्न उच्च न्यायालयों से जुड़े हुए हैं। एमसीए21 परियोजना को कंपनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशालयों और एमसीए मुख्यालयों में कार्यान्वित किया जाता है जो बैंक ऑफिस के रूप में काम करते हैं।

### 2.1.4 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म (ई-फॉर्म) पारंपरिक फॉर्म का एक पुनः निर्मित रूप है और इंटरनेट के माध्यम से एमसीए के साथ दाखिल करने के लिए एक दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह या तो अनुपालन या सूचना उद्देश्य के लिए दायर किया गया एक फॉर्म या मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन हो सकता है।

एमसीए21 में पणधारकों को आवश्यक जानकारी भरने हेतु सक्षम बनाने के लिए लगभग 100 ई-फॉर्म शामिल हैं। इन ई-फॉर्म को निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत समूहित किया गया है

- (i) **कंपनी पंजीकरण:** इसमें प्रमुख रूप से कंपनी के नाम के लिए अनुमोदन, कंपनी के निगमन के लिए आवेदन, और पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के निदेशकों के बारे में सूचना से संबंधित प्रपत्र शामिल हैं।
- (ii) **अनुपालन संबंधित फाइलिंग:** इसमें रिटर्न की सांविधिक फाइलिंग के लिए फॉर्म शामिल हैं जैसे नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए शेयरों का आवंटन, प्रतिभूतियों की वापसी खरीद, प्रबंधन निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और लेखा परीक्षक की नियुक्ति, सांविधिक रिपोर्ट और लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
- (iii) **परिवर्तन सेवाएं:** इसमें कंपनी के पूंजीगत ढांचे में परिवर्तन, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थिति में परिवर्तन, निदेशकों, प्रबंधक और सचिव आदि में परिवर्तन से संबंधित प्रपत्र शामिल हैं।

- (iv) **प्रभार प्रबंधन:** इसमें ऋणदाताओं के पक्ष में कंपनी की विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों पर प्रभार के सृजन और संशोधन से संबंधित प्रपत्र शामिल हैं।
- (v) **निवेशक सेवाएं:** इसमें निवेशक द्वारा कंपनी के विरुद्ध दायर शिकायतों से संबंधित प्रपत्र शामिल हैं।
- (vi) **प्रबंधकीय कार्मिकों से संबंधित अनुमोदन:** इसमें निदेशकों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमोदन, निदेशकों के पारिश्रमिक का निर्धारण, निदेशकों की नियुक्ति के नियमों और शर्तों में संशोधन आदि से संबंधित प्रपत्र शामिल हैं।
- (vii) **अनुमोदन सेवाएं:** इसमें कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत एमसीए, क्षेत्रीय निदेशकों और कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन के लिए आवश्यक प्रपत्र शामिल हैं।
- (viii) **सूचना सेवाएं:** इसमें कंपनी रजिस्ट्रार के साथ विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसे कि संकल्प, घोषणाएं और समझौते दाखिल करने के लिए प्रपत्र शामिल हैं।
- (ix) **वार्षिक फाइलिंग:** इसमें कंपनी के वार्षिक रिटर्न और बैलेंस शीट और लाभ और हानि लेखा को दाखिल करने के लिए फॉर्म शामिल हैं।

### 2.1.5 परिचालक के साथ मास्टर सेवा समझौता

सेवा स्तर समझौते और सेवा प्रदाता समझौते के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन तथा निर्दिष्ट सेवाओं के वितरण के तरीके को शासित करने हेतु एमसीए और सेवा प्रदाता के बीच एक मास्टर सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मास्टर सेवा समझौता के अनुसार, सेवा प्रदाता द्वारा संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान करने पर प्रत्येक तिमाही के अंत में उसे समान तिमाही किस्तों में भुगतान किया जाना चाहिए। यह भुगतान एमसीए21 के मौजूदा संस्करण से परिवर्तन, संचालन और रखरखाव, भंडारण उपस्करों के नवीकरण/पुनःपूर्ति, कंप्यूटर अवसंरचना, सॉफ्टवेयर लाइसेंस आदि जैसी सेवाओं के लिए किया जाना था।

### 2.1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली और उद्देश्य

**2.1.6.1 नियोजित कार्यक्षेत्र:** आरंभ में लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एप्लीकेशन नियंत्रणों के मूल्यांकन और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी

प्रभावशीलता को शामिल करना था। लेखापरीक्षा का उद्देश्य एमसीए21 के दूसरे संस्करण में आईटी से जुड़े मामलों को शामिल करना था, जिसके लिए मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड सेवा प्रदाता थी।

जुलाई 2018 में एमसीए21 की आईटी लेखापरीक्षा के शुरू होने पर, लेखापरीक्षा ने लाइव वातावरण में इनपुट और आउटपुट नियंत्रण, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा सत्यापन की जांच करने के लिए एमसीए21 प्रणाली का उपयोग करने का अनुरोध किया। तथापि, मंत्रालय ने मौखिक रूप से यह कहते हुए इस अनुरोध से इनकार कर दिया कि एमसीए21 की प्रक्रिया में लेखापरीक्षा की कार्यकारी भूमिका नहीं है। लाइव वातावरण तक पहुंच के अभाव में, लेखापरीक्षा के लिए कंपनी अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए अन्य नियमों और विनियमों के सफल प्रशासन के लिए प्रणाली में निर्मित इनपुट, प्रसंस्करण और आउटपुट तंत्र और नियंत्रणों की जांच करना असंभव हो गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा लाइव प्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी। चूंकि लेखापरीक्षा को लाइव वातावरण तक पहुंच उपलब्ध नहीं कराई गई थी, इसलिए मंत्रालय से एमसीए21 का डेटा डंप प्रदान करने का अनुरोध किया गया था (जनवरी 2019)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एमसीए21 पोर्टल में विभिन्न ई-फॉर्म के माध्यम से एमसीए21 की प्रक्रियाओं का प्रबंधन किया गया था और एमसीए21 का डेटा अत्यधिक था। इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा 10 ई-फॉर्म के डेटा का विश्लेषण करने का निर्णय लिया गया था।

10 ई-फॉर्म और सात सेवाओं से संबंधित अप्रैल 2016 से मार्च 2019 तक का डेटा विश्लेषण (अनुलग्नक-XV) के लिए मंगाया गया था। एमसीए21 के अत्यधिक डेटा को देखते हुए, इस बात पर सहमति बनी कि मंत्रालय विश्लेषण के लिए लेखापरीक्षा को एक ई-फॉर्म से संबंधित डेटा उपलब्ध कराएगा। यदि आपूर्त डेटा लेखापरीक्षा विश्लेषण के लिए उपयोगी साबित होता है, तो शेष ई-फॉर्म से संबंधित डेटा मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे। लेखापरीक्षा ने तदनुसार एक ई-फॉर्म नामतः कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमन हेतु सरलीकृत प्रोफार्मा (एसपीआईसीई) से संबंधित डेटा की मांग की, जिसे कंपनियों के निगमन के लिए डिजाइन किया गया था। तथापि, मंत्रालय ने एसपीआईसीई ई-फॉर्म से संबंधित केवल आंशिक डेटा ही उपलब्ध कराया। लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत की गई 13 फाइलों में से केवल तीन फाइलें अर्थात् डीआईएन मास्टर, कंपनी मास्टर और नामिती को प्रासंगिक पाया गया, जबकि अन्य 10 फाइलें एसपीआईसीई ई-फॉर्म से संबंधित नहीं थीं।

इसके अतिरिक्त, एसपीआईसीई के संबद्ध फॉर्म, प्रदान नहीं किये गये थे, जिसमें किसी कंपनी के निगमन का पूरा कार्यप्रवाह शामिल था, जिसके कारण लेखापरीक्षा को कंपनियों के निगमन से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए प्रणाली की प्रभावकारिता के बारे में जांच करने और आश्वासन प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा।

**2.1.6.2 कार्यक्षेत्र सीमा:** लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूचना/डेटा/प्रत्युत्तर प्रदान करने में मंत्रालय की अपर्याप्त सहायता के कारण लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सीमित हो गया था। परिणामतः लेखापरीक्षा समग्र रूप में एमसीए21 प्रणाली की प्रभावकारिता के बारे में समग्र आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ रही।

लेखापरीक्षा ने सीमित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ एमसीए21 प्रणाली के उपलब्ध डेटा के विश्लेषण का कार्य जारी रखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि:

- एसपीआईसीई ई-फॉर्म ने लक्षित व्यावसायिक प्रक्रिया का समर्थन किया और लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया, और
- उपरोक्त संदर्भ में एप्लिकेशन, प्राप्त आंकड़ों की विसंगतियों की पहचान करने और उन्हें चिन्हांकित करने में अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सक्षम थी।

मई 2020 में मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा की लेखापरीक्षा जाँच की गई थी। उसके पश्चात डेटा विश्लेषण के परिणामों की नमूना-जाँच के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और केंद्रीय पंजीकरण केंद्र, मानेसर के कार्यालय में दोबारा जाँच की गई।

### 2.1.7 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड आईटी अधिनियम, 2000; भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय की आईटी लेखापरीक्षा नियमपुस्तक; प्रासंगिक ई-गवर्नेंस मानक, <https://egovernance.gov.in> में प्रकाशित दिशानिर्देश और फ्रेमवर्क; ई-गवर्नेंस संविदाओं के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के दिशानिर्देश; संबद्ध नियमों और मंत्रिमंडल टिप्पणियों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 से प्राप्त किए गए थे।

### 2.1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मई 2020 में मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई फाइलों के डेटा विश्लेषण (डीआईएन<sup>3</sup> मास्टर और कंपनी मास्टर जिसमें क्रमशः 58,01,744 और 20,08,456 रिकॉर्ड हैं) से प्राप्त निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

---

<sup>3</sup> निदेशक पहचान संख्या

### 2.1.8.1 निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) से संबंधित मुद्दे

#### क. एक ही स्थायी खाता संख्या (पैन) पर आवंटित एक से अधिक डीआईएन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 153 और 154 में यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी कंपनी में निदेशक के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को डीआईएन के लिए आवेदन करना होगा और ऐसे आवेदन के एक महीने के भीतर, डीआईएन उस व्यक्ति को आवंटित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 155 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसे पहले ही डीआईएन आवंटित किया जा चुका है, उसे किसी अन्य डीआईएन के लिए आवेदन करना, प्राप्त करना या उस पर स्वामित्व नहीं करना चाहिए। यदि कोई निदेशक एक से अधिक डीआईएन का उपयोग करता है तो यह प्रथम दृष्टया कंपनी अधिनियम, 2013 के उल्लंघन का साक्ष्य है और इसे अधिनियम की धारा 159 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। इसके अतिरिक्त, धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे डीआईएन के उपयोग के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता है।

डीआईएन मास्टर फाइल के विश्लेषण के दौरान, 6,78,161 रिकॉर्ड पाए गए जिनमें 2,33,898 पैन के प्रति वहां एक से अधिक डीआईएन आवंटित किए गए थे। डीआईएन मास्टर फाइल में यथा प्राप्त डीआईएनस की स्थिति, निम्नानुसार है:

तालिका 3.1: एक ही पैन के प्रति आवंटित डीआईएनस

डीआईएन स्थिति	डीआईएनस की संख्या
रिक्त <sup>4</sup>	178
स्वीकृत	27,429
अक्रियाशील <sup>5</sup>	1,75,033
निष्क्रिय <sup>6</sup>	1,29,194
व्यपगत <sup>7</sup>	3,45,965

<sup>4</sup> 'रिक्त' स्थिति का अर्थ है कि स्थिति फ़ील्ड में कोई डेटा नहीं पाया गया।

<sup>5</sup> किसी डीआईएन धारक द्वारा नियत तारीख तक वार्षिक केवाईसी दाखिल न करने पर डीआईएन अक्रियाशील हो जाता है।

<sup>6</sup> मंत्रालय ने डीआईएन आवेदकों के लिए अपना पैन उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया (31 मई 2011) और पिछले डीआईएन धारकों को निर्दिष्ट समय के भीतर अपना पैन विवरण जोड़ने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर डीआईएन निष्क्रिय कर दिया जाता है।

<sup>7</sup> एक आवेदक जिसे अनंतिम डीआईएन आवंटित किया गया है, उसे 60 दिनों के भीतर नियमित डीआईएन के लिए आवेदन करना होगा, ऐसा न करने पर अनंतिम डीआईएन समाप्त हो जाएगा।

डीआईएन स्थिति	डीआईएनस की संख्या
अनंतिम <sup>8</sup>	286
अस्वीकृत	33
अभ्यर्पित	43
<b>कुल योग</b>	<b>6,78,161</b>

डेटा के और अधिक विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

(i) 6,78,161 अभिलेखों, जहां एक ही पैन के प्रति एक से अधिक डीआईएन आवंटित किए गए थे, में से 27,429 अभिलेखों के मामले में डीआईएन की स्थिति 'स्वीकृत' दर्शायी गई थी। यह देखा गया कि 27,429 अभिलेखों में से 63 व्यक्तियों को एक ही पैन पर एक से अधिक डीआईएन जारी किए गए और डीआईएनस को डाटाबेस में स्वीकृत के रूप में दिखाया गया। इससे पता चला कि प्रणाली डीआईएन के आवंटन का प्रसंस्करण करते समय पैन के आधार पर जांच का सत्यापन नहीं कर सकती थी। लेखापरीक्षा के अंतर्गत चयनित अवधि के दौरान उपरोक्त 63 मामलों में से 52 मामलों में द्वितीय/डुप्लीकेट डीआईएन आवंटित किया गया था। कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली में उपरोक्त 63 मामलों में से 20 मामलों (अनुलग्नक-XVI) की जांच करने (जनवरी 2021) पर यह पाया गया कि सभी 20 अभिलेखों में एक पैन पर एक से अधिक डीआईएन को स्वीकृत किया गया था लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति निष्क्रिय पाई गई। तथापि, निष्क्रिय डीआईएनस के संबंध में जोखिम जारी रहा है क्योंकि डीआईएन धारक द्वारा केवाईसी करने के बाद इन्हें बहाल किया जा सकता है।

मंत्रालय ने यह स्वीकार करते हुए कि कुछ वैधीकरण सही नहीं थे, उत्तर दिया (जून 2021) कि इससे पहले जब डुप्लीकेट डीआईएन एमसीए द्वारा व्यपगत के रूप में चिह्नित किए गए थे, तो कंपनियों/एलएलपीज़ के साथ सक्रिय संबंध रखने वाले कई/डुप्लीकेट डीआईएन को छोड़ दिया गया था। इसके लिए, फॉर्म डीआईआर-5 (डीआईएन अभ्यर्पण के लिए) लागू किया गया था। बैंक ऑफिस में संबंधित वैधीकरण भी काम नहीं कर रहा था। फॉर्म डीआईआर-3 केवाईसी की शुरुआत के साथ, एक व्यक्ति के केवल एक डीआईएन को केवाईसी सत्यापित किया जा सकता है और इसलिए अन्य डीआईएन को 'केवाईसी दाखिल

<sup>8</sup> डीआईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, एक अनंतिम डीआईएन सृजित किया जाता है। अनंतिम डीआईएन सृजित होने के बाद, आवेदक को नियमित डीआईएन के आवंटन के लिए निर्दिष्ट शुल्क के साथ डीआईएन के लिए औपचारिक आवेदन करना होगा।



न करने के कारण निष्क्रिय' के रूप में चिह्नित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली द्वारा डुप्लीकेट डीआईएनस को हटा दिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए गए 63 मामलों के संबंध में मंत्रालय ने अप्रैल 2021 में प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया (लेखापरीक्षा जांच मई 2020 के डेटा पर थी) और सूचित किया कि उसने ऐसे सभी डीआईएनस की अद्यतित स्थिति प्राप्त की है और यह पाया कि प्रत्येक पैन के प्रति एक से अधिक डीआईएन को 'स्वीकृत' के रूप में नहीं दर्शाया गया है। तथापि, मंत्रालय ने स्वीकार किया कि अभी भी, दो मामलों में एक व्यक्ति ने एक ही पैन के प्रति आवंटित दो डीआईएन के लिए केवाईसी किया है। ऐसे मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए, मंत्रालय ने केवाईसी सत्यापन को रोकने के लिए डीआईआर-3 केवाईसी वेब पर एक जांच शुरू करने का प्रस्ताव किया, जहां समान पैन के प्रति डीआईएन हेतु पहले ही केवाईसी सत्यापन जारी किया जा चुका है।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक से अधिक डीआईएन के आवंटन को रोकने के लिए पैन को विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में मानने वाले अपेक्षित बुनियादी वैधीकरण अभी भी मौजूद नहीं थे।

(ii) 6,78,161 अभिलेखों में से 43 अभिलेखों में डीआईएन की स्थिति को 'अभ्यर्पित' के रूप में दर्शाया गया था। 'स्वीकृत' और 'अभ्यर्पित' की श्रेणी के अंतर्गत डीआईएन की तुलना करते समय, यह पाया गया कि 28 व्यक्तियों ने अगले डीआईएन के आवंटन के बाद आवंटित दो डीआईएनस में से एक को अभ्यर्पित कर दिया। इससे पता चला कि प्रणाली एक से अधिक डीआईएन के आवंटन पर कार्रवाई करते समय पैन के आधार पर जांच को वैधीकृत नहीं कर सका। उन 28 मामलों में से 13 मामलों में द्वितीय/डुप्लीकेट डीआईएन को लेखापरीक्षा के लिए चयनित अवधि के दौरान आवंटित किया गया था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर नहीं दिया।

(iii) 'स्वीकृत' और 'निष्क्रिय' की श्रेणी के अंतर्गत डीआईएनस की तुलना करने पर यह पाया गया कि 6,78,161 अभिलेखों में से 1,757 मामलों में एक से अधिक डीआईएन आवंटित किए गए थे जिनमें से एक डीआईएन को बाद की तारीख में निष्क्रिय कर दिया गया था। ऐसे मामलों में, एक डीआईएन के निष्क्रिय होने से पहले समान पैन वाले दोनों डीआईएन सक्रिय रहे। इन 1,757 मामलों में से 298 मामलों में लेखापरीक्षा के लिए

चयनित अवधि के दौरान द्वितीय/डुप्लीकेट डीआईएन आवंटित किया गया था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर नहीं दिया।

इस प्रकार, प्रणाली ने ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसने एक से अधिक डीआईएन के आवंटन के लिए आवेदन किया, कंपनी रजिस्ट्रार को सतर्क करने के लिए कोई चेतावनी (चेतावनी संकेत) नहीं दी, जिससे कि सुधारात्मक कार्रवाई शीघ्र की जा सके। एमसीए21 के डेटाबेस में इस कमी का स्वतः पता लगाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

### सिफारिश संख्या 1

आवश्यक इनपुट नियंत्रण लागू किए जा सकते हैं ताकि एक स्थायी खाता संख्या के प्रति एक से अधिक निदेशक पहचान संख्या जारी करने जैसे मामले उत्पन्न न हों।

### ख. बिना पहचान विवरण वाले डीआईएनस

डीआईएन आवंटन के लिए ई-फॉर्म डीआईआर-3 की प्रणाली आवश्यकता विशिष्टता किट में भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य रूप से पैन विवरण और विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट नंबर देना अनिवार्य है। डीआईएन मास्टर फाइल के विश्लेषण के दौरान 10,54,824 मामलों में पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर और आधार नंबर जैसे सभी आईडी फील्ड रिक्त पाए गए। इन मामलों में डीआईएन की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 3.2: बिना पहचान विवरण के डीआईएन

डीआईएन की स्थिति	ऐसे मामले जहां कोई आईडी नहीं मिली
रिक्त	1,581
स्वीकृत	77
अक्रियाशील	1,65,452
अभ्यर्पित	40
निष्क्रिय	2,25,563
व्यपगत	6,60,195
अनंतिम	150
अस्वीकृत	1,766
<b>योग</b>	<b>10,54,824</b>

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 1,65,569 मामले ऐसे थे जहां डीआईएन की श्रेणी को 'स्वीकृत' या 'अभ्यर्पित' या 'अक्रियाशील' के रूप में दिखाया गया था। इन मामलों में, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि व्यक्तियों ने उन डीआईएन का उपयोग किया हो। इसके अतिरिक्त, आईडी फ़ील्ड में किसी जानकारी के अभाव में, किसी व्यक्ति को कई डीआईएन जारी करने से संबंधित मामलों का पता नहीं चलेगा।

यह भी पाया गया कि 1 जनवरी 2016 के बाद अर्थात्, फॉर्म डीआईआर 3: डीआईएन के आवंटन के लिए आवेदन पत्र के नवीनतम संशोधन 2,031 डीआईएन (स्वीकृत: 61, अभ्यर्पित: 04, अक्रियाशील: 1,966) के बाद बिना आईडी आवंटित किए गए। कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली (जनवरी 2021) में उपरोक्त 61 स्वीकृत डीआईएन में से 20 डीआईएन (अनुलग्नक-XVII) के रिकॉर्ड की जांच करने पर, सभी आईडी फ़ील्ड बैंक ऑफिस में रिक्त पाए गए। इससे पता चलता है कि प्रणाली ने अनिवार्य डेटा इनपुट के अभाव में भी डीआईएन को मंजूरी दी। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर नहीं दिया।

### **सिफारिश संख्या 2**

यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त जाँच बिंदु बनाये जाने चाहिए कि सभी अनिवार्य फ़ील्ड या तो संबंधित आवेदक कंपनी द्वारा भरे गए हैं या उन्हें किसी अन्य-ई-फॉर्म में कैप्चर कर ऑटो-पॉप्युलेट किया जाना चाहिए।

### **ग. डीआईएन मास्टर में रिक्त या शून्य प्रविष्टि तिथि फ़ील्ड**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीआईएन मास्टर फाइल में 58,01,744 अभिलेखों में से 2,127 अभिलेखों में (डीआईएन की 'व्यपगत', 'अनंतिम', 'निष्क्रिय' और 'अस्वीकृत' के रूप में स्थिति को छोड़कर), डीआईएन की 'आरंभ तिथि' अर्थात् डीआईएन की मंजूरी की तारीख को 'शून्य' या 'रिक्त' के रूप में दिखाया गया। इसकी अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा इस बात की जांच करने के लिए डेटा का विश्लेषण नहीं कर सकी कि इन 2,127 मामलों के संबंध में जब पहला डीआईएन उपयोग में था तब भी किसी व्यक्ति को द्वितीय/डुप्लीकेट डीआईएन आवंटित किया गया था या नहीं।

लेखापरीक्षा ने कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली (जनवरी 2021) से संबंधित और प्रबंधित इन डीआईएन में से 20 (अनुलग्नक-XVIII) की जांच की और पाया कि इन मामलों में कोई तारीख बैंक ऑफिस में दर्ज नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर नहीं दिया।

### 2.1.8.2 निदेशक पद से संबंधित मुद्दे

#### क. अधिकतम सीमा से अधिक निदेशक पद

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 165 (1) में यह निर्धारित किया गया है कि इस अधिनियम के शुरू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को एक ही समय में 20 से अधिक कंपनियों में किसी वैकल्पिक डायरेक्टरशिप सहित निदेशक के रूप में पद धारण नहीं करना चाहिए।

तथापि, 58,01,744 रिकॉर्ड वाली डीआईएन मास्टर फ़ाइल के विश्लेषण से पता चला है कि 1,626 व्यक्तियों ने एक ही समय में 20 से अधिक कंपनियों में डायरेक्टरशिप को धारण किया, इस प्रकार कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। लेखापरीक्षा ने कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली (जनवरी 2021) में उपरोक्त 1,626 मामलों (अनुलग्नक-XIX) में से 20 मामलों की जांच की और पाया कि सभी 20 व्यक्तियों ने अनुमेय सीमा से अधिक डायरेक्टरशिप को धारण किया। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार को सक्षम करने के लिए ऐसे मामलों की पहचान करने और उन्हें चिन्हित करने के लिए एमसीए21 में कोई इनबिल्ट सिस्टम डिजाइन नहीं था।

मंत्रालय ने अप्रैल 2021 में कर्षित डेटा के संबंध में उत्तर देते हुए (जून 2021) स्वीकार किया कि कुछ वैधीकरण लागू नहीं थे। मंत्रालय ने कहा कि 'डायरेक्टरशिप की संख्या' की जांच एसपीआईसीई + पार्ट बी<sup>9</sup> में गायब थी जिसके कारण 20 से अधिक कंपनियों में कुछ निदेशकों की नियुक्ति हो गई। मंत्रालय ने सूचित किया कि वर्तमान में 9 अप्रैल 2021 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार साझा किए गए 1,626 डीआईएन में से केवल 26 डीआईएन, 20 से अधिक कंपनियों से संबंधित हैं। मंत्रालय ने सूचित किया कि डायरेक्टरशिप की संख्या के संबंध में आवश्यक जांच को अब लागू कर दिया गया है।

<sup>9</sup> लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां एसपीआईसीई - ई फ़ॉर्म पर थी। मंत्रालय ने एसपीआईसीई+ फ़ॉर्म (एक वेब आधारित उन्नत फार्म) लागू कर दिया जो 15 फरवरी 2020 से प्रभावी था। आवश्यक वैधीकरण वेब सक्षम प्रारूप में भी उपलब्ध नहीं थे, जैसा कि मंत्रालय के उत्तर में बताया गया था।

तथापि, मंत्रालय ने उनके द्वारा किए गए अनुपालन के सत्यापन के लिए अपने उत्तर के साथ सहायक डेटा/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए।

#### ख. किसी कंपनी में निदेशकों की संख्या

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी के पास एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में न्यूनतम तीन निदेशक, एक निजी कंपनी के मामले में दो निदेशक और एकल व्यक्ति कंपनी<sup>10</sup> के मामले में एक निदेशक होना चाहिए। एक कंपनी अधिकतम 15 निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है। तथापि, एक कंपनी केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना एक आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद 15 से अधिक निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है।

हालांकि 50,601 सक्रिय निजी कंपनियों से संबंधित डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 30,973 कंपनियों में केवल एक निदेशक था, जबकि 19,628 कंपनियों को बिना किसी निदेशक के चलाया जा रहा था। इसके अलावा 5,710 सार्वजनिक कंपनियों में निदेशकों की संख्या तीन से कम थी। आठ सक्रिय एकल व्यक्ति कंपनियों में कंपनियों बिना किसी निदेशक के चलाई जा रही थीं।

तथ्यात्मक स्थिति का सत्यापन करने और डेटा प्रविष्टि त्रुटि की संभावना के निराकरण हेतु लेखापरीक्षा ने कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली (जनवरी 2021) के पास उपलब्ध सत्यापित बैकएंड डेटा की जांच की। लेखापरीक्षा ने 50,601 सक्रिय निजी कंपनियों से 22 रिकॉर्ड (अनुलग्नक-XX), 5,710 सार्वजनिक कंपनियों से 23 रिकॉर्ड (अनुलग्नक-XXI) और एकल व्यक्ति कंपनियों के चार रिकॉर्ड (अनुलग्नक-XXII) की जांच की। बैकएंड डेटा के सत्यापन से डेटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की गई। इससे पता चला कि एमसीए21 के पास कानूनी/सांविधिक आवश्यकताओं के उल्लंघनों की पहचान करने और प्राधिकारियों को समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सचेत करने के लिए कोई सन्निहित प्रणाली डिजाइन नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किए गए मामलों से इतर संख्या का हवाला देते हुए मंत्रालय ने स्वीकार किया कि डेटा वैधीकरण में कुछ कमियाँ थीं। मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2021) कि पुरानी प्रणाली से एमसीए21 में डेटा स्थानांतरित करते समय निदेशकों की न्यूनतम

<sup>10</sup> एकल व्यक्ति कंपनी अर्थात एक कंपनी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य रूप में होता है।

संख्या से कम वाला डेटा भी स्थानांतरित हो गया। इस कारण से 19,991 कॉर्पोरेट पहचान संख्या (2007 से पहले निगमित) सक्रिय निदेशक या न्यूनतम आवश्यकता से कम निदेशकों के बिना अंतरित हो गई। इसके अतिरिक्त, कई कंपनियां जो निष्क्रिय स्थिति में थीं, उन्हें निदेशकों के बिना या न्यूनतम आवश्यक निदेशकों से कम होने पर भी सक्रिय स्थिति में बदल दिया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने आगे कहा कि उनकी तकनीकी टीम बिना किसी निदेशक के आठ सक्रिय एक व्यक्ति कंपनियों के मामलों का विश्लेषण करेगी।

लेखापरीक्षा का मत है कि पुराना डेटा का एक नई प्रणाली में स्थानांतरण रणनीतिक जांच के अधीन किया जाना चाहिए था क्योंकि यह डेटा अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक था।

### 2.1.8.3 सक्रिय कंपनियों में रिक्त पैन फील्ड

पैन आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों का यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर है। पैन का चौथा वर्ण पैन धारक की स्थिति को दर्शाता है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने किसी कंपनी के निगमन के लिए पैन उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। एसपीआईसीई ई-फॉर्म में कंपनी को एसपीआईसीई जमा करने के साथ-साथ पैन के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने का प्रावधान है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने डेटा फाइल (कंपनी मास्टर) का विश्लेषण करते हुए पाया कि कंपनियों के 20,08,456 रिकॉर्ड में से 8,53,254 कंपनियों के संबंध में पैन फील्ड डेटाबेस में रिक्त थे। इनमें से 1,37,602 कंपनियां सक्रिय पाई गईं। इसके अलावा, 2,805 कंपनियों के मामले में, डेटाबेस में उल्लिखित पैन एक कंपनी के बजाय व्यक्ति के थे।

कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली में बैंक ऑफिस से लेखापरीक्षा आपत्तियों के सत्यापन के दौरान (जनवरी 2021) लेखापरीक्षा को कंपनी पैन के लिए फील्ड नहीं मिली। 2,805 कंपनियों में से, लेखापरीक्षा ने बैंक ऑफिस में उपलब्ध कंपनियों के वार्षिक रिटर्न (ई-फॉर्म एमजीटी-7) से 20 रिकॉर्ड (अनुलग्नक-XXIII) सत्यापित किए और देखा कि कंपनी के पैन के बजाय व्यक्तिगत पैन ('पी' के रूप में चौथा वर्ण) भरा गया था। इसके अलावा, एमसीए21 डाटाबेस में इसे 10 तक सीमित करने की अपेक्षा 15 अक्षरों के पैन डेटा का प्रावधान किया गया था। उचित 10-वर्ण पैन के बजाय कम या अधिक वर्णों में प्रविष्टि करना भी संभव था। इससे एक साधारण जांच भी नहीं हो सकती थी कि क्या पैन का चौथा वर्ण "सी"

"कंपनी" के रूप में उपयुक्त था, अथवा "व्यक्तिगत" के लिए "पी" के लिए प्रयुक्त किया गया है और गलत डेटा प्रविष्टि को अमान्य भी नहीं किया जा सकता।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2021) कि पैन और कर कटौती और उद्ग्रहण खाता संख्या (टैन) जारी करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ एकीकरण फरवरी 2017 में शुरू हो गया। इसलिए, फरवरी 2017 से पहले शामिल या फॉर्म<sup>11</sup> आईएनसी-2/आईएनसी-7 (एकीकृत निगमन फॉर्म के अलावा) के माध्यम से समावेशित कंपनियों में सिस्टम में पैन नहीं हो सकता है। वर्तमान में पैन एमजीटी-7 के माध्यम से मास्टर डाटा में अपडेट हो रहा है। तथापि, पैन के लिए कोई वैधीकरण नहीं हो रहा है और इसलिए कई कंपनियां एमजीटी-7 दाखिल करते समय निजी/डमी पैन दे रही हैं और इसे कंपनी मास्टर में अपडेट किया जा रहा है। इसके अलावा, ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जो विदेशी कंपनी के पैन को कैप्चर करता है जिसका भारत में व्यापार का स्थान है। इसलिए, पैन फील्ड सिस्टम में सभी विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या के लिए खाली है।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि पैन को अद्यतित करने और/या व्यक्तियों को कंपनी के पैन के बजाय व्यक्तिगत पैन जमा करने से प्रतिबंधित के लिए भी बुनियादी और उपयुक्त इनपुट जांच बिंदु बनाए नहीं किए गए थे। इससे प्रतीत होता है कि डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फार्मों में अंतर्निहित डिजाइन और डेटा प्राप्ति से संबंधित कमियाँ थीं।

#### 2.1.8.4 एक ही नाम वाली कंपनियां

कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियमावली 8 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4 (2) के अनुसार किसी कंपनी का नाम किसी अन्य मौजूदा कंपनी के नाम के समान या मिलता जुलता नहीं होना चाहिए।

तथापि, कंपनी मास्टर फाइल में मौजूद 20,08,456 कंपनियों के रिकॉर्ड के डेटा विश्लेषण से पता चला कि 11,830 मामले ऐसे थे जहां दो या अधिक कंपनियों का समान नाम था। 1,165 मामलों में एक समान नाम वाली कंपनियां सक्रिय पाई गईं। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि इनमें से 30 कंपनियों को लेखापरीक्षा अवधि (2016-20) में निगमित किया गया था।

<sup>11</sup> फॉर्म आईएनसी-2 एकल व्यक्ति कंपनी के निगमन हेतु आवेदन था और आईएनसी-7 एकल व्यक्ति कंपनी से इतर कंपनी के निगमन हेतु आवेदन के लिए था।

लेखापरीक्षा ने आपत्तियों को सत्यापित करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली (जनवरी 2021) में 20 रिकॉर्ड (अनुलग्नक-XXIV) का चयन किया और पाया कि सभी 20 कंपनियों का अलग-अलग कॉर्पोरेट पहचान संख्या के साथ बिल्कुल एक ही नाम था। 15 मामलों में कंपनियां एक ही राज्य में थीं, जिनमें से आठ मामलों में कंपनियों के एक ही पते थे। ऐसे मामलों का पता लगाने और अस्वीकार करने के लिए अपेक्षित वैधीकरण नियंत्रण की एमसीए21 में कमी पाई गई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2021) में कहा कि पुरानी प्रणाली से एमसीए21 में डेटा स्थानांतरित करने के समय, कुछ डुप्लिकेट कॉर्पोरेट पहचान संख्या बन गई और इस तरह के डुप्लिकेट कंपनी के नाम एक कॉर्पोरेट पहचान संख्या की स्थिति को एनईएफ (अर्थात्, ई-फाइलिंग के लिए अयोग्य) अद्यतन करके हटा दिये गये। मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ कंपनियां हैं जिनके लिए डुप्लिकेट कॉर्पोरेट पहचान संख्याएं अभी भी प्रणाली में उपलब्ध हैं और आगे सूचित किया गया है कि मंत्रालय ने आगे के विश्लेषण के लिए अपनी तकनीकी टीम के साथ 30 कॉर्पोरेट पहचान संख्याओं की सूची साझा की है, जो 2016 से 2020 के दौरान शामिल की गई है।

मंत्रालय का उत्तर एक समान नाम लेकिन विभिन्न कॉर्पोरेट पहचान संख्या वाली कंपनियों के अस्तित्व के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति पर मौन है। तथापि, उत्तर यह दर्शाता है कि डुप्लिकेट कॉर्पोरेट पहचान संख्या भी सिस्टम में मौजूद है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एमसीए21 में ऐसी विसंगतियों की पहचान करने और आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को सचेत करने के लिए अंतर्निहित वैधीकरण की क्षमता नहीं थी। तथापि, मंत्रालय ने 21 फरवरी 2019 की अधिसूचना के अंतर्गत कंपनियों के लिए किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थिति या पता बदलने के लिए ई-फॉर्म (आईएनसी-22) भरते समय कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की तस्वीर संलग्न करना अनिवार्य कर दिया है।

#### 2.1.8.5 धारा 8 के अंतर्गत कंपनियों के लिए लाइसेंस नंबर की अनुपलब्धता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 धर्मार्थ उद्देश्यों वाली कंपनियों के पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। ऐसी कंपनियां केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस जारी करके इस धारा के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं। उनके नाम के लिए फॉर्म आईएनसी-1 की मंजूरी



के बाद ऐसी कंपनियों को कंपनी रजिस्ट्रार में फॉर्म आईएनसी-12 में लाइसेंस नंबर के लिए आवेदन करना होता है।

कंपनी मास्टर डाटाबेस में कुल 20,08,456 कंपनियों में से 18,196 कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत थीं। तथापि, इन कंपनियों के डेटा विश्लेषण से पता चला कि 8,159 कंपनियों के मामले में लाइसेंस नंबर "000000" पाया गया। इन 8,159 कंपनियों में से 7,987 कंपनियों की स्थिति सक्रिय पाई गई।

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त टिप्पणियों को सत्यापित करने के लिए दिल्ली में कम्पनी रजिस्ट्रार का दौरा किया (जनवरी 2021) तथापि, उन्होंने पाया कि धारा 8 कम्पनी के लाइसेंस नम्बर बैंक आफिस से नहीं देखे जा सकते थे। यहां तक कि कम्पनियों के रजिस्ट्रार भी धारा 8 कम्पनियों के लाइसेंस नम्बर नहीं देख सकते हैं। मंत्रालय से अनुरोध किया गया था (जनवरी 2021) कि वह विवरण प्रदान करे कि लाइसेंस नम्बर कहां देखा जा सकता है। तथापि, इस सूचना के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि क्या इन मामलों में लाइसेंस स्वीकृत किया गया था और लेखापरीक्षा उन मामलों की भी जांच नहीं कर सकी, यदि कोई हो, जहां मंत्रालय ने लाइसेंस की अस्वीकृति के बाद भी कंपनियों को निगमन प्रमाण पत्र जारी किये थे। इसके अलावा, धारा 8 कम्पनी गैर लाभकारी संगठन होने के कारण आयकर से कुछ छूट और कटौती प्राप्त करती है। इस तरह के लाभों का दावा करने वाली कम्पनियों की वास्तविकता को ऐसी जानकारी के अभाव में अन्य सरकारी डेटाबेस से सत्यापित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार लाइसेंस संख्या के अभाव में एमसीए 21 डेटाबेस वाली उन धारा 8 कम्पनियों के सत्यापन में कठिनाई हो सकती है जो विदेशी अशंदांन (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत गृह मंत्रालय से अनुमति मांगती हैं।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2021) कि उन्होंने अब धारा 8 कम्पनी के लाइसेंस नम्बर सृजित करने की प्रक्रिया को स्वचालित किया है। आगे यह भी बताया गया कि 2006 से पहले निगमित हुई धारा 8 कम्पनियों के लिए लाइसेंस नम्बर गायब थे।

मंत्रालय के उत्तर की जांच करने पर यह पाया गया कि 8,159 कम्पनियों में से जहां कम्पनियों की लाइसेंस संख्या "000000" पाई गई थी, 2006 के बाद 6,320 कम्पनियों को निगमित किया गया, जिनमें से 6,315 कम्पनियां स्थिति में सक्रिय पाई गई थी।

### 2.1.8.6 रिजर्व यूनिक नेम सर्विस

मंत्रालय ने एक नया वेब आधारित अनुप्रयोग प्रस्तुत किया (26 जनवरी 2018) जिसे रिजर्व यूनिक नेम कहा गया जो एक नई कम्पनी के पंजीकरण से पहले या किसी मौजूदा कम्पनी के नाम में बदलाव के लिए एक नाम आरक्षित करने के लिए था। आवेदित कम्पनी नाम के लिए कम्पनी नाम उपलब्धता दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक था।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(5) और रिजर्व यूनिक नेम सेवा के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दस्तावेज में निर्धारित है कि एक नई कम्पनी के लिए नाम के आरक्षण के मामले में आरक्षित नाम अनुमोदन की तिथि से 20 दिनों की अवधि के लिए और मौजूदा कम्पनी के नाम में परिवर्तन के लिए 60 दिनों के लिए वैध होगा।

तथापि, आंकड़ों<sup>12</sup> के विश्लेषण से पता चला कि 26,888 मामलों (46,671 मामलों में से) में आरक्षित नाम समाप्त नहीं हुए हालांकि एसपीआईसीई-फार्म के माध्यम से कम्पनियों को शामिल करने के लिए आवेदन 22 से 394 दिनों के बाद भी दर्ज किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र, मानेसर (फरवरी 2021) में बैंक आफिस रिकार्ड के साथ मौजूदा वास्तविक स्थिति में डेटा विश्लेषण निष्कर्षों को प्रति सत्यापित करने के लिए 42 अभिलेखों (अनुलग्नक-XXV) की जांच की। लेखापरीक्षा ने आवेदकों को जारी किए गए सिस्टम जनित “प्रस्तावित कम्पनी के लिए नाम की उपलब्धता के लिए अनुमोदन पत्र” की प्रतियाँ एकत्र की, जिसमें आरक्षित नाम की उपलब्धता की वैधता का भी उल्लेख किया गया था। यह देखा गया था कि सिस्टम ने नाम की वैधता की समाप्ति के बाद भी पहले आरक्षित नाम के साथ कम्पनी के निगमन के लिए आवेदन को संसधित करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा नाम असामान्य अवधि के लिए अवरूद्ध रहा जो किसी अन्य कम्पनी को जारी किया जा सकता था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2021) कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उप धारा (5) का खण्ड (1) 23 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था और यह 26 जनवरी 2018 से प्रभावी था। इसलिए, सभी नामों के लिए वैधता अवधि जिसे 25 जनवरी 2018 तक स्वीकृत किया गया था, आवेदन की तिथि से 60 दिनों के रूप में मानी जानी थी। 25 जनवरी 2018 के बाद स्वीकृत नामों के लिए नाम आरक्षण अवधि अनुमोदन की

---

<sup>12</sup> दो अलग-अलग फाइलों के मेल खाते रिकार्डों द्वारा विश्लेषण अर्थात् जेडएमसीए\_एसआरएन\_हिस्ट्री 2 और जेडएमसीए\_एमसीए\_आईएनसी\_29\_0406

तिथि से 20 दिन थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए 26,888 मामलों में से 11,922 मामले 26 जनवरी 2018 से पहले की अवधि से संबंधित हैं और इसलिए नाम वैधता अवधि को आवेदन की तिथि से 60 दिनों के रूप में माना जाना चाहिए। अद्यतित तर्क के आधार पर 79 मामलों को छोड़कर, नाम आरक्षण की वैधता अवधि के भीतर कम्पनियों के निगमन के लिए अन्य सभी प्रपत्र दाखिल किए गए। शेष 14,966 मामलों के लिए, 308 मामलों को छोड़कर नाम आरक्षण की वैद्यता अवधि के भीतर निगमन के लिए अन्य सभी प्रपत्र दाखिल किए गए। परिवर्तन आवश्यकता प्रपत्र के साथ मंत्रालय के अनुमोदन के आधार पर उपर्युक्त 308 मामलों के साथ 79 मामलों के लिए नाम विस्तारित किया गया हो सकता है या नाम समाप्ति बैच फाइल कुछ तकनीकी कारणों से नहीं चल सकी हो।

मंत्रालय द्वारा बताए गए अद्यतित तर्क पर विचार करने के बाद भी, उन मामलों की संख्या जहां एसपीआईसी ई-फार्म नाम आरक्षण की वैद्यता अवधि के बाद दर्ज किए गए थे, 79 थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने 26 जनवरी 2018 से पहले की अवधि से संबंधित 11,922 मामलों की भी पुनः जांच मंत्रालय द्वारा बताए गए मानदंडों के आधार पर की और पाया कि मंत्रालय द्वारा बताए गए 79 मामलों के बजाए, 865 मामलों को नाम की वैधता की समाप्ति के बाद भी सिस्टम द्वारा स्वीकार किया गया था। इस प्रकार, दोनों परिदृश्यों में अर्थात्, उपरोक्त अधिसूचना की प्रभावी तिथि से पहले और अधिसूचना के बाद भी उचित सत्यापन नहीं किया गया था।

### **सिफारिश संख्या 3**

संबंधित प्राधिकरण को वहां रेड फ्लैग/चेतावनी सृजित करने के लिए सिस्टम में आवश्यक सत्यापन जांच बनाना चाहिए, जहां इनपुट डाटा कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।

### **सिफारिश संख्या 4**

मंत्रालय उचित व्यवसाय प्रक्रिया की पुनर्रचना पर विचार कर सकता है ताकि कई बिन्दुओं से उत्पन्न होने वाली डेटा प्रविष्टि/ कैप्चर में अशुद्धि के जोखिम को कम किया जा सके।

### **सिफारिश संख्या 5**

मंत्रालय अन्य सभी ई-फार्मों में डाटा की जांच और सत्यापन पर विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि साफ्टवेयर में डाटा की त्रुटियों से होने वाले जोखिम से बचने के लिए अपेक्षित सत्यापन जांच शामिल की गई है।

### 2.1.9 अभिलेख/दस्तावेजों की प्रस्तुति में मंत्रालय का असहयोग

मंत्रालय ने काफी देरी के बाद आंकड़े उपलब्ध कराए और तब भी यह पूर्ण और प्रासंगिक नहीं थे। 13 जून 2019 और 4 मई 2020 में दो चरणों में डाटा प्राप्त हुआ था। दूसरे चरण में अनुरोधित अवधि (2016-19) के लिए एसपीआईसीई और संबंधित ई-फार्म के लिए शेष डाटा प्रदान करने के बजाय मंत्रालय ने सर्विस रिक्वेस्ट नम्बर (एसआरएन) पुरानी डाटा फाइल प्रदान की जिसमें 2007-2020 की अवधि से संबंधित लगभग 10 करोड़ रिकार्ड का डाटा था, जिसमें कहा गया था कि फाइल में निहित डाटा को ई-फार्म आईडी/नाम के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा अपेक्षित उद्देश्य के लिए इसका विश्लेषण नहीं कर सकी। मंत्रालय ने डेट फील्ड<sup>13</sup> का डाटा प्रदान नहीं किया, जो लेखापरीक्षा विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण था।

लेखापरीक्षा ने 4 दिसम्बर 2019 और 25 अगस्त 2020 को मंत्रालय को डाटा विश्लेषण पर निष्कर्ष जारी किए। इसके बाद, लेखापरीक्षा ने मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर इसका अनुसरण किया परन्तु मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की। लेखापरीक्षा ने निष्कर्षों को संकलित किया और 9 मार्च 2021 को मंत्रालय को एक तथ्यात्मक विवरण के रूप में टिप्पणियां जारी की, इसके बाद 1 अप्रैल 2021 को एक परिशिष्ट दिया, जिसमें उल्लिखित तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया था। मंत्रालय ने जून 2021 को लेखापरीक्षा आपत्तियों का एक आंशिक उत्तर प्रस्तुत किया, जिसे लेखापरीक्षा पैरा में शामिल किया गया है।

### 2.1.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा को आवश्यक डाटा, सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराने में मंत्रालय की विफलता के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ा। मंत्रालय से अपर्याप्त समर्थन के कारण, लेखापरीक्षा समग्र रूप से एमसीए21 प्रणाली की प्रभावकारिता के बारे में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ थी। इसके अलावा, चूँकि केवल एक ई-फार्म का आंशिक डाटा (एसपीआईसीई ई-फार्म) मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था, लेखापरीक्षा को कम्पनियों के निगमन से संबंधित मामलों को संभालने के लिए प्रणाली की प्रभावकारिता के बारे में जांच करने और पूर्ण आश्वासन प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। इस प्रकार,

<sup>13</sup> कम्पनी के निगमन से संबंधित अनुवर्ती प्रक्रियाओं के लिए एसपीआईसीई ई-फार्म और संबंधित ई-फार्मस जमा करने के लिए डेट फील्ड

लेखापरीक्षा का दायरा उपलब्ध सूचना तक सीमित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ जांचों के भाग के रूप में और जैसा कि मंत्रालय के उत्तरों में भी कहा गया था, कि एक कम्पनी के निगमन के मामले में, सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबंध प्रपत्रों को कई बार पेश और संशोधित किया गया, जो आपस में पूरी तरह से एकीकृत नहीं थे जिसके कारण सत्यापन की समस्याएं हुईं।

लेखापरीक्षा ने किए गए सीमित डाटा विश्लेषण में पाया कि एमसीए21 प्रणाली में अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण और सत्यापन जांच की गई थी जिसमें सिस्टम में डाले गए डाटा की शुद्धता और विश्वसनीयता से समझौता किया गया था। यद्यपि मंत्रालय ने डीआईएन धारकों/कम्पनियों के सत्यापन के लिए लक्षित निदेशकों और कम्पनियों के लिए ई-केवाईसी अभियान चलाया और गैर-मौजूद/डमी रिकार्ड को हटा दिया किन्तु डाटाबेस में कमियां बनी रही। मंत्रालय ऐसे उल्लंघनों को विनियमित नहीं कर सका जहां हितधारकों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया। इसलिए डेटा में हेराफेरी और मैनुअल ओवरराइड के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी सत्यापन डाटा की सटीकता सुनिश्चित करता है। गुणवत्ता डाटा मास्टर डेटा प्रबन्धन का एक स्तंभ है जो ठोस तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर नीतिगत निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार, सभी हितधारकों के लाभ के लिए डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है।

## अध्याय III: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

### रबड़ बोर्ड

#### 3.1 रबड़ बोर्ड की कार्यप्रणाली

##### 3.1.1 रबड़ बोर्ड का गठन और उसके उद्देश्य

रबड़ अधिनियम, 1947 के माध्यम से कोट्टायम, केरल में रबड़ बोर्ड (बोर्ड) का गठन (अप्रैल 1947) में किया गया था। यह बोर्ड भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य देश में रबड़ उद्योग का विकास करना है। बोर्ड के नियंत्रण में पूरे भारत में इसके 45 क्षेत्रीय कार्यालय और 10 प्रभागों के साथ भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान है (जनवरी 2021)। बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं जिन्हें 26 नियमित<sup>1</sup> और दो पदेन सदस्यों<sup>2</sup> द्वारा समर्थित किया जाता है। कार्यकारी निदेशक बोर्ड के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। मार्च 2020 तक बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 1,261 थी। बोर्ड ने 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹208.56 करोड़, ₹190.60 करोड़ तथा ₹227.18 करोड़ का वार्षिक व्यय उसी अवधि के दौरान ₹24.98 करोड़, ₹17.77 करोड़ तथा ₹17.12 करोड़ की आय (भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को छोड़कर) के प्रति किया। बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:

- भारत में रबड़ उद्योग का विकास-क्षेत्र विस्तार, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, नर्सरियों का रख-रखाव और रबड़ के छोटे उत्पादकों<sup>3</sup> के बीच रबड़ उत्पादक समितियों तथा समूह प्रसंस्करण केन्द्रों (जीपीसीज़) के गठन को बढ़ावा देना।
- वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान
- छात्रों को प्रशिक्षण और उत्पादकों को तकनीकी सलाह
- रबड़ के विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार

<sup>1</sup> भारत सरकार, केरल और तमिलनाडु राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले, संसद सदस्य और भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य

<sup>2</sup> कार्यकारी निदेशक और रबड़ उत्पादन आयुक्त

<sup>3</sup> एक मालिक जिसकी रबड़ सम्पत्ति क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अधिक नहीं है।

- श्रम कल्याण गतिविधियां लागू करना
- सरकार को सलाहकार सेवाएं और आंकड़ों का संग्रहण

बोर्ड के कार्यों को इसके विभिन्न अंगों जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों तथा बोर्ड द्वारा स्थापित फील्ड कार्यालयों<sup>4</sup> के माध्यम से किया जाता है।

### 3.1.2 भारत में प्राकृतिक रबड़ की खेती

भारत में रबड़ की खेती का कुल क्षेत्रफल 8.22 लाख हेक्टेयर (मार्च 2020) था। कृषि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर, भारत में रबड़ उगाने वाले क्षेत्रों को दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् (i) पारंपारिक क्षेत्र<sup>5</sup> (69.60 प्रतिशत) और (ii) गैर-पारंपरिक क्षेत्र<sup>6</sup> (30.40 प्रतिशत)। प्रमुख रबड़ उत्पादक देशों द्वारा प्राकृतिक रबड़ उत्पादन की स्थिति **अनुलग्नक-XXVI** में दी गई है। भारत में वैश्विक उत्पादन की तुलना में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में 2000 में 9.3 प्रतिशत से 2019 में 5.13 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 2010-11 में घरेलू खपत को 83 प्रतिशत तक पूरा कर सकता था और 2019-20 में यह घटकर 63 प्रतिशत रह गया। 20 प्रतिशत की कमी को इंडोनेशिया, वियतनाम, थाइलैंड और मलेशिया से ब्लाक प्राकृतिक रबड़<sup>7</sup> के आयात से पूरा किया गया था।

### 3.1.3 बोर्ड की वित्तीय स्थिति

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान, बोर्ड के लिए निधियों का प्राथमिक स्रोत थे। 2010-11 से 2019-20 की अवधि के दौरान, बोर्ड ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से ₹1,872.80 करोड़ की राशि योजना, गैर-योजना और मध्यम अवधि फ्रेमवर्क<sup>8</sup> अनुदान के रूप में प्राप्त की और इसी अवधि के दौरान आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों से

<sup>4</sup> रबड़ बोर्ड के फील्ड कार्यालय आधार स्तर विस्तारण कार्यालय होते हैं जो देश के रबड़ उत्पादक क्षेत्रों के दूरदराज के गांवों में स्थित होते हैं, जिन्हें एक ही फील्ड अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है।

<sup>5</sup> केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले तक सीमित

<sup>6</sup> कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र, तटीय आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा, पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीपों तक सीमित

<sup>7</sup> लागत प्रभावी और आधुनिक प्रसंस्करण विधियों को अपनाते हुए ब्लाक (रबड़ शीट के बजाय) के रूप में संसाधित प्राकृतिक रबड़। गुणवत्ता में स्थिरता के कारण यह प्रसंस्कृत रबड़ का पसंदीदा प्रकार है।

<sup>8</sup> 2017-18 से 2019-20 तक

₹222.97 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। बोर्ड ने उक्त निधियों का उपयोग योजनाओं के कार्यान्वयन और परिचालन व्यय के लिए किया। बोर्ड का परिचालन/गैर योजनागत व्यय 2010-11 में ₹91.87 करोड़ (₹173.73 करोड़ के कुल व्यय का 52.88 प्रतिशत) से बढ़कर 2019-20 में ₹208.55 करोड़ (₹227.18 करोड़ के कुल व्यय का 91.79 प्रतिशत) हो गया था। उच्च परिचालन व्यय मुख्यतः बोर्ड में कर्मचारियों की बड़ी संख्या के कारण था। मार्च 2011 में रबड़ बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 1,894 थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2017-18 में संस्वीकृत संख्या को 1,977 पदों से घटा कर 1,649 पद और नवम्बर 2019 में घटाकर 905 पद कर दिया था। 2022-23 तक पदों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना था।

### 3.1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली और मानदंड

लेखापरीक्षा ने पिछले 10 वर्षों अर्थात् 2010-11 से 2019-20 के लिए बोर्ड के समग्र कार्य, विभिन्न योजनाओं के परिणाम तथा श्रमबल और निधियों के उपयोग का आंकलन किया। रिपोर्ट में लेखापरीक्षा निष्कर्ष को बोर्ड के कार्यवृत्त की समीक्षा, योजना दिशानिर्देशों, वित्तीय विवरणों, योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित रिकार्डों, डाटा विश्लेषण, विभिन्न यूनिटों के निरीक्षण, प्रमुख प्रबन्धन कर्मियों के साथ चर्चा और प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा मानदंडों में रबड़ बोर्ड अधिनियम, 1947; रबड़ नियम 1955, योजना दिशानिर्देश, XII पंचवर्षीय योजना; मध्यावधि रूपरेखा, सामान्य वित्तीय नियमावली, शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा अनुदान हेतु लाभार्थियों के चयन से संबंधित दिशानिर्देश; और बोर्ड/सरकारों द्वारा जारी निधियों/अनुदानों का आवंटन शामिल थे।

ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड को (जनवरी 2021) व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को (मार्च 2021) में जारी की गई थी तथा उनके उत्तरों (फरवरी 2021 और अप्रैल 2021) पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए यथायोग्य विचार किया गया था।

### 3.1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

1. रबड़ बोर्ड ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया; तथा
2. योजनाएं मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता से कार्यान्वित की गई थी।



### 3.1.6 बोर्ड द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

बोर्ड द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

#### 3.1.6.1 खेती योग्य क्षेत्र में विस्तार और वृद्धि में बोर्ड की भूमिका

बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार और विभिन्न योजनाओं जैसे अनुदान देना, महत्वपूर्ण इनपुट आपूर्ति, प्रशिक्षण, पूर्वोत्तर और अन्य गैर पारम्परिक क्षेत्रों में नए फील्ड कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के गठन इत्यादि से उत्पादकता में वृद्धि करना प्रमुख था। बोर्ड ने 2019-20 तक पिछले 10 वर्षों के दौरान ₹1,011.87 करोड़ विभिन्न योजनाओं के क्रियावयन में व्यय किए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि रबड़ की समग्र खेती का क्षेत्रफल एक दशक के दौरान 7.11 लाख हेक्टेयर (मार्च 2011) से बढ़कर 8.22 लाख हेक्टेयर<sup>9</sup> (मार्च 2020) हो गया था। वार्षिक वृद्धि दर 2010-11 में 3.65 प्रतिशत से गिर कर 2019-20 में 0.04 प्रतिशत रह गई थी। इसके अलावा पूर्वोत्तर और अन्य गैर पारम्परिक क्षेत्रों में प्राकृतिक रबड़ रोपण के लिए पहचाने गए 8.67 लाख हेक्टेयर<sup>10</sup> संभावित क्षेत्र (2015) में से, बोर्ड मार्च 2020 तक केवल 2.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (29 प्रतिशत) में ही पौधारोपण कर सका।

गिरावट का कारण था कि बोर्ड क्षेत्र विस्तार योजनाओं के लिए पर्याप्त रोपण अनुदान सहायता जारी नहीं कर सका क्योंकि 2010-11 से 2019-20 के दौरान प्राप्त कुल अनुदान के लगभग 50.51 प्रतिशत से 93.65 प्रतिशत को गैर योजनागत कार्यों<sup>11</sup> पर व्यय किया गया था।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि पूर्वोत्तर/गैर पारम्परिक क्षेत्रों में केवल 6.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार संभव है। बोर्ड ने सहमति व्यक्त की कि अनुदान सहायता के माध्यम से समय पर वित्तीय सहायता की कमी, क्षेत्र के विस्तार में कमी के कारणों में

<sup>9</sup> अनंतिम आंकड़े

<sup>10</sup> 2015 में, पूर्वोत्तर और अन्य गैर परम्परिक क्षेत्रों में, संभावित क्षेत्र क्रमशः 3.42 लाख हेक्टेयर (संशोधित) और 5.25 लाख हेक्टेयर था। पूर्वोत्तर और अन्य गैर परम्परिक क्षेत्रों के लिए संभावित क्षेत्र का आंकलन भी क्रमशः 4.17 लाख हेक्टेयर और 2.08 लाख हेक्टेयर तक संशोधित किया गया था (अक्टूबर 2020)।

<sup>11</sup> योजना व्यय वह व्यय है जो योजनाओं/कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है, जबकि गैर-योजना व्यय वह व्यय है जो नियमित कार्यों पर खर्च किया जाता है।

से एक थी। गैर लाभकारी कीमतों ने उत्पादकों को रबड़ की खेती करने से हतोत्साहित किया। बोर्ड, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने के लिए विकल्प तलाश रहा है।

बोर्ड का उत्तर, लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि बोर्ड क्षेत्र के विस्तार के लिए पर्याप्त रोपण अनुदान सहायता जारी नहीं कर सका।

### 3.1.6.2 प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में गिरावट

वर्ष 2010-11 में 8.62 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 2019-20 में वार्षिक उत्पादन में पिछले 10 वर्षों के दौरान 7.12 लाख मीट्रिक टन की गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की गई। इसके अलावा, पारम्परिक क्षेत्र और गैर पारम्परिक क्षेत्र में 2009-10 से 2019-20 की अवधि के दौरान, उत्पादकता में क्रमशः 15.56 प्रतिशत (1,843.19 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 1,556.47 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) और 1.21 प्रतिशत (1,209.03 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 1,194.43 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) की कमी आई। उत्पादन में गिरावट के कारणों की चर्चा नीचे की गई हैं:

- रबड़ एक बारहमासी फसल होने के कारण, छः से नौ वर्ष की अवधि (अपरिपक्वता अवधि) में पूरी होती है। अपरिपक्वता अवधि के दौरान उत्पादकों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। अपर्याप्त वित्तीय सहायता रबड़ उत्पादकों को रबड़ की खेती करने के लिए हतोत्साहित करती है। थाइलैंड, श्रीलंका और मलेशिया जैसे देश भारत की तुलना में 1.61 गुना से 6 गुना अधिक<sup>12</sup> वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते प्राकृतिक रबड़ की उपलब्धता होती है। खेती/विकास लागत के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता/अनुदान सहायता की दर पारम्परिक क्षेत्र के लिए 20 प्रतिशत (XI योजना) से आठ प्रतिशत (XII योजना) हो गई और फिर पांच प्रतिशत (मध्यम अवधि फ्रेमवर्क) हो गई और गैर पारम्परिक क्षेत्र के लिए 34 प्रतिशत (XI योजना) से कम होकर 15 प्रतिशत (XII योजना) हो गई और फिर आठ प्रतिशत (मध्यम अवधि फ्रेमवर्क) हो गई, जैसा कि संबंधित योजना अवधियों के लिए बोर्ड की व्यय वित्त समिति

<sup>12</sup> श्रीलंका में ₹64,200 प्रति हेक्टेयर, मलेशिया में ₹1,57,800 प्रति हेक्टेयर और थाइलैंड में ₹2,08,700 प्रति हेक्टेयर की तुलना में भारत में पारंपरिक क्षेत्र के लिए ₹25,000 प्रति हेक्टेयर और गैर पारम्परिक और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ₹40,000 प्रति हेक्टेयर।

के ज्ञापन से नोट किया गया है।

- बोर्ड की योजनाएं लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि बोर्ड उच्च प्रशासनिक लागतों के कारण योजनाओं के लिए धनराशि जारी करने में असमर्थ था। उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण इनपुटों की आपूर्ति जैसी उत्पादकता वृद्धि योजनाओं ने 2012-13 से 2019-20 के दौरान 1,64,000 हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्र के प्रति केवल 73,355 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया।

- रबड़ की संस्थागत खरीद, जैसे राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राकृतिक रबड़ की खरीद को 2001 से समाप्त कर दिया गया था।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि कम कीमतों के परिणामस्वरूप जीर्ण पौधारोपण के संचयन अनियमित उपयोग और अप्रयुक्त पौधारोपण के कारण उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसने आगे बताया कि पिछले दो वर्षों (2019-20 और 2020-21 में बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों के कारण उत्पादकता में क्रमिक वृद्धि के साथ इस प्रकृति में बदलाव देखा गया था। जुलाई 2020 से प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में वृद्धि ने भी उत्पादकता बढ़ाने में मदद की।

तथ्य यह है कि अपर्याप्त प्रोत्साहन और रबड़ की खेती के लिए पर्याप्त समर्थन की कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन में तुलनात्मक रूप से कमी आई है।

#### **सिफारिश संख्या 1**

*बोर्ड पूर्वोत्तर/अन्य गैर पारम्परिक क्षेत्रों में पौधारोपण क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दोहन को प्रोत्साहित और महत्वपूर्ण इनपुट आपूर्ति जैसी उत्पादकता वृद्धि योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा प्रभावी उपाय करे।*

#### **3.1.6.3 रबड़ उत्पादकों का सर्वेक्षण**

प्राकृतिक रबड़ के कम उत्पादन के कारणों का निर्धारण आंकलन करने और उनके सम्मुख आने वाली समस्याओं को समझने के लिए लेखापरीक्षा ने केरल में रबड़ उत्पादकों के बीच एक आनलाइन सर्वेक्षण किया। अनुरोध पर, बोर्ड ने 1,946 रबड़ उत्पादक समितियों और 267 रबड़ उत्पादकों के ई-मेल पते प्रदान किए। सदस्य उत्पादकों को अग्रेषित करने के लिए उपरोक्त सभी रबड़ उत्पादक समितियों को प्रश्नावली का लिंक भेजा गया था। 369

उत्पादकों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया और परिणाम निम्नानुसार था:

- 24 प्रतिशत उत्पादक अपने इलाके में बोर्ड के फील्ड कार्यालय की मौजूदगी से अनजान थे।
- 17 प्रतिशत उत्पादकों ने कहा कि फील्ड अधिकारी कभी भी उनके बागान का दौरा नहीं करते हैं।
- 63 प्रतिशत उत्पादकों ने जागरूकता के अभाव में अनुदान सहायता योजनाओं के लिए आवेदन नहीं किया था।
- 20 प्रतिशत उत्पादक विपणन में सुधार के लिए स्थापित रबड़ उत्पादक समितियों से अनजान थे।
- 62 प्रतिशत उत्पादकों ने भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित 400 सीरिज हाईब्रिड क्लोन नहीं लगाए थे।
- बोर्ड की सलाह के अनुसार, 59 प्रतिशत उत्पादक सात दिनों में एक बार के बजाय दो दिन में एक बार दोहन कर रहे थे।
- 12 प्रतिशत उत्पादक रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना से अनजान थे।
- 85 प्रतिशत<sup>13</sup> की राय थी कि ₹150 प्रति किलो मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य कम था।
- 66 प्रतिशत उत्पादक मृदा परीक्षण के आधार पर पौधारोपण नहीं कर रहे थे।
- 71 प्रतिशत उत्पादक उर्वरक सिफारिश के लिए विकसित रबड़ मृदा सूचना प्रणाली से अनजान थे।

सर्वेक्षण के उपरोक्त परिणामों ने रबड़ उद्योग के समग्र विकास के लिए बोर्ड के उद्देश्यों की प्राप्ति में कमियों को इंगित किया।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि वह विशेष रूप से जागरूकता की कमी के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा।

बोर्ड के उत्तर की समीक्षा इस तथ्य के आलोक में की जानी चाहिए कि योजनाओं के बारे में व्यवस्थित रूप से जागरूकता पैदा करने के लिए कोई सूचना, शिक्षा और संचार नीति मौजूद नहीं थी।

---

<sup>13</sup> रबड़ उत्पादक प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी रखने वाले उत्पादकों में से

**सिफारिश संख्या 2**

बोर्ड एक सूचना, शिक्षा और संचार नीति तैयार करे ताकि व्यवस्थित रूप से पालन की जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं और लागू योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके।

**3.1.6.4 रबड़ उत्पादक समितियां और समूह प्रसंस्करण केन्द्र****क. गठित रबड़ उत्पादक समितियों की अपर्याप्त संख्या**

रबड़ उत्पादक समितियां चैरिटेबल सोसाईटी अधिनियम के तहत पंजीकृत छोटे उत्पादकों का स्वैच्छिक स्वयं सहायता संघ हैं। रबड़ उत्पादक समितियां रबड़ बागान विस्तारण कार्यों के लिए बोर्ड की विस्तारण शाखा है। बोर्ड के विस्तारण कार्यों के तहत रबड़ उत्पादक समिति की मुख्य गतिविधियों में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा, सदस्यों के लाभ के लिए समूह दृष्टिकोण को बढ़ावा, उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनिवार्य सांस्कृतिक प्रथाओं को अपनाना सुनिश्चित करना, बोर्ड और अन्य संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करके विकास कल्याण गतिविधियों को लागू करना शामिल है। यह पौधारोपण आवश्यकताओं की खरीद और छोटे उत्पादकों को उचित मूल्य पर वितरण भी करता है, उत्पादकों द्वारा उत्पादित रबड़ के अनुशासित कृषि कार्यों, सामुदायिक प्रसंस्करण और विपणन को अपनाना सुनिश्चित करता है। रबड़ उत्पादक समितियां अपने सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करती हैं और सदस्य बोर्ड की विभिन्न योजनाओं से अवगत होते हैं। उत्पादकों की बैठकें लगातार अन्तराल पर आयोजित की जाती हैं जो उन्हें रबड़ के उत्पादन और विपणन के बारे में अपनी चिन्ताओं को साझा करने में मदद करती हैं। बोर्ड ने उपरोक्त गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2,993 रबड़ उत्पादक समितियों<sup>14</sup> का गठन किया।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि बोर्ड के पास सभी उत्पादकों को रबड़ उत्पादक समितियों के दायरे में एक साथ लाने/पहचान करने का कोई तंत्र नहीं था। रबड़ उत्पादक समितियों के तहत कुल क्षेत्रफल का केवल 39.18 प्रतिशत ही था (मार्च 2020)। पारंपरिक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ी रबड़ उत्पादक समितियों की औसत संख्या 99 (240 हेक्टेयर प्रति रबड़ उत्पादक समिति) थी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह 32 (370 हेक्टेयर प्रति रबड़ उत्पादक समिति) थी और अन्य गैर पारंपरिक क्षेत्र के संबंध में यह 20 (602 हेक्टेयर प्रति रबड़ उत्पादक समिति) था। इसने इंगित किया कि बोर्ड गैर पारंपरिक क्षेत्रों में पर्याप्त

<sup>14</sup> पारंपरिक क्षेत्र में 2,381, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 510 और अन्य गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में 102

रबड़ उत्पादक समितियां स्थापित करने में विफल रहा। रबड़ उत्पादक समितियों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन और मौजूदा रबड़ उत्पादक समितियों और एसएचजी को मजबूत करने के लिए समग्र लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। रबड़ उत्पादक समितियों/बनाए जाने वाले एसएचजी के कुल लक्ष्य के बारे में अलग-अलग विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

इसके अलावा, मार्च 2020 तक 2,993 रबड़ उत्पादक समितियों में से 360 (12.02 प्रतिशत) निष्क्रिय थी। बोर्ड के फील्ड स्तर के अधिकारी, जो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत रबड़ उत्पादक समिति के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, जो रबड़ उत्पादक समितियों के कामकाज में निगरानी और सहायता के लिए हैं उन्हें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को उचित रूप से निभाना था ताकि इसे निष्क्रिय होने से बचाया जा सके।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि भौगोलिक रूप से अलग-थलग पड़े और उत्पादकों के छिटपुट फैले हुए वितरण के कारण, अधिक रबड़ उत्पादक समितियों के गठन की संभावना कम हो गई है। समय आने पर रबड़ उत्पादक समितियों का गठन किया जा सकता है जब पूर्वोत्तर/गैर पारंपरिक क्षेत्रों में अधिक पौधारोपण और पर्याप्त संख्या में उत्पादक उपलब्ध हो। इसने आगे बताया कि विस्तार विंग सभी रबड़ उत्पादकों को रबड़ उत्पादक समितियों के दायरे में लाने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है और इसे धीरे-धीरे अधिक रबड़ उत्पादक समितियों के गठन और मौजूदा समितियों में अधिक सदस्यों को नामांकित करके प्राप्त किया जा सकता है। बोर्ड ने उत्तर दिया कि वह निष्क्रिय रबड़ उत्पादक समितियों को हटाने का प्रयास कर रहा है ताकि या तो उनका पंजीकरण रद्द किया जा सके या उन्हें कार्यशील बनाया जा सके।

बोर्ड का उत्तर पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट नहीं करता है कि कुल क्षेत्रफल का केवल 39.18 प्रतिशत ही रबड़ उत्पादक समितियों के अंतर्गत क्यों आच्छादित था। चूंकि रबड़ वृक्षारोपण क्षेत्र में छोटी जोतों का वर्चस्व है, इसलिए यह क्षेत्र बिचौलियों द्वारा रबड़ उत्पादकों के शोषण, कीमतों में उतार-चढ़ाव और प्रौद्योगिकी और सूचना तक पहुंचने में कठिनाइयों से ग्रस्त हो सकता है। यह इंगित करता है कि रबड़ उत्पादक समितियों के तहत रबड़ वृक्षारोपण को बढ़ाने के प्रयासों को उत्पादकों की सदस्यता में वृद्धि कर बढ़ाने की आवश्यकता थी।

**सिफारिश संख्या 3**

बोर्ड को रबड़ उत्पादक समितियों की भूमिका, गतिविधियों और रबड़ उत्पादकों को इनके लाभों के व्यापक प्रचार हेतु विस्तार विंग के माध्यम से पर्याप्त प्रयास सुनिश्चित करने चाहिए।

**सिफारिश संख्या 4**

बोर्ड को प्रत्येक रबड़ उत्पादक सोसायटी द्वारा की जाने वाली विस्तार गतिविधियों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करके रबड़ उत्पादक समितियों के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना चाहिए और निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि की निगरानी भी करनी चाहिए।

**ख. समूह प्रसंस्करण केंद्रों का कार्य न करना**

रबड़ के विपणन योग्य रूप में रबड़ का प्रसंस्करण बहुत जटिल है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं के लिए संसाधनों के निवेश की आवश्यकता होती है, जो अक्सर छोटे उत्पादकों द्वारा वहन करने योग्य नहीं होता है। रबड़ उत्पादक समितियों को सामूहिक प्रसंस्करण और विपणन में सशक्त बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड 1993 से समूह प्रसंस्करण केंद्रों (जीपीसी) को बढ़ावा दे रहा है। जीपीसी लेटेक्स से गुणवत्ता वाली रबड़ शीट के उत्पादन के उद्देश्य से बनाई गई केंद्रीकृत सुविधा है। केंद्रीकृत प्रसंस्करण सुविधा के रूप में लेटेक्स से रबड़ शीट का उत्पादन करने के लिए विभिन्न रबड़ उत्पादक समितियों के तहत 343 जीपीसी थे।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2020 तक 122 जीपीसी क्रियाशील नहीं थे। नौ जीपीसी रबड़ शीट के उत्पादन के बजाय विशेष रूप से लेटेक्स के व्यापार में लगे हुए थे। इस प्रकार, इन जीपीसी के निर्माण का उद्देश्य ही विफल हो गया।

बोर्ड ने बताया (फरवरी 2021) कि कुछ जीपीसी विभिन्न बाधाओं जैसे पर्यावरण प्रदूषण, प्रसंस्करण केंद्रों की समय पर मरम्मत में कमी, श्रम समस्याओं, उत्पादकों से असहयोग, उच्च प्रसंस्करण लागत आदि के कारण कार्य नहीं कर रहे थे।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि बोर्ड द्वारा उजागर किए गए मुद्दे नियंत्रणीय थे और लागत में कटौती करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल और ईंधन कुशल

जीपीसी की स्थापना के लिए मरम्मत, नवीनीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु सब्सिडी प्रदान करके और उत्पादकों को प्रशिक्षण देकर इनसे बचा जा सकता था।

### 3.1.6.5 आंकड़ों का संग्रह

देश में रबड़ की खेती पर आंकड़े एकत्र, संकलित, व्याख्या और प्रसार करना बोर्ड का संवैधानिक कार्य है (रबड़ नियम, 1955 का नियम 43)। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्पादकों का डेटाबेस एक महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड के पास खेती वाले क्षेत्र के आकार के साथ-साथ उत्पादकों का डेटा नहीं था। उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सब्सिडी आवेदनों के आधार पर छोटी जोत के बारे में डेटा संकलित किया गया था। बड़े उत्पादकों के मामले में आंकड़ों को उनके वार्षिक प्रतिवेदन से प्राप्त किया गया था। केरल में पिछला व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण 2002 में किया गया था। इसके अलावा, 2019-20 के दौरान, 7,760 रबड़ डीलरों<sup>15</sup> में से केवल 4,141 ने बोर्ड को अपना प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया। 4,141 रबड़ डीलरों में से केवल 2,650 ने ही सभी महीनों के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसलिए, उपरोक्त सभी तथ्य इंगित करते हैं कि बोर्ड द्वारा डेटा संकलन विश्वसनीय नहीं हो सकता है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि बोर्ड ने 1986 में रबड़ जोत का अनिवार्य पंजीकरण बंद कर दिया था। 1996 से 2002 के दौरान पिछली जनगणना के बाद, बोर्ड ने खेती किए गए रबड़ क्षेत्र में परिवर्तन का पता लगाने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किया है। नए रोपण और पुनरोपण क्षेत्रों का रिकॉर्ड क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रखा जाता है। बोर्ड द्वारा वार्षिक प्रकाशन "इंडियन रबड़ स्टैटिस्टिक्स" पर न केवल सरकार द्वारा, बल्कि उद्योग द्वारा भी अपने कामकाज की योजना बनाने के लिए वर्षों से भरोसा किया गया है।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि सांख्यिकी का संग्रहण बोर्ड के कार्यों में से एक है और रबड़ अधिनियम, 1947 के तहत अनिवार्य है। रबड़ उद्योग

---

<sup>15</sup> रबड़ डीलर वह कोई भी व्यक्ति है जो रबड़ का कारोबार करता है, चाहे वह थोक या खुदरा हो या रबड़ के स्टॉक रखता हो, और इसमें डीलर का प्रतिनिधि या एजेंट शामिल होता। एक डीलर को बोर्ड से लाइसेंस प्राप्त करना होता है और उसे ऑनलाइन मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है।



से संबंधित आंकड़े विशेष रूप से रबड़ बोर्ड द्वारा एकत्र किए जाते हैं और कोई अन्य एजेंसी इन कार्यों को करने में संलग्न नहीं है। बोर्ड के पास भारत में कुल रबड़ उत्पादकों का डेटा नहीं था। इसके अलावा, डेटा संग्रहण को बोर्ड की एक व्यवस्थित और नियमित गतिविधि बनाने की आवश्यकता है।

#### **सिफारिश संख्या 5**

बोर्ड को रबड़ उत्पादन के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए या तो जनगणना द्वारा या आवधिक प्रतिवेदन की प्रणाली द्वारा वृक्षारोपण के कुल क्षेत्रफल, उत्पादकों की संख्या, दोहकों की उपलब्धता आदि को अपने डेटाबेस में अद्यतन करना चाहिए।

### **3.1.7 योजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई अन्य कमियां**

लेखापरीक्षा ने योजनाओं के कार्यान्वयन में अन्य कमियाँ पाईं जिनका विवरण नीचे पैराग्राफ में दिया गया है:

#### **3.1.7.1 रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना**

रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना केरल सरकार (जीओके) द्वारा छोटे रबड़ उत्पादकों<sup>16</sup> को समर्थन देने के लिए शुरू की गई थी (जुलाई 2015)। केरल सरकार ने रबड़ के लिए न्यूनतम मूल्य के रूप में ₹150 प्रति किलोग्राम निर्धारित किया और उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य और बोर्ड के संदर्भ मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान किया गया। बोर्ड योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी था। उत्पादकों को स्वयं को केरल सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम (डीबीटीएस<sup>17</sup>) में पंजीकृत करना था और उन्हें यूनिट आईडी आवंटित की गई थी।

योजना के तहत उत्पादकों ने अपनी रबड़ शीट/लेटेक्स को प्रचलित दर (बोर्ड के संदर्भ मूल्य) पर खुले बाजार में बेचा। उत्पाद बेचने के बाद, उत्पादकों को नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा बनाए गए डीबीटीएस में बिक्री बिल अपलोड करना था। जिस कीमत पर उत्पादक ने शीट/लेटेक्स (प्रति किलो मूल्य) बेचा और केरल सरकार द्वारा तय किया

<sup>16</sup> पांच हेक्टेयर तक कुल क्षेत्रफल वाले उत्पादक

<sup>17</sup> एनआईसी द्वारा अनुरक्षित

गया ₹150 की न्यूनतम कीमत के बीच का अंतर वह प्रति किलो सब्सिडी राशि है जो कि बिल में दिखाए गए रबड़ शीट की कुल मात्रा (योजना के नियमों के अनुसार केरल सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन) से गुणा किया जाता है। प्रत्येक बिल में डीबीटीएस द्वारा गणना की गई ऐसी सब्सिडी राशि सीधे उत्पादक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। योजना के नियमों के अनुसार, केवल पंजीकृत डीलरों द्वारा उत्पादकों को जारी किए गए बिक्री बिल ही सब्सिडी भुगतान के लिए पात्र थे। रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना प्रसंस्करण में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- प्रत्येक पखवाड़े में, उत्पादक उनके द्वारा बेचे गए लेटेक्स/रबड़ शीट के लिए डीलरों द्वारा जारी किए गए बीजक रबड़ उत्पादक समितियों को प्रस्तुत करते हैं।
- रबड़ उत्पादक समितियां बीजकों का सत्यापन करती हैं और स्कैन की गई प्रति को डीबीटीएस पर अपलोड करती हैं और वास्तविक बीजक को उनके सत्यापन/अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करती हैं।
- क्षेत्रीय कार्यालय डीबीटीएस में रबड़ उत्पादक समितियों द्वारा दर्ज किए गए विवरणों को रबड़ उत्पादक समितियों द्वारा अग्रेषित वास्तविक बीजकों के साथ सत्यापित करता है और पात्र मामलों का अनुमोदन करता है।
- डीबीटीएस में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुमोदन के बाद, केरल सरकार संबंधित उत्पादक के बैंक खाते में डीबीटीएस के माध्यम से सब्सिडी हस्तांतरित करती है।

2015-16 से 2019-20 के दौरान पांच लाख उत्पादकों को कुल ₹1,612.49 करोड़ का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमजोरियाँ पायीं:

#### **क. डीलरों द्वारा खरीदे गए लेटेक्स/रबड़ शीट की मात्रा में अंतर**

रबड़ अधिनियम, 1947 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत डीलर को खुले बाजार से उनके द्वारा अधिप्राप्त रबड़ शीट/लेटेक्स की मात्रा, उनके द्वारा बेची गई रबड़ शीट/लेटेक्स की कुल मात्रा और उनके साथ रबड़ शीट/लेटेक्स स्टॉक के बारे में मासिक प्रतिवेदन दाखिल करना होता है।

2016 में, बोर्ड ने ऑनलाइन प्रतिवेदन दाखिल करने की शुरुआत की, जिसने रबड़ डीलरों को रबड़ बोर्ड की एकीकृत व्यापार सूचना प्रणाली (आरयूबीआईएस) में मासिक प्रतिवेदन अपलोड करने में सक्षम बनाया।

लेखापरीक्षा ने बोर्ड के पास उपलब्ध डीलरों के मासिक प्रतिवेदन के डेटाबेस के साथ डीबीटीएस (जहां डीलरों की पंजीकरण संख्या और प्रत्येक डीलर द्वारा जारी किए गए बीजकों की कुल संख्या और इसकी मात्रा उपलब्ध थी) के डेटाबेस की परस्पर जांच की। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीबीटीएस में, उत्पादकों ने कुछ महीनों में कुछ डीलरों के बीजक के आधार पर सब्सिडी का दावा किया था जबकि उन डीलरों ने आरयूबीआईएस में बोर्ड<sup>18</sup> के साथ दर्ज अपने वैधानिक मासिक प्रतिवेदन में शून्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार, अन्य मामलों में, उत्पादकों ने कुछ डीलरों के नाम पर बीजकों के आधार पर डीबीटीएस में सब्सिडी का दावा किया था, लेकिन उन डीलरों ने वैधानिक मासिक प्रतिवेदन दाखिल नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे रबड़ उत्पादक समितियों द्वारा डीबीटीएस में अपलोड किए गए डीलरों के बीजकों के अनुसार लेटेक्स/रबड़ शीट की मात्रा की तुलना लेटेक्स/रबड़ शीट की खरीद के लिए आरयूबीआईएस में मासिक प्रतिवेदन में डीलरों द्वारा घोषित मात्रा के साथ की। इस संबंध में, यह पाया गया कि:

- (i) रबड़ डीलरों द्वारा जारी किए गए बीजकों के लिए डीबीटीएस में ₹300.93 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया गया था, जिन्होंने या तो आरयूबीआईएस में प्रतिवेदन दाखिल नहीं किये थे या 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान आरयूबीआईएस में दाखिल अपने प्रतिवेदनों में शून्य खरीद की घोषणा की थी। वर्ष-वार अनुमानित मात्रा और शामिल सब्सिडी राशि **अनुलग्नक-XXVII** में दी गई है।
- (ii) 26,622.82 मीट्रिक टन लेटेक्स/रबड़ शीट के लिए डीबीटीएस में ₹33.05 करोड़ का सब्सिडी भुगतान किया गया, जबकि 2016-17 से 2019-20 के दौरान 647 रबड़ डीलरों के संबंध में आरयूबीआईएस में प्रतिवेदन में घोषित मात्रा 11,046.24 मीट्रिक टन थी। वर्ष-वार अनुमानित मात्रा और शामिल सब्सिडी राशि **अनुलग्नक-XXVIII** में दी गई है। लेखापरीक्षा द्वारा इन मामलों की परस्पर जाँच से पता चला कि

<sup>18</sup> उस महीने में उत्पादकों से किसी भी मात्रा में रबड़ शीट/लेटेक्स नहीं खरीदा गया

डीबीटीएस में कुल मात्रा उस विशेष महीने में डीलरों द्वारा अपनी प्रतिवेदनों में दर्शाई गई मात्रा से बहुत अधिक थी।

रबड़ डीलरों के मासिक प्रतिवेदन में, उन उत्पादकों जिनसे रबड़ शीट/लेटेक्स की अधिप्राप्ति की गई थी के विवरण के बजाय विभिन्न उत्पादकों से डीलरों द्वारा खरीदी गई रबड़ शीट/लेटेक्स की समेकित मात्रा दी गई थी। इसलिए, जारी किए गए प्रत्येक उत्पादक-वार बीजक और दावा की गई सब्सिडी की परस्पर जाँच संभव नहीं थी।

बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर (फरवरी 2020) में बताया कि वे ऐसे मामलों को आगे की जांच के लिए केरल राज्य के वस्तु और सेवा कर इंटेलिजेंस विंग को भेज रहे हैं।

इस प्रकार, रबड़ उत्पादक समितियों और बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आवश्यक विवरणों का सत्यापन न करने से प्रणाली कमजोर हो जाती है।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि बोर्ड केवल योजना का सुविधाकरक है, और नियम केरल सरकार द्वारा बनाए गए थे। बीजक की पुष्टि करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि डीलर ने प्रतिवेदन दाखिल किया है या नहीं। उसने आगे उत्तर दिया कि बोर्ड केरल सरकार को योजना के नियमों में एक शर्त रखने के लिए लिख रहा है कि बीजक जारी करने वाले डीलर द्वारा प्रतिवेदन दाखिल न करने पर प्रोत्साहन का भुगतान नहीं होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा यह नोट किया गया (सितंबर 2021) कि बोर्ड ने केरल सरकार को आरपीआईएस में एक शर्त शामिल करने का प्रस्ताव दिया (मार्च 2021) कि "उत्पादक द्वारा प्रस्तुत बिक्री बीजक वैध लाइसेंस वाले और वैधानिक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने वाले डीलर से होना चाहिए।" बोर्ड के प्रस्ताव के आधार पर, केरल सरकार ने एक आदेश जारी किया (अगस्त 2021) जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि केवल अधिकृत डीलरों द्वारा जारी किए गए बीजक जो वैधानिक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करते हैं, पर रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी भुगतान के लिए स्वीकार किया जाएगा।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जा सकता है कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड के अधिकारियों को लेनदेन को मंजूरी देने से पहले बीजकों के विवरण को ऑनलाइन सत्यापित करना चाहिए, हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए रबड़ उत्पादक समिति के अध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि उत्पादन प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए केवल वैध बीजक अपलोड किए गए हैं। दो अलग-अलग प्रणालियों में रबड़ उत्पादन की

मात्रा में काफी भिन्नता, बोर्ड के पास उपलब्ध दोनों डेटाबेस की जांच करना बोर्ड के लिए अनिवार्य बना देती है। बोर्ड को सब्सिडी भुगतान की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए डीबीटीएस और आरयूबीआईएस के डेटाबेस द्वारा परिलक्षित रबड़ शीट/लेटेक्स खरीद की मात्रा की नमूना आधार पर जांच करनी चाहिए।

#### **ख. उत्पादकों के पंजीकरण का अपर्याप्त क्षेत्र सत्यापन**

योजना के नियमों में किसानों द्वारा प्रस्तुत विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 10 प्रतिशत मामलों के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता है। केवल 2019 में, बोर्ड ने सब्सिडी के दावों के लिए उत्पादकों के पंजीकरण का क्षेत्र सत्यापन किया, और वह भी केवल 3,622 उत्पादकों के लिए जो डीबीटीएस में पंजीकृत पांच लाख उत्पादकों के एक प्रतिशत से भी कम था। यह पाया गया कि 3,622 उत्पादकों में से 278 मामलों (7.67 प्रतिशत) में, रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना में पंजीकृत खेती का क्षेत्र वास्तविक से मेल नहीं खाता था और 3,622 में से 87 मामलों (2.4 प्रतिशत) में उत्पादकों के पास दोहन करने योग्य पेड़ नहीं थे जबकि सब्सिडी का दावा किया गया था।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि योजना के नियमों के अनुसार लाभार्थी को स्वीकृति देने से पहले क्षेत्र सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसने आगे बताया कि रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना में कृषि योग्य और वास्तविक क्षेत्र में भिन्नता थी। सर्वेक्षण के आधार पर, अपात्र मामलों को समाप्त करने के लिए केरल सरकार को लाभार्थियों के पंजीकरण के नवीनीकरण की आवश्यकता की सिफारिश की गई है।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि योजना के नियमों में किसानों द्वारा प्रस्तुत विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 10 प्रतिशत मामलों का भौतिक सत्यापन आवश्यक है। लेकिन लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, यह पाया गया कि बोर्ड ने अपने द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के आधार पर कोई सिफारिश नहीं की थी।

#### **ग. विभिन्न उत्पादकों को एक ही बीजक पर सब्सिडी का भुगतान**

नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 581 बीजक एक से अधिक उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किए गए थे जिसमें ₹31.28 लाख की सब्सिडी राशि शामिल थी जिसमें से ₹29.16 लाख की सब्सिडी का भुगतान किया गया था। यह इंगित करता है कि सब्सिडी

भुगतान के सभी अपात्र मामलों की जांच के लिए बोर्ड द्वारा डीबीटीएस के संपूर्ण डेटाबेस की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि सत्यापन पर उसने पाया कि दो लाभार्थियों के लिए एक ही बिल अपलोड किया गया था या एक ही लाभार्थी के लिए अलग-अलग पखवाड़े में एक ही बिल 20 प्रतिशत मामलों में अपलोड किया गया था और 15 प्रतिशत मामलों में डीलरों द्वारा जारी बीजक में एक ही क्रम संख्या है, लेकिन उत्पादक और बेची गई मात्रा अलग हैं। बोर्ड ने आगे बताया कि भविष्य के मार्गदर्शन के लिए लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जाता है और क्षेत्रीय कार्यालयों को बीजकों के सत्यापन में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाएगी।

#### **सिफारिश संख्या 6**

बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए कि बोर्ड द्वारा झूठे/धोखाधड़ीपूर्ण बीजकों के लिए सब्सिडी भुगतान की सिफारिश नहीं की जाए। बोर्ड अपात्र सब्सिडी भुगतान के मामलों की जांच के लिए भी कदम उठा सकता है क्योंकि ये भ्रष्टाचार/धोखाधड़ी का संकेत देते हैं और तदनुसार जिम्मेदारी तय की जाए।

### **3.1.7.2 बाजार संवर्धन और गुणवत्ता नियंत्रण**

बोर्ड ने पिछले 10 वर्षों के दौरान रबड़ प्रसंस्करण, व्यापार और रबड़-लकड़ी प्रसंस्करण कंपनियों को बढ़ावा दिया और बाजार संवर्धन गतिविधियों पर ₹70.23 करोड़ खर्च किए। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित उप-पैराग्राफों में दिए गए हैं:

#### **क. रबड़/रबड़-लकड़ी प्रसंस्करण कंपनियों में निवेश**

नब्बे के दशक की शुरुआत में बोर्ड ने रबड़ उत्पादक समितियों/अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ ब्लॉक रबड़/सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स और मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे एज बॉन्डेड प्लैंक, दरवाजे आदि के उत्पादन के लिए चार रबड़ प्रसंस्करण<sup>19</sup> और दो रबड़-लकड़ी प्रसंस्करण कंपनियों<sup>20</sup> की स्थापना की। इनमें से तीन रबड़ प्रसंस्करण कंपनियों<sup>21</sup> ने प्रसंस्करण संचालन बंद कर

<sup>19</sup> पम्बा रबर्स लिमिटेड, कावनार लेटेक्स लिमिटेड, पोनमुडी रबर्स लिमिटेड, और पेरियार लेटेक्स लिमिटेड।

<sup>20</sup> मीनाचिल रबड़वुड लिमिटेड और रबड़वुड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

<sup>21</sup> पम्बा रबर्स लिमिटेड, पोनमुडी रबर्स लिमिटेड, और पेरियार लेटेक्स लिमिटेड।

दिया और केवल व्यापारिक गतिविधियाँ कीं और एक<sup>22</sup> रबड़-लकड़ी प्रसंस्करण कंपनी ने अपना संचालन बंद कर दिया।

बोर्ड ने इन कंपनियों को कोई व्यवहार्यता अध्ययन किए बिना और संपार्श्विक प्रतिभूति राशि प्राप्त किए बिना (एक कंपनी पम्बा रबर्स प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर) कार्यशील पूंजी ऋण (₹17.83 करोड़) प्रदान किए। कार्यशील पूंजी ऋण की मूल राशि और इन कंपनियों से प्राप्य ब्याज 31 मार्च 2020 को क्रमशः ₹17.83 करोड़ और ₹10.47 करोड़ था। इन राशियों की वसूली की संभावना बहुत कम थी।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि उसने इन कंपनियों को बढ़ावा दिया, जिससे उत्पादकों को अपनी उपज के लिए बेहतर फार्म गेट मूल्य प्राप्त करने और बिचौलियों को कम करने में मदद मिली। लेकिन पिछले दशकों में इन कंपनियों के संचालन के दौरान, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण वित्तीय संकट का समय था। बोर्ड के लिए ऐसी परिस्थितियों में इन कंपनियों की मदद करना अनिवार्य हो गया।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि ऋण की मूल राशि और प्राप्य ब्याज की वसूली की बहुत कम संभावना थी क्योंकि इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति उच्च संचित हानियों के कारण खराब हो गई है।

#### **ख. निर्यात-संवर्धन के लिए गोदाम**

बोर्ड ने बाजार विकास एवं निर्यात संवर्धन योजना के तहत कोच्चि के इरापुरम में स्थित रबड़ पार्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से पट्टे पर 3.27 एकड़ भूमि पर 1,000 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम निर्मित (मार्च 2011) किया। भूमि पट्टे के लिए ₹1.31 करोड़<sup>23</sup> की राशि का भुगतान किया गया और ₹0.72 करोड़ निर्माण पर व्यय किया गया। गोदाम के स्थान पर विचार करते हुए, यह बताया गया था कि इरापुरम एर्नाकुलम और कोट्टायम के रबड़ उत्पादक केंद्रों के पास था। हालांकि, गोदाम कोचीन बंदरगाह से बहुत दूर स्थित होने के कारण और भारत से प्राकृतिक रबड़ के कम निर्यात के कारण इसके निर्माण के बाद से ही गोदाम को निष्क्रिय रखा गया था। इस प्रकार, गोदाम के संचालन की व्यवहार्यता के बारे

<sup>22</sup> रबड़वुड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

<sup>23</sup> मार्च 2008 में ₹98 लाख के अग्रिम प्रीमियम का भुगतान किया गया और ₹8 लाख (मार्च 2012) और ₹25 लाख (मार्च 2014) अतिरिक्त भुगतान किए गए।

में बोर्ड द्वारा पर्याप्त आकलन की कमी के परिणामस्वरूप ₹2.03 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि गोदाम को ₹2.05 करोड़ की राशि के लिए मेसर्स रबड़ पार्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया गया था।

तथ्य यह रहता है कि बोर्ड नौ वर्षों तक गोदाम का उपयोग नहीं कर सका और इसे लगभग उसी वहन की गई लागत पर सौंपना पड़ा। निर्यात प्रोत्साहन का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किया गया था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप नौ वर्षों के लिए दुर्लभ निधि अवरुद्ध हुई।

### ग. मॉडल रबड़ फैक्ट्री को बंद करना

बोर्ड ने व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य तकनीकी रूप से निर्दिष्ट ब्लॉक रबड़ (टायर उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल) के प्रसंस्करण के लिए नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से 6,000 मीट्रिक टन की स्थापित क्षमता के साथ कोट्टायम के पास एक तकनीकी रूप से निर्दिष्ट मॉडल रबड़ फैक्ट्री की स्थापना की (2001)। ठोस कच्चा लेटेक्स कारखाने के लिए कच्चा माल था। हालांकि, इसकी स्थापना से, बोर्ड को पर्याप्त कच्चा लेटेक्स नहीं मिल सका, क्योंकि उत्पादक इसकी आपूर्ति करने के लिए तैयार नहीं थे; इसके बजाय उन्होंने शीट रबड़ का उत्पादन किया क्योंकि यह उनके लिए अधिक लाभकारी था। इसलिए, स्थापित क्षमता के कम उपयोग, प्रसंस्करण की उच्च लागत और कच्चे लेटेक्स की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण कारखाना अव्यवहारिक हो गया। अंततः, कारखाने को दिसंबर 2015 में बंद कर दिया गया था, हालांकि, बोर्ड ने जनवरी 2019 तक श्रमिकों को मजदूरी (₹2.30 करोड़) का भुगतान करना जारी रखा। व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य कारखाना स्थापित करने का उद्देश्य हासिल नहीं किया गया और बोर्ड को ₹8.60 करोड़<sup>24</sup> की संचित हानि हुई। फैक्ट्री को ₹85,000 जीएसटी सहित मासिक पट्टा किराए के साथ किराए पर दिया गया था (अगस्त 2019)।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि तकनीकी रूप से निर्दिष्ट मॉडल रबड़ फैक्ट्री की स्थापना का उद्देश्य भारत में तकनीकी रूप से निर्दिष्ट ब्लॉक रबड़ प्रसंस्करण में आधुनिक तकनीक और अपशिष्ट उपचार प्रणालियों का प्रसार करना था। इसने अन्य तकनीकी रूप से निर्दिष्ट ब्लॉक रबड़ कारखानों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले ब्लॉक रबड़ के निर्माण के

---

<sup>24</sup> 31 मार्च 2015 तक ₹8.60 करोड़



लिए प्रोत्साहित किया ताकि अन्य देशों को निर्यात किया जा सके। मशीनरी में अंतर्राष्ट्रीय नवाचारों को तकनीकी रूप से निर्दिष्ट मॉडल ब्लॉक रबड़ फैक्ट्री में शामिल किया गया था, जिसे बाद में अन्य तकनीकी रूप से निर्दिष्ट ब्लॉक रबड़ कारखानों द्वारा भी अपनाया गया, जिससे उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ। इसके अलावा, तकनीकी रूप से निर्दिष्ट ब्लॉक रबड़ के अर्ध-स्वचालित प्रसंस्करण के लोकप्रिय होने से श्रमिकों की कठिनाई कम हो गई और तकनीकी रूप से निर्दिष्ट मॉडल ब्लॉक रबड़ फैक्ट्री में ईटीपी प्रणाली ने पर्यावरण की समस्याओं को काफी हद तक कम करने में मदद की। उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, तकनीकी रूप से निर्दिष्ट मॉडल ब्लॉक रबड़ फैक्ट्री द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया कहा जा सकता है, हालांकि वाणिज्यिक संचालन निरंतर जारी नहीं रह सका।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि बोर्ड के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थात् व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य तकनीकी रूप से निर्दिष्ट मॉडल ब्लॉक रबड़ फैक्ट्री की स्थापना और नवीनतम तकनीक का निरूपण प्राप्त नहीं किये गये थे।

### 3.1.7.3 परिक्रामी निधि का कम उपयोग

2004-05 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष ₹2 करोड़ की परिक्रामी निधि बनायी गयी थी ताकि उत्पादकों को रियायती दर पर इनपुट प्रदान किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010-11 से 2015-16 के दौरान बोर्ड द्वारा ₹12 करोड़ (@₹2 करोड़ प्रति वर्ष) का उपयोग किया जा सकता था। हालांकि बोर्ड ने 2010-11 से 2015-16 के दौरान केवल ₹1.21 करोड़ व्यय किए। योजना को 2015-16 से बंद कर दिया गया था। निधियों के कम उपयोग और बाद में योजना के बंद होने से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ उत्पादकों को रियायती दर पर उर्वरक, पॉलिथीन शीट, टैपिंग शेड आदि जैसे इनपुट प्रदान करने के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया था। परिक्रामी निधि (₹2 करोड़) के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त राशि को अभी तक वापस नहीं किया गया था और बोर्ड द्वारा निष्क्रिय रखा गया था (मार्च 2020)।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि योजना के प्रति उत्पादकों की खराब प्रतिक्रिया, डीलरों की निविदाओं के प्रति खराब प्रतिक्रिया, उत्पादकों द्वारा इनपुट की लागत के अग्रिम प्रेषण में कठिनाई और इनपुट के परिवहन की उच्च लागत के कारण वह परिक्रामी निधि का उपयोग करने में असमर्थ था।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि योजना 2004-05 से शुरू की गई थी, और यदि कार्यान्वयन योग्य नहीं पाया गया, तो बोर्ड को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को निधि वापस कर देनी चाहिए थी।

#### 3.1.7.4 ऋण की वसूली न करना

बोर्ड ने तीन रबड़ ट्रेडिंग कंपनियों<sup>25</sup> को दिसंबर 2017 तक तीन प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी राशि चुकाने की शर्त के साथ इनपुट की अधिप्राप्ति के लिए ₹6.17 करोड़ का सुलभ ऋण प्रदान किया (मई 2017) जिसमें विफल रहने पर शेष ऋण पर सात प्रतिशत का दंड लगाया जाएगा। बोर्ड ने मार्च 2017 से पहले राशि चुकाने की शर्त के साथ दो रबड़ ट्रेडिंग कंपनियों<sup>26</sup> को ₹1.32 करोड़ के इनपुट की आपूर्ति की (फरवरी 2017)। हालांकि, सुलभ ऋण के प्रति ₹1.01 करोड़ और आपूर्ति किए गए इनपुट के ₹1.21 करोड़ को तीन वर्ष की समाप्ति के बाद भी वसूल नहीं किया गया (मार्च 2020)। विलंबित भुगतान के लिए ब्याज और दंड ₹0.56 करोड़ (मार्च 2020) निकला। इस प्रकार, बोर्ड उपरोक्त कंपनियों<sup>27</sup> से ₹2.78 करोड़ (सुलभ ऋण के लिए ब्याज और दंड सहित) की वसूली के लिए कदम उठाने में विफल रहा।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि कंपनियां धीरे-धीरे बकाया राशि वापस कर रही हैं।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य में देखा जा सकता है कि बोर्ड ने तीन वर्षों के बाद भी अभी तक पूरी राशि की वसूली नहीं की है और कंपनियों पर दंड नहीं लगाया है।

#### 3.1.7.5 परियोजना लागत की वसूली न करना

आदिवासी वृक्षारोपण के लिए पंडिरीमामिडीकोटा क्षेत्र में बोर्ड द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन (2008) पर जनजातीय विभाग के आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) जो सक्षम प्राधिकारी थे के बजाय परियोजना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने योजना को मंजूरी नहीं दी (मार्च 2012) और बोर्ड जनजातीय रबड़ वृक्षारोपण विकास परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार के ₹0.33 करोड़ के भाग की वसूली नहीं कर सका।

<sup>25</sup> मणिमलयार रबर्स, कंहंगढ़ रबर्स और सहयाद्री रबर्स

<sup>26</sup> मणिमलयार रबर्स और कंहंगढ़ रबर्स

<sup>27</sup> मणिमलयार रबर्स: ₹1.33 करोड़; कंहंगढ़ रबर्स: ₹1.22 करोड़ और सहयाद्री रबड़: ₹0.23 करोड़

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि लम्बित बकाया की वसूली के प्रयास जारी हैं।

### 3.1.7.6 छात्रावास भवन निर्माण में निधि का अवरोधन

रबड़ प्रशिक्षण संस्थान में केवल 32 छात्रों के रहने के लिए छात्रावास की सुविधा थी, हालांकि इसमें लगभग 75 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने की सुविधा थी। अतः छात्रावास सुविधा को बढ़ाने के लिए बोर्ड ने छात्रावास का निर्माण शुरू किया (अगस्त 2014)। हालांकि स्वीकृति केवल ₹1.49 करोड़ के लिए दी गई थी, बोर्ड ने ₹2.17 करोड़ के अनुमान पर निर्माण शुरू किया था। इसके बाद ₹0.87 करोड़ खर्च करने के बाद, यह धन की कमी के कारण निर्माण पूरा नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप दुर्लभ संसाधन अवरुद्ध हो गए। जून 2017 के बाद से निर्माण गतिविधि फिर से शुरू नहीं हुई थी। रबड़ प्रशिक्षण संस्थान छात्रावास अभी भी (मार्च 2021) पुराने भवन में प्रशिक्षुओं के लिए सीमित आवास सुविधाओं के साथ कार्य करना जारी रखे हुए था।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि शेष कार्य सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है और निर्माण का अनुमान फरवरी 2021 में प्राप्त होगा। कार्य को 2021-22 में पूरा करने का प्रस्ताव था।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि संसाधनों का आकलन किए बिना निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त छात्रावास सुविधाओं के निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि भवन अधूरा था। जून 2017 से लगभग चार वर्षों के लिए अधूरे भवन पर ₹0.87 करोड़ की राशि भी अवरुद्ध हो गई थी। इसके अलावा, 2021-22 में निर्माण की लागत 2017 में निर्माण की लागत से अधिक होगी।

### 3.1.7.7 बोर्ड द्वारा श्रम कल्याण कार्यक्रमलाप

रबड़ की खेती बड़ी संख्या में कुशल श्रम बल पर निर्भर करती थी। बोर्ड ने भारत में (2019-20) दोहन योग्य क्षेत्र के 26.47 प्रतिशत का दोहन न करने के मुख्य कारणों में से श्रम की कमी को जिम्मेदार ठहराया था। बड़े वृक्षारोपण<sup>28</sup> में, वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, 1951 के अनुसार श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय लागू किए गए थे। हालांकि, भारत में 91 प्रतिशत रबड़ वृक्षारोपण केवल 0.57 हेक्टेयर के औसत आकार के साथ छोटी जोत

<sup>28</sup> 10 हेक्टेयर से अधिक वृक्षारोपण

वाले हैं। बोर्ड ने छह श्रम कल्याण योजनाएं<sup>29</sup> तैयार की। अपेक्षित अनुभव<sup>30</sup> वाले श्रमिक क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से योजनाओं के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने पिछले 10 वर्षों के दौरान योजनाओं के तहत ₹23.79 करोड़ व्यय किए थे जिससे 2.1 लाख श्रमिकों को लाभ हुआ था। हालांकि, बोर्ड के पास लाभार्थियों को प्रमाणित करने और उनके आवेदनों को संसाधित करने के लिए श्रमिकों का एक व्यापक डेटाबेस नहीं था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि लगभग 4.51 लाख श्रमिक (जुलाई 2019) रबड़ के वृक्षारोपण में लगे हुए थे, छोटी जोत वाले अधिकांश श्रमिक लाभान्वित नहीं हुए थे। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि बोर्ड ने 2015-16 के बाद निधियों की कमी के कारण समूह जीवन बीमा सह टर्मिनल लाभ योजना को लागू करना जारी नहीं रखा था और केवल मौजूदा सदस्य ही हर साल अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण कर रहे थे। इसी तरह, स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू नहीं की गई थी।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि उसने रबड़ क्षेत्र की गणना करने के लिए कदम उठाए हैं जिसमें श्रमिकों का विवरण भी शामिल किया जाएगा। बोर्ड ने स्वीकार किया कि 2015-16 से समूह जीवन बीमा सह टर्मिनल लाभ योजना का नया नामांकन बंद कर दिया गया था।

श्रम कल्याण योजनाओं को बंद करने, परिकल्पित योजनाओं को शुरू न करने और छोटी जोत के सामान्य रबड़ वृक्षारोपण श्रमिकों को योजनाओं में शामिल न करने के परिणामस्वरूप श्रमिकों को लाभ से वंचित किया गया।

#### **सिफारिश संख्या 7**

*रबड़ उत्पादन और श्रम कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं के लिए निधि उपयोग में वृद्धि सुनिश्चित करने के माध्यम से योजनाओं के लाभों के विस्तार हेतु बोर्ड द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।*

<sup>29</sup> शैक्षिक वजीफा, चिकित्सा सहायता, आवास सब्सिडी, स्वच्छता सब्सिडी, महिला दोहकों का सशक्तिकरण और बीमा

<sup>30</sup> रबड़ प्रोड्यूसर्स सोसायटी के नियोक्ता/अध्यक्ष से रोजगार प्रमाण पत्र के आधार पर विभिन्न योजनाओं के लिए 1 से 5 साल का अनुभव

### 3.1.8 निष्कर्ष

रबड़ बोर्ड एक राष्ट्रीय स्तर का निकाय है जो भारत में रबड़ उद्योग के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, गैर-पारंपरिक क्षेत्र में वृक्षारोपण क्षेत्र का विस्तार करने और प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बोर्ड के प्रयास सफल नहीं थे क्योंकि योजना व्यय की तुलना में परिचालन व्यय के लिए अनुदान का अधिक उपयोग किया गया था। पर्याप्त रबड़ उत्पादक समितियों की स्थापना को प्रोत्साहित करके रबड़ उत्पादकों के बीच समूह दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में बोर्ड की विफलता के कारण, इन समितियों के तहत केवल 39.18 प्रतिशत रबड़ की खेती को कवर किया गया था। इसके अलावा, बोर्ड रबड़ की खेती पर व्यवस्थित तरीके से डेटा एकत्र करने और संकलित करने के अपने उद्देश्य में भी विफल रहा। रबड़ डीलरों द्वारा अपने मासिक प्रतिवेदनों में बताई गई खरीद की बीजक मात्रा और रबड़ डीलरों के बीजक का उपयोग करने वाले उत्पादकों द्वारा दावा की गई सब्सिडी के बीच विसंगतियां रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना के उचित कार्यान्वयन के बारे में संदेह पैदा करती हैं। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा रबड़/रबड़ लकड़ी प्रसंस्करण कंपनियों को प्रदान किए गए कार्यशील पूंजी ऋण इन कंपनियों को हुए वित्तीय नुकसान के कारण वसूल न होने की संभावना हैं। इसके अतिरिक्त, श्रम कल्याण योजनाओं को बंद करने और योजनाओं के अपर्याप्त कवरेज के परिणामस्वरूप रबड़ वृक्षारोपण श्रमिकों को लाभ से वंचित कर दिया गया।

## अध्याय IV: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली

### 4.1 जल प्रभारों की अपर्याप्त वसूली

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा व्यक्तिगत जल मीटर स्थापित करने/सामान्य पूल निवासी आवास के आवंटियों से जल प्रभार की वसूली की दरों को संशोधित करने में विफलता के कारण, सीपीडब्ल्यूडी पर ₹63.69 करोड़ का वित्तीय भार पड़ा है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (मंत्रालय) का एक संलग्न कार्यालय संपदा निदेशालय (डीओई), भारत सरकार के कार्यालय भवनों और निवासी आवास के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। डीओई द्वारा दिनांक 7 अगस्त 1987 को जारी कार्यालय ज्ञापन यह निर्धारित करता है कि "आम तौर पर जल और बिजली प्रभार आवंटी द्वारा स्थानीय निकायों को देय होते हैं। हालांकि, जहां अलग मीटरों आदि की अनुपलब्धता के कारण आवंटियों से ऐसे प्रभारों की वसूली नहीं की जा सकती है, यह सरकार द्वारा आवंटियों से वसूल किया जाना जारी रहेगा।"

सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) के आवंटियों से जल प्रभारों की वसूली के संबंध में जहां जल की आपूर्ति मीटर द्वारा विनियमित नहीं है, जिस दर पर ऐसी वसूली की जानी है वह कार्यपालक अभियंता, (लाइसेंस प्रभार), सीपीडब्ल्यूडी, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के संबंधित प्रभागों से परामर्श करने के बाद तय किया जाता है, जो स्थानीय निकायों को बिलों का भुगतान करते हैं। जल के प्रभारों को समय-समय पर संशोधित किया जाना था।

सीपीडब्ल्यूडी के नौ डिवीजन हैं, जो पांच दिल्ली सर्कल और एक जोन में संगठित हैं। लेखापरीक्षा ने सीपीडब्ल्यूडी के यू डिवीजन में मामले की नमूना जांच की, जो कि यूडीएपी कॉलोनी, नेहरू नगर; लोधी रोड परिसर और प्रगति विहार छात्रावास में जीपीआरए कॉलोनियों के रखरखाव में शामिल है।

लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित का पता चला:

i) अप्रैल 2006 से मार्च 2018 की अवधि के लिए कार्यकारी अभियंता, यू डिवीजन (डिवीजन) के कार्यालय की लेखापरीक्षा (जून और अक्टूबर 2018) के दौरान, यह पाया गया कि जल की आपूर्ति के लिए विभाजन के नाम पर, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से दो बल्क जल मीटर कनेक्शन प्राप्त किए गए थे। यूडीएपी कॉलोनी, नेहरू नगर में एक जल का मीटर लगाया गया था, जिसके माध्यम से 135 टाइप-III क्वार्टरों को जल की आपूर्ति की गई थी। प्रगति विहार छात्रावास में एक अन्य जल का मीटर लगाया गया था, जिससे लोधी रोड परिसर में स्थित 2,223 क्वार्टर्स (टाइप-II, III और V) और प्रगति विहार छात्रावास में 792 क्वार्टर्स (डबल सूट) को जल की आपूर्ति की गई थी। इन बल्क जल कनेक्शनों के लिए डीजेबी द्वारा जारी ₹64.32 करोड़ के जल के बिलों का भुगतान डिवीजन द्वारा किया गया था। हालांकि, व्यक्तिगत आवंटियों से वसूले गए जल के प्रभार भुगतान किए गए बिलों के अनुरूप नहीं थे क्योंकि 2010-11 से 2018-19 के दौरान केवल ₹0.47 करोड़ की ही वसूली की गई थी। इसके अलावा, उपरोक्त जीपीआरए कॉलोनियों में 13 वर्ष से 25 वर्ष पूर्व जल प्रभार को संशोधित किया गया था और सीपीडब्ल्यूडी (अनुलग्नक-XXIX) पर ₹63.85 करोड़ की राशि का वित्तीय भार पड़ा था।

ii) यह ध्यातव्य है कि जहां आपूर्ति अलग-अलग मीटरों द्वारा विनियमित नहीं है और सिंगल प्वाइंट से की जा रही है, वहां जल प्रभार कार्यपालक अभियंता, (लाइसेंस प्रभार), सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर डीओई द्वारा व्यक्तिगत निवासियों से वसूल किया जाना है। इसके अलावा, जब भी किसी कॉलोनी के लिए कार्यकारी अभियंता, (लाइसेंस प्रभार), सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जल प्रभार की दरों को संशोधित किया जाता है, तो उन्हें डीओई को सूचित किया जाना चाहिए और वसूली की कार्रवाई के लिए डीओई के वसूली अनुभागों में भेजा जाना चाहिए। तथापि, डीओई के पास उन मामलों में आवंटियों से वसूली योग्य जल प्रभारों की राशि की गणना करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी जहां जल आपूर्ति सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सिंगल प्वाइंट पर प्राप्त की गई थी और फिर अलग-अलग आवंटियों को वितरित की गई थी।

iii) अभिलेखों की संवीक्षा से यह भी पता चला कि डीओई ने मई 2014 और नवंबर 2016 के बीच जल प्रभारों के संशोधन के लिए कार्यकारी अभियंता, (लाइसेंस प्रभार), सीपीडब्ल्यूडी को विभिन्न पत्र/अनुस्मारक जारी किए थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं

हुई थी। डीओई की अध्यक्षता में जनवरी 2018 से नवंबर 2018 के दौरान जल के मीटरों की स्थापना की संभावनाओं की खोज के लिए छह बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी और डीजेबी के प्रतिनिधि सहभागी थे। 22 जनवरी 2018 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी जीपीआरए कॉलोनियों में जल के मीटर लगाने की पूरी प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। हालांकि इस बैठक में डीजेबी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। 5 अप्रैल 2018 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एनडीएमसी क्षेत्रों में घरों में जल के मीटर लगाने के प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा क्योंकि एनडीएमसी इस शर्त पर मीटर लगाने और उपभोक्ताओं से भुगतान वसूलने के लिए तैयार है कि इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जाएगा और एनडीएमसी को सौंप दिया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि एनडीएमसी के अलावा अन्य क्षेत्रों में स्थित जीपीआरए कॉलोनियों में इस मॉडल को दोहराने की संभावना की जांच करने के लिए डीडीए कॉलोनियों में व्यक्तिगत मीटरिंग के मॉडल<sup>1</sup> का अध्ययन किया जाएगा।

iv) 1 नवंबर 2018 को हुई बैठक में, सीपीडब्ल्यूडी और एनडीएमसी के प्रतिनिधियों ने बताया कि बहुमंजिला इमारत में व्यक्तिगत जल के मीटर कनेक्शन की स्थापना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं थी क्योंकि बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव करना होगा, जो कि वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। डीओई ने अधीक्षण अभियंता, सीपीडब्ल्यूडी से पिछले एक वर्ष के दौरान वास्तविक खपत तथा एनडीएमसी द्वारा जारी किए गए पिछले बिलों और कॉलोनी में क्वार्टरों की संख्या आधार पर सीपीडब्ल्यूडी को मानक दरों पर जल के प्रभारों के संशोधन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया जिसकी आपूर्ति एक प्वाइंट पर बल्क जल आपूर्ति प्रदान करने के बाद की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि सीपीडब्ल्यूडी उपरोक्त के संबंध में 10 दिनों के भीतर एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। हालांकि, एक वर्ष के बाद सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था (नवंबर 2019), जिस पर, डीओई ने बताया (नवंबर 2019) कि दरों की व्यापक विभिन्नता के कारण यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है और फिर से कॉलोनियों की औसत खपत लेकर सभी प्रकार के आवास

---

<sup>1</sup> दिल्ली जल बोर्ड ने डीडीए सोसायटियों में बल्क वाटर मीटर लगाए, जबकि डीडीए द्वारा व्यक्तिगत वाटर मीटर कनेक्शन स्थापित किए गए थे और फिर थोक जल की खपत के लिए दिल्ली जल बोर्ड को भुगतान करते हैं लेकिन यह प्रत्येक घर की वास्तविक खपत पर जल के प्रभार एकत्र करता है।



(प्रकार-वार) के लिए जल प्रभारों की अनुमानित दरों के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

इस प्रकार, जीपीआरए कॉलोनियों के जल प्रभारों को संशोधित करने में सीपीडब्ल्यूडी की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप डीजेबी को जल प्रभारों के भुगतान के कारण ₹63.85 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार पड़ा, जबकि आवंटियों से वसूल की गई राशि इस तुलना में बहुत कम थी।

इस मुद्दे को अगस्त 2019 में सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक (डीजी) और फरवरी 2021 और मई 2021 में मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था। डीजी, सीपीडब्ल्यूडी के कार्यालय ने अपने उत्तरों में मार्च 2020 और जुलाई 2021 (जिसकी प्रति मंत्रालय को पृष्ठांकित की गई थी), निम्नलिखित बताया:

- जल प्रभारों को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं बल्कि डीओई द्वारा तय या संशोधित किया जाता है।
- जल प्रभारों की वसूली के संबंध में, यह सूचित किया गया था कि जल का उपयोग सामान्य क्षेत्रों<sup>2</sup> के लिए और ठेकेदारों द्वारा क्वार्टरों को आपूर्ति के अलावा मरम्मत और उन्नयन कार्यों के लिए किया जाता है। 2010-11 से अगस्त 2020 की अवधि के दौरान ठेकेदारों द्वारा उपयोग किए गए जल के लिए ₹16.07 लाख की वसूली ठेकेदार के बिलों से गई है। चूंकि सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले जल के लिए जल का प्रभार ₹4.21 करोड़ था, जिससे वित्तीय भार ₹59.95 करोड़<sup>3</sup> हुआ।
- जहां तक व्यक्तिगत जल मीटरों की स्थापना का संबंध था, यह बताया गया था कि सर्वेट क्वार्टरों सहित सभी क्वार्टरों में इसकी स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी जो कि व्यवहार्यता और निधि की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसके अलावा, सभी खराब मीटरों को वास्तविक बिलिंग के लिए एनडीएमसी और डीजेबी के समन्वय से बदला जाएगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि

<sup>2</sup> आपूर्ति के दौरान वितरण पाइपलाइनों में, छत पर पीवीसी टैंक के ओवरफ्लो में, आवंटियों द्वारा दरवाजे के सामने दीर्घाओं की सफाई में, भूमिगत/ओवरहेड्स टैंकों की सफाई, कॉमन बिल्डिंग एंड सर्विस सेंटर में जल की सफाई और परिशोधन के लिए जल का उपयोग।

<sup>3</sup> ₹64.32 करोड़ - ₹0.16 करोड़ - ₹4.21 करोड़ = ₹59.95 करोड़

सभी डिवीजनों को निर्देश जारी किए गए (जून 2021) कि प्रत्येक फ्लैट के लिए अलग-अलग मीटर डिजाइन और निर्माण के समय ही उपलब्ध कराया जाए। जल प्रभारों के पुनरीक्षण के संबंध में, यह दोहराया गया कि आवंटियों से वसूली योग्य जल प्रभारों का निर्धारण डीओई द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के परामर्श से तय किया जाता है। न हानि न लाभ के सिद्धांत, के आधार पर जल प्रभारों के संशोधन पर नवीनतम सिफारिशें 29 जून 2021 को डीओई को भेजी गईं। डीओई को सूचित किया गया कि दिल्ली में जल के प्रभार एक समान नहीं हो सकते। इसके अलावा, एकसमान दर को अपनाने से वसूल किए गए जल के प्रभार और डीजेबी/एनडीएमसी को भुगतान किए गए जल प्रभार के बीच के अंतर को कम नहीं किया जा सकेगा।

- जहां तक समय-समय पर दरों में संशोधन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र के संस्थागतकरण की बात है, यह सूचित किया गया था कि एक कार्यकारी अभियंता की अध्यक्षता में "लाइसेंस शुल्क इकाई" नामक एक नोडल इकाई क्षेत्रीय इकाइयों से डेटा एकत्र करके जल के प्रभार के मुद्दे देखने के लिए अधिदेशित है। पुनरीक्षण की आवृत्ति के संबंध में, डीओई द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जा सकता है।

उत्तर को निम्नलिखित के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है:

- उत्तर में अलग-अलग मीटर लगाने की कोई समय सीमा नहीं बताई गई है, जो जन सम्पत्ति के व्यय को कम करने की दिशा में ढिले रवैये की ओर इशारा करता है।
- पिछली बार 13 वर्ष से 25 वर्ष पहले संशोधित दरों के संशोधन का मुद्दा अभी भी अनिर्णीत है।
- नोडल इकाई के गठन ने डीओई और कार्यकारी अभियंता (लाइसेंस प्रभार) के बीच दरों के संशोधन के मुद्दे के समाधान में किसी भी तरह से सहायता नहीं की है।

इस प्रकार, उपरोक्त इंगित करता है कि डीओई के पास उन मामलों में आवंटियों से वसूली योग्य जल प्रभारों की राशि की गणना करने के लिए कोई तंत्र नहीं था जहां जल आपूर्ति सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एकल बिंदु पर प्राप्त की गई थी और फिर अलग-अलग आवंटियों को वितरित की गई थी, सीपीडब्ल्यूडी जो कथित रूप से एकमात्र एजेंसी थी जिसे आवंटियों

को इन सेवाओं को प्रदान करने में शामिल लागत की समझ थी, तथा जिसने अपने कार्यकारी अभियंता (लाइसेंस शुल्क) के माध्यम से जल प्रभार की वसूली की दरों को संशोधित नहीं किया था। जब तक वसूली की संशोधित दरों की सूचना डीओई को नहीं दी जाती, डीओई के वसूली अनुभाग वसूली कार्रवाई के लिए इन दरों को लागू नहीं कर सकते। इसके अलावा, सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले जल के प्रभार, अलग-अलग मीटरों की स्थापना और जल प्रभार में संशोधन नीतियों के अभाव में, न तो सीपीडब्ल्यूडी और न ही डीओई वसूली की दरों के संशोधन के लिए जिम्मेदार ले रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली के नौ डिविजनों में से लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए सीपीडब्ल्यूडी के डिवीजन 'यू' के तहत जीपीआरए कॉलोनियों के संबंध में ₹63.69 करोड़ का वित्तीय भार पड़ा। सीपीडब्ल्यूडी के संबंधित डिवीजनों में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर एक समग्र समीक्षा आयोजित करके शेष डिवीजनों में वित्तीय भार के निर्धारण की तत्काल आवश्यकता है।

मामले को फरवरी 2021 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2021)।

### **सिफारिश**

जल के प्रभार की दरें समय-समय पर संशोधित करने और सभी बकाया राशियों की आवंटियों से समय पर/ समयबद्ध तरीके से वसूली को सुनिश्चित करने के लिए एक सुपरिभाषित तंत्र को संस्थागत बनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

### **केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, कोलकाता**

#### **4.2 विभागीय प्रभारों के गैर उदग्रहण के कारण राजस्व की हानि**

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए साल्ट लेक, कोलकाता में एसटीपीआई के लिए आईटी पार्क के निर्माण के लिए विभागीय प्रभारों का उदग्रहण करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.33 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इंडिया (एसटीपीआई) की स्थापना और पंजीकरण, जून 1991 में, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करने के लिए, निम्नलिखित

उद्देश्यों के साथ (i) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजनाओं का कार्यान्वयन, (ii) बुनियादी सुविधाओं की स्थापना और प्रबंधन (iii) सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं का प्रचार, विकास और निर्यात और (iv) डेटा संचार सेवाएं प्रदान करना, प्रभार्य आधार पर आईटी/आईटीईएस उद्योगों आदि के लिए मूल्य वर्धित सेवाओं सहित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने एसटीपीआई की ओर से साल्ट लेक, कोलकाता में एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पार्क<sup>4</sup> के निर्माण के लिए एक निक्षेप कार्य किया, जिसकी अनुमानित लागत ₹55.73 करोड़ थी। सबसे कम बोली<sup>5</sup> लगाने वाले को ₹49.26 करोड़ की निविदा लागत पर कार्य दिया गया (दिसंबर 2016)। हालाँकि, जून 2018 में कार्य को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि संविदाकार कार्य का निष्पादन करने में विफल रहा।

इसके बाद, शेष कार्य (अनुमानित लागत ₹64.98 करोड़) अगले सबसे कम बोलीदाता<sup>6</sup> को, ₹48.50 करोड़ की निविदा लागत पर, जनवरी 2020 तक पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के साथ प्रदान किया गया (सितंबर 2018)। कार्य अभी भी प्रगति पर था (नवंबर 2020), और संविदाकार को आठवें चल लेखा बिल तक ₹33.32 करोड़ का भुगतान किया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सीपीडब्ल्यूडी ने सीपीडब्ल्यूडी नियमावली 2014 के पैराग्राफ<sup>7</sup> 12.1 के अनुसार एसटीपीआई से विभागीय प्रभारों का उदग्रहण नहीं किया, जब की संगठन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है और इसकी मुख्य कार्यकलाप वाणिज्यिक प्रकृति के हैं। सीपीडब्ल्यूडी की ओर से इस चूक के परिणामस्वरूप,

<sup>4</sup> साल्ट लेक, कोलकाता एसएच में एसटीपीआई के लिए आईटी पार्क: ऑफिस बिल्डिंग के द्वारा आई/सी आंतरिक जल आपूर्ति, स्वच्छता स्थापना, जल निकासी और आंतरिक/बाह्य विद्युतीकरण (शेष कार्य)

<sup>5</sup> मैसर्स सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड अनुबंध संख्या 66/सीई (ईजेड-आई)/ईई/केसीडी-VIII/2016-17 के तहत

<sup>6</sup> मैसर्स गर्ग बिल्डर्स, अनुबंध संख्या 35/सीई(ईजेड-1)/ईई/केसीडी-VIII/2018-19 दिनांक 28.09.2018 के तहत

<sup>7</sup> सीपीडब्ल्यूडी नियमावली 2014 के पैरा 12.1 में परिकल्पना की गई है कि सरकारी कार्यों के साथ-साथ स्वायत्त निकायों के उन कार्यों के लिए कोई विभागीय प्रभार उदग्रहित नहीं किया जाना है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए अन्य कार्यों के लिए विभागीय प्रभार निर्धारित दरों पर वसूल किए जाने हैं। पैरा में आगे कहा गया है कि केंद्रीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की ओर से निष्पादित किसी भी कार्य पर विनिर्दिष्ट दरों के साथ विभागीय प्रभार भी लगाया जाएगा।

विभागीय प्रभारों<sup>8</sup> के गैर उदग्रहण के कारण राजस्व की हानि हुई, जो ₹2.33 करोड़ थी (सात प्रतिशत की दर पर आठवें चल लेखा बिल तक ₹33.32 करोड़)।

सीपीडब्ल्यूडी ने बताया (मार्च 2021) कि एसटीपीआई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक संगठन है। इसलिए, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा देश भर में विभिन्न स्थानों पर शुरू की गई एसटीपीआई परियोजनाओं को बिना किन्हीं विभागीय प्रभारों के लागू किया गया है।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि (i) एसटीपीआई की ओर से निष्पादित कार्य, जो एक स्वायत्त सोसायटी है, को सरकारी कार्यों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और (ii) एसटीपीआई द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, उसके उपलब्ध धन का केवल एक सीमित प्रतिशत है। इसके अलावा, एसटीपीआई, अपने मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति में, वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से सालाना काफी मात्रा में परिचालन आय अर्जित करता है, जिसमें (क) एसटीपी/ ईएचटीपी योजनाओं को लागू करना (ख) बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का प्रबंधन (ग) संवर्द्धन तथा निर्यात सेवाएं, कई हितधारकों को डेटा संचार सेवाओं आदि सहित प्रदान करना शामिल है, तदनुसार, एसटीपीआई की ओर से सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों पर विभागीय प्रभार लगाया जाएगा।

इस प्रकार, विभागीय प्रभारों के गैर उदग्रहण के कारण राजस्व की हानि हुई, जो आठवें चल लेखा बिल तक ₹2.33 करोड़ है।

मामले को फरवरी 2021 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2021)।

---

<sup>8</sup> कार्य मूल्य के आठ प्रतिशत की दर से ₹2 करोड़-₹3 करोड़ की लागत का निर्माण कार्य; निर्माण कार्य मूल्य के सात प्रतिशत की दर से पांच करोड़ से अधिक।

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

### 4.3 जल प्रभारों की अपर्याप्त वसूली

दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली के गाजीपुर में फ्लैटों का आवंटन शुरू होने के 20 वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद, दिल्ली जल बोर्ड को जलापूर्ति की सेवाएं हस्तांतरित करने में विफल रहा। इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सृजित बिलों की तुलना में आपूर्ति किए गए जल के लिए आवंटियों से कम राशि वसूल की, जिसके परिणामस्वरूप ₹55.77 लाख का वित्तीय बोझ हुआ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय (मंत्रालय) का एक स्वायत्त निकाय, दिल्ली में घरों/ फ्लैटों का निर्माण करता है। वे इन घरों/फ्लैटों में बुनियादी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे घरों/फ्लैटों के निर्माण के बाद, बुनियादी सेवाओं को रखरखाव के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) जैसी नागरिक एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

अप्रैल 2013 से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए डीडीए (डिवीजन) के कार्यकारी अभियंता, पूर्वी डिवीजन-5 के कार्यालय की लेखापरीक्षा जनवरी-फरवरी 2019 के दौरान की गई थी। इस डिवीजन की स्थापना 1997 में आवास डिवीजन के रूप में की गई थी। यह देखा गया कि स्व-वित्तपोषण योजना के तहत डीडीए द्वारा वर्ष 1995 से 1997 के दौरान गाजीपुर, दिल्ली (साइट I-हाईवे अपार्टमेंट्स और साइट II-स्काईलार्क अपार्टमेंट्स) में 190 फ्लैटों का निर्माण किया गया था। 190 फ्लैटों में से 186 को वर्ष 1999 से आवंटित किया गया था। इस डिवीजन को 28 जनवरी 2020 से अनुरक्षण डिवीजन के रूप में पुनः नामित किया गया था।

डिवीजन में स्काईलार्क अपार्टमेंट्स और हाईवे अपार्टमेंट्स में जल की आपूर्ति से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- (i) डीजेबी द्वारा डीडीए को जल की आपूर्ति की जा रही थी, जिसके लिए भूमिगत जलाशय के निर्वाह बिन्दु पर स्थापित बल्क मीटर के माप पैमाने के आधार पर जल के बिल बनाए जा रहे थे। डिवीजन इन फ्लैटों में भूमिगत जलाशय से जल की आपूर्ति कर रहा था।

- (ii) डीडीए में ऐसी कोई नीति/मानदंड नहीं हैं जो नागरिक एजेंसियों को सेवाओं के हस्तांतरण के लिए विशिष्ट समय-अवधि/प्रक्रिया प्रदान करते हों।
- (iii) चूंकि डीडीए ने अलग-अलग फ्लैटों में जल के मीटर नहीं लगाए थे, वे अक्टूबर 2012 में डीडीए द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रति फ्लैट ₹344 प्रति माह की दर से जल के प्रभारों की वसूली कर रहे थे, जो अप्रैल 2011 से पूर्वव्यापी रूप से लागू थे। इसके अलावा, डीडीए ने अक्टूबर 2012 के बाद जल प्रभारों की मासिक दरों में संशोधन नहीं किया गया, हालांकि इसे डीजेबी द्वारा संशोधित किया गया था।
- (iv) जल की आपूर्ति के लिए डीजेबी द्वारा बनाए गए बिलों और डीडीए द्वारा आवंटियों से की गई वसूली के विश्लेषण से पता चला कि नवंबर 2012 से मार्च 2020 के दौरान डीजेबी द्वारा सृजित बिलों के लिए डीडीए द्वारा डीजेबी को भुगतान किए गए जल के प्रभार की राशि ₹113.57 लाख थी, जिसके प्रति डीडीए द्वारा आवंटियों से वसूला गया कुल जल प्रभार ₹57.80 लाख था (अनुलग्नक-XXX)।

इस प्रकार, जबकि डीडीए ने डीजेबी को उनके द्वारा सृजित जल के प्रभार के संबंध में पूरी राशि का भुगतान किया था, डीडीए द्वारा जल की खपत के लिए आवंटियों से वसूल की गई राशि बहुत कम थी। इसलिए, नवंबर 2012 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान ₹55.77 लाख की कम वसूली और वित्तीय बोझ था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने उत्तर में निम्नलिखित को स्पष्ट किया (अक्टूबर 2020):

- नागरिक एजेंसियों को सेवाओं के हस्तांतरण के लिए कोई विशिष्ट समय-अवधि नहीं है, हालांकि इन सेवाओं को जल्द से जल्द हस्तांतरित किया जाना चाहिए। डीजेबी को जल की आपूर्ति के हस्तांतरण के बाद, डीजेबी सीधे जल के बिल बनाएगा और आवंटियों से जल प्रभारों की वसूली करेगा।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्वीकार किया कि डीडीए द्वारा डीजेबी को भुगतान की तुलना में आवंटियों से कम राशि वसूल करने के कारण वे वित्तीय बोझ वहन कर रहे हैं। डीडीए लंबे समय से डीजेबी को जल की आपूर्ति सौंपने के मामले पर कार्य कर रहा है, लेकिन डीजेबी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, और 31 मार्च 2020 तक बकाया जल प्रभार राशि ₹6.57 लाख थी।

- दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नवंबर 2019 से पानी की खपत के लिए किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया है क्योंकि दर्ज खपत छूट की सीमा के भीतर थी और शून्य राशि के बिल प्राप्त हुए हैं। चूंकि इन फ्लैटों में वास्तविक खपत छूट की सीमा के भीतर थी, दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार, डीडीए द्वारा डीजेबी के साथ मामले को पहले ही उठाया जा चुका था (अगस्त 2020) जो पूर्व में अतिरिक्त राशि के प्रतिदाय के लिए औसत खपत के आधार पर उदग्रहित किया गया था।
- प्रत्येक फ्लैट के लिए अलग-अलग पानी का मीटर आवंटियों द्वारा अपने व्यय पर लगाया जाना है, जिसके लिए डिवीजन दोनों सोसायटियों के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ कार्रवाई कर रहा है।

डीडीए के उत्तर को निम्नलिखित के दृष्टिगत देखा जाना है:

- डीडीए ने स्वीकार किया है कि सेवा प्रदाताओं को बुनियादी सेवाओं के हस्तांतरण के संबंध में समय अवधि या प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने वाली कोई नीति/मानदंड नहीं थे। इसके अतिरिक्त, डीडीए ने 20 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी हस्तांतरण में विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नियमित आधार पर मामले का अनुसरण नहीं किया क्योंकि जलापूर्ति की योजना के हस्तांतरण के लिए केवल चार पत्र (2012-16), दो पत्र (2018) डीजेबी को लिखे गए थे। हालांकि, जनवरी-फरवरी 2019 में लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे के बताए जाने के बाद, डीजेबी को पांच पत्र (2019) और चार पत्र (2020) जारी किए गए थे।
- नवंबर 2019 से शून्य जल बिलों के संबंध में क्योंकि खपत छूट की सीमा के भीतर थी, तथ्य यह है कि डीडीए 20 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जल आपूर्ति की सेवाओं को डीजेबी को हस्तांतरित करने में विफल रहा और व्यक्तिगत मीटर के अभाव में, पानी की कुल वास्तविक खपत छूट की सीमा बढ़ाने की स्थिति में पूरी राशि के भुगतान का दायित्व डीडीए का है।

इस प्रकार, डीजेबी को जलापूर्ति की सेवाओं के हस्तांतरण के लिए एक नीति या मानदंडों के अभाव में, डीडीए फ्लैटों के आवंटन की शुरुआत के 20 से अधिक वर्षों के बीत जाने के बावजूद ऐसा करने में विफल रहा। इसके साथ ही जल प्रभारों की मासिक दरों को संशोधित



करने के लिए डीडीए के प्रयासों की कमी (अक्टूबर 2012 में अंतिम बार संशोधित) के परिणामस्वरूप डीडीए को ₹55.77 लाख का वित्तीय बोझ उठाना पड़ा।

मामले को जनवरी 2021 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2021)।

#### दिल्ली विकास प्राधिकरण और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली

#### 4.4 कपटपूर्ण अवकाश यात्रा रियायत का दावा

दिल्ली विकास प्राधिकरण और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने जाली टिकटों पर हवाई यात्रा और तथ्यों की गलत बयानी के कारण वास्तविक भुगतान की तुलना में अधिक राशि का दावा किया और प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में बताए जाने पर ₹8.19 लाख के कपटपूर्ण अवकाश यात्रा रियायत दावों के प्रति ₹9.69 लाख की वसूली हुई।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) दिनांक 26 सितंबर 2014 के अनुसार, सभी पात्र सरकारी कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठा सकते हैं और गृह नगर एलटीसी के एक ब्लॉक के रूपांतरण के प्रति उत्तर पूर्व क्षेत्र/ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह/ जम्मू और कश्मीर (एनईआर/ एएंडएन/ जेएंडके) में किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। हवाई यात्रा के हकदार सरकारी कर्मचारी इस एलटीसी का लाभ अपने मुख्यालय से इकोनॉमी क्लास में ले सकते हैं। इसके अलावा, जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा करने के हकदार नहीं हैं, उन्हें कुछ क्षेत्रों में इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है, जैसे (क) कोलकाता/ गुवाहाटी और एनईआर में किसी भी स्थान के बीच (ख) कोलकाता/ चेन्नई/ भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर के बीच (ग) दिल्ली/ अमृतसर और जम्मू-कश्मीर के किसी भी स्थान के बीच। इसके लिए केवल एयर इंडिया के इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा की जानी है और एलटीसी-80 किराया या उससे कम पर और हवाई टिकट सीधे एयरलाइंस से या एलटीसी यात्रा करते समय अधिकृत ट्रेवल एजेंटों<sup>9</sup> की सेवा

<sup>9</sup> अर्थात् मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी, मेसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स और आईआरसीटीसी (जिस सीमा तक डीओपीटी की ज्ञापन सं. 31011/06/2002- स्था. (क) दिनांक 2.12.2009 के अनुसार आईआरसीटीसी अधिकृत है।)

का उपयोग करके खरीदे जाने थे। अन्य एजेंसियों के माध्यम से टिकटों की बुकिंग की अनुमति नहीं थी।

इसके अलावा, उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय जापन द्वारा, सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाने की सलाह दी गई थी कि एलटीसी के किसी भी दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा और कर्मचारी नियमों के तहत उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। एलटीसी के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए, मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई थी कि वे अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हवाई टिकटों पर दर्शाई गई लागत की तुलना में हवाई यात्रा की वास्तविक लागत के संबंध में अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ हवाई टिकटों को संबंधित एयरलाइंस से यादृच्छिकता से सत्यापित करें।

मुख्य लेखा कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और कार्यकारी अभियंता, विद्युत डिवीजन-16, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के कार्यालय की लेखापरीक्षा क्रमशः अप्रैल-मई 2018 और जुलाई 2018 में की गई थी। इन लेखापरीक्षाओं के दौरान ब्लाक वर्ष 2014-17 के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए एलटीसी दावों से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच भी की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कर्मचारियों ने धोखाधड़ी पूर्ण प्रथाओं को अपनाकर प्राधिकरणों से ₹8.19 लाख की गैर-हकदार राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। लेखापरीक्षा में देखे गए मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

- (i) डीडीए के पांच अधिकारियों को ₹4.38 लाख की कुल राशि के लिए एलटीसी दावों की प्रतिपूर्ति की गई। इन कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने दावों के साथ प्रस्तुत किए गए हवाई टिकटों की एलटीसी-80 मूल किराए के प्रति जांचा गया। विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:
  - क) ₹1.50 लाख के कुल हवाई टिकटों की कीमत को बढ़ाकर ₹3.31 लाख कर दिया गया जो एलटीसी-80 के मूल किराए से अधिक था।
  - ख) टिकट अनधिकृत ट्रेवल एजेंटों से खरीदे गए थे

(ii) डीडीए के अन्य चार मामलों में, अधिकारियों द्वारा पोर्ट ब्लेयर की यात्रा के लिए कुल मिलाकर ₹2.76 लाख के हवाई टिकट प्रस्तुत किए गए। एलटीसी-80 मूल किराए के प्रति दोहरी जांच करने पर पता चला कि कर्मचारियों ने:

- क) अनाधिकृत ट्रेवल एजेंट के नाम टिकटों से हटाए थे;
- ख) हवाई टिकटों की वास्तविक कीमत ₹1.46 लाख से बढ़ाकर ₹2.76 लाख की थी; तथा
- ग) एक मामले में दावे में एक गैर-पारिवारिक सदस्य शामिल है।

इस प्रकार, न केवल एयरलाइनों/अधिकृत ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक करने की शर्त का पालन नहीं किया गया, बल्कि हवाई टिकटों की कीमत को धोखे से एलटीसी-80 मूल किराए से अधिक तक बढ़ा दिया गया। तथापि, एलटीसी दावों को एलटीसी 80 किरायों तक सीमित रखने और बिलों के प्रसंस्करण प्राधिकारी द्वारा अनधिकृत एजेंटों से खरीदे गए टिकटों को अस्वीकृत करने का उचित प्रयास सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(iii) सीपीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता, विद्युत डिवीजन 16 के कार्यालय के एक अधिकारी द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए ₹1.27 लाख का एलटीसी दावा प्रस्तुत किया गया था। वहां पर ₹1.05 लाख की प्रतिपूर्ति की गई। दावे के साथ संलग्न हवाई टिकटों की एलटीसी-80 मूल किराए के प्रति दोहरी जांच की गई थी। यह पता चला कि, हालांकि टिकट एक अधिकृत ट्रेवल एजेंट से खरीदे गए थे, हवाई टिकट की मूल कीमत ₹0.47 लाख से बदलकर ₹0.92 लाख कर दी गई थी। इस प्रकार, कर्मचारी ₹1.27 लाख के एलटीसी दावे के प्रति ₹1.05 लाख की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सफल रहा।

मामला क्रमशः मई 2018 और जुलाई 2018 में डीडीए और सीपीडब्ल्यूडी के संबंधित डिवीजन के ध्यान में लाया गया था। डीडीए ने अपने उत्तर में सूचित किया (मई 2019 और सितंबर 2020) कि पांच अधिकारियों से ₹4.83 लाख<sup>10</sup> की राशि वसूल की गई थी। इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया कि चार अधिकारियों से ₹4.41 लाख<sup>11</sup> की राशि वसूल की गई थी। डीडीए ने आगे बताया (फरवरी 2020) कि डीडीए के कार्मिक विभाग से

<sup>10</sup> दो मामलों में प्रत्येक 10 दिनों की छुट्टी भुनाने और अधिक दावा की गई राशि सहित

<sup>11</sup> दंडात्मक ब्याज सहित

सीसीएस (आचरण) नियमों के साथ-साथ एलटीसी नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। सीपीडब्ल्यूडी के संबंधित डिवीजन ने यह भी सूचित किया (जनवरी 2019) कि कर्मचारी से ₹0.45 लाख की वसूली की गई, जो कि हवाई टिकटों की अधिक भुगतान राशि थी। इस प्रकार, अब तक कुल ₹9.69 लाख की वसूली की गई।

चूंकि अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान एलटीसी दावे का धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान पाया गया था, ऐसे ही अन्य मामलों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, समान अनियमितताओं की संभावना को दूर करने की दृष्टि से, लेखापरीक्षा ने दोनों लेखापरीक्षितियों को 2010-11/2012-13 से आगे के दौरान निपटाए गए सभी एलटीसी दावों की जांच करने का सुझाव दिया (जून 2018 और अगस्त 2018)। डीडीए और सीपीडब्ल्यूडी ने अपने-अपने उत्तरों (फरवरी 2020 और सितंबर 2019) में बताया कि 2012-13 और 2010-11 के क्रमशः भुगतान किए गए सभी एलटीसी दावों की जांच और समीक्षा की जाएगी। तथापि, ऐसी जांच की स्थिति आज तक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है। वास्तव में, जब लेखापरीक्षा ने इन दो लेखापरीक्षाओं में धोखाधड़ी की सीमा का आकलन करने की दृष्टि से 2012-13 से 2016-17 के दौरान डीडीए और 2010-11 से 2016-17 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निपटाए गए सभी एलटीसी मामलों से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड क्रमशः दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में मांगे थे, डीडीए ने बताया (जनवरी 2021) कि अधिकांश मामलों के लिए, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे और सीपीडब्ल्यूडी ने बताया (जनवरी 2021) कि उन्हें मामलों का पता लगाने के लिए और समय की आवश्यकता है, लेकिन अब तक आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए (जून 2021)।

मामले को नवंबर 2020 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था। उत्तर में, सीपीडब्ल्यूडी ने बताया (जनवरी 2021) कि अधिकारी 31 अक्टूबर 2019 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और अधिकारी के प्रति कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। डीडीए से संबंधित मामलों का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2021)। हालांकि, मुख्य लेखा कार्यालय, डीडीए द्वारा एक लेखापरीक्षा मांग (दिसंबर 2020) के उत्तर में यह सूचित किया गया था (दिसंबर 2020), कि संबंधित अधिकारियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए मामले उनके कार्मिक विभाग को संदर्भित (दिसंबर 2019 और सितंबर 2020) किए गए थे।

उपरोक्त तथ्य यह बताते हैं कि डीडीए द्वारा 2012-13 और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 2010-11 से भुगतान किए गए सभी एलटीसी दावों की समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के सुझाव के बावजूद, किसी भी लेखापरीक्षिती ने कोई समीक्षा नहीं की है। इस प्रकार, समान धोखाधड़ी वाले एलटीसी दावों की सही राशि और कुल वित्तीय प्रभाव दो साल बीत जाने के बाद भी अनिर्धारित रहता है। इसके अलावा, डीडीए और सीपीडब्ल्यूडी ने इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई अतिरिक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, यदि एलटीसी दावों को पारित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच की गई होती, तो इन धोखाधड़ीपूर्ण भुगतानों से बचा जा सकता था। डीडीए और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा इस तरह की लापरवाही और धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं की अनदेखी के परिणामस्वरूप अतीत में धोखाधड़ी हुई थी। प्रासंगिक एलटीसी दावों की समीक्षा के लिए डीडीए और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किसी भी कार्रवाई के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ऐसी धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाएं जारी नहीं हैं।

मामले को नवंबर 2020 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2021)।

## अध्याय V: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

### 5.1 प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता योजना

#### 5.1.1.1 प्रस्तावना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (मंत्रालय) 'प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) योजना' नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है। एटीआई योजना के मूल उद्देश्य पहली पीढ़ी के उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करके और उद्यमों की स्थापना में उनकी सहायता करके नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास, उद्यमशीलता के आधार का विस्तार करने और ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से स्वदेशी उद्यमिता विकसित करना है। इस योजना के तहत सहायता के दो घटक हैं-पहला प्रशिक्षण कार्यक्रमों<sup>1</sup> के लिए धन उपलब्ध कराना और दूसरा पूंजीगत सहायता के लिए है।

#### 5.1.1.2 योजना का वित्तपोषण

2012-13 से 2019-20 के दौरान, मंत्रालय ने योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ₹358.99 करोड़ और पूंजीगत सहायता के लिए ₹62.25 करोड़ जारी किए। विवरण अनुलग्नक-XXXI में उल्लिखित हैं।

#### 5.1.1.3 लेखापरीक्षा का अभिगम, कार्यप्रणाली और कार्य क्षेत्र

दिसंबर 2016 में उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति और मंत्रालय के आदेश पर एटीआई योजना की लेखापरीक्षा योजना के उद्देश्यों की उपलब्धियों की जांच करने के लिए अप्रैल 2012 से मार्च 2020 (आठ वर्ष) की अवधि के लिए दो चरणों में शुरू की गई थी। 6 जुलाई 2018 को मंत्रालय के साथ एंटी कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसके बाद, लेखापरीक्षा ने मंत्रालय में एटीआई योजना से संबंधित अभिलेखों और जुलाई 2018 से नवंबर 2018 के बीच पांच नमूना कार्यान्वयन संस्थानों की जांच की। रिपोर्ट का मसौदा 28 जून 2019 को

<sup>1</sup> उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपीज़), उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपीज़) और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटीज़)

मंत्रालय को जारी किया गया था और 8 नवंबर 2019 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस की गई थी। लेखापरीक्षा में मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से पाया गया कि 2018-19 और 2019-20 के दौरान एटीआई योजना के कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा के बाद सुधार लाए गए थे।

#### 5.1.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य और लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- (i) दिशानिर्देश, नीतिगत ढांचा और योजना पर्याप्त थे,
- (ii) योजना कार्यान्वयन कुशल और प्रभावी था,
- (iii) वित्तीय प्रबंधन कुशल था और उपलब्ध निधियों का इष्टतम उपयोग किया गया था, और;
- (iv) आंतरिक नियंत्रण मौजूद थे और निगरानी प्रभावी थी

लेखापरीक्षा मानदंड थे: एटीआई योजना के दिशानिर्देश 2010 और 2016, स्क्रीनिंग समिति की बैठकों के कार्यवृत्त, अनुमोदन पत्र, स्वीकृति आदेश और सामान्य वित्तीय नियम, 2005/2017

#### 5.1.1.5 लेखापरीक्षा नमूना

योजना के तहत निधि प्राप्त करने वाले 13 संस्थानों<sup>2</sup> में से, लेखापरीक्षा ने पांच कार्यान्वयन संस्थानों, अर्थात् राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), हैदराबाद, तेलंगाना; राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा, उत्तर प्रदेश; सेंट्रल टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना, पंजाब; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), ओखला, दिल्ली और कर्नाटक उद्यमशीलता

<sup>2</sup> 1. एनआईएमएसएमई, योसुफगुडा, हैदराबाद; 2. एनआईईएसबीयूडी, नोएडा, उत्तर प्रदेश; 3. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (आईआईई), गुवाहाटी, असम; 4. एनएसआईसी, ओखला, दिल्ली; 5. सीटीआर, लुधियाना, पंजाब; 6. सेडोक, धारवाड़, कर्नाटक; 7. वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (वीएमओयू), कोटा, राजस्थान; 8. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू), जोधपुर, राजस्थान; 9. गुलबर्गा इंडस्ट्रियल एस्टेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (जीआईईएमए), गुलबर्गा, कर्नाटक; 10. उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई), जोट, अरुणाचल प्रदेश; 11. कॉयर बोर्ड, कोच्चि, केरल; 12. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद, गुजरात; और 13. उद्यमिता विकास एवं नवाचार संस्थान (ईडीआईआई), चेन्नई, तमिलनाडु

विकास केंद्र (सीईडीओके), धारवाड़, कर्नाटक की विस्तृत लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चयन<sup>3</sup> किया।

### 5.1.1.6 लेखापरीक्षा के बाद सुधार

वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए मंत्रालय स्तर पर लेखापरीक्षा के बाद योजना के निष्पादन में सुधार नीचे तालिका बद्ध हैं:

**तालिका 5.1: एटीआई योजना में लेखापरीक्षा के बाद सुधार**

कं. सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	पैरा सं.	किए गए सुधार
1.	2012 से 2018 के दौरान, स्क्रीनिंग कमेटी (एससी) की बैठकों के कार्यवृत्त को हितधारकों के बीच परिचालित नहीं किया गया था, कार्यान्वयन संस्थानों के प्रतिनिधियों को बैठकों में आमंत्रित नहीं किया गया था और संस्थानों का निरीक्षण नहीं किया गया था। एससी ने केवल आठ बैठकें की थी।	5.1.2.4(क)	मंत्रालय ने शुरू किया है: <ul style="list-style-type: none"> <li>• एससी बैठकों के कार्यवृत्त का परिसंचरण</li> <li>• एससी बैठकों में कार्यान्वयन संस्थानों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना शुरू किया और बैठकों की आवृत्ति में वृद्धि की</li> <li>• प्रशिक्षण संस्थानों<sup>4</sup> के निरीक्षण के लिए अपने अधिकारियों को भेजना</li> </ul>
2.	मंत्रालय ने एनएसआईसी और सीटीआर की तुलना में एनआईईएसबीयूडी और एनआईएमएसएमई को अधिकांश प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए	5.1.2.1(क)	2018-19 के बाद से, मंत्रालय ने एनआईएमएसएमई के प्रशिक्षण लक्ष्यों को कम किया और एनएसआईसी और सीटीआर की हिस्सेदारी बढ़ा दी
3.	प्रशिक्षण डाटा बेस में अनियमितताएं: डुप्लीकेशन के 12,746 मामले, अस्पष्ट डुप्लीकेशन के 16,884 मामले	5.1.2.2(घ)	2018-20 के दौरान, प्रति वर्ष डुप्लीकेशन के औसतन 49 मामले और अस्पष्ट डुप्लीकेशन के 65 मामले देखे गए, जबकि 2012-18 के दौरान प्रति वर्ष डुप्लीकेशन

<sup>3</sup> संस्थानों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर किया गया था, और संस्थानों द्वारा प्राप्त अनुदान की मात्रा और उनके द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या के आधार पर स्तरों का गठन किया गया था।

<sup>4</sup> सीटीआर, लुधियाना; सीटीआर लुधियाना के प्रशिक्षण केंद्र (i) सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीएफटीआई), चेन्नई, (ii) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन (सीआईटीडी), हैदराबाद, (iii) इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), अहमदाबाद, (iv) सेंट्रल हस्त उपकरण संस्थान (सीआईएचटी), जालंधर; एलबीआई, चेन्नई में एनएसआईसी, दिल्ली का प्रशिक्षण केंद्र; और एनआईएमएसएमई, हैदराबाद में निरीक्षण किया गया।



कं. सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	पैरा सं.	किए गए सुधार
	और प्रशिक्षु नामों में अप्रासंगिक प्रविष्टियां देखी गईं।		के 2,124 मामले और अस्पष्ट डुप्लीकेशन के 2,814 मामले प्रति वर्ष पाए गए। 2012-18 के दौरान 25 अप्रासंगिक प्रविष्टियों की तुलना में 2018-20 के दौरान कोई अप्रासंगिक प्रविष्टियाँ नहीं पाई गईं।

### 5.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

योजना पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण नीचे दिए गए पैराग्राफों में दिया गया है:

#### 5.1.2.1 एटीआई योजना की आयोजना

##### क. संस्थानों की क्षमताओं का निर्धारण न करना

एटीआई योजना के दिशानिर्देश 2010 के पैरा 3.3.3 के अनुसार, स्क्रीनिंग कमेटी (एससी) को आवेदक प्रशिक्षण संस्थानों की योग्यता, क्षमता और अनुभव की जांच के लिए मानदंड निर्धारित करने थे। एससी को प्रस्तावों की उपयुक्तता, योग्यता, क्षमता, अनुभव / संस्थान के पूर्व निष्पादन, निधि की उपलब्धता आदि के आलोक में आवेदक संस्थानों के प्रस्तावों पर विचार करना था, और प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिशों के साथ सचिव (एमएसएमई) को अग्रेषित करना था।

दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में लेखापरीक्षा एससी द्वारा किसी ऐसे मानदंड को निर्धारित करने या उस पर विचार करने के बारे में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रशिक्षण लक्ष्य (अनुलग्नक-XXXII) संस्थानों को उनकी क्षमता और कर्मचारियों की संख्या पर विचार किए बिना आवंटित किए गए थे। उदाहरण<sup>5</sup> के तौर पर, 2012-13 व 2013-14 के दौरान संस्थानों की कुल स्टाफ संख्या (गैर-संकाय सहित) और प्रशिक्षण

<sup>5</sup> एनआईएमएसएमई, एनआईईएसबीयूडी और आईआईई ने स्वयं के साथ-साथ मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भागीदार संस्थानों (पीआईज़) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे। मंत्रालय ने केवल 2012-13 और 2013-14 के दौरान संस्थानों को आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्यों को अपने कार्यक्रमों और पीआईज़ कार्यक्रमों में विभाजित किया और उसके बाद बिना किसी विभाजन के समेकित लक्ष्य आवंटित किए। इसके अलावा, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के लिए चयनित संस्थानों के पीआईज़ के स्टाफ की संख्या प्रस्तुत नहीं की। इसे देखते हुए, संस्थानों के कर्मचारियों की संख्या (पीआईज़ को छोड़कर) की तुलना मंत्रालय द्वारा संस्थानों को अपने स्वयं के प्रशिक्षण कार्यक्रम (यानी, पीआईज़ द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को छोड़कर) के लिए आवंटित लक्ष्यों के साथ केवल दो वर्षों अर्थात् 2012-13 और 2013-14 हेतु की गई थी।

कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आवंटित लक्ष्यों की तुलनात्मक स्थिति को तालिका 5.2 में दिखाया गया है।

तालिका 5.2: आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तुलना में संस्थानों के कर्मचारियों की संख्या

संस्थान	संस्थान के कर्मचारियों की संख्या	सभी संस्थानों के कुल कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत	2012-13 और 2013-14 में आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रम	कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रतिशत
एनआईईएसबीयूडी	26	1.34	3,448	45.05
एनआईएमएसएमई	91	4.72	1,666	21.76
आईआईई	44	2.28	1,430	18.68
सीटीआर	870	45.08	628	8.20
एनएसआईसी	899	46.58	481	6.28
<b>कुल</b>	<b>1,930</b>	<b>100</b>	<b>7,653</b>	<b>100</b>

जैसा कि तालिका 5.2 से देखा जा सकता है, एनआईईएसबीयूडी और एनआईएमएसएमई को 2012-13 और 2013-14 के दौरान कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रमशः 45 प्रतिशत और 22 प्रतिशत आवंटित किया गया था, जबकि सभी पांच संस्थानों की कुल स्टाफ संख्या की तुलना में इनके कर्मचारियों की संख्या केवल 1.34 प्रतिशत और 4.72 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, सीटीआर और एनएसआईसी के पास पांच संस्थानों की कुल स्टाफ संख्या का 45 प्रतिशत और 47 प्रतिशत होने के बावजूद, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का केवल आठ प्रतिशत और छः प्रतिशत आवंटित किया गया था।

2012-13 से 2019-20 की अवधि के दौरान, मंत्रालय ने एनआईईएसबीयूडी (37 प्रतिशत) और एनआईएमएसएमई (31 प्रतिशत) को अधिकांश प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए थे, जिन्होंने आगे अपने स्वयं के कार्यक्रमों के क्रमशः 99 प्रतिशत<sup>6</sup> और 92 प्रतिशत<sup>7</sup> को निजी एंजेसियो को आउटसोर्स किया था, जो कि एटीआई योजना के तहत प्रतिबंधित था। दूसरी ओर, एनएसआईसी (सात प्रतिशत) और सीटीआर (11 प्रतिशत) को उनकी बेहतर क्षमता और कर्मचारियों की संख्या के बावजूद अल्प कार्यक्रम आवंटित किए गए थे।

<sup>6</sup> कुल 3,776 कार्यक्रमों में से, एनआईईएसबीयूडी ने 3,756 कार्यक्रमों को आउटसोर्स किया

<sup>7</sup> कुल 3,438 कार्यक्रमों में से एनआईएमएसएमई ने 3,159 कार्यक्रमों को आउटसोर्स किया

मंत्रालय ने तर्क दिया (मार्च 2019) कि एनआईएमएसएमई और एनआईईएसबीयूडी उद्यमिता विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थान थे और उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बड़ा हिस्सा दिया गया था। प्रशिक्षण एनएसआईसी के पोर्टफोलियो का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, और सीमित संख्या में कर्मचारी प्रशिक्षण में शामिल थे। सीटीआर ने लंबी अवधि के तकनीकी पाठ्यक्रम (1-3 वर्ष) आयोजित किए जो एटीआई योजना के तहत पाठ्यक्रमों से अलग थे, जो सामान्य रूप से 72-300 घंटे की अवधि के थे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि मात्र कर्मचारियों की संख्या प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता का निर्धारण नहीं कर सकती है और प्रशिक्षण लक्ष्य संस्थानों के प्रस्तावों, बजट की उपलब्धता और पिछले वर्ष में उनके निष्पादन के आधार पर निर्धारित किए गए थे। आगे यह भी बताया गया कि मंत्रालय को एनआईईएसबीयूडी और एनआईएमएसएमई द्वारा कार्यक्रमों की आउटसोर्सिंग की जानकारी नहीं थी।

मई 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को इसके स्थानांतरण के अनुसरण में, 2016-17 से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एनआईईएसबीयूडी को कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आवंटित नहीं किया गया था। मंत्रालय ने 2018-19 से एनआईएमएसएमई के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भाग को कम किया और एनएसआईसी और सीटीआर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृद्धि की।

#### **सिफारिश संख्या 1**

*किसी कार्यक्रम को मंजूरी देने से पहले, स्क्रीनिंग कमेटी की संस्था को पुनर्गठन करने की आवश्यकता है और इसके अपनाने के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता है।*

#### **ख. कौशल आवश्यकताओं का निर्धारण न करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों को मजदूरी रोजगार/स्वरोजगार के न्यूनतम लक्ष्य आबंटित न करना**

लेखापरीक्षा को कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया, जो यह आश्वासन दे सके कि मंत्रालय ने देश में प्रचलित कौशल आवश्यकताओं, कौशल अंतराल का निर्धारण किया था, और तदनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से निश्चित कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अंतराल को कम करने की योजना बनाई थी। मंत्रालय के संस्वीकृति आदेशों में भी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए स्वदेशी उद्यमिता, मजदूरी रोजगार या प्रशिक्षुओं के स्वरोजगार के विकास

के मामले में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। एससी की किसी भी बैठक में प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं की रोजगारपरकता या रोजगार की स्थिति और स्वदेशी उद्यमिता के विकास पर चर्चा नहीं की गई। एटीआई योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अभीष्ट परिणाम की उपलब्धि पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण के बाद आजीविका की स्थिति के निर्धारण के लिए कोई तंत्र भी निर्धारित नहीं किया गया था। मंत्रालय, देश में नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास के बारे में लेखापरीक्षा के लिए कोई आंकड़ा पेश नहीं कर सका, जो इस योजना का मूल उद्देश्य था।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2019) कि प्रशिक्षुओं के रोजगार के लिए लक्ष्य सौंपना संभव नहीं था क्योंकि रोजगार सृजन आर्थिक विकास की स्थिति, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, और न कि अकेले प्रशिक्षण पर। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि योजना का मूल उद्देश्य उद्यमिता का आधार विकसित करना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना था। लेखापरीक्षा का मानना है कि उद्यमिता विकास (स्वरोजगार) या मजदूरी रोजगार के न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किए बिना योजना के परिणाम का निर्धारण करना संभव नहीं होगा। इसलिए, मंत्रालय का ध्यान देश में उद्यमशीलता के आधार को बढ़ाने पर होना चाहिए जिससे प्रशिक्षुओं की रोजगारपरकता में वृद्धि हो।

#### **सिफारिश संख्या 2**

मंत्रालय को निर्धारित और आवश्यक प्रत्येक प्रकार के कौशल सेटों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के आवश्यक न्यूनतम स्तरों को लागू करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

#### **सिफारिश संख्या 3**

मंत्रालय को मंत्रालय/संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं की आजीविका की स्थिति के निर्धारण के लिए एक तंत्र बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

### **5.1.2.2 योजना कार्यान्वयन**

क. वर्ष 2012-13 से 2019-20 के दौरान, मंत्रालय ने पांच सर्वोच्च संस्थानों को 17,615 प्रशिक्षण कार्यक्रम आवंटित किए, जिनमें 4,73,658 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य

है। इसके प्रति 15,263 कार्यक्रम (87 प्रतिशत) को 4,13,131 (87 प्रतिशत) व्यक्तियों के प्रशिक्षण के साथ पूरा किया गया, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.3: प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य और उपलब्धि

संस्थान	कार्यक्रम			प्रशिक्षु		
	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
एनआईएसबीयूडी	6,558	5,274	80	1,64,020	1,32,562	81
एनआईएमएसएमई	5,385	4,990	93	1,59,345	1,47,333	92
आईआईई	2,464	2,026	82	72,830	61,319	84
सीटीआर	1,903	1,812	95	47,575	45,764	96
एनएसआईसी	1,305	1,161	89	29,888	26,153	88
<b>कुल</b>	<b>17,615</b>	<b>15,263</b>	<b>87</b>	<b>4,73,658</b>	<b>4,13,131</b>	<b>87</b>

#### ख. सर्वोच्च संस्थानों द्वारा स्वयं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आउटसोर्सिंग

मंत्रालय के संस्वीकृति आदेशों में यह निर्धारित किया गया था कि कोई संस्थान अपने आप या अनुमोदित साझेदार संस्थानों (पीआईज़)<sup>8</sup> के माध्यम से सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेगा। संस्थान, एटीआई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार पीआईज़ का चयन करने के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि, उन्हें अन्य एजेंसी को कार्यक्रमों को आउटसोर्स करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि एनआईईएसबीयूडी और एनआईएमएसएमई ने संस्वीकृति आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यक्रमों को पीआईज़ के अलावा अन्य निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया। एनआईईएसबीयूडी और एनआईएमएसएमई ने आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए फैकल्टी को कार्य पर रखा और उनके चयन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। यहां तक कि प्रशिक्षुओं और फैकल्टी का चयन भी आउटसोर्स एजेंसियों पर छोड़ दिया गया। लेखापरीक्षा, किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फैकल्टी की योग्यताओं का सत्यापन नहीं कर सका और इस प्रकार, कार्य पर लगाई गई फैकल्टी की सक्षमता और कार्यक्रमों में प्रदान किए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता के बारे में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

<sup>8</sup> यदि किसी संस्थान के पास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की पर्याप्त क्षमता नहीं थी, तो उसके पास अपनी अधिकृत पीआईज़ को अपनी क्षमता से अधिक अतिरिक्त कार्यक्रम आवंटित करने और उसे पूरा करने का विकल्प था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसंबर 2019) कि उसे संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आउटसोर्सिंग के बारे में जानकारी नहीं थी।

### ग. एनआईईएसबीयूडी के आउटसोर्स कार्यक्रमों में देखी गई अनियमितताएं

एनआईईएसबीयूडी के नोएडा परिसर में रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला है कि एनआईईएसबीयूडी ने सभी उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रमों (ईएसडीपी) को अननुमोदित निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया था। इसने अपनी ओर से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से फैकल्टी, बुनियादी ढांचा और समन्वयक प्रदान करने के लिए तीन विभिन्न निजी एजेंसियों को कार्य पर रखा। 19 मामलों की नमूना जांच से पता चला कि इन सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी (एनआईईएसबीयूडी के महानिदेशक) ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पूरा होने के बाद निजी एजेंसियों के चयन और नियुक्तियों को अनुमोदित किया। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पहले कार्य आदेश जारी कर दिए गए थे। एक मामले में कार्यक्रम पूरा होने के बाद कार्य पर लगाई गई एजेंसियों (सभी तीनों) को कार्य आदेश जारी किया गया था।

एनआईईएसबीयूडी ने कहा (नवंबर 2019) कि कार्यक्रमों को, उसी वित्तीय वर्ष के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तुरंत शुरू करने के निर्देशों के साथ आवंटित किया गया था। तदनुसार, कार्यक्रम समन्वयक विभिन्न स्थानों पर उम्मीदवारों को लामबंद करने के लिए तुरंत कार्यक्षेत्र में चले गए। उम्मीदवारों के चयन और अवसंरचना और फैकल्टी को अंतिम रूप देने के बाद फाइलों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, कई मामलों में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किए गए; हालांकि, सक्षम प्राधिकारी के मौखिक निर्देश पहले से प्राप्त किए गए थे। सक्षम प्राधिकारी ने अपनी संतुष्टि के बाद फाइलों पर हस्ताक्षर किए।

उत्तर अस्वीकार्य है, क्योंकि लेखापरीक्षा को ऐसे किसी भी निर्देश की सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई पुष्टि नहीं मिल सकी।

आगामी संवीक्षा से पता चला कि छह मामलों में, तीन एजेंसियों (अवसंरचना प्रोवाइडर, फैकल्टी प्रोवाइडर और कोऑर्डिनेटर प्रोवाइडर) जिन्होंने एनआईईएसबीयूडी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए और अलग बीजक प्रस्तुत किए, अपने-अपने बीजकों में एक ही तरह की गलतियां कीं और एक ही प्रकार से उन गलतियों को सुधारा। यह तभी संभव

था जब एक ही व्यक्ति ने बीजक तैयार किया हो और सुधार किया हो। ऐसे दो उदाहरण, संदर्भ के लिए नीचे बॉक्स 5.1 में पुनः दिए गए हैं।

बॉक्स 5.1: बीजकों का वह हिस्सा जहां कार्यक्रम 2012/5824 & 5825 & 2014/22531 & 22532 में गलती की गई थी

**क. कार्यक्रमों 2012/5824 और 5825 के बीजक जहां तीनों एजेंसियों ने एक ही गलती की और अपने अलग बीजक में एक ही तरह से सुधार किया अवसंरचना प्रदाता का बीजक - जीआईआईटी**

Sub:- Invoice for providing class room, furniture & training aids .	
Codes:- 2012/5824 & 2012/5825	Category:-General
Prog :- Finishing & packaging supervisor	Date :- 05-03-12 to 11-04-12
Duration :- 125 Hrs	Venue:-Loni
No of Trainee:- 25 Each	

➤ फैकल्टी प्रदाता का बीजक - पैनोरमा यूनिवर्सल

Sub:- Invoice for providing faculty support in training programmes.	
Codes:- 2012/5824 & 2012/5825	Category:-General
Prog :- Finishing & packaging supervisor	Date :- 05-03-12 to 11-04-12
Duration :- 125 Hrs	Venue :-Loni
No of Trainee:- 25 Each	

➤ समन्वयक प्रदाता का बीजक - प्रोमिनेन्ट सोल्यूशन

Sub:- Invoice for providing coordinator support and expenses on various activities	
Codes:- 2012/5824 & 2012/5825	Category:-General
Prog :- Finishing & packaging supervisor	Date :- 05-03-12 to 11-04-12
Duration :- 125 Hrs	Venue :-Loni
No of Trainee:- 25 Each	

**ख. कार्यक्रमों के बीजक 2014/22531 और 22532 जहां तीनों एजेंसियों ने एक ही गलती की और अपने अलग बीजक में एक ही तरह के अंदाज में सुधार किया**

➤ अवसंरचना प्रदाता का बीजक - एडुवेव रिवोल्यूशन

Sub:- Invoice for 2 Skill Development Training Programme for SC and GENERAL candidates.	
Prog Details :- 22531, 22532	Prog Name : Repair and Maintenance of Power supply, Inverter and UPS
Duration :- 300 Hrs	Date : 21-12-2015 to 23-03-2016
No of Trainees:- 25 each prog.	Venue : Hardoi & Jaunpur

➤ फैकल्टी प्रोवाइडर का बीजक - सृष्टि सेवा समिति

Sub:- Faculty Support Invoice for 2 Skill Development Training Programme for SC and GENERAL candidates.	
Prog Details :- 22531, 22532	Prog Name : Repair and Maintenance of Power supply, Inverter and UPS
Duration :- 300 Hrs	Date : 21-12-2015 to 23-03-2016
No of Trainees:- 25 each prog.	Venue : Hardoi & Jaunpur

➤ समन्वयक प्रदाता का बीजक - ग्रामीण युवाओं के सशक्तिकरण के लिए संगठन

Sub:- Invoice for 2 Skill Development Training Programme for SC and GENERAL candidates.	
Prog Details :- 22531, 22532	Prog Name : Repair and Maintenance of Power supply, Inverter and UPS
Duration :- 300 Hrs	Date : 21-12-2015 to 23-03-2016
No of Trainees:- 25 each prog.	Venue : Hardoi & Jaunpur



एनआईईएसबीयूडी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि तीनों एजेंसियों द्वारा कार्यक्रम की एक ही गलत तिथि छापने की त्रुटि इसलिए थी क्योंकि कार्यक्रम के एक अकेले समन्वयक ने इन बीजकों को तैयार करने में तीनों एजेंसियों की सहायता की थी और त्रुटियों को हाथ से ठीक किया गया था।

ऊपर दिए गए तथ्यों से, कुछ कार्यक्रमों में एनआईईएसबीयूडी द्वारा इन-हाउस बीजकों और अभिलेखों के निर्माण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मंत्रालय ने आश्वासन दिया (दिसंबर 2019) कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।

#### घ. अज्ञात उम्मीदवारों पर संदिग्ध व्यय

लेखापरीक्षा ने मंत्रालय से 2012-13 से 2017-18 की अवधि के लिए एटीआई योजना के तहत प्रशिक्षण/प्रशिक्षुओं का पूरा डेटा<sup>9</sup> उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (जून 2018)। मंत्रालय ने एक वर्ष बाद आंकड़े उपलब्ध कराए (मई 2019), जो अधूरे थे। आंकड़ों में अभिलेखों के अनुसार प्रशिक्षित कुल 4,01,927 प्रशिक्षुओं में से केवल 2,80,017 प्रशिक्षुओं (70 प्रतिशत) की जानकारी निहित थी। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में लिंग, प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण के लिए प्रतिपूर्ति और प्रशिक्षुओं के आधार नंबरों के बारे में जानकारी गायब थी। 25 मामलों में, प्रशिक्षु डेटा अप्रासंगिक था क्योंकि प्रशिक्षुओं और उनके पिता के नाम या तो संख्याओं में थे या अस्त-व्यस्त वर्णमाला (अर्थात् ईई, एए, 000 000, 99999, ए बी, वाई पी, पी आर, एबीसी आदि) में थे। इन 25 मामलों में, संस्थानों ने मंत्रालय से ₹10.70 लाख का दावा किया था।

प्रशिक्षण आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण करने और योजना कार्यान्वयन के बेहतर मूल्यांकन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने मंत्रालय से 2012-13 से 2019-20 की अवधि के लिए एटीआई योजना प्रशिक्षणों का पूरा आधार-लिंकड डेटा प्रदान करने का अनुरोध किया (अगस्त 2019)। मंत्रालय ने सितंबर 2020 में एक तालिका में आंकड़े उपलब्ध कराए थे। मंत्रालय ने इस बार 4,19,722 प्रशिक्षुओं<sup>10</sup> के संबंधित आंकड़े बिना आधार और प्रशिक्षुओं के मोबाइल नंबर के उपलब्ध कराए।

<sup>9</sup> एआईटी प्रशिक्षण वेबसाइट [msmetraining.gov.in](http://msmetraining.gov.in) का डाटा ड्रॉप

<sup>10</sup> लेखापरीक्षा में देखे गए अभिलेखों के अनुसार, 2012-13 से 2019-20 की अवधि के दौरान, पांच संस्थानों द्वारा 4,13,131 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया था, जैसा कि सब पैरा 5.1.2.2 (क) के तहत तालिका 5.3 में दिखाया गया है। हालांकि, सितंबर 2020 में मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में कुल 4,19,722 प्रशिक्षु दर्शाए गए। इस प्रकार, अभिलेखों के अनुसार आंकड़ों और मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के बीच विसंगति थी।



डेटा विश्लेषण के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

### i) डुप्लीकेट प्रशिक्षु

लेखापरीक्षा ने 4,19,722 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षु के नाम, पिता के नाम और जन्म तिथि की तुलना की और 12,844 डुप्लीकेट मामले पाए (अनुलग्नक-XXXIII)। सबसे ज्यादा डुप्लीकेट प्रशिक्षुओं (4,482 प्रशिक्षु) की संख्या वर्ष 2012-13 में थी और सबसे कम वर्ष 2019-20 (41 प्रशिक्षु) में थी। डुप्लीकेट की पुनरावृत्ति की आवृत्ति दो से नौ बार थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2015-16 के बाद से डुप्लीकेट के मामलों की संख्या में कमी आई। लेखापरीक्षा में सर्वोच्च संस्थानों और उनके पीआईज़ के बीच और विभिन्न संस्थानों के बीच भी प्रशिक्षुओं के डुप्लीकेशन के मामलों को भी देखा गया। कार्यक्रम या तो एक ही स्टेशन पर या एक दूसरे से दूर स्थित स्टेशनों पर आयोजित किए गए थे, और सभी मामलों में कार्यक्रमों की अवधि या तो बिल्कुल एक जैसी थी या अतिव्यापी थी। 12,844 डुप्लीकेट मामलों के संबंध में प्रशिक्षण की अनुमानित लागत ₹12.75 करोड़<sup>11</sup> थी।

एनआईईएसबीयूडी और सीटीआर ने कहा (अगस्त 2019) कि एक प्रशिक्षु के लिए उसी दिन या उसी अवधि में एक और स्लॉट पर, दूसरी पाली में एक और प्रशिक्षण में भाग लेना संभव है, क्योंकि सभी प्रशिक्षण पूरे दिन के लिए नहीं थे। एनआईईएसबीयूडी ने आगे कहा कि एक ही दिन एक उम्मीदवार को अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने से रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं था।

एनआईईएसबीयूडी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में देखा गया है कि एनआईईएसबीयूडी के दो कार्यक्रमों में (6 अगस्त 2012 से 8 नवंबर 2012 में आयोजित हापुड़, उत्तर प्रदेश का 2012/9050 और 1 अगस्त 2012 से 31 अक्टूबर 2012 के दौरान आयोजित, संगरूर, पंजाब का 2012/8583, जहां कार्यक्रमों की अवधि अतिव्यापी थी, 25 में से 16 उम्मीदवारों ने दोनों कार्यक्रमों में भाग लिया था, यद्यपि दोनों कार्यक्रमों का

<sup>11</sup> 12,844 डुप्लीकेट मामलों के संबंध में प्रशिक्षण की लागत का अनुमान लगाने के लिए, 86 प्रशिक्षुओं के अभिलेखों की नमूना जांच की गई और इन 86 मामलों में प्रति प्रशिक्षु औसत लागत ₹9,928/- पाई गई। इस प्रकार, 12,844 डुप्लीकेट मामलों में शामिल कुल राशि को ₹12.75 करोड़ (12,844 \* ₹9,928) माना जा सकता है।

विषय एक ही था अर्थात 'एसी रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर रिपेयर' और कार्यक्रमों के प्रशिक्षण स्थलों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर से अधिक थी।

## ii) अस्पष्ट डुप्लिकेट प्रशिक्षु

अस्पष्ट डुप्लिकेट वे हैं जहां प्रशिक्षु और/या पिता के नाम मामूली परिवर्तन के साथ अलग दिखाई देते हैं।

लेखापरीक्षा ने 4,19,722 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षु नामों और पिता के नामों की तुलना<sup>12</sup> की और 17,014 अस्पष्ट डुप्लिकेट मामले पाए। सबसे अधिक मामले 2014-15 (5,429) से संबंधित थे और 2019-20 (65) के लिए सबसे कम थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2015-16 के बाद से, अस्पष्ट डुप्लिकेट प्रशिक्षुओं की संख्या में कमी आई। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सभी संस्थानों के कार्यक्रमों में अस्पष्ट डुप्लिसिटी मौजूद थी। संस्थान-वार अस्पष्ट डुप्लिकेट मामलों का विवरण (अनुलग्नक-XXXIV) में हैं।

एनआईईएसबीयूडी ने कहा (अगस्त 2019) कि प्रशिक्षु डेटा अपलोड करते समय समस्या सॉफ्टवेयर की हो सकती है और भविष्य में ऐसे उदाहरणों से बचने के लिए उचित देखभाल का आश्वासन दिया। हालांकि, एनआईईएसबीयूडी ने अपने तर्क या सॉफ्टवेयर डिजाइन में समस्याओं के बारे में इसके द्वारा की गई शिकायत के समर्थन में कोई सबूत संलग्न नहीं किया।

सीटीआर ने कहा (अगस्त 2019) कि इसके क्षेत्रों में व्यक्तियों के नाम थोड़े भिन्न हैं। कई बार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही नाम या पिता का नाम समान हो सकता है लेकिन व्यक्तियों को अलग चिन्हित किया गया था और यह जानबूझकर प्रशिक्षुओं या उनके पिता के नाम में फेरबदल नहीं कर रहा था। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से आंकड़ों में हेरफेर का संकेत मिलता है। अन्य संस्थानों ने अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

---

<sup>12</sup> ऐसे अस्पष्ट डुप्लिकेट मामलों का पता लगाने के लिए, लेखापरीक्षा ने प्रशिक्षुओं और उनके पिताओं के नामों की तुलना 95 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम के मिलान के मापदंड से की। जन्म तिथि को मिलान के लिए एक कसौटी के रूप में नहीं लिया गया था, क्योंकि अस्पष्ट मिलान तारीखों के साथ प्रभावी नहीं होता।

डुप्लीकेट प्रशिक्षुओं और अस्पष्ट डुप्लीकेट प्रशिक्षुओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संबंध में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा सामने लाई गई गंभीर अनियमितताओं को स्वीकार किया (नवंबर 2019) और कहा कि इन्हें ठीक किए जाने की आवश्यकता है और प्रशिक्षण संस्थानों के परामर्श से और सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। मंत्रालय ने संस्थानों को उचित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का आश्वासन दिया कि अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।

### iii) अभिलेखों का भौतिक सत्यापन

डेटा विश्लेषण के निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए, लेखापरीक्षा ने एनआईईएसबीयूडी के अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा ने संवीक्षा के लिए 2012-13 से 2015-16 की अवधि के लिए 64 कार्यक्रम फाइलों का चयन किया। हालांकि, एनआईईएसबीयूडी ने लेखापरीक्षा को केवल 39 मूल कार्यक्रम फाइलें प्रस्तुत कीं और प्रस्तुत किए गए शेष 25 कार्यक्रम रिकॉर्ड एमएसएमई प्रशिक्षण वेबसाइट ([msmetraining.gov.in](http://msmetraining.gov.in)) से केवल प्रिंटआउट ही थे। इनमें अटेंडेंस शीट, ओरिजनल एडमिशन फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, फैकल्टी डिटेल्स आदि शामिल नहीं थे। इस प्रकार, लेखापरीक्षा कार्यक्रमों की प्रामाणिकता का सत्यापन नहीं कर सकी।

उत्तर में एनआईईएसबीयूडी ने कहा (जुलाई 2020) कि मूल कार्यक्रम फाइलों को खोजने के लिए संस्थान के प्रयास सफल नहीं हुए क्योंकि वे बहुत पुराने थे (वित्त वर्ष 2012-13 से 2015-16)।

39 मूल कार्यक्रम फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि तीन कार्यक्रम सं. 2013/14613 (कोलकाता में उद्यमिता विकास कार्यक्रम), 2015/22413 (सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में फैशन डिजाइनिंग कार्यक्रम) और 2015/22470 (मध्य प्रदेश के सीधी में फैशन डिजाइनिंग कार्यक्रम) में मिले दस्तावेज<sup>13</sup>, तीन अन्य कार्यक्रम फाइलों क्रमशः 2014/17207 (इंटीरियर डिजाइन कार्यक्रम, हावड़ा, पश्चिम बंगाल), 2014/22083 (सोलन, हिमाचल प्रदेश में रखरखाव फिटर कार्यक्रम) और 2015/17599 (मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वेब डिजाइनिंग कार्यक्रम) में मिले दस्तावेजों की सटीक प्रतियां थीं। यह स्पष्ट है कि एनआईईएसबीयूडी ने प्रशिक्षण वेबसाइट पर एक से अधिक बार प्रशिक्षुओं के एक ही सेट का विवरण अपलोड किया और गलत तरीके से सहायता का दावा किया।

<sup>13</sup> अटेंडेंस शीट, प्रशिक्षु आवेदन फॉर्म, प्रशिक्षु के सहायक दस्तावेज, प्रतिपुष्टि फॉर्म आदि

प्रशिक्षुओं के आधार से जुड़े आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि क्या आधार लिंकिंग (2016-17 में शुरू की गई) ने मंत्रालय को पहले पहचानी गई गंभीर अनियमित प्रथाओं को जड़ से मिटाने में मदद की थी। आधार से जुड़े डेटा को साझा करने में मंत्रालय की अनिच्छा के कारण, लेखापरीक्षा, ऊपर उल्लिखित चिन्हित मामलों के प्रभाव का निर्धारण करने और प्रशिक्षण कोषों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक किसी भी सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने में असमर्थ है।

#### **सिफारिश संख्या 4**

मंत्रालय, गुणवत्ता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और शामिल एजेंसियों का ई-केवाईसी सत्यापन शुरू करने पर विचार कर सकता है।

#### **सिफारिश संख्या 5**

इस प्रतिवेदन में उजागर अनियमितताओं/खामियों की जांच की जाए और ऐसी खामियों के लिए संबंधित अधिकारियों/संस्थानों की जिम्मेदारी मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाए।

### **5.1.2.3 निधि प्रबंधन**

#### **क. मंत्रालय को सूचित नहीं की गई प्रशिक्षण निधियों का अव्ययित शेष**

लेखापरीक्षा ने 2012-13 से 2017-18 के दौरान, एटीआई योजना के तहत नमूना चयनित सर्वोच्च संस्थानों द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि का सत्यापन किया और पाया कि एनआईएमएसएमई और एनआईईएसबीयूडी के पास 31 मार्च, 2018 तक क्रमशः ₹1.27 करोड़ और ₹2.78 करोड़ की अव्ययित शेष राशि थी। संस्थानों ने मंत्रालय को भेजे गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों (यूसीज़) में अनुदानों और अर्जित ब्याज का अव्ययित शेष घोषित नहीं किया था। इस प्रकार, एनआईएमएसएमई और एनआईईएसबीयूडी ने यूसीज़ में ₹4.05 करोड़ कम दिखाए। इनका विवरण **अनुलग्नक-XXXV** में हैं।

मार्च 2019 में, एनआईएमएसएमई ने कहा कि उसने मंत्रालय से प्राप्त निधियों के प्रति यूसी को प्रस्तुत किया था और ब्याज के हिस्से के लिए एक और यूसी को प्रस्तुत करेगा। इसमें आगे कहा गया है कि अक्टूबर 2018 में 2017-18 के अव्ययित शेष के रूप में

मंत्रालय को ₹52.89 लाख लौटाए गए थे। हालांकि, मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार एनआईएमएसएमई ने कोई राशि वापस नहीं की थी (सितंबर 2020)।

एनआईएमएसबीयूडी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2019) कि उसने अव्ययित शेष राशि (₹0.96 करोड़) और ब्याज (₹1.83 करोड़) दोनों को अपने पास रखा, जिसे अवसर लागत<sup>14</sup> के लिए मुआवजे के रूप में माना गया।

एनआईएमएसबीयूडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसने पहले ही मॉनिटरिंग और हैंडहोल्डिंग पर व्यय का लाभ उठाया था।

मंत्रालय ने आश्वासन दिया (दिसंबर 2019) कि उचित कार्रवाई की जाएगी।

#### 5.1.2.4 योजना की मॉनिटरिंग और प्रभाव

##### क. मंत्रालय स्तर पर एटीआई योजना की मॉनिटरिंग

दिशा-निर्देश 2010 के अनुसार, एक स्क्रीनिंग समिति (एससी) जिसमें मंत्रालय के उच्च स्तरीय अधिकारी और सचिव (एमएसएमई) थे, को समय-समय पर एटीआई योजना की प्रगति की मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता थी। हालांकि, दिशा-निर्देशों में मॉनिटरिंग तंत्र का ब्यौरा निर्धारित नहीं किया गया था। 2012-13 से 2017-18 के दौरान, एससी ने कार्यान्वयन संस्थानों से कोई प्रतिनिधित्व के बिना केवल आठ बैठकें कीं थीं। एससी की बैठकों के विचार-विमर्श, 2017-18 तक कार्यान्वयन संस्थानों में प्रचारित नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने उपरोक्त अवधि के दौरान कोई तृतीय-पक्ष समीक्षा नहीं की। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने 2012-13 से 2017-18 के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा<sup>15</sup> कभी नहीं किया जिससे एटीआई प्रशिक्षण की प्रगति की मॉनिटरिंग की जा सके।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2019) कि 2019 के बाद से, इसने अधिक मात्रा में बैठकें बुलाई और सभी हितधारकों को कार्यवृत्त प्रचारित किए।

<sup>14</sup> अवसर लागत, या वैकल्पिक लागत, उस लाभ की हानि है जो तब प्राप्त होता यदि प्रदत्त विकल्प नहीं दिया जाता।

<sup>15</sup> योजना दिशा-निर्देश 2010 के पैरा 3.3.3 (iv) के अनुसार, केंद्र सरकार और/या संबंधित राष्ट्रीय स्तर की ईडीआई भी अपने कार्यालय के माध्यम से या किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से ऐसी और जांच या सत्यापन कर सकती है, जैसा कि आवश्यक समझा जाता है।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने मंत्रालय के दावे की पुष्टि की।

## ख. संस्थानों के स्तर पर अपर्याप्त मॉनिटरिंग

### i) एनआईएमएसएमई द्वारा मॉनिटरिंग

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनआईएमएसएमई ने प्रशिक्षण के बाद की अनुवर्ती गतिविधि सहित अपनी पीआईज़ और आउटसोर्स एजेंसियों को आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन की मॉनिटरिंग करने के लिए जिम्मेदार फैकल्टी सदस्यों की पहचान की। कार्यक्रम पूरा होने पर, फैकल्टी प्रभारी भुगतान पास करने के लिए दस्तावेज प्रमाणित करते थे। साथ ही, एनआईएमएसएमई द्वारा अपने पीआईज़ के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के अनुसार, एनआईएमएसएमई का दायित्व था कि वह पीआई के प्रशिक्षकों/कोर फैकल्टी को प्रशिक्षण प्रदान करे और पीआई द्वारा नामांकित प्रशिक्षुओं के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन/पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए।

हालांकि, एनआईएमएसएमई ने लेखापरीक्षा को पीआईज़ के फैकल्टी प्रशिक्षण के समर्थन में या पाठ्यक्रम डिजाइन करने के लिए पीआईज़ की सहायता के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया। मॉनिटरिंग के लिए पीआईज़ का दौरा करने वाले फैकल्टी प्रभारी का कोई प्रमाण नहीं था।

उत्तर (अक्टूबर 2018) में, एनआईएमएसएमई ने कहा कि इसके अधिकारी, उद्घाटन और समापन सत्रों के अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान पीआईज़ का दौरा करते थे। हालांकि, एनआईएमएसएमई ने कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

### ii) एनआईईएसबीयूडी द्वारा अपने स्वयं की और पीआईज़ कार्यक्रमों की अपर्याप्त मॉनिटरिंग

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एनआईईएसबीयूडी के नोएडा परिसर ने अपने स्वयं के कार्यक्रमों का 99 प्रतिशत निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया। आउटसोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम की फाइलों में पूर्णता रिपोर्ट, मॉनिटरिंग रिपोर्ट/प्रमाण पत्र आदि शामिल नहीं थे। इसके अलावा, एनआईईएसबीयूडी ने पीआईज़ द्वारा कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और निष्पादन से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। जनवरी 2019 में, एनआईईएसबीयूडी ने पीआईज़ की मॉनिटरिंग के समर्थन में तीन दौरा रिपोर्टें प्रदान कीं। हालांकि, इन रिपोर्टों में मॉनिटरिंग किए गए कार्यक्रमों का कोई विशिष्ट विवरण नहीं था।

## ग. प्रशिक्षुओं को रोजगार

एटीआई योजना का मूल उद्देश्य देश में उद्यमिता का आधार विकसित करना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना था। इस उद्देश्य के लिए, अप्रैल 2012 से मार्च 2018 तक एटीआई योजना के तहत 4,01,927 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया था और उसमें से लगभग 36 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को मंत्रालय के उत्तर के अनुसार रोजगार मिला था। मंत्रालय और सर्वोच्च संस्थानों से एकत्र किए गए प्रशिक्षुओं के रोजगार के आंकड़े तालिका 5.4 में दिए गए हैं:

**तालिका 5.4: संस्थानवार रोजगार के आंकड़े**

संस्थान	मंत्रालय से जुटाए गए रोजगार के आंकड़े		संस्थानों से एकत्र रोजगार के आंकड़े	
	मजदूरी रोजगार	स्वरोजगार	मजदूरी रोजगार	स्वरोजगार
एनआईएमएसएमई	48,465	28,239	41,654	27,245
एनआईईएसबीयूडी	38,064	5,513	23,905	10,988
सीटीआर	1,711	1,504	2,908	1,842
एनएसआईसी	3,281	2,133	2,977	3,608
आईआईई	7,145	6,721	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
<b>कुल (प्रतिशत<sup>16</sup>)</b>	<b>98,666 (25%)</b>	<b>44,110 (11%)</b>	<b>71,444 (18%)</b>	<b>43,683 (11%)</b>

इस तालिका से यह देखा जा सकता है कि मंत्रालय और संस्थानों के रोजगार के आंकड़े मेल नहीं खाते हैं। मंत्रालय और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार आंकड़ों के विभिन्न सेटों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा, संस्थानों द्वारा दिए गए प्रशिक्षणों से रोजगार सृजन की सीमा के संबंध में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका। इसके अलावा, प्रत्येक कार्यक्रम द्वारा सृजित रोजगार की सीमा और अधिकतम रोजगार देने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा, मंत्रालय, एटीआई योजना के क्रियान्वयन से देश में उद्यमिता आधार के विकास के बारे में जानकारी प्रदान नहीं कर सका।

रोजगार और रोजगार सृजन के लिए सर्वोच्च संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत कीं:

<sup>16</sup> 2012-18 के दौरान संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित कुल 4,01,927 प्रशिक्षुओं के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं

- एनएसआईसी ने उत्तर दिया (सितंबर 2018) कि रोजगार मेलों का आयोजन नियमित रूप से केंद्रों पर किया जाता था जहां उद्योगों का समूह, छात्रों के साक्षात्कार के लिए सहमत होता था। 2017-18 में एनएसआईसी के तकनीकी केंद्रों का 300 से अधिक कंपनियों ने दौरा किया।
- सीटीआर ने उत्तर दिया (सितंबर 2018) कि 4,379 नियोक्ताओं को संपर्क पोर्टल में पंजीकृत प्रशिक्षुओं की भर्ती करने का अनुरोध किया गया था जिसमें उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की जानकारी थी।
- एनआईईएसबीयूडी ने उत्तर दिया (अगस्त 2018) कि इसके द्वारा प्रशिक्षित लगभग 10,000 से अधिक उम्मीदवारों ने देश भर में 25 रोजगार मेलों में भाग लिया जिसमें 3 प्रतिशत प्रशिक्षुओं ने स्वरोजगार चुना और 8-10 प्रतिशत प्रशिक्षुओं ने मजदूरी रोजगार को चुना।
- मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2019) कि सर्वोच्च संस्थानों से मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उचित डेटा बनाए रखने की उम्मीद थी। भविष्य में अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों को नोट किया गया है और प्रशिक्षण संस्थानों को उचित निर्देश जारी किए जाएंगे।

इस प्रकार, प्रामाणिक साक्ष्यों के अभाव में 36 प्रतिशत रोजगार सृजन के दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, मंत्रालय ने एटीआई योजना के कारण उद्यमशीलता के आधार में वृद्धि के संबंध में जानकारी नहीं ली थी।

#### **सिफारिश संख्या 6**

योजना के दिशा-निर्देशों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे पर्याप्त विस्तृत निर्देश दिए जा सकें कि उद्यमिता या रोजगार के माध्यम से प्रशिक्षण को आजीविका में बदलने और चरणों में इसे प्राप्त करने के उद्देश्यों को कैसे तर्कसंगत बनाया जाए।

#### **5.1.3 निष्कर्ष**

मंत्रालय अपर्याप्त मॉनिटरिंग और खराब कार्यान्वयन के कारण इस योजना के परिकल्पित परिणामों को प्राप्त करने में काफी हद तक विफल रहा जिसके कारण संस्थानों द्वारा अनैतिक प्रथाओं का अनुसरण किया गया। मंत्रालय ने संस्थानों को उनकी क्षमता का निर्धारण किए बिना प्रशिक्षण कार्यक्रम आवंटित किए। मंत्रालय द्वारा मॉनिटरिंग मापदंडों



को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया था जिससे संस्थानों को दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने और प्रशिक्षु अभिलेखों में हेराफेरी करने, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में छेड़छाड़ आदि करने जैसे अनैतिक तरीके अपनाने का साहस हुआ, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण और अभिलेखों की संवीक्षा के माध्यम से स्पष्ट है। इसके अलावा, एनआईईएसबीयूडी और एनआईएमएसएमई ने अव्ययित अनुदान और उस पर अर्जित ₹4.05 करोड़ के ब्याज का लेखांकन नहीं किया।

मंत्रालय ने इस बात का निर्धारण नहीं किया कि किस प्रकार के कौशल से बाजार में रोजगारपरकता बढ़ सकती है। मंत्रालय के संस्वीकृति आदेशों में भी संस्थानों के लिए स्वदेशी उद्यमिता के विकास या प्रशिक्षुओं के मजदूरी रोजगार/स्वरोजगार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। इसके अलावा, न तो एटीआई योजना में प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण के बाद आजीविका की स्थिति के निर्धारण के लिए कोई तंत्र निर्धारित किया गया था और न ही स्क्रीनिंग समिति की किसी भी बैठक में ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा, योजना के अभीष्ट परिणाम की उपलब्धि पर आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

#### एमएसएमई विकास संस्थान, नागपुर

### 5.2 परियोजना के निष्पादन पर निष्फल व्यय

सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत परियोजना की अनुचित योजना और निष्पादन के परिणामस्वरूप योजना के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया, और ₹8.89 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया, जिसमें भारत सरकार का ₹5.67 करोड़ का अनुदान शामिल है।

भारत सरकार (जीओआई) ने देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसईज़) की क्षमता निर्माण और उनकी सामूहिकता के उद्देश्य से 'सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)' नामक एक योजना की शुरुआत की। एक क्लस्टर, एक पहचाने गए क्षेत्र के भीतर स्थित और समान उत्पादों/सेवाओं का उत्पादन करने वाले उद्यमों का एक समूह है। एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना करना इस योजना का एक अभिन्न हिस्सा था जो एमएसईज़ को अपने संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा और सार्वजनिक संसाधनों तक बेहतर पहुंच, ऋण के लिए लिंकेज और विपणन

प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में भी सक्षम होगा। इस योजना में, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, विपणन, कच्चे माल डिपो, बहिस्त्राव उपचार, पूरक उत्पादन प्रक्रियाओं, परीक्षण प्रयोगशाला आदि के लिए साझा केंद्रों को शामिल करते हुए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई थी।

एमएसएमई मंत्रालय ने ₹15.38 करोड़ की लागत से महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फ्लाई ऐश क्लस्टर में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) स्थापित करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (फरवरी 2011), जिसमें ₹13.50 करोड़ की भारत सरकार की सहायता और ₹1.88 करोड़ का एसपीवी अंशदान शामिल था। परियोजना घटकों में, संयंत्र और मशीनरी (₹13.42 करोड़), भूमि और स्थल विकास (₹35 लाख), भवन और सिविल कार्य (₹40 लाख), विविध चल परिसंपत्ति (₹10 लाख), प्रारंभिक खर्च (₹15 लाख), परिचालन पूर्व खर्च (₹20 लाख), आकस्मिकताएं (₹64.48 लाख) और कार्यशील पूंजी मार्जिन (₹11.56 लाख) शामिल थे। सीएफसी को प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि से 24 महीने की अवधि के भीतर कार्य शुरू करना था, और उम्मीद थी कि वह क्लस्टर में उद्यमों को सस्ती लागत पर सामान्य सेवाएं प्रदान करेगा और साथ ही पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन/विस्तार के लिए अपने सभी चालू व्यय, मूल्यहास और प्रावधान को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करेगा।

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमआईडीसी), मुंबई, परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी थी और मेसर्स हाई फ्लाई ऐश क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड, चंद्रपुर (एसपीवी) को अपने सदस्यों के उपयोग और लाभ के लिए सीएफसी को चलाना और बनाए रखना था। सीएफसी और उसकी मॉनिटरिंग का स्वामित्व महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) के पास था। परियोजना की प्रगति के समन्वय और देखरेख के लिए एमएसएमई-विकास संस्थान (एमएसएमई-डीआई), नागपुर के निदेशक सर्वोच्च निकाय थे।

प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और एसपीवी के बीच त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार के अनुदान की पहली किस्त जारी की जानी थी। उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और पहली किस्त के व्यय विवरण, राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी और एमएसएमई-डीआई द्वारा सीएफसी की प्रगति पर संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट और खरीदी जाने वाली मशीनरी की सूची प्राप्त होने के बाद दूसरी किस्त जारी की जानी थी।

सीएफसी के परिचालन से अपेक्षित परिणाम इस प्रकार थे:

- क) एमएसई फ्लाइं ऐश प्रोसेसिंग इकाइयों की संख्या - 42 मौजूदा इकाइयां और विस्तार और विविधीकरण परियोजनाओं के लिए अनिवार्य रूप से अतिरिक्त 50 इकाइयां, और नए स्टार्ट-अप,
- ख) उत्पादन - क्लस्टर कारोबार में ₹10 करोड़ से ₹70 करोड़ की वृद्धि। इसके अलावा, मौजूदा शून्य निर्यात की स्थिति को कम से कम 15 प्रतिशत निर्यात में बदलाव की संभावना थी,
- ग) रोजगार सृजन - रोजगार में 1,100 से कम से कम 2000 व्यक्तियों की वृद्धि विकास आयुक्त, एमएसएमई, नई दिल्ली ने एमआईडीसी को ₹8.10 करोड़ की पहली किस्त जारी की (फरवरी 2012)। सीएफसी पर कुल व्यय ₹8.89 करोड़ (भारत सरकार का अनुदान: ₹5.67 करोड़ और एसपीवी का अंशदान: ₹3.22 करोड़) था। ₹2.43 करोड़ का अव्ययित अनुदान, एमएसएमई मंत्रालय को सरेंडर कर दिया गया था (अक्टूबर 2013)। रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा जाँच (अक्टूबर 2016) और एमएसएमई-डीआई, नागपुर से एकत्र की गई जानकारी (अक्टूबर 2020 और फरवरी 2021) से पता चला है कि हालांकि, सीएफसी को अल्प अवधि के लिए 2014, 2015 और 2017 के दौरान आंशिक रूप से परिचालन (ट्रायल रन) में लाया गया था, लेकिन भारत सरकार ने अनुदान की शेष राशि जारी नहीं की क्योंकि एमएसएमई-डीआई द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण में सीएफसी की योजना और कार्यान्वयन में निम्नलिखित खामियों को बताया गया था (दिसंबर 2014):
- परियोजना के अनुमोदन के समय, एसपीवी ने एसपीवी के सदस्यों के रूप में 42 मौजूदा फ्लाइं ऐश आधारित उत्पाद विनिर्माण इकाइयों को दिखाया था। हालांकि, निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि केवल तीन एसपीवी सदस्यों के पास ही फ्लाइं ऐश आधारित उत्पाद विनिर्माण इकाइयां थीं, और शेष सदस्य केवल प्रस्तावित इकाइयां थीं।

- सीएफसी में स्थापित फ्लाई ऐश क्लासिफायर की क्षमता वर्गीकृत ऐश की प्रतिदिन 600 मीट्रिक टन थी, लेकिन एसपीवी के तीन सदस्य प्रतिदिन केवल 20 मीट्रिक टन का उपयोग कर रहे थे।
- निरीक्षण के समय, चंद्रपुर और उसके आसपास 70-75 फ्लाई ऐश आधारित इकाइयां कार्य कर रही थीं, हालांकि, वे एसपीवी से जुड़े नहीं थे और सीएफसी का उपयोग करने में रुचि नहीं रखते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वर्गीकृत फ्लाई ऐश, ईट निर्माण के लिए उपयोगी और किफायती नहीं है।
- प्रस्तावित इकाइयों को भूखंड आवंटन में विलंब हुआ और जिस क्षेत्र में भूखंड आवंटित किए जाने थे वहां सड़क, जल निकासी, विद्युतीकरण आदि बुनियादी ढांचे का अभाव था।
- वर्गीकृत फ्लाई ऐश के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए सीएफसी में एक बल्कर<sup>17</sup> खरीदा गया था, और इसे खाली करने/रिक्त करने के लिए एक विशेष प्रणाली की आवश्यकता थी। हालांकि, आवश्यक विशेष प्रणाली, व्यक्तिगत इकाइयों के पास उपलब्ध नहीं थी, और इसलिए, बल्कर का उपयोग नहीं किया गया।
- सीएफसी में परीक्षण प्रयोगशाला को न तो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त थी और न ही परीक्षण और प्रमाणन के लिए कोई योग्य कर्मचारी नियुक्त था। इस प्रकार, उन एजेंसियों को कोई वैध परीक्षण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता था जिन्हें इकाइयां अपने उत्पादों की आपूर्ति करेंगी।
- सीएफसी में स्थापित प्रशिक्षण सुविधा का उपयोग नहीं हो रहा था।
- एसपीवी सदस्यों और मौजूदा फ्लाई ऐश ईट निर्माताओं के बीच खुला विरोधाभास और मतभेद था।

भारत सरकार द्वारा आगामी अनुदान जारी न किए जाने और इसके परिणामस्वरूप निधि की कमी के परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ताओं ने सीएफसी के लिए शेष सामग्री और बैक-अप सेवाओं की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। यह भी देखा गया था कि फरवरी 2021

<sup>17</sup> बल्कर एक विशेष उद्देश्य वाहन है जो विशेष रूप से शुष्क फ्लाई ऐश के संग्रह, परिवहन और डी-कलेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। चेंसिस सहित बल्कर की लागत ₹77.04 लाख थी।

तक 42 इकाइयों में से 16 ने भूखंडों पर कब्जा ले लिया था जिनमें से केवल पांच इकाइयों ने उत्पादन शुरू किया था। इसके अलावा, 50 अतिरिक्त इकाइयों/स्टार्टअप में से किसी ने भी क्लस्टर में अपनी इकाइयां स्थापित नहीं की थीं, जैसा कि परिकल्पित था। इसी प्रकार, क्लस्टर उत्पादन कारोबार में ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹70 करोड़ की वृद्धि करने और अतिरिक्त रोजगार सृजन का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

इसलिए, इससे न केवल योजना के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका बल्कि सीएफसी की स्थापना पर ₹5.67 करोड़ के भारत सरकार के अनुदान सहित ₹8.89 करोड़ का निष्फल व्यय भी हुआ।

लेखापरीक्षा पैरा में उल्लेखित तथ्यों को स्वीकार करते हुए एमएसएमई मंत्रालय के विकास कमिश्नर कार्यालय ने कहा (मार्च 2021 और जुलाई 2021) कि उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार को सीएफसी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के बारे में मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था (मार्च 2019) और सीएफसी के परिचालन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का सुझाव दिया गया था। हालांकि, अप्रैल 2019 और जून 2019 में अनुवर्ती अनुस्मारकों के बावजूद महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मंत्रालय ने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर कार्यान्वयन एजेंसी (एमआईडीसी) से शास्ति ब्याज के साथ-साथ अब तक जारी किए गए भारत सरकार के अनुदान की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इस प्रकार, परियोजना की अनुपयुक्त योजना और निष्पादन, और एसपीवी सदस्यों को भूखंडों के आवंटन में देरी के कारण सीएफसी के पूरा होने और संचालन में विफलता, बुनियादी ढांचे के विकास की कमी और भारत सरकार से शेष अनुदान प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल योजना के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया बल्कि सीएफसी की स्थापना पर भारत सरकार की ₹5.67 करोड़ की अनुदान राशि सहित ₹8.89 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

## अध्याय VI: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

### श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन

#### 6.1 मुआवजा प्रभारों की कमतर दर लगाने के कारण निजी पार्टी को अनुचित लाभ

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता द्वारा अनधिकृत कब्जाधारी, मेसर्स ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर अनिवार्य मुआवजा प्रभार अर्थात् लागू दरों की अनुसूची का तीन गुना नहीं लगाने के कारण ₹7.66 करोड़ के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता (पत्तन) (पूर्व में कोलकाता पत्तन ट्रस्ट) ने एक इंजीनियरिंग कारखाने के उद्देश्य से 30 वर्ष की अवधि के लिए, मेसर्स एयर कंडीशनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पट्टाधारक) को तारातला रोड, कोलकाता में 12,140.562 वर्ग मीटर की भूमि का दीर्घकालिक पट्टा प्रदान किया (मई 1978)। करार के अनुसार (जुलाई 1981), पट्टाधारक द्वारा सभी नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन उपरोक्त पट्टे को 30 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता था। पट्टा अवधि के दौरान, पत्तन ने, पत्तन की पूर्व अनुमति के बिना एयर कंडीशनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उपरोक्त पट्टे पर ली गई भूमि के 41 प्रतिशत में अनधिकृत निर्माण के साथ-साथ आगे किराये पर दिया जाना पाया। एयर कंडीशनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड करार की शर्तों के अनुसार, पट्टा किराये का भुगतान करने में भी अनियमित था। इसलिए, पत्तन ने एयर कंडीशनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को स्थान खाली करने का नोटिस जारी किया (जुलाई 2005), जिसके बाद बेदखली के लिए सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत संपदा अधिकारी के समक्ष एक अर्जीदावा दाखिल किया गया।

इस अर्जी दावे के लंबित रहते, पट्टाधारक ने 30 वर्षों के लिए मौजूदा पट्टे के नवीकरण के लिए पत्तन से संपर्क किया (मार्च 2008) क्योंकि उक्त पट्टा अप्रैल 2008 में समाप्त हो रहा था, जिसे पत्तन द्वारा ठुकरा दिया गया था (सितंबर 2008)। इसी दौरान, पट्टाधारक का ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ विलय किया गया (अप्रैल 2009), जिन्होंने अप्रैल 2008 से 11 सितंबर 2018 तक पट्टा समाप्त होने के बाद अनधिकृत तरीके से जमीन पर कब्जा जारी रखा।

हालांकि, पत्तन ने जून 2012 से अगस्त 2012 और अगस्त 2016 से जून 2017 की अवधि को छोड़कर भूमि नीति दिशानिर्देशों में निहित 'पट्टा किराया के तीन गुना' के बजाय 'एकल दर' पर ऐसे अनधिकृत कब्जे पर ओरिएंट पेपर्स और इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर मुआवजा प्रभार लगाये। ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फिर से पत्तन को पट्टे के नवीनीकरण और भूमि के अनधिकृत अधिभोग को नियमित करने का अनुरोध किया (मार्च 2014)। हालांकि, न्यासी बोर्ड ने न केवल ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में पट्टे का नवीनीकरण न करने का निर्णय लिया (जुलाई 2015) बल्कि ओरिएंट पेपर्स और इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भूमि नीति दिशानिर्देशों, 2014 के अनुरूप इनकार का पहला अधिकार प्रदान करके निविदा-सह-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उपरोक्त भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। हालांकि, ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इनकार के पहले अधिकार की पेशकश को स्वीकार नहीं किया था।

ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध बेदखली का आदेश संपदा अधिकारी ने जुलाई 2017 में पारित किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि:

- सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अनुसार ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कब्जा अनधिकृत हो गया।
- ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उक्त को पत्तन प्राधिकरण को सौंपने की तिथि तक पत्तन संपत्ति के गलत तरीके से उपयोग और उपभोग के लिए मुआवजा प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- नियत समय में उल्लंघन (अनधिकृत निर्माण और कब्जे) को हल करने के लिए ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विफलता के कारण पट्टे को जब्त करने के विरुद्ध कोई राहत नहीं थी।
- यदि आवश्यक हो तो बल प्रयोग करके जबरन जमीन खाली कराई जाए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने कब्जे वाली भूमि को समर्पण प्रस्तावित किया (अगस्त 2018), जिसमें ₹3.65 करोड़ मूल्य का अनधिकृत रूप से बनाया गया ढांचा शामिल है। यह प्रस्ताव जून 2012 से अगस्त 2012 और अगस्त

2016 से जून 2017 की अवधि के दौरान, पत्तन को भुगतान किए गए ₹1.12 करोड़ के बढे हुए मुआवजा प्रभारों के प्रतिदाय के अधीन था। पत्तन ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और राशि वापस कर दी, जो संपदा अधिकारी के बेदखली आदेश के अनुरूप नहीं थी।

- जून 2012 से अगस्त 2012 और अगस्त 2016 से जून 2017 की अवधि को छोड़कर भूमि नीति दिशानिर्देशों में निहित पट्टा किराए का तीन गुना न लगाना भी बेदखली आदेश का उल्लंघन था।
- इसके अलावा, 31 अगस्त 2018 को सुरक्षा गार्ड न मिलने के कारण पत्तन भूमि पर कब्जा नहीं ले सका। आखिरकार 11 सितंबर 2018 को पोर्ट प्राधिकरण ने इसे अपने कब्जे में ले लिया।

इस प्रकार, मुआवजे प्रभारों की कमतर दर लगाने और संपदा अधिकारी के बेदखली आदेश का पालन न करके एक निजी पार्टी को ₹7.66 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

पत्तन ने कहा (जनवरी 2021) कि ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 'सैद्धांतिक' रूप से प्राधिकार के बिना भूमि का उपयोग करने वाला कब्जाधारी नहीं था क्योंकि वे पट्टे के नवीकरण के लिए सक्रिय रूप से लगे हुए थे।

ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अनाधिकृत कब्जाधारी नहीं होने की स्थिति के विषय में प्रबंधन का तर्क तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बिना किसी प्राधिकार के अप्रैल 2008 में पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी भूमि पर कब्जा करना जारी रखा, जो सार्वजनिक परिसरों (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में एक व्यक्ति द्वारा अनधिकृत कब्जे की परिभाषा में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा, पत्तन, जून 2012 से अगस्त 2012 और अगस्त 2016 से जून 2017 की अवधि के दौरान, ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर दर की प्रचलित अनुसूची के अनुसार लागू पट्टा किराए के तीन गुना पर मुआवजा प्रभार लगाने के कारण पर भी चुप रहा, जिसे सही ढंग से उदग्रहित किया गया था। इसके अलावा, संपदा अधिकारी ने अपने बेदखली आदेश में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक अनधिकृत कब्जाधारी था। इस प्रकार, संपदा अधिकारी के बेदखली आदेश के निष्पादन के बजाय ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रस्ताव को



प्रबंधन की स्वीकृति वाणिज्यिक रूप से विवेकपूर्ण नहीं थी और उनके वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही जिससे ₹7.66 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

इस मामले को फरवरी 2021 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2021)।

### विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट

#### 6.2 विलम्ब शुल्क के प्रति राजस्व की हानि

विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट विलम्ब शुल्कों की वसूली के लिए समय पर कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप मूल्यवान जमीन के छह वर्षों से अधिक समय तक अवरुद्ध रहने के अलावा ₹2.09 करोड़ की हानि हुई।

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (अधिनियम) की धारा 62 के साथ पठित धारा 61 में यह निर्धारित किया गया है कि यह माल बोर्ड की अभिरक्षा में जाने के दो महीने की समाप्ति पर, ऐसे माल के संबंध में उसे देय किसी भी दर/किराए की वसूली करने के लिए बोर्ड किसी भी माल या उसके किसी हिस्से को सार्वजनिक नीलामी में बेच सकता है। इसके अलावा, धारा 63(1)(सी) के अनुसार, ऐसी नीलामी के मामले में, विलम्ब शुल्क के संबंध में बोर्ड को देय शुल्क को लैंडिंग की तिथि से केवल चार महीने की अवधि के लिए वसूल किया जा सकता है।

मेसर्स शिवा इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड (आयातक), ने पोत एमवी लोरेटो में ₹6.40 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य के साथ स्टीम (नॉन-कोकिंग) कोयले<sup>1</sup> का 20,000 मीट्रिक टन (एमटी) का आयात किया (28 नवंबर 2013)। इस कार्गो को विशाखापत्तनम पत्तन के वेस्ट कवे (डब्लूक्यू)-4 बर्थ के बैकअप क्षेत्र में रखा गया था क्योंकि संबंधित सीमा शुल्क हाउस एजेंट द्वारा आयातित प्रेषण के लिए पांच दिनों<sup>2</sup> (3 दिसंबर 2013) की निशुल्क अवधि समाप्त होने से पहले कार्गो की उपरोक्त मात्रा के लिए पत्तन के वाणिज्यिक

<sup>1</sup> स्टीम कोयला, जिसे थर्मल कोयला या नॉन-कोकिंग कोयला के नाम से भी जाना जाता है, विद्युत् उत्पादन के लिए उपयुक्त है। स्टीम कोयला पीस कर पाउडर के रूप में बना दिया जाता है जो उच्च गर्मी पर जल्दी जलता है और भाप टर्बाइन चलाने वाले बॉयलरों में पानी गर्म करने के लिए पावर प्लांट्स में उपयोग किया जाता है।

<sup>2</sup> दरों के पैमाने के खंड 4.6.1 के अनुसार पांच दिनों की शुल्क-मुक्त अवधि प्रदान की जाती है। इस अवधि के दौरान, कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगाया जाता है।

दस्तावेजों के साथ संबंधित सीमा शुल्क भुगतान दस्तावेजों को विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) को प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

वीपीटी द्वारा बार-बार अनुस्मारक (मार्च 2014/जून 2014) के बावजूद, आयातक ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और इसलिए माल की निकासी करने की अनुमति नहीं दी गई। जुलाई 2014 में, आयातक ने ₹23.45 लाख के सीमा शुल्क का भुगतान किया लेकिन विलम्ब शुल्क के भुगतान पर विवाद किया और केवल लाइसेंस फीस<sup>3</sup> भुगतान करने की पेशकश की (सितंबर 2014)। वीपीटी ने स्पष्ट किया (अक्टूबर 2014) कि कार्गो को "ट्रांजिट टर्म्स"<sup>4</sup> के तहत रखा गया था और इसलिए कार्गो की निकासी के लिए ₹5.70 करोड़ (अक्टूबर 2014 तक) के विलम्ब शुल्क के भुगतान की आवश्यकता थी। इसके बाद, वीपीटी ने सूचित किया (जनवरी 2015/फरवरी 2015) कि कार्गो अक्सर आग पकड़ रहा था और धुएं और प्रदूषण का कारण बन रहा था और इसे हटाने की आवश्यकता थी। हालांकि, आयातक ने विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया और कार्गो वीपीटी की संरक्षण में रहा।

मार्च 2015 में, आयातक ने आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें लाइसेंस प्राप्त भूखंड से कार्गो को उठाने की अनुमति, वीपीटी द्वारा इस आधार पर न दिये जाने कि विलम्ब शुल्क देय थे, की कार्रवाई को अवैध, मनमाना व दरों के पैमाने<sup>5</sup> के दावों के विपरीत घोषित करने की प्रार्थना की गई थी। इस रिट याचिका का एक जवाब, अप्रैल 2015 में वीपीटी ने दायर किया था। इसके बाद, वीपीटी ने कार्गो की नीलामी करने के संबंध में एक कानूनी राय प्राप्त की (जुलाई 2016), जिसमें यह सलाह दी गई थी कि यदि अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत नीलामी कराने

---

<sup>3</sup> लाइसेंस फीस, एक्जिम कार्गो स्टैकिंग के लिए बने भूखंड के आवंटन के लिए पत्तन उपयोगकर्ता से एकत्र की जाने वाली राशि है। यह शुल्क प्रति सप्ताह प्रति 100 वर्गमीटर वसूला जाता है।

<sup>4</sup> यातायात प्रबंधक के अधिकार क्षेत्र में दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं: एक सीमाशुल्क बाध्य क्षेत्र के भीतर और दूसरा सीमा शुल्क बाध्य क्षेत्र के बाहर। बर्थ से लगे सीमाशुल्क बाध्य क्षेत्र के भीतर का क्षेत्र अस्थायी अवधि के लिए आवंटित किया जाता है ताकि घाट से त्वरित निकासी/पोत को त्वरित फीड सुनिश्चित की जा सके। इसे 'ट्रांजिट टर्म्स' कहा जाता है। आयात कार्गो के लिए यह 5 दिन है और निर्यात कार्गो के लिए यह 30 दिन है। विलम्ब शुल्क के रूप में शास्ति को लगाया जाता है, जो शुल्क मुक्त अवधि से परे ट्रांजिट प्लॉट में पड़े कार्गो के लिए प्रति टन वसूला जाता है।

<sup>5</sup> प्रमुख पत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण (टीएएमपी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों को दरों का पैमाना कहा जाता है।

के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है तो नीलामी कराने में कोई कानूनी अड़चन नहीं होनी चाहिए क्योंकि न्यायालय का कोई अंतरिम आदेश नहीं था जिसमें वीपीटी को कार्गो के संबंध में कोई कार्रवाई करने से रोका गया हो। नतीजतन, वीपीटी ने उक्त कार्गो की नीलामी करने और विलम्ब शुल्क के बकाया के लिए आय को समायोजित करने पर विचार किया (अगस्त 2016)।

वीपीटी ने नीलामी कराने के लिए स्टीम कोयले का आरक्षित मूल्य तय करने के लिए वीपीटी के तत्कालीन वैल्यूअर्स, मेसर्स मेकॉन से संपर्क किया (मार्च 2017)। मेसर्स मेकॉन ने जाँच करने और आरक्षित मूल्य पर पहुंचने के लिए ₹18.50 लाख का उद्धरण किया (जनवरी 2018)। तत्पश्चात, चूंकि मेसर्स मेकॉन की उद्धृत कीमत अधिक थी, वीपीटी ने स्टीम कोयले की गुणवत्ता का पुनर्निर्धारण करने के लिए एक समिति का गठन किया (सितंबर 2018)। समिति ने देखा (अक्टूबर 2018) कि अधिकांश कार्गो का आत्म-प्रज्वलन के कारण आंतरिक दहन हुआ था, क्योंकि यह स्टीम कोयले के गुणों में से एक है, और इसलिए, क्षेत्र में खड़ी कार्गो की निचली परतों में राख की मात्रा की उपस्थिति हो सकती है। इसलिए, समिति ने कार्गो के वास्तविक ग्रेड का पता लगाने के लिए लैब टेस्ट और वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण की सिफारिश की ताकि आरक्षित मूल्य तय किया जा सके, जो नीलामी की कार्यवाही के लिए अनिवार्य रूप से जरूरी है।

समिति की सिफारिश के आधार पर, नवंबर 2018 में सीमित निविदा मंगाई गई और मार्च 2019 में, मेसर्स थेराप्यूटिक्स केमिकल रिसर्च कॉरपोरेशन को कार्य आदेश दिया गया जिसने लैब टेस्ट किए, उपलब्ध गुणवत्ता और वास्तविक मात्रा का विश्लेषण किया और मई 2019 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि वहाँ कोई स्टीम कोयला नहीं था और इसलिए, आरक्षित मूल्य का निर्धारण संभव नहीं था। वीपीटी ने आयातक से वसूली जाने वाली राशि को बट्टे खाते में डालने के लिए कार्रवाई शुरू की (अक्टूबर 2019), क्योंकि कार्गो पूरी तरह से जल चुका था। भंडार 31 दिसंबर 2019 तक वीपीटी पर सीमा शुल्क के तहत रखा हुआ था और तब तक इस पर ₹40.62 करोड़<sup>6</sup> की राशि तक विलम्ब शुल्क संग्रहीत हो गया था।

<sup>6</sup> यह राशि, वीपीटी द्वारा गणना की गई थी, हालांकि एमपीटी अधिनियम की धारा 63(1)(सी) के अनुसार, विलम्ब शुल्क के संबंध में बोर्ड को देय शुल्क को लैंडिंग की तिथि से केवल चार महीने की अवधि के लिए वसूल किया जा सकता था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वीपीटी ने विलम्ब शुल्कों की वसूली के लिए समय पर कार्यवाही नहीं की। अधिनियम की धारा 61 और 62 के अनुसार दो महीने पूरे होने पर, समय पर स्टीम कोयले की नीलामी की कार्यवाही शुरू करना इस मामले में और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि स्टीम कोयला प्रकृति में आत्म-प्रज्वलनशील है। यदि वीपीटी ने स्टीम कोयले की नीलामी के लिए समय पर कार्यवाही शुरू की होती, तो यह अधिनियम की धारा 63(1)(सी) के तहत नीलामी आय की वसूली से, कम से कम ₹2.09 करोड़<sup>7</sup> की वसूली कर सकता था।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2021) कि इस अधिनियम में सार्वजनिक नीलामी को 'दो महीने की समाप्ति के बाद किसी भी समय' आयोजित करने का प्रावधान है, इसलिए कोई निर्धारित अवधि नहीं है जिसके भीतर सार्वजनिक नीलामी पूरी की जानी है। अधिनियम की धारा 59 के अनुसार, बोर्ड के पास ऐसे सामान पर एक ग्रहणाधिकार था और वह जब तक ऐसी दरों और किराए का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता, तब तक इसे जब्त और कब्जे में ले सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आयातकों ने भारी विलम्ब शुल्क के भुगतान के बाद काफी समय बीत जाने के बाद सीमा शुल्क का भुगतान किया था और कार्गो की डिलीवरी ली थी।

यह भी कहा गया था कि कार्गो की आत्म-प्रज्वलनशील प्रकृति, शीघ्र नीलामी के लिए पत्तन की कार्यवाही का कारण नहीं हो सकती क्योंकि आयातक द्वारा कार्गो को नहीं छोड़ा गया था और कार्गो के संबंध में प्राप्तकर्ता द्वारा दायर याचिका अभी भी माननीय न्यायालय में लंबित थी। कार्गो की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह आयातक/उनके हैंडलिंग एजेंटों की है और वीपीटी कार्गो की हानि, क्षति, विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है और यह घटना वीपीटी में अपनी तरह की प्रथम थी।

मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है:

धारा 59 से 63 की संयुक्त रीडिंग से पता चलता है कि कानूनी ढांचे ने आयातक को अपने माल को हटाने के लिए दो महीने का समय प्रदान किया है और अधिकतम अवधि

---

<sup>7</sup> इस अधिनियम की धारा 63(1)(सी) के अनुसार, विलम्ब शुल्क केवल चार महीने की अवधि के लिए वसूल किए जाने तक सीमित है, जो 4 दिसंबर 2013 से 4 अप्रैल 2014 की अवधि के लिए ₹2.09 करोड़ है। इसलिए, यद्यपि 31 दिसंबर 2019 तक संचित विलम्ब शुल्क ₹40.62 करोड़ तक लिए गए हैं, केवल ₹2.09 करोड़ की राशि वसूली योग्य होगी।

चार महीने हैं जिसके लिए पत्तन को विलम्ब की वसूली की अनुमति है। इसलिए, पत्तन के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए न हटाए गए माल के निपटान की पूरी प्रक्रिया चार महीने के भीतर पूरी करनी होगी। मंत्रालय का यह तर्क कि कार्गो की आत्म-प्रज्वलनशील प्रकृति शीघ्र नीलामी का कारण नहीं हो सकती है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस मामले में, इस प्रकृति के कारण कार्गो में अक्सर आग लगी। इसके अलावा, आयातक द्वारा दायर कानूनी मामला, जिसे समय पर कार्रवाई करने में बाधा के रूप में बताया गया था, तब भी लंबित था जब वीपीटी ने नीलामी शुरू की थी और मार्च 2015 से आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए अभी भी लंबित है (दिसंबर 2020)।

इस प्रकार, अधिनियम के तहत आवश्यक विलम्ब शुल्कों की वसूली के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप मूल्यवान जमीन के छह वर्षों से अधिक समय तक अवरुद्ध रहने के अलावा ₹2.09 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

### कोचीन पोर्ट ट्रस्ट

#### 6.3 कर की परिहार्य प्रतिपूर्ति

छूट का लाभ उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹1.84 करोड़ के केरल मूल्य वर्धित कर की परिहार्य प्रतिपूर्ति हुई।

पोत परिवहन मंत्रालय - भारत सरकार ने पत्तन विकास के माध्यम से देश के रसद क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (सीओपीटी) क्षेत्र में पुथुव्यीपीन एसईजेड में मल्टीयूजर लिक्विड टर्मिनल (टर्मिनल), सागरमाला कार्यक्रम में शामिल विभिन्न परियोजनाओं में से एक था। इसलिए, सीओपीटी ने टर्मिनल के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया (मार्च 2013)। एमओयू के अनुसार, आईओसीएल एलपीजी, एलएनजी आदि के आयात के लिए कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 161 दिनों के लिए टर्मिनल का उपयोग कर सकता था और शेष 204 दिनों के लिए सीओपीटी, पत्तन क्षेत्र में आने वाले जहाजों को ईंधन की आपूर्ति करने के लिए टर्मिनल का उपयोग कर सकेगा। इसलिए, सीओपीटी ने बंकर आपूर्ति सुविधा<sup>8</sup> बनाने का निर्णय किया। बंकरों

<sup>8</sup> जहाजों द्वारा उपयोग के लिए ईंधन की आपूर्ति करने की सुविधा, और इसमें ईंधन लोड करने की जहाज रसद और उपलब्ध बंकर टैंकों के बीच इसे वितरित करना शामिल है।

को संभालने के लिए बार्ज<sup>9</sup> जेटी का निर्माण प्रस्तावित (मई 2013) किया गया था। तदनुसार, सीओपीटी और आईओसीएल ने टर्मिनल के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए रियायत करार (सीए) में प्रवेश किया (अप्रैल 2014)।

सीए के खंड 6.4 के अनुसार, सीओपीटी को टर्मिनल और बार्ज जेटी के निर्माण के लिए कार्य शुरू करना था। पहला कार्य आईओसीएल के लिए शुरू किया जाना था, जबकि बार्ज जेटी का निर्माण अपने स्वयं के उपयोग के लिए किया जाना था। सीओपीटी ने टर्मिनल के साथ-साथ बार्ज जेटी के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की (नवंबर 2014) और इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) आधार पर ₹217.32 करोड़ की राशि के लिए मेसर्स आरकेईसी प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड (मेसर्स आरकेईसी) को संविदा प्रदान की (जुलाई 2015)। टर्मिनल के निर्माण के लिए आवश्यक ₹182.76 करोड़ की निधि को आईओसीएल द्वारा वित्त पोषित किया जाना था और सीओपीटी को बार्ज जेटी के निर्माण के लिए ₹34.56 करोड़ का निवेश करना था। सीओपीटी बोर्ड ने अगस्त 2015 में ₹34.56 करोड़ की लागत से बार्ज जेटी के निर्माण के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

केरल मूल्य वर्धित कर (केवीएटी) अधिनियम, 2003 की धारा 6(7)(बी) के अनुसार, एसईजेड क्षेत्र में इकाई स्थापित करने के लिए किसी भी डेवलपर द्वारा संविदाकार को दिए गए संविदा कार्य (डीमंड सेल प्रकार) को संविदाकार के पास केवीएटी से छूट दी गई है। केवीएटी नियमावली, 2005 के नियम 12सी (2) के अनुसार, प्रत्येक डीलर जो केवीएटी की धारा 6(7)(बी) के तहत किसी भी एसईजेड में किसी औद्योगिक इकाई को कोई बिक्री करेगा, वॉ फार्म संख्या 43 में खरीदार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी सील घोषणा प्राप्त करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीओपीटी ने बार्ज जेटी के निर्माण के लिए मेसर्स आरकेईसी को फॉर्म 43 जारी नहीं किया और इसलिए मेसर्स आरकेईसी ने सितंबर 2015 से जून 2017 की अवधि के लिए, केवीएटी के भुगतान के लिए ₹1.84 करोड़ का दावा किया और इसकी प्रतिपूर्ति सीओपीटी द्वारा की गई। जबकि, आईओसीएल ने टर्मिनल के निर्माण के

---

<sup>9</sup> कार्गो के परिवहन/हस्तांतरण के लिए नदियाँ, झीलें या नहरों जैसे छोटे जल भागों में उपयोग किए जाने वाले अन्य जहाजों के साथ सामान्य टो या टग किए गए फ्लोटिंग जहाज।

लिए मेसर्स आरकेईसी को फॉर्म 43 जारी किया और केवीएटी के भुगतान से छूट का लाभ उठाया।

इसलिए, मेसर्स आरकेईसी को फॉर्म 43 जारी न करने के परिणामस्वरूप ₹1.84 करोड़ केवीएटी की परिहार्य प्रतिपूर्ति हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त 2020) कि उसने वाणिज्यिक कर विभाग से स्पष्टीकरण मांगा था (फरवरी 2016) कि क्या बार्ज जेटी के निर्माण को केवीएटी अधिनियम के तहत छूट दी गई थी। इसने आगे कहा कि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए वेट की प्रतिपूर्ति की गई थी। इसके अलावा, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से माल और सेवा कर लागू होने के बाद मार्च 2018 में स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ था, लेकिन उस समय तक मेसर्स आरकेईसी ने केवीएटी रिटर्न दाखिल कर दिया था।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- (i) वाणिज्यिक कर विभाग ने स्पष्ट किया (जनवरी 2014) कि डेवलपर द्वारा स्वयं एसईजेड की विकास गतिविधि को केवीएटी अधिनियम की धारा 6(7)(बी) के तहत कवर किया गया था, जिसने एसईजेड क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य को केवीएटी से छूट दी थी। दिसंबर 2014 में, इस मामले पर आगे विचार-विमर्श किया गया और यह माना गया कि सीओपीटी, बार्ज जेटी के निर्माण को इकाई की स्थापना के रूप में मानते हुए कर छूट का लाभ उठा सकता है।
- (ii) एसईजेड में अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के संबंध में, वाणिज्य कर विभाग ने एक आदेश पारित किया (मार्च 2010), जिसमें केवीएटी के भुगतान से पुथुव्यीपीन में, एसईजेड के सह-डेवलपर, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड को छूट प्रदान की गई। इस आदेश को वाणिज्यिक कर विभाग ने फरवरी 2016 में सीओपीटी द्वारा दायर आवेदन के उत्तर में केवल दोहराया था (मार्च 2018)।

इस प्रकार, फॉर्म 43 जारी करने में सीओपीटी की विफलता के परिणामस्वरूप संविदाकार (मेसर्स आरकेईसी) को ₹1.84 करोड़ की केवीएटी की परिहार्य प्रतिपूर्ति हुई।

इस मामले को जनवरी 2021 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2021)।

## अध्याय VII: विद्युत मंत्रालय

### 7.1 विद्युत प्रणाली विकास निधि योजनाओं के कार्यान्वयन में नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर की सूचनाओं को विचारार्थ न लेने के कारण राजकोष को हानि

विद्युत मंत्रालय द्वारा नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर की सूचनाओं को विचारार्थ न लेने के कारण ब्याज की कम दरों पर ₹1,018.12 करोड़ की निष्फल निधि का परिहार्य सृजन और निष्क्रियता हुई जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹11.17 करोड़ की हानि हुई।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (पीएसडीएफ) विनियमावली 2014 के अनुसार, विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) एक सार्वजनिक निधि है और इसे विद्युत मंत्रालय के अधीन लोक लेखा में रखा जाएगा। तदनुसार, क्षेत्रीय लोड प्रेषण केंद्रों के विभिन्न पूल लेखाओं<sup>1</sup> के अंतर्गत उत्पादक कंपनियों, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारकों और वितरण लाइसेंसधारकों आदि से एकत्रित पीएसडीएफ को विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत लोक लेखा में हस्तांतरित किया गया था। दिसंबर 2014 में वित्त मंत्रालय ने पीएसडीएफ निधि को लोक लेखा से भारत की समेकित निधि में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था।

पीएसडीएफ का उपयोग राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विद्युत प्रणाली की सुरक्षा और विश्वनीयता को सुधारने के लिए राज्य और केंद्रीय विद्युत क्षेत्र की उपयोगी सेवाओं की परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया जाता है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएसडीएफ से अनुदान मांगने वाले क्षेत्रीय संस्थाओं की परियोजनाओं का मूल्यांकन और समीक्षा अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाती है। निधियों की संस्वीकृति सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में अंतर्-मंत्रालय निगरानी समिति द्वारा की जाती है। विद्युत प्रणाली परिचालन निगम<sup>2</sup> (पोसोको) की एक इकाई नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) को पीएसडीएफ

<sup>1</sup> क्षेत्रीय संस्थाओं को देय राशि जारी करने के बाद संकुलन प्रभार, विचलन निपटान प्रभार, क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार, एसटीओए द्विपक्षीय लेनदेन में स्पष्ट नीलामी प्रक्रिया से उत्पन्न अतिरिक्त परेषण प्रभार और अन्य प्रभारों को केंद्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है

<sup>2</sup> निगम विश्वसनीय, कुशल और सुरक्षित तरीके से भारतीय बिजली प्रणाली के चौबीस घंटे एकीकृत संचालन की निगरानी करने और सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, इस प्रकार यह मिशन हेतु महत्वपूर्ण गतिविधि पूरी करता है। इसमें पांच क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र शामिल हैं



के लिए सचिवालय कार्य करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अनुदान हेतु मांग में उचित प्रावधान करके वितरण किया जाता है। एनएलडीसी, एक नोडल एजेंसी के रूप में, वित्तपोषित परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति के आधार पर निधि आवश्यकताओं और उपयोगी सेवाओं द्वारा अनुमानित/प्रतिबद्ध निधि आवश्यकताओं के वित्तपोषण के बजट प्रावधान और वितरण समय सारिणी तैयार करना अपेक्षित है।

एनएलडीसी ने वित्त मंत्रालय को 2018-19 के लिए अनुमोदित पीएसडीएफ वित्तपोषित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए ₹5,481.33 करोड़ की अतिरिक्त निधि आवश्यकता की सूचना दी (अक्टूबर 2018)। आवश्यकता को दिसंबर 2018 में संशोधित करके ₹5,505.61 करोड़ कर दिया गया था। एनएलडीसी के अनुरोध के आधार पर, विद्युत मंत्रालय ने अपेक्षित निधि हेतु अतिरिक्त बजटीय संसाधन सृजित करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमोदन मांगा था। वित्त मंत्रालय ने निजी नियोजन मोड के माध्यम से ₹5,504.76 करोड़ तक के अतिरिक्त बजटीय संसाधन सृजित करने के लिए अनुमोदन दिया (21 जनवरी 2019)। शेष ₹0.85 करोड़ की राशि को लेखाओं में वर्तमान में उपलब्ध शेष से पूरा किया जाना था। अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल): ₹3,487.53 करोड़ और पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी): ₹2,017.23 करोड़ के माध्यम से सार्वजनिक ऋण के रूप में सृजित किया जाना था। विद्युत मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित उपर्युक्त निधियों को सृजित करने के लिए पीजीसीआईएल और पीएफसी को निर्देश दिया था (21 जनवरी 2019)। तत्पश्चात, निजी नियोजन के माध्यम से ₹2,017.23 करोड़ की निधि सृजित करने हेतु 12 मार्च 2019 को पीएफसी को एनएचपीसी लिमिटेड (एनएचपीसी) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। एनएलडीसी ने विद्युत मंत्रालय को सूचना दी (4 फरवरी 2019) कि पीजीसीआईएल की अनुमोदित परियोजनाओं के लिए आवश्यकता पूर्णतः तैयार हो चुकी है और पीजीसीआईएल द्वारा सृजित किए जा रहे ₹3,487.53 करोड़ का पूर्णतः उपयोग कर लिया जाएगा। तथापि, अन्य राज्य सत्त्वों की परियोजनाओं के लिए शेष ₹2,017.23 करोड़ के संबंध में ₹423 करोड़ का तुरंत उपयोग कर लिया जाएगा और ₹613 करोड़ का उपयोग 31 मार्च 2019 तक कर लिया जाएगा। एनएलडीसी ने आगे सुझाव दिया (4 फरवरी 2019) कि निधियों की

निष्क्रियता से बचने के लिए निधियों को चरणबद्ध तरीके से सृजित किया जा सकता है। तथापि, इस संदर्भ में विद्युत मंत्रालय से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में, पीजीसीआईएल ने अर्धवार्षिक आधार पर 8.24 प्रतिशत की ब्याज दर पर ₹3,487.50 करोड़ मूल्य वाले भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बांड सृजित किए थे (14 फरवरी 2019)। इस प्रकार सृजित निधि का उपयोग एनएलडीसी द्वारा जारी परियोजना-वार स्वीकार्यता पर आधारित उनकी पीएसडीएफ वित्तपोषित अनुमोदित परियोजनाओं के लिए किया गया था। एनएचपीसी ने भी 8.12 प्रतिशत की ब्याज दर पर 22 मार्च 2019 को ₹2,017 करोड़ के भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बांड सृजित किए थे और इसे अनुमोदित परियोजना सत्वों को आगामी संवितरण के लिए एनएलडीसी को हस्तांतरित किया था।

एनएचपीसी से प्राप्त निधि में से, एनएलडीसी ने 31 मार्च 2019 तक अन्य राज्य सत्वों की पीएसडीएफ परियोजनाओं के लिए ₹760.65 करोड़ और अप्रैल 2019 में ₹238.88 करोड़ तत्काल संवितरित/जारी कर दिए थे। तथापि, शेष ₹1,018.12 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका और यह निष्क्रिय पड़ी रही। अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रकार एकत्रित निधि के कम उपयोग को ध्यान में रखते हुए, विद्युत् मंत्रालय ने उच्चतम ब्याज दर देने वाले बैंकों के पास अधिशेष राशि रखने का एनएलडीसी को निर्देश दिया (28 मार्च 2019) चूँकि वह निष्क्रिय पड़ी थी। तदनुसार, एनएलडीसी ने दो बैंको में ₹1,000 करोड़ जमा कराए थे (अर्थात एक वर्ष के लिए 7.50 प्रतिशत की दर पर एचडीएफसी बैंक में ₹320 करोड़, एक वर्ष के लिए 7.05 प्रतिशत की दर पर इंडियन बैंक में ₹480 करोड़ और 91 से 120 दिनों की अवधि हेतु 6.76 प्रतिशत की दर पर इंडियन बैंक में ₹200 करोड़)। निधियों को वास्तव में 86 दिनों से 359 दिनों तक एफडीआरज़ में रखा गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 4 फरवरी 2019 को एनएलडीसी द्वारा दी गई सूचनाओं को विद्युत मंत्रालय द्वारा विचारार्थ नहीं लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप, आवश्यकता से अधिक निधियाँ सृजित हुईं। इसके कारण ब्याज की कमतर दर पर ₹1,000 करोड़ की अप्रयुक्त निधि निष्क्रिय हुई और सार्वजनिक राजकोष को ₹11.17 करोड़ की परिणामी हानि हुई।

विद्युत मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि एनएलडीसी ने संस्थाओं द्वारा प्रतिबद्ध परियोजना की प्रगति पर आधारित अनुमानों पर बजट तैयार किया था और बाद में संस्थाओं द्वारा प्रतिबद्ध प्रगति करने में विफल रहे जिससे निधि संवितरण प्रभावित हुआ और अनुमानित व्यय करवाना कठिन हो गया था क्योंकि परियोजनाओं का कार्यान्वयन उपयोगी संस्थाओं के नियंत्रणाधीन था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 2016-17 और 2017-18 के दौरान, मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के माध्यम से अनुमोदित वास्तविक बजट पीएसडीएफ की आवश्यकता से कम था। आरंभ में इसने कार्यान्वयन की गति को कुछ हद तक प्रभावित किया।

विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना है कि विद्युत मंत्रालय को दिनांक 4 फरवरी 2019 के पत्र के माध्यम से भेजी गई एनएलडीसी की सूचना को विचारार्थ लेने में मंत्रालय की विफलता के कारण निधि अप्रयुक्त पड़ी रही। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय का तर्क कि बजटित आवश्यकता से कम आवंटन से परियोजनाओं के निष्पादन पर प्रभाव पड़ा को भी इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि एनएलडीसी 2017-18 तक पिछले आवंटित बजट का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹20.47 करोड़ का अव्ययित शेष था। बेहतर निगरानी तंत्र के माध्यम से और लाभार्थी राज्यों के साथ-साथ एनएलडीसी से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करके निधियों में विसंगति होने को नियंत्रित किया जा सकता था।

इस प्रकार, उपलब्ध सूचनाओं को विचारार्थ रखने में विद्युत मंत्रालय की विफलता के कारण ₹1,018.12 करोड़ की उच्चतर निधि उधार ली गई और यह ब्याज की कमतर दरों पर निष्क्रिय रही जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹11.17 करोड़ का नुकसान हुआ।

## अध्याय VIII: पर्यटन मंत्रालय

### भारत पर्यटन कार्यालय, फ्रैंकफर्ट

#### 8.1 बिलिंग बेस को जर्मनी में स्थानांतरित करने के कारण सरकारी राजकोष को हानि

पर्यटन मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया अभियान के संबंध में भुगतान करने के लिए बिलिंग बेस को भारत से जर्मनी स्थानांतरित कर दिया। इससे विदेशी मुद्रा की निकासी के अलावा जर्मन कर प्राधिकारियों को वैट के भुगतान के कारण ₹57.16 लाख के सरकारी राजस्व की हानि हुई।

2017-18 में, पर्यटन मंत्रालय (मंत्रालय) ने टेलीविजन, प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया में वैश्विक मीडिया अभियान जारी करने के लिए सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में एक मीडिया समिति द्वारा अनुशंसित अपनी वैश्विक मीडिया योजना को अंतिम रूप दिया। इस योजना में सुझाए गए तरीकों में से एक मंत्रालय को सोशल मीडिया में अपनी दृश्यता बढ़ाने के लिए विदेश में मुख्यालय वाले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फर्म) का उपयोग करने की आवश्यकता थी।

2017-18 के लिए वैश्विक मीडिया योजना के हिस्से के रूप में, दृश्यता बढ़ाने, उपभोक्ता जुड़ाव, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंत्रालय के पृष्ठ के लिए प्रशंसकों की संख्या में वृद्धि करने और एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में भारत में रुचि पैदा करने के लिए लक्षित सूचनात्मक सामग्री देने के लिए, मंत्रालय की मीडिया योजना एजेंसी अर्थात् मेसर्स कैरेट मीडिया ने फर्म के साथ ₹10 करोड़ की निवेश योजना का सुझाव दिया।

मंत्रालय के एकीकृत वित्त डिवीजन (आईएफडी) ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और सितंबर 2017 में फर्म के माध्यम से सोशल मीडिया अभियान को जारी करने पर सहमति व्यक्त की। इस अभियान को मंत्रालय की सोशल मीडिया प्रबंधन एजेंसी अर्थात् मेसर्स स्टार्क कम्युनिकेशन द्वारा फर्म के साथ समन्वय अनुसार निष्पादित किया जाना था। हालांकि, फर्म ने अपनी सेवाएं प्रदान करने में असमर्थता दिखाई क्योंकि मंत्रालय के पास जीएसटी नंबर नहीं था। मंत्रालय के आईएफडी ने इस मुद्दे का निपटान करने के लिए निम्नलिखित विकल्प का सुझाव दिया (15 जनवरी 2018):

- क) मंत्रालय के लिए एक जीएसटी खाता प्राप्त करना, जो उन्हें ऐसे मामलों को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम बनाएगा। इस संबंध में, उन्होंने मंत्रालय के प्रचार और कार्यक्रम डिवीजन से जीएसटी सेल के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
- ख) वैकल्पिक रूप से, प्रचार और कार्यक्रम डिवीजन भारत में मंत्रालय के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय, जिसका पहले से ही जीएसटी खाता है या विदेशों में स्थित किसी भी भारत पर्यटन कार्यालय (आईटीओ) के माध्यम से इस अभियान को अंजाम देने की संभावना का पता लगा सकता है।

उपरोक्त के आधार पर, मंत्रालय ने अभियान के लिए आईटीओ, फ्रैंकफर्ट के माध्यम से सीधे भुगतान किए जाने को मंजूरी दी और इसे बिलिंग सत्व के रूप में चिन्हित किया गया (7 मई 2018)। अभियान की लक्ष्य तिथि से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। पहले से पूरी की गई गतिविधियों के आधार पर बनाए गए बीजकों/बिलों के अनुसार फर्म को मासिक आधार पर भुगतान जारी करने पर सहमति हुई थी। लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए अभिलेखों के अनुसार, यह अभियान जुलाई 2019 तक जारी रहा, जिसके लिए आईटीओ, फ्रैंकफर्ट ने अक्टूबर 2019 तक फर्म को कुल €884,029.34 (₹7.26 करोड़) की राशि जारी की, जैसा कि **अनुलग्नक-XXXVI** में विस्तृत है। यह भी देखा गया कि फर्म ने आयरलैंड के साथ-साथ जर्मनी में स्थित अपने कार्यालयों से बीजक सृजित किए और आईटीओ, फ्रैंकफर्ट से भुगतान प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- (i) जुलाई 2018 से सितंबर 2019 तक की अवधि के दौरान, फर्म ने कुल 15 बीजक सृजित किए, जिनमें से सात इसके जर्मनी कार्यालय से और शेष आठ इसके आयरलैंड कार्यालय से सृजित हुए थे। जर्मनी में सृजित सात बीजकों में फर्म ने जर्मन कर कानूनों के आधार पर 19 प्रतिशत की दर से वैट प्रभारित किया, जबकि आयरलैंड में सृजित शेष आठ बीजकों में कोई वैट प्रभारित नहीं किया गया। अभिलेख में यह स्पष्ट करने के लिए कोई कारण उपलब्ध नहीं थे कि मंत्रालय/आईटीओ, फ्रैंकफर्ट ने फर्म को वैट प्रभारों (जर्मनी में) के भुगतान से बचने के लिए आयरलैंड से सभी बीजक सृजित करने के लिए क्यों नहीं कहा।
- (ii) जीएसटी नंबर प्राप्त करने के प्रयास करने के बजाय मंत्रालय ने आसान रास्ता चुना और बिलिंग बेस को भारत से जर्मनी स्थानांतरित कर दिया और आईटीओ, फ्रैंकफर्ट

के जरिए भुगतान किया। यदि मंत्रालय द्वारा स्वयं को जीएसटी के तहत पंजीकृत करने के बाद, भारत में भुगतान किया जाता, तो फर्म द्वारा सृजित बीजकों पर देय कर राशि भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा की जाती, जिसके परिणामस्वरूप कर भुगतान के कारण भारत सरकार को कोई समग्र लाभ या हानि नहीं होती। चूंकि मंत्रालय ने बिलिंग बेस को जर्मनी में स्थानांतरित करने का वैकल्पिक तरीका चुना, इसलिए यूरो में भुगतान करने के कारण होने वाले विदेशी मुद्रा की हानि के अलावा जर्मन कर प्राधिकरणों को वैट भुगतान के माध्यम से राजकोष को ₹57.16 लाख की हानि हुई।

- (iii) इसके अलावा, मेसर्स स्टार्क कम्युनिकेशन (मंत्रालय की सोशल मीडिया प्रबंधन एजेंसी) को सूचित किए गए सहमत निबंधन और शर्तों (मई 2018) के अनुसार, पूरी की गई गतिविधियों के आधार पर फर्म को भुगतान किया जाना था। हालांकि, आईटीओ, फ्रैंकफर्ट ने पूरी की गई गतिविधियों पर मेसर्स स्टार्क कम्युनिकेशन लिमिटेड/मंत्रालय से किसी भी सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के बिना सभी भुगतान जारी किए (₹7.26 करोड़)।

इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा खुद को एक डीलर के रूप में जीएसटी के तहत पंजीकृत करने और भारत में परियोजना के लिए बिलिंग आधार रखने की बजाय अपने बिलिंग बेस को आईटीओ, फ्रैंकफर्ट में स्थानांतरित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की हानि के अलावा राजकोष को ₹57.16 लाख<sup>1</sup> (अर्थात €68,354.19) की हानि हुई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (22 अक्टूबर 2020) कि सभी भुगतान उसके अधीनस्थ कार्यालय अर्थात आईटीओ, फ्रैंकफर्ट द्वारा किए गए थे और इसलिए वह भुगतान के निपटान की मॉनिटरिंग नहीं कर सकता था। मंत्रालय ने यह भी सूचना दी कि इसके बाद से उसने जीएसटी नंबर प्राप्त कर लिया था। मंत्रालय ने अपने आगे के उत्तर (4 मार्च 2021) में कहा कि इस योजना को शुरू करने में देरी से बचने के लिए उसने अपने जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया, लेकिन आईटीओ, फ्रैंकफर्ट के माध्यम से अभियान को आगे बढ़ाया।

---

<sup>1</sup> संबंधित माह के लिए ली गई विनिमय की दर जिसमें वैट का भुगतान किया गया।

योजना शुरू करने में देरी से बचने के लिए अपना जीएसटी पंजीकरण नहीं प्राप्त करने के बारे में मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) नियमावली, 2017 के नियम 9(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक आवेदक को आवेदन जमा करने के तीन दिनों<sup>2</sup> के भीतर पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी और जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आईएफडी के सुझाव (15 जनवरी 2018) और अभियान के लिए मेसर्स स्टार्क कम्युनिकेशन को कार्य आदेश देने (7 मई 2018) के बीच लगभग चार महीने का पर्याप्त समय अंतर था।। इसलिए, मंत्रालय सीजीएसटी नियमावली, 2017 के तहत उपलब्ध अपने जीएसटी पंजीकरण को तुरंत और तेजी से पूरा करने में विफल रहा था, और इसके बजाय बिलिंग बेस को जर्मनी में स्थानांतरित कर दिया गया था जिसके कारण विदेशी मुद्रा की निकासी के अलावा जर्मन कर प्राधिकारियों को वैट भुगतान के कारण राजकोष को ₹57.16 लाख की हानि हुई थी ।

#### भारत पर्यटन कार्यालय, न्यूयॉर्क

### 8.2 भारत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं की अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्धा की कमी

भारत पर्यटन कार्यालय, न्यूयॉर्क ने प्रिंट प्रोडक्शन योजना के तहत प्रचार मर्दों की अधिप्राप्ति में उचित सतर्कता नहीं बरती, जिसके परिणामस्वरूप भारत पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित वस्तुओं की अधिप्राप्ति में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी हो गई।

भारत पर्यटन कार्यालय (आईटीओ), न्यूयॉर्क वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई द्वीप समूहों के महाद्वीपों में भारत के पर्यटन विकास की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आईटीओ, न्यूयॉर्क योजना बजट में विभिन्न शीर्ष/योजनाओं के तहत प्रचार गतिविधियों को शुरू करता है। 'प्रिंट प्रोडक्शन' योजना के तहत, कार्यालय 'अतुल्य भारत' लोगो के साथ साहित्य, ब्रोशर, समपाश्र्वर्द्ध और अन्य प्रचार वस्तुओं जैसी प्रचार सामग्री की अधिप्राप्ति के माध्यम से प्रचार गतिविधियों को शुरू करता है।

<sup>2</sup> अधिसूचना संख्या 94/2020-केंद्रीय कर दिनांक 22 दिसंबर 2020 के माध्यम से इसे प्रतिस्थापित कर 'सात दिन' किया गया।

भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा माल की अधिप्राप्ति के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। उक्त नियम 173 में कहा गया है कि सभी सरकारी अधिप्राप्ति पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए, ताकि पैसे के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा, नियम 175(1)(ग) में कहा गया है कि किसी अधिप्राप्ति इकाई या बोलीदाता का कोई भी अधिकारी संहिताओं का उल्लंघन करते हुए कार्य नहीं करेगा जिसमें कोई मिलीभगत, बोली हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार शामिल है जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और अधिप्राप्ति प्रक्रिया की प्रगति को हानि पहुंचा सकता है।

लेखापरीक्षा (नवंबर/दिसंबर 2019) के दौरान, आईटीओ, न्यूयॉर्क द्वारा प्रचार सामग्री की अधिप्राप्ति में निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:

- प्रचार मर्दों की अधिप्राप्ति के लिए किसी क्रय समिति का गठन नहीं किया गया। इसके अलावा, रिकॉर्ड में कोई डाक संचार या ईमेल नहीं पाया गया जो यह इंगित कर सकता था कि कंपनियों द्वारा आईटीओ, न्यूयॉर्क को उद्धरण वास्तव में प्रस्तुत किए गए थे। फाइलों में उपलब्ध अधिकांश उद्धरणों में मालिक/एजेंट के उचित हस्ताक्षर नहीं थे और साथ ही कंपनियों के अधिकांश बीजकों में कर की आईडी नहीं थी। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह सुझाव दे सके कि कर घटक सहित बिलों को कार्यालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान देते हुए और कंपनियों की स्थिति का सत्यापन करने के बाद पारित किया गया था।
- न्यूयार्क राज्य, अमरीका में कार्य कर रही कंपनियों/निगमों की प्रमाणिकता का सत्यापन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट (डीओएस), निगम डिवीजन, न्यूयार्क, अमरीका ([www.dos.ny.gov](http://www.dos.ny.gov)) की वेबसाइट से किया जा सकता है। 2017-20 (अक्टूबर 2019 तक) की अवधि के लिए 'प्रिंट प्रोडक्शन' शीर्ष के तहत आईटीओ, न्यूयॉर्क द्वारा अधिकांश भुगतान की गई कंपनियों की साख के सत्यापन से निम्नलिखित का पता चला:



तालिका 8.1: उन कंपनियों का विवरण जिन्हें प्रिंट प्रोडक्शन के तहत भुगतान किया गया था

क्र. सं.	सत्व का नाम	डीओएस आईडी#	प्रारंभिक डीओएस दाखिल करने की तारीख	डीओएस प्रक्रिया के लिए नाम और पता <sup>3</sup>
1	दि साऊथ एशियन मीडिया एण्ड प्रिंटिंग एलएलसी	3844834	13.08.09	मुकेश कुमार, 4249 कोल्डन स्ट्रीट अपार्टमेंट, 5टी फ्लशिंग, न्यूयॉर्क, 11355
2	एप्पल ग्राफिक्स इंक	5479469	22.01.19	मुकेश कुमार, 110-56, 63वां ब्राइव फ्लोर 2, फॉरेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, 11375
3	लैक्स ग्राफिक्स एंड प्रिंट्स इंक	5479533	22.01.19	मुकेश कुमार, 110-56, 63वां ब्राइव फ्लोर 2, फॉरेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, 11375
4	एलएस क्राफ्ट इंक	5297216	05.03.18	मुकेश कुमार, 9560 क्वींस बुलेवार्ड # 105 रेगो पार्क, न्यूयॉर्क, 11374
5	ओवीआई इम्प्रिंट इंक	5157849	20.06.17	मुकेश कुमार, 101-22 क्वींस बुलेवार्ड, फॉरेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, 11374
6	एम ग्राफिक्स एण्ड प्रिंट इंक	5159419	22.06.17	मुकेश कुमार, 101-22 क्वींस बुलेवार्ड फॉरेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, 11374
7	बूमरैंग /बूमरैंग टेक्नोलॉजीज इंक	4776884	18.06.15	मुकेश कुमार, 6574 सॉन्डर्स स्ट्रीट अपार्टमेंट 6एच, रेगो पार्क, न्यूयॉर्क, 11374
8	एमकेएनवाई ट्रेडर्स इंक*	4780757	25.06.15	6574 सॉन्डर्स स्ट्रीट अपार्टमेंट 6एच, रेगो पार्क, न्यूयॉर्क, 11374
9	प्रिन्टर्स टैक इंक*	4888189	29.01.16	6574 सॉन्डर्स स्ट्रीट अपार्टमेंट 6एच, रेगो पार्क, न्यूयॉर्क, 11374

\* दोनों कंपनियां बुमरैंग टेक्नोलॉजीज इंक के ही स्थान से काम कर रही हैं।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि क्रम संख्या 1 से 7 तक सूचीबद्ध कंपनियों का प्रबंधन/संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया था, जबकि क्रम संख्या 7 से 9 तक सूचीबद्ध कंपनियों में एक ही डीओएस प्रोसेस पता था और स्पष्टतः यह एक ही व्यक्ति द्वारा प्रबंधित/संचालित था। प्रिंट प्रोडक्शन और अन्य योजनाओं के तहत उपर्युक्त नौ

<sup>3</sup> डीओएस प्रक्रिया - वह पता जिस पर डीओएस सत्व की ओर से प्रक्रिया स्वीकार किए जाने पर मेल करेगा

कंपनियों को आईटीओ, न्यूयॉर्क द्वारा किए गए भुगतान के आगे विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

**तालिका 8.2: प्रिंट प्रोडक्शन के तहत उपरोक्त कंपनियों को किए गए भुगतान का विवरण (राशि ₹ में)**

वर्ष	प्रिंट प्रोडक्शन के तहत सभी कंपनियों को भुगतान	श्री मुकेश कुमार द्वारा प्रबंधित/संचालित नौ कंपनियों/निगमों को किए गए भुगतान		
		प्रिंट प्रोडक्शन के तहत	प्रिंट प्रोडक्शन के अलावा अन्य योजनाओं के तहत	सभी योजनाओं के तहत
2017-18	37,12,294.24	37,12,294.24	9,25,672.83	46,37,967.07
2018-19	86,66,186.02	76,20,624.29	26,60,301.08	1,02,80,925.36
2019-20*	81,43,240.30	65,35,883.97	6,42,833.91	71,78,717.88
<b>कुल</b>	<b>2,05,21,720.56</b>	<b>1,78,68,802.50</b>	<b>42,28,807.82</b>	<b>2,20,97,610.31</b>

(\*अक्टूबर 2019 तक)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आईटीओ, न्यूयॉर्क ने "प्रिंट प्रोडक्शन हेड" के तहत 2017-20 की अवधि (अक्टूबर 2019 तक) के लिए ₹2.05 करोड़ का खर्च किया, जिसमें से 87 प्रतिशत (₹1.79 करोड़) भुगतान नौ कंपनियों को किए गए, जो एक ही व्यक्ति द्वारा प्रबंधित/ संचालित थी। इसके अलावा, अन्य शीर्षों (जैसे संयुक्त प्रचार, अन्य प्रचार उपाय, प्रत्यक्ष विपणन और रोड शो) के तहत इन कंपनियों को ₹0.42 करोड़ की राशि का भुगतान भी किया गया था।

- वर्ष 2019-20 में 22 में से छः अधिप्राप्ति मामलों में, वर्ष 2018-19 में 20 में से सात मामले में और वर्ष 2017-18 में 20 में से छः मामले में, तीन में से दो उद्धरण विभिन्न कंपनियों के थे जो एक ही व्यक्ति द्वारा प्रबंधित/ संचालित थी और 2017-18 में ऐसे एक अधिप्राप्ति मामले में यह देखा गया था कि सभी तीन उद्धरण उनके द्वारा प्रबंधित/ संचालित कंपनियों से प्राप्त किए गए थे। दो कंपनियों, अर्थात् सनी ग्राफिक्स एंड इम्प्रिंट्स इंक और आर.बी. इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेडर्स से उद्धरण प्राप्त हुए थे, इस बात की प्रामाणिकता डीओएस वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थी और इस तरह उनका सत्यापन नहीं किया जा सका। इसलिए इन उद्धरणों की प्रामाणिकता संदिग्ध थी।

इस प्रकार, आईटीओ, न्यूयॉर्क ने प्रिंट प्रोडक्शन योजना के तहत प्रचार मर्दों की अधिप्राप्ति में उचित सतर्कता नहीं बरती, जिसके परिणामस्वरूप भारत पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित मर्दों की अधिप्राप्ति में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी हो गई।

इंगित किए जाने पर, पर्यटन मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2021) कि:

- (i) मौजूदा प्रचलन के अनुसार आईटीओ, न्यूयॉर्क ने प्रचार मर्दों की अधिप्राप्ति के लिए खरीद समिति का गठन करने का प्रयास किया। तथापि, बाजार मूल्यांकन करने के लिए एक बाहरी अधिकारी/सदस्य की अनुपलब्धता के कारण किसी समिति के एक साथ आने और समयबद्ध तरीके से बाजार मूल्यांकन करने के लिए इंतजार करना हमेशा संभव नहीं था। इसके अलावा, स्थानीय खरीद समिति के गठन के लिए व्यावहारिक कठिनाई के कारण, कार्यालय ने उचित और प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त करने के लिए विभिन्न विक्रेताओं से उद्धरण प्राप्त करने को प्राथमिकता दी।
- (ii) आईटीओ, न्यूयॉर्क ने बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न विक्रेताओं/संपर्क व्यक्तियों/मालिकों से संपर्क किया। कार्यालय ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी विक्रेता सक्रिय थे और उनके पास अमेरिकी सरकार के मानदंडों के अनुसार अलग-अलग कर आईडी भी थी। प्रदत्त पतों पर विक्रेताओं से डाक/ईमेल द्वारा उद्धरण मांगे गए थे और सबसे कम उद्धृत राशि पर, वस्तुओं की अधिप्राप्ति की गई थी और कार्यालय स्टॉक रजिस्टर में इनकोड किया गया था।
- (iii) आईटीओ, न्यूयॉर्क ने उल्लिखित कंपनियों की कर आईडी के संबंध में डब्ल्यू9 फॉर्म<sup>4</sup> अग्रेषित किए थे। इसके अलावा, जहां तक डीओएस के साथ कंपनियों की प्रमाणिकता (मालिक का नाम और कंपनी का पता, आदि) का संबंध है; आईटीओ, न्यूयॉर्क ने सभी कंपनियों से अनुरोध किया था कि वे डीओएस न्यूयॉर्क के साथ पंजीकृत अपनी कंपनी/एजेंसी के स्वामित्व से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें जो अभी भी उक्त कंपनियों से प्रतीक्षित थे क्योंकि इनमें से अधिकांश कोविड-19 के कारण काम नहीं कर रहे थे और इनकी प्राप्ति होने पर अग्रेषित किया जाएगा।
- (iv) लेखापरीक्षा की अभियुक्ति को अनुपालन के लिए नोट किया गया है और आईटीओ, न्यूयॉर्क को सुझाव दिया जाएगा कि वे किसी भी कार्य को प्रदान करने से पहले कंपनियों/एजेंसियों की प्रमाणिकता को सत्यापित करें और सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में एक अधिप्राप्ति समिति का गठन करें।

<sup>4</sup> डब्ल्यू9 फॉर्म का उपयोग उस व्यक्ति को सही करदाता पहचान संख्या (टिन) प्रदान करने के लिए किया जाता है जिसे अमेरिकी सरकार की आंतरिक राजस्व सेवा के साथ सूचना रिटर्न दाखिल करना होता है।

- (v) जहां तक मेसर्स बुमरैंग टेक्नोलॉजीज इंक/बुमरैंग और मेसर्स प्रिंटर्स टेक इंक का संबंध है, कंपनियों के मालिक द्वारा आईटीओ, न्यूयॉर्क को यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों कंपनियां उसके स्वामित्व में हैं और वर्तमान में एक ही स्थान (1351, जेनेसीस एसटी, अपार्टमेंट 03, यूटिका, एनवाई 13501) पर काम कर रही हैं। उक्त कंपनियों ने सूचित किया कि कंपनियों के बारे में डीओएस जानकारी शायद अद्यतित नहीं है और सत्यापन पर इसकी जांच की जाएगी और सूचित किया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर निम्नलिखित आधारों पर तर्कसंगत नहीं है:

- (i) लेखापरीक्षा करते समय, कोई भी अभिलेख यह प्रमाणित नहीं कर सका कि कंपनियों से उद्धरण वास्तव में कार्यालय में डाक या ईमेल के माध्यम से प्राप्त किए गए। उद्धरण का विवरण/दर्ज डायरी कार्यालय के किसी भी अभिलेख/रजिस्टर में नहीं पाई गई। आईटीओ, न्यूयॉर्क भी अपनी प्रतिक्रिया के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा।
- (ii) जहां तक खरीद समिति के गठन में आ रही बाधाओं का संबंध है, कोई अभिलेख यह पुष्टि नहीं कर सके कि कार्यालय ने खरीद समिति के गठन की पहल की थी और उसे उल्लिखित बाधाओं का सामना करना पड़ा था। लेखापरीक्षा को इस तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं मिला कि उद्धरण की संवीक्षा करते समय आईटीओ, न्यूयॉर्क ने यह सुनिश्चित किया कि सभी विक्रेताओं/कंपनियों के पास अमेरिकी सरकार के मानदंडों के अनुसार उनकी अलग-अलग कर आईडी है और न ही लेखापरीक्षा को दिए गए अधिकांश बीजकों/ उद्धरणों में उल्लिखित कंपनियों की कर आईडी थी।
- (iii) डब्ल्यू9 फॉर्म, जो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद इस दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए थे, कि कंपनियां विभिन्न कर आईडी वाली विभिन्न संस्थाएं थीं, इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकते कि इन कंपनियों का प्रबंधन/संचालन उसी व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसका नाम अभी भी इन कंपनियों के प्रति डीओएस वेबसाइट पर उल्लेखित था। यह इन सभी कंपनियों में एक ही व्यक्ति के सामान्य संबंध/हित को इंगित करता है, जिसने सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के तहत आवश्यक अधिप्राप्ति प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धी पहलू की भावना को कम किया। कंपनियों के डब्ल्यू9 फार्मों में उल्लिखित पते भी डीओएस की वेबसाइट पर दर्शाये गए पतों के अनुरूप नहीं थे।

इस प्रकार, आईटीओ, न्यूयॉर्क खरीद समिति का गठन करने और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उद्धरण आमंत्रित करने में विफल रहा। सभी विक्रेता कंपनियों में एक ही व्यक्ति का सामान्य जुड़ाव अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्धा की कमी को इंगित करता है। मंत्रालय/आईटीओ, न्यूयार्क डीओएस वेबसाइट पर उपलब्ध प्रमाणिकता से संबंधित सहायक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए, आईटीओ, न्यूयार्क में भारत पर्यटन की प्रचार गतिविधियों के लिए प्रिंट प्रोडक्शन के अंतर्गत आने वाली मदों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ और पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता के सिद्धांतों को हानि पहुंची, जिनके अभाव में खरीदी गई वस्तुओं की कीमत का गुणवत्ता आश्वासन और औचित्य प्रमाणित नहीं किया जा सका।



(आर. जी. विश्वनाथन)

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
(वाणिज्यिक) और अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली

दिनांक: 10 दिसम्बर 2021

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 10 दिसम्बर 2021



अनुलग्नक





**अनुलग्नक-1**  
(पैरा 1.1 में संदर्भित)

**आर्थिक और सेवा मंत्रालय/विभाग**

क्र. सं.	आर्थिक और सेवा मंत्रालय
1.	नागर विमानन
2.	कोयला
3.	वाणिज्य और उद्योग
4.	कारपोरेट कार्य
5.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम
6.	आवासन और शहरी कार्य
7.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
8.	खान
9.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
10.	विद्युत
11.	सड़क परिवहन और राजमार्ग
12.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग
13.	इस्पात
14.	वस्त्र
15.	पर्यटन
	<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय का विभाग</b>
1.	रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग
	<b>वित्त मंत्रालय के विभाग</b>
2.	वित्तीय सेवाएं विभाग
3.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

**अनुलग्नक-II**  
(पैरा 1.1 में संदर्भित)

**केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की सूची**

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	
1.	राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय	नागर विमानन	
2.	हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण		
3.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	कोयला	
4.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	वाणिज्य और उद्योग	
5.	रबड़ बोर्ड		
6.	मसाला बोर्ड		
7.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद		
8.	कॉफी बोर्ड		
9.	तंबाकू बोर्ड		
10.	भारतीय चाय बोर्ड		
11.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण		
12.	निर्यात निरीक्षण परिषद		
13.	फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान		
14.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भोपाल		
15.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट		
16.	निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण		कारपोरेट कार्य
17.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग		
18.	भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड		
19.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	आर्थिक मामलों का विभाग	
20.	स्ट्रेड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड	वित्तीय सेवाएं विभाग	
21.	पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण		
22.	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण	वित्त	
23.	स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ट्रस्ट		
24.	स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज़		भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम
25.	नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड		

26.	राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना कार्यान्वयन सोसायटी	
27.	राजघाट समाधि समिति	आवासन और शहरी कार्य
28.	दिल्ली शहरी कला आयोग	
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	
30.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	
31.	कॉयर बोर्ड	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
32.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	
33.	तेल उद्योग विकास बोर्ड	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
34।	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड	
35.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	
36.	विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग
37.	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट	
38.	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	
39.	भारतीय मेरीटाइम विश्वविद्यालय	
40.	न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट	
41.	वीओ चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट	
42.	दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट	
43.	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट	
44.	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट	
45.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	
46.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट	
47.	प्रमुख बंदरगाहों का टैरिफ प्राधिकरण	
48.	नाविक भविष्य निधि संगठन	
49.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड	
50.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट	
51.	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट	
52.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	विद्युत
53.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग	
54.	केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग	
55.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	

56.	भारतीय सड़क कांग्रेस	सड़क परिवहन और राजमार्ग
57.	केंद्रीय रेशम बोर्ड	वस्त्र
58.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड	
59.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली (श्रीनगर और रायबरेली के साथ)	
60.	कपड़ा समिति	

**अनुलग्नक-III**  
**(पैरा 1.5 में संदर्भित)**

**बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र**

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2019 तक जारी अनुदानों तक)	शेष यूसीज़ जो मार्च 2019 तक जारी अनुदानों के संबंध में 31.03.2020 तक देय थे	
		लंबित यूसीज़ के नंबर	राशि (करोड़ ₹ में)
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1985-1986 से 2013-14	239	347.47
	2014-15	101	1,321.56
	2015-16	72	174.51
	2016-17	216	2,142.77
	2017-18	294	2,692.68
	<b>2018-19</b>	<b>672</b>	<b>5,987.15</b>
	<b>कुल</b>	<b>1,594</b>	<b>12,666.14</b>
वित्तीय सेवाएं विभाग	2015-16	10	140.96
	2016-17	11	1,707.56
	2017-18	11	604.89
	2018-19	7	614.22
	<b>कुल</b>	<b>39</b>	<b>3,067.63</b>
वस्त्र मंत्रालय	1978-79 से 2013-14	446	8.89
	2014-15	319	17.37
	2015-16	429	124.37
	2016-17	332	582.01
	2017-18	366	23.10
	<b>2018-19</b>	<b>690</b>	<b>40.61</b>
	<b>कुल</b>	<b>2,582</b>	<b>796.35</b>
भारी उद्योग विभाग	2003-04 और 2013-14	2	7.63
	2015-16	3	8.74
	2016-17	6	3.76
	2017-18	20	70.33
	2018-19	23	306.05
	<b>कुल</b>	<b>54</b>	<b>396.51</b>

2021 की प्रतिवेदन संख्या 16

रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग	2018-19	22	292.09
	<b>कुल</b>	<b>22</b>	<b>292.09</b>
<b>पर्यटन मंत्रालय</b>			
पर्यटन मंत्रालय	2010-11 से 2013-14	10	9.36
	2014-15	7	32.83
	2015-16	9	37.10
	2016-17	13	81.02
	2017-18	7	39.56
	2018-19	2	23.36
	<b>कुल</b>	<b>48</b>	<b>223.23</b>
<b>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>			
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2006-07 से 2013-14	132	19.79
	2014-15	42	3.54
	2015-16	52	5.21
	2016-17	1	0.80
	2017-18	98	124.14
	2018-19	9	38.11
	<b>कुल</b>	<b>33434</b>	<b>191.59</b>
<b>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>			
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2015-16	2	8.85
	2016-17	1	4.40
	2017-18	6	103.84
	2018-19	14	49.43
	<b>कुल</b>	<b>23</b>	<b>163.52</b>
<b>वाणिज्य विभाग</b>			
वाणिज्य विभाग	2006-07 से 2013-14	17	74.37
	2015-16	1	2.00
	2016-17	2	15.30
	2017-18	6	35.35
	<b>कुल</b>	<b>26</b>	<b>127.02</b>
<b>पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय</b>			
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	2015-16	5	6.76
	2016-17	7	17.61
	2017-18	6	48.81
	2018-19	4	26.22
	<b>कुल</b>	<b>22</b>	<b>99.40</b>

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2014-15 से 2017-18	1	91.66
	<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>91.66</b>
उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने का विभाग	2014-15	1	1.42
	2016-17	12	3.95
	2018-19	9	24.42
	<b>कुल</b>	<b>22.00</b>	<b>29.79</b>
इस्पात मंत्रालय	2014-15 से 2017-18	6	11.21
	2018-19	10	5.46
	<b>कुल</b>	<b>16</b>	<b>16.67</b>
खान मंत्रालय	2017-18	7	1.24
	2018-19	28	14.87
	<b>कुल</b>	<b>35</b>	<b>16.11</b>
सार्वजनिक उद्यम विभाग	2012-13 और 2013- 14	13	0.71
	2014-15	3	0.17
	2015-16	31	2.80
	<b>कुल</b>	<b>47</b>	<b>3.68</b>
<b>कुल योग</b>		<b>4,865</b>	<b>18,181.39</b>

**अनुलग्नक-IV**  
(पैरा 1.6 में संदर्भित)

स्वायत्त निकाय जिनके लेखा विलम्ब से प्रस्तुत किए गए

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखा प्रस्तुत करने की तारीख	महीनों में विलंब
1.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोलकाता	18-जनवरी-21	19
2.	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, (गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य), गुरुग्राम	24-अगस्त-20	14
3.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद	13-दिसंबर-19	6
4.	निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली	15-नवंबर-19	5
5.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद	14-नवंबर-19	5
6.	भारतीय पेंशन निधि नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	10-नवंबर-19	4
7.	कॉफी बोर्ड, हैदराबाद	4-नवंबर-19	4
8.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता	1-नवंबर-19	4
9.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई	11-अक्टूबर-19	3
10.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर	19-सितंबर-19	3
11.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट, नई दिल्ली	11-सितंबर-19	2
12.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	29-अगस्त-19	2
13.	मसाला बोर्ड, कोच्चि	21-अगस्त-19	2
14.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चैन्नई	19-अगस्त-19	2
15.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली	13-अगस्त-19	1
16.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा	12-अगस्त-19	1
17.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	9-अगस्त-19	1
18.	हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	1-जुलाई-19	1
19.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई	3-जुलाई-19	1
20.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	2-जुलाई-19	1



21.	कॉयर बोर्ड, कोच्चि	11- जुलाई-19	1
22.	प्रमुख पतनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण, मुंबई	26-जुलाई-19	1
23.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई	17-जुलाई-19	1
24.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद	15-जुलाई-19	1
25.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	15-जुलाई -19	1
26.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	लेखा प्राप्त नहीं	
27.	भारतीय सड़क कांग्रेस, नई दिल्ली	लेखा प्राप्त नहीं	

**अनुलग्नक-V**  
(पैरा 1.7 में संदर्भित)

स्वायत्त निकाय जिनके संबंध में लेखापरीक्षित लेखा संसद में प्रस्तुत नहीं किए गए

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम
<b>वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए</b>		
1.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुम्बई	वित्तीय सेवाएं विभाग
<b>वर्ष 2017-18 के लिए</b>		
2.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	नागर विमानन
3.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	वित्तीय सेवाएं विभाग
4.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश), गुरुग्राम	विद्युत
<b>वर्ष 2018-19 के लिए</b>		
5.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	कोयला
6.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुम्बई	वित्तीय सेवाएं विभाग
7.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश), गुरुग्राम	विद्युत
8.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद	विद्युत

**अनुलग्नक-VI**  
(पैरा 1.7 में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों द्वारा संसद को वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षित खातों की प्रस्तुति में देरी

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम	महीनों में विलंब
	<b>वर्ष 2018-19 के लिए</b>		
1.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	आवासन और शहरी कार्य	15
2.	भारतीय पेंशन निधि नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	वित्त	15
3.	निवेशक शिक्षा संरक्षण फंड अथॉरिटी, नई दिल्ली	कारपोरेट कार्य	14
4.	राष्ट्रीय उद्योग कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट	वाणिज्य और उद्योग	14
5.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	आवासन और शहरी कार्य	13
6.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता	वस्त्र	9
7.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	आवासन और शहरी कार्य	9
8.	भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड, नई दिल्ली	कारपोरेट कार्य	9
9.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद	वस्त्र	9
10.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	3
11.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर	वाणिज्य और उद्योग	2
12.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	2
13.	राजीव गांधी पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	2
14.	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद	वित्त	1

**अनुलग्नक-VII**  
**(पैरा 1.8 में संदर्भित)**

**केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियां**

**1. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली**

**महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां**

**सेवानिवृत्ति लाभ के लिए लेखाकरण नीति संख्या 9**

लेखाकरण मानक 1 के पैरा 24 के अनुसार, "वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए"।

सीईआरसी ने अपने कर्मचारियों के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (इनडोर/आउटडोर चिकित्सा सुविधाएं) विनियम, 2005 अधिसूचित (17 नवंबर 2005) किया है। इसके बाद, दिनांक 20 नवंबर 2015 की अपनी अधिसूचना के द्वारा, सीईआरसी ने अपनी पिछली अधिसूचना में संशोधन किया ताकि उन कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जा सके जो आयोग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और उन्होंने आयोग में स्थायी रूप से समाहित होने के बाद कम से कम पांच साल की सेवा दी है। उपरोक्त के सन्दर्भ में, सीईआरसी ने सेवानिवृत्त सीईआरसी कर्मियों की चिकित्सा सुविधा के संबंध में अपने दिशानिर्देश जारी किए (20 जून 2017)।

लेखाकरण मानक 15 के पैरा 24 के अनुसार, सीईआरसी द्वारा अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधा सेवाकाल के उपरान्त लाभ की प्रकृति की है। सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के साथ चिकित्सा सुविधा की नीति को स्पष्ट किया जाना चाहिए था।

**2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली**

**तुलन पत्र**

**निर्धारित/विन्यास निधि से निवेश (अनुसूची 9)- ₹547.45 करोड़**

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (खातों और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2007 (विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2007 को जारी अधिसूचना) के अनुसार, 'निर्धारित/विन्यास निधियों की तुलना में बैंक बकाया' के रूप में धारित राशि को अनुसूची 11-वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि में अलग से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त में विजया बैंक की सावधि जमा (एक वर्ष की अवधि के लिए) में धारित ₹45.00 करोड़ और विभिन्न योजनाओं अर्थात् कॉर्पस फंड, ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गारंटी निधि, ऊर्जा दक्षता, स्टार और लेबलिंग शुल्क आदि के लिए उद्यम पूंजी निधि, के लिए विजया बैंक के बचत और स्वीप खातों में रखे गए ₹452.45 करोड़ शामिल हैं, जिसे निर्धारित निधियों की तुलना में धारित 'अनुसूचित बैंकों के साथ बैंक खाते' के तहत दिखाया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप 'निर्धारित निधियों से निवेश' (अनुसूची 9) को ₹497.45 करोड़ अधिक बताया गया है और 'वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) को इसी अनुपात में कम बताया गया है।

### 3. तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा

#### तुलन-पत्र

#### क. निवेश - अन्य (अनुसूची-10): ₹3,82,621.00 लाख

उपरोक्त ₹4,013.00 लाख की अधिक धनराशि, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुरूप मेसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) के इक्विटी निवेश में कमी न करने के कारण से है। फलस्वरूप; 'व्यय से अधिक आय' की धनराशि भी इसी अनुपात में अधिक दर्शाई गई है।

पिछले वर्षों (2017-18 और 2018-19) के दौरान ओआईडीबी के खातों पर भारत के सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों के निवेश मूल्य में कोई कमी नहीं की है।

#### ख. चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11): ₹8,03,260.00 लाख

उपरोक्त 11,065.00 लाख अधिक बताई गई धनराशि इन कारणों से है:

- i) बीएलएल को दिए गए ₹1,200.00 लाख के ब्रिज लोन का प्रावधान न होना, हालांकि किशतों का भुगतान नहीं किया जा रहा था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, कोई उपयुक्त संभावना नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली की जा सकेगी।
- ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मौजूदा कर्मचारियों की लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन, बैंकों से सुरक्षित ऋण और आकस्मिक देनदारियों पर होने वाले अपेक्षित व्यय को

पूरा करने के लिए, वर्ष 2018-2019 और 2019-20 के दौरान बीएलएल को ₹9,865.00 लाख का ऋण दिया गया जबकि ऐसे ऋण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, कोई उचित निश्चितता नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली की जाएगी।

परिणामस्वरूप, 'व्यय से अधिक आय' के संबंध में भी ₹11,065.00 लाख की अधिक धनराशि बताई गई है।

पिछले वर्षों (2017-18 और 2018-19) में ओआईडीबी के खातों पर सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल को दिए गए ऋणों के लिए प्रावधान नहीं बनाया।

## **सामान्य**

### **ग. हाइड्रोजन कॉर्पस निधियों का सृजन और उपयोग**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जून 2003 में ओआईडीबी और तेल पीएसयूज के योगदान से हाइड्रोजन कॉर्पस निधि बनाने का फैसला किया। हाइड्रोजन कॉर्पस फंड निधि की स्थापना वर्ष 2004 में ₹100 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ की गई थी। ओआईडीबी ने ₹40 करोड़ का योगदान दिया, आईओसी, ओएनजीसी और गेल प्रत्येक ने ₹16 करोड़ का योगदान दिया और बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों ने हाइड्रोजन कॉर्पस फंड में ₹6 करोड़ का योगदान दिया।

हाइड्रोजन कॉर्पस निधि में भाग लेने वाले संगठनों ने विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र में हाइड्रोजन अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों के लिए उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र को नोडल एजेंसी बनाया था। एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2020) कि हाइड्रोजन कॉर्पस फंड को उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थानांतरित करने के मामले पर ओआईडीबी बोर्ड में विचार-विमर्श किया गया था (मार्च 2020) जिसमें बेहतर निधि प्रबंधन के लिए वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2020 तक कॉर्पस निधि में ₹175.76 करोड़ की राशि जमा हो गई थी जिसे ओआईडीबी के खातों के अलावा विभिन्न बैंकों में रखा जा रहा है। इसके अलावा 2019-2020 के दौरान उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा केवल ₹2.25 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया था। इस निधि के लिए कोई औपचारिक ऑडिट और

जवाबदेही तंत्र मौजूद नहीं है। अधिक राशि को देखते हुए, इस फंड की वित्तीय स्थिति की निगरानी के लिए एक औपचारिक तंत्र आवश्यक है।

इसके अलावा, चूंकि सभी परियोजनाएं उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा संचालित की जानी हैं, ओआईडीबी को उचित निगरानी और बेहतर उपयोग के लिए उन्हें धन हस्तांतरित करने पर विचार करना चाहिए था।

पिछले वर्ष (2018-19) में ओआईडीबी के खातों पर सीएजी की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने उचित निगरानी और बेहतर उपयोग के लिए हाइड्रोजन कॉर्पस फंड को उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थानांतरित करने पर विचार नहीं किया है।

#### 4. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद

##### तुलन पत्र

क. अचल संपत्ति: ₹14,006.88 लाख

क.1 प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (अनुसूची 6): ₹1,199.40 लाख

उपरोक्त में एनआईडी, अहमदाबाद में न्यू गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग और एनआईडी, गांधीनगर में स्टूडेंट मेस एंड रिक्रिएशन सेंटर के निर्माण की लागत ₹1,196.35 लाख शामिल हैं। संस्थान को दोनों भवन पहले ही सुपुर्द किए जा चुके हैं और जुलाई 2018 में संस्थान द्वारा इनका कब्जा भी ग्रहण कर लिया गया था। सुपुर्दगी/कब्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया भी नवंबर 2018 में पूरी की जा चुकी है। वर्ष 2018-19 के लिए संस्थान के खातों के विषय में सीएजी की टिप्पणी संख्या क.1 द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद, संस्थान ने अभी तक इसका पूंजीकरण नहीं किया है और प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में (सीडब्ल्यूआईपी) के तहत ₹1,196.35 लाख का पूरा व्यय रखा गया है। व्यय के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को अधिक बताया गया है और अचल संपत्तियों (भवनों) को ₹1,196.35 लाख कम बताया गया है।

व्यय के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप मूल्यहास का प्रभार नहीं लिया गया और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए मूल्यहास निधि को कम करके और पूंजीगत निधि को ₹ 59.53 लाख बढ़ाकर बताया गया।

**ख. वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 8): ₹10,852.27 लाख**

**ख.1 अर्जित आय: ₹397.15 लाख**

उपरोक्त में अन्य परियोजना प्राप्तियों की राशि ₹358 लाख और ₹7 लाख सेवा शुल्क शामिल हैं जो एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं। संस्थान ने न तो इन पुरानी प्राप्तियों की वसूली की थी और न ही उसके पास वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए खातों में संदिग्ध वसूली के लिए कोई प्रावधान की नीति है। गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों और अधिशेष को तुलन पत्र में ₹365 लाख तक बढ़ा कर दिखाया गया है। वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के एसएआरज़ में इस मुद्दे को इंगित किए जाने के बावजूद, संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए खातों में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

## **5. कॉफी बोर्ड, बंगलुरु**

**क. आय और व्यय खाता**

**आय - ₹227.65 करोड़**

बोर्ड के पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एस)-12 अनुदानों के लिए लेखांकन और लेखाओं का एकसमान प्रारूप के पैरा 14 के प्रावधानों के तहत आवश्यक 'आस्थगित आय' के रूप में लेखांकन के बजाय सरकारी अनुदान से खरीदी गई संपत्ति के लिए एसेट अकाउंट को डेबिट करके और कॉर्पस निधि में जमा करने की लेखांकन प्रणाली मौजूद है। इसके परिणामस्वरूप (i) आय और (ii) व्यय से अधिक आय को ₹2.63 करोड़ कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित आय को भी कम करके और कॉर्पस/पूजीगत निधि को ₹92.91 करोड़ अधिक बताया गया है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप सरकारी अनुदानों से खरीदी गई परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यहास पद्धति का अनुपालन नहीं किया गया है, जैसा कि खातों के समान प्रारूप की अनुसूची 8 के नोट और अनुदान के लिए लेखाकरण मानक (एस) 12 के पैरा 14 में निर्दिष्ट किया गया है।

यह टिप्पणी कॉफी बोर्ड के वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के खातों के संबंध में भी उठाई गई थी। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।



## 6. तंबाकू बोर्ड, गुंटूर

### आय और व्यय खाता

#### क. सेवाओं से आय (अनुसूची 12): ₹58.95 करोड़

क्रेताओं और उत्पादकों से प्राप्त होने वाले सेवा प्रभारों को उपचित आधार पर बहियों में लेखांकित नहीं किया गया था और वसूली की तिथि पर इन्हें बहियों में लेखाबद्ध किया गया था। यह देखा गया कि वर्ष 2019-20 के लिए उपचित आधार पर ₹48.38 लाख<sup>1</sup> के सेवा शुल्क लेखा बहियों में लेखांकित नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप सेवा शुल्कों से प्राप्त आय को ₹48.38 लाख कम करके दिखाया गया है और चालू परिसंपत्तियों को भी ₹48.38 लाख कम बताया गया है।

इसी तरह, वर्ष 2018-19 के लिए ₹1.86 करोड़<sup>2</sup> का सेवा शुल्क वर्ष 2019-20 में वसूल किया गया था, लेकिन इसे चालू वर्ष की आय में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के लिए सेवाओं से आय को ₹1.86 करोड़ अधिक बताया गया है।

#### ख अन्य आय (अनुसूची 18): ₹51.85 करोड़

उपरोक्त में वर्ष 2018 के लिए अधिक फसल के साथ-साथ तंबाकू की अनधिकृत खेती पर जुर्माने के रूप में प्राप्त ₹6.73 करोड़ शामिल हैं, जो कर्नाटक के उत्पादकों से वर्ष 2019-20 में प्राप्त हुए थे। तंबाकू बोर्ड ने वर्ष 2018 की नीलामी के दौरान ₹18.40 करोड़ का जुर्माना लगाया लेकिन वर्ष 2018-19 में ₹11.67 करोड़ की राशि का लेखाकरण रखा गया था और ₹6.73 करोड़ की शेष राशि का लेखाकरण वर्ष 2018-19 में नहीं किया गया।

<sup>1</sup> आंध्र प्रदेश में नीलामी 2 मार्च से 21 मार्च 2020 तक आयोजित की गई और 18 मार्च से 21 मार्च के दौरान उत्पादकों से लिये गये ₹16.85 लाख का उपचित सेवा शुल्क लेखांकित नहीं किया गया। कर्नाटक में 2 मार्च से 21 मार्च 2020 तक नीलामियों की गई और 18 से 21 मार्च के दौरान खरीदारों से लिया गया ₹31.53 लाख का उपचित सेवा शुल्क लेखांकित नहीं किया गया।

<sup>2</sup> आंध्र प्रदेश में 22 मार्च 2019 से 30 मार्च 2019 तक आयोजित नीलामियों के दौरान ₹30.30 लाख (उत्पादकों से ₹15.23 लाख और खरीदारों से ₹15.07 लाख) उपचित सेवा शुल्क पर 2018-19 में विचार नहीं किया गया। कर्नाटक में नीलामी 1 मार्च से 28 मार्च 2019 तक आयोजित की गई थी, लेकिन ₹155.24 लाख 18 मार्च से 28 मार्च तक (18 मार्च से 28 मार्च 2019 तक उत्पादकों से ₹108.88 लाख और 23 मार्च से 28 मार्च 2019 तक खरीदारों से ₹46.36 लाख) उपचित सेवा शुल्क 2018-19 में नहीं लिए गए।

एक़ुअल आधार पर अन्य आय के गैर-लेखांकन के परिणामस्वरूप 'अन्य आय' को ₹6.73 करोड़ अधिक और 'पूर्व अवधि की आय' को ₹6.73 करोड़ कम बताया गया है।

## 7. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम

### तुलन-पत्र

#### वर्तमान देनदारियां

##### क. अन्य देनदारियां: ₹402.86 करोड़

उपरोक्त में ₹11.34 करोड़ शामिल नहीं है, जो कि रेटिंग एजेंसियों जैसे आईसीआरए, केयर और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा डाउनग्रेड किए गए वीपीटी कर्मचारियों के जीपीएफ ट्रस्ट के निवेश से संबंधित राशि है। प्रमुख नियोक्ता होने के नाते, वीपीटी को जीपीएफ ट्रस्ट के नुकसान को अवशोषित करना होता है, जिसके लिए वर्ष के दौरान वीपीटी की बहियों में कोई देयता प्रदान नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप अन्य देनदारियों के साथ-साथ वित्त और विविध व्यय को ₹11.34 करोड़ कम और वर्ष के लिए लाभ में ₹11.34 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।

#### निधियों का अनुप्रयोग

##### ख. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य: ₹175.94 करोड़

प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के तहत पूर्व तट रेलवे से आर एंड डी यार्ड के उत्तर में डेड एंड लाइनों को पूर्वी ग्रिड (तीसरी लाइन) से जोड़ने जैसे पूर्ण कार्य जारी रखने के कारण उपरोक्त को ₹15.96 करोड़ अधिक बताया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त पूर्ण कार्य के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप रेलवे और रोलिंग स्टॉक को ₹15.96 करोड़ कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹0.26 करोड़ को मूल्यहास कम करके दिखाया गया है, साथ ही वर्ष के लिए लाभ भी इसी राशि के अनुपात में अधिक बताया गया है।

#### वर्तमान संपत्ति

##### ग. विविध देनदार: ₹367.18 करोड़

मार्च 2014 तक संदिग्ध ऋणों के लिए ₹7.31 करोड़ का प्रावधान किया गया था। बाद में, साल दर साल आश्वासन देने के बावजूद, वीपीटी ने संदिग्ध ऋणों के लिए और प्रावधान

नहीं किया। 31 मार्च 2020 तक ₹374.49 करोड़ के सकल विविध देनदारों में से, पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया राशि ₹132.36 करोड़ (35.34 प्रतिशत) थी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आवश्यक कार्रवाई करने के वीपीटी द्वारा आश्वासन के मद्देनजर वर्ष 2018-19 की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसी तरह की टिप्पणी शामिल की गई थी। लेकिन, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

## 8. सेंट्रल सिल्क बोर्ड, हैदराबाद

### तुलन पत्र

#### कॉर्पस/पूंजीगत निधि (अनुसूची 1): ₹449.86 करोड़

31 मार्च 2019 तक कॉर्पस/पूंजीगत निधि की शेष राशि ₹442.64 करोड़ थी, लेकिन केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने विभिन्न समायोजन किए हैं और 1 अप्रैल 2019 तक यह राशि ₹447.66 करोड़ आंकी गई। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों के समान प्रारूप के अनुसार, "कॉर्पस/कैपिटल निधि कैपिटल, शेयर कैपिटल या ओनर्स निधि के समान है। इसमें आय और व्यय खाते में दिखाए गए शुद्ध परिचालन परिणामों में वृद्धि/कमी के रूप में विशेष रूप से कॉर्पस में योगदान के माध्यम से प्राप्त राशि शामिल है"।

चालू वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा किए गए समायोजन न तो संग्रह निधि में विशिष्ट योगदान करते हैं और न ही आय और व्यय खाते में दिखाए गए परिचालन परिणामों से उत्पन्न हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप खातों के एकसमान प्रारूप का पालन नहीं किया गया। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों में प्रमाणित शेष को चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों में आगे बढ़ाया जाना है। ऐसा नहीं करने से प्रस्तुत खातों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर असर पड़ेगा।

### चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

#### ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 11ख): ₹67.18 करोड़

उपरोक्त में मल्टी-एंड रीलिंग इकाइयों के कारण वसूली योग्य उपचित दंडात्मक ब्याज सहित ऋण राशि के लिए ₹6.44 करोड़ शामिल हैं। 20 साल से अधिक समय से राशि बकाया होने के बावजूद बोर्ड ने बकाया मूलधन और ब्याज राशि का प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा परिसंपत्तियों (ऋण) को अधिक बताया गया है और प्रावधान को ₹6.44 करोड़ कम बताया गया है।

इसके अलावा, सीएसबी ने "अन्य विविध जमा" के रूप में ब्याज सहित बकाया ऋण का भी लेखांकन किया है। लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋणों को जमा राशि के बजाय ऋण के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें सुधार की जरूरत है।

#### 9. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई

##### बैलेंस शीट

अचल संपत्ति - अनुसूची 8 - ₹429.55 करोड़

भूमि: ₹49.96 करोड़

आईएमयू कैंपस, विशाखापत्तनम में खेल के मैदान (प्लेफील्ड) के निर्माण और विकास के लिए किए गए उपरोक्त में व्यय के रूप में ₹1.53 करोड़ अधिक राशि बताई गई है। चूंकि खेल के मैदान का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए खर्च की गई राशि को पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत दिखाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप भूमि का अधिक विवरण दिया गया है और पूंजीगत कार्य प्रगति कम दर्शाई गई।

#### 10. चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई

क. विविध देनदार: ₹141.70 करोड़

उपरोक्त में कार्यालय भवन के आवंटन के लिए विभिन्न विभागों/संगठनों से लंबित ₹24.24 करोड़ (जीएसटी सहित) की संपत्ति किराया बकाया शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों और राजस्व आरक्षित निधि भंडार को ₹24.24 करोड़ कम बताया गया है।

ख. वर्तमान देयताएं और प्रावधान: ₹1075.63 करोड़

ख.1 एलआईसी द्वारा 31 मार्च 2020 को पेंशन देयता के लिए किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ₹6,495.33 करोड़ की देयताएं थी। हालांकि, पेंशन फंड ट्रस्ट अकाउंट में उपलब्ध कॉर्पस 31 मार्च 2020 तक ₹3,451.62 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके दिखाया गया है और ₹3,043.71 करोड़ तक का लाभ अधिक बताया गया है।

**ख.2** 31 मार्च 2020 को लीव एनकैशमेंट लायबिलिटी के लिए एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, देनदारियाँ ₹163.44 करोड़ आँकी गईं। हालांकि, 31 मार्च 2020 तक लीव एनकैशमेंट फंड अकाउंट में उपलब्ध कॉर्पस ₹77.58 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा देनदारियों और प्रावधानों को कम करके दिखाया गया है और ₹85.86 करोड़ तक लाभ अधिक बताया गया है।

पिछले वर्षों की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए इन मुद्दों को पत्तन के ध्यान में लाया गया था, तथापि, पत्तन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

### 11. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन

#### क. वर्तमान देयताएं और प्रावधान: ₹694.21 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पेंशन और ग्रेच्युटी योगदान की देनदारी 31 मार्च 2020 तक ₹3,193.34 करोड़ थी, जिसके प्रति पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में निवेश ₹335.86 करोड़ था, जिससे ₹2,857.48 करोड़ की राशि कम रह गई। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं और प्रावधानों को ₹2,857.48 करोड़ कम बताया गया है और साथ ही उसी राशि का लाभ अधिक बताया गया है।

टिप्पणी को वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी शामिल किया गया था। तथापि, पत्तन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

#### ख. वित्त और विविध आय (एससीएच एन) - ₹43.20 करोड़

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने 19 मार्च 2020 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹7.98 करोड़ मूल्य के सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम स्क्रिप के लिए आवेदन किया और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उसी के 98.78 प्रतिशत को आय के रूप में मान्यता दी। चूंकि स्क्रिप की वसूली खुले बाजार में उस की सफल नीलामी पर निर्भर थी, 31 मार्च 2020 तक आय की मान्यता के परिणामस्वरूप अत्यधिक लाभ सहित आय ₹7.88 करोड़ अधिक दर्शाई गई।

## 12. न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मैंगलोर

### तुलन पत्र

#### क. आस्थगित कर देयता ₹154.95 करोड़

मार्च 2020 में कराधान के प्रावधान को डेबिट करके पारित एक अनंतिम प्रविष्टि के कारण ₹1.02 करोड़ की राशि अधिक बताई गई है। इसके परिणामस्वरूप कराधान के प्रावधान (वर्तमान देयताएं और प्रावधानों) को उसी सीमा तक कम बताया गया है।

#### ख. अवकाश नकदीकरण कोष ₹21.89 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक अवकाश नकदीकरण निधि के प्रति देयता ₹23.14 करोड़ थी। हालाँकि, 31 मार्च 2020 तक अवकाश नकदीकरण कोष में शेष राशि ₹21.89 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं और प्रावधानों को कम बताया गया है और ₹1.25 करोड़ तक लाभ को अधिक बताया गया है।

#### ग. शुद्ध विविध देनदार ₹26.75 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक ग्रेच्युटी फंड की देनदारी ₹74.02 करोड़ थी। हालांकि, 31 मार्च 2020 को ग्रेच्युटी फंड में शेष राशि ₹84.28 करोड़ थी। पत्तन की आय के रूप में अंतर राशि की पहचान न करने के परिणामस्वरूप चालू संपत्ति (ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट से प्राप्य) ₹10.26 करोड़, चालू वर्ष की आय ₹3.21 करोड़ और पूर्व अवधि की आय ₹7.05 करोड़ कम बताई गई।

## 13. वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन

### तुलन पत्र

#### क. इक्विटी योगदान - ₹90.71 करोड़

#### सेतु समुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड - ₹50 करोड़

पोर्ट ने सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में ₹50 करोड़ का निवेश किया है जो समापन की प्रक्रिया में है। लेखांकन मानक-13 के प्रावधानों के अनुसार, निवेश के मूल्य में कमी/गिरावट के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप निवेशों को अधिक बताया गया और प्रावधानों को ₹50 करोड़ कम बताया गया।

**ख. निधियों का अनुप्रयोग - वर्तमान देयताएं और प्रावधान - ₹591.40 करोड़**

पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में किए गए योगदान में कमी के कारण उपरोक्त को एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ₹289.06 करोड़ कम बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप भी उसी हद तक लाभ को अधिक बताया गया है।

**14. रबड़ बोर्ड, कोट्टायम****क. निवेश-अन्य: ₹18.92 करोड़**

पांच संयुक्त उद्यम कंपनियों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान न होने के कारण यह ₹6.19 करोड़ कम है, जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। चूंकि निवेश की वसूली संदिग्ध है, इसलिए संपत्ति के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। निष्क्रियता हानि का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप आय से अधिक व्यय को भी कम बताया गया है।

**ख. वृक्षारोपण: ₹5.76 करोड़**

पिछले संबंधित वर्षों में व्यय के रूप में आय और व्यय खाते में चार्ज करने के बजाय अनुसंधान उद्देश्य से किए गए वृक्षारोपण के पूंजीकरण के कारण ₹3.92 करोड़ अधिक बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि व्यय के माध्यम से आय से अधिक व्यय को कम बताया गया है।

**ग. चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम: ₹59.73 करोड़**

उन कंपनियों से, जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, संदिग्ध कार्यशील पूंजी ऋण, उस पर ब्याज, लीज रेंट प्राप्त्य और अन्य प्राप्तियों के लिए प्रावधान न करने के कारण यह ₹28.57 करोड़ अधिक है। चूंकि कंपनियों को संचित घाटा हो रहा है जो उनके निवल मूल्य से अधिक है, इन प्राप्तियों की वसूली संदिग्ध है। इसके परिणामस्वरूप आय से अधिक व्यय को समान राशि से कम करके दिखाया गया है।

**घ. बिक्री और सेवाओं से आय: ₹7.70 करोड़**

उपरोक्त को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (₹ 2.95 करोड़) और अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम (₹0.01 करोड़) के तहत, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित

प्रशिक्षण के लिए प्राप्त राशि ₹2.96 करोड़ कम करके आंकी गई है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों को भी उसी सीमा तक कम करके दिखाया गया है।

## 15. मसाला बोर्ड, कोच्चि

### क. निर्धारित/बंदोबस्ती निधि: ₹240.46 करोड़

क) इसे 'निधि पर में किए गए निवेशों से आय' शीर्ष के तहत निर्धारित निधियों (पेंशन देनदारियों) में लेखांकन करने के बजाय आय और व्यय खाते में वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के आय के रूप में लेखांकन के कारण ₹3.52 करोड़ कम बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित/ बंदोबस्ती निधियों और आय से अधिक व्यय को ₹3.52 करोड़ कम बताया गया है।

ख) उपर्युक्त को निर्धारित पेंशन निधि पर वर्ष 2019-20 के दौरान उपचित ब्याज को गैर-लेखांकन के कारण ₹ 2.12 करोड़ कम करके बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित/बंदोबस्ती निधि और वर्तमान संपत्ति (उपचित ब्याज) को ₹2.12 करोड़ कम बताया गया है।

## 16. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, चेन्नई

### क. वर्तमान देयताएं और प्रावधान: ₹237.02 करोड़

उपर्युक्त को सातवें वेतन आयोग के लागू होने के परिणामस्वरूप देय राशि में वृद्धि के कारण कर्मचारियों को देय सांविधिक देय राशि (ग्रेच्युटी- ₹1.81 करोड़, छुट्टी नकदीकरण- ₹0.37 करोड़ और कम्प्यूटेड पेंशन-₹3.16 करोड़) की बकाया राशि के लिए प्रावधान न करने के कारण ₹ 5.34 करोड़ कम बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹5.34 करोड़ की सीमा तक प्रावधानों और व्यय को कम बताया गया है।

### ख. स्थापना व्यय: ₹48.28 करोड़

यह बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता होने के नाते ₹199.57 करोड़ कम है। प्राधिकरण ने इस दायित्व को आय और व्यय खाते के माध्यम से रूट करने के बजाय बैलेंस शीट में 'विविध व्यय' में डेबिट के साथ 'वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों' के तहत दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप स्थापना व्यय को



₹199.57 करोड़ कम बताया गया और उस सीमा तक विविध व्यय को अधिक बताया गया।

## 17. कॉयर बोर्ड, कोच्चि

### समेकित तुलन पत्र

#### ए. कॉर्पस/पूँजीगत निधि और देयताएं

#### निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची - 3) - ₹55.25 करोड़

उपर्युक्त को विभिन्न निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों के बैंक खातों में पड़े अप्रयुक्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज के रूप में ₹315.57 लाख राशि तक अधिक बताया गया है। इसे जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) के अनुपालन में भारत की संचित निधि में विप्रेषित किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अधिक बताया गया है और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम बताया गया है।

### समेकित आय और व्यय

#### ख. आय

#### अर्जित ब्याज (अनुसूची - 17) - ₹1.86 करोड़

उपर्युक्त को 'प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता' और 'कॉयर विकास योजना' के संबंध में बैंकों में जमा सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज के रूप में ₹164.38 लाख अधिक बताया गया है। अर्जित ब्याज को भारत की संचित निधि में जमा करने के बजाय बोर्ड की आय के रूप में मान्यता दी गई है। इसके परिणामस्वरूप व्यय से अधिक आय को अधिक बताया गया है और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम बताया गया है।

## 18. भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता

### तुलन पत्र- वर्तमान देयताएं और प्रावधान ₹51,910.19 लाख

#### ऋण- टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण ₹354.46 लाख

1993 से 1995 की अवधि के दौरान चाय बोर्ड ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के स्वीकृति पत्र संख्या 48021/2/93-प्लांट ए दिनांक 16 अगस्त 1993, टी-39012/93 प्लांट ए दिनांक 26 अप्रैल 1994, टी-39012/1/93- प्लांट ए दिनांक 4 जुलाई 1994, टी-

39012/1/93 प्लांट ए दिनांक 30 मार्च 1995 और फैंक्स दिनांक 28 अप्रैल 1995 और 25 अक्टूबर 1995 के तहत टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (निगम) को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹599 लाख का भुगतान किया। इस ब्याज मुक्त ऋण के प्रति, निगम ने 2 जून 1994 को चाय बोर्ड को ₹25 लाख की राशि वापस कर दी। ऋण के भुगतान और उसके रिफंड का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

दिनांक	चेक संख्या	पर आहरित	धन राशि (लाख में)
01.09.1993	262896	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	350
12.05.1994	262930 से 262933	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	44
01.06.1994	262934 से 262937	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	12
28.07.1994	262942	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	109
31.03.1995	262992	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	55
05.05.1995	262999	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	14
08.11.1995	452786	भारतीय स्टेट बैंक	6
07.12.1995	084410	बैंक ऑफ बड़ौदा	9
<b>कुल</b>			<b>599</b>
न्यून :निगम द्वारा 2 जून 1994 को बैंक हस्तांतरण द्वारा धनवापसी			<b>25</b>
<b>शेष</b>			<b>574</b>

निगम को दिए गए उपरोक्त ब्याज मुक्त ऋणों में से, निगम को भुगतान के लिए टी बोर्ड को भारत सरकार से ₹354 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। इसके बाद, निगम समापन आदेश दिनांक 24 जून 2002 के अनुसार परिसमापन में चला गया और चाय बोर्ड ₹574 लाख के उक्त ऋण की वसूली नहीं कर सका। 2012-13 के दौरान, चाय बोर्ड ने सरकार को देय ऋण से निगम को भुगतान किए गए ₹220 लाख (₹574 लाख - ₹354 लाख) के ब्याज मुक्त ऋण की शेष राशि को समायोजित किया। अतः चाय बोर्ड ने निगम को किए गए ब्याज मुक्त भुगतान की ₹574 लाख कुल राशि सरकार से प्राप्त/समायोजित की। हालांकि, तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में ₹354 लाख का खुलासा "निगम को ब्याज मुक्त ऋण" के रूप में किया गया था। इसी तरह, निगम के खाते में सरकार को देय राशि" की अन्य देनदारियों में ₹354 लाख की राशि भी शामिल है।

चूंकि निगम अब अस्तित्व में नहीं है और चाय बोर्ड ने सरकार से निगम को भुगतान की गई कुल ऋण राशि को प्राप्त/समायोजित कर दिया है, "निगम को ब्याज मुक्त ऋण" के रूप में तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में ₹354 लाख का प्रकटीकरण गलत है और "निगम के खाते में सरकार को देय राशि" के प्रति ₹354 लाख की देनदारी राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त के गैर-समायोजन के परिणामस्वरूप "निगम को ब्याज मुक्त ऋण" के लिए परिसंपत्तियों को ₹354 लाख अधिक और "अन्य देयताओं" को उसी राशि तक अधिक बताया गया है।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में टिप्पणी को सम्मिलित किया गया था परन्तु प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

#### 19. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता

क. कैपिटल रिजर्व में, किराए की अनुसूची के अनुसार अनधिकृत कब्जे के लिए किरायेदारों से शुल्क के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता द्वारा वसूल किए गए वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20) से संबंधित ₹386.88 करोड़ (क्रमशः ₹53.43 करोड़, ₹68.75 करोड़, ₹68.62 करोड़, ₹54.97 करोड़, ₹77.57 करोड़ और ₹63.54 करोड़) शामिल हैं। राशि को एस.बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी द्वारा तैयार किए गए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के लिए लागू, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सामान्य ढांचे के पैरा 2ए के उल्लंघन में मेस्ने लाभ (पूंजीगत प्रति) के रूप में मानते हुए सीधे ही कैपिटल रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया था। तथापि, प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किराए की अनुसूची के अनुसार मुआवजा शुल्क वसूल किए जाते हैं और इसलिए, इसे पूंजी प्राप्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार, पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में क्षतिपूर्ति प्रभारों के लेखांकन के परिणामस्वरूप पूंजीगत आरक्षित निधि को ₹386.88 करोड़ अधिक बताया गया है और वर्ष के लिए अधिशेष को ₹63.54 करोड़ और पूर्व अवधि के लिए ₹323.34 करोड़ कम बताया गया है।

ख. लेखांकन नियमावली के अनुसार, किसी आरक्षित निधि के संबंध में 'निधि' शब्द का प्रयोग तभी किया जाना था जब ऐसी आरक्षित निधि का प्रतिनिधित्व किसी विनिर्दिष्ट

निवेश द्वारा किया गया हो। तथापि, 31 मार्च, 2020 तक पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण और विकास, ऋणों की चुकौती और आकस्मिकता निधियों की बकाया राशि की तुलना में, वहां किए गए निर्दिष्ट निवेशों की राशि में कुल ₹8.64 करोड़ की कमी दिखाई गई। इस प्रकार, निधियों के संबंध में निवेश मिलान की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

ग. लेखांकन नियमावली के अनुसार, किसी भी आरक्षित के संबंध में 'निधि' शब्द का उपयोग केवल तभी किया जाना था जब ऐसे रिजर्व को एक निर्दिष्ट निवेश द्वारा दर्शाया गया हो। हालांकि, 31 मार्च 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि और सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ निधियों की शेष राशि की तुलना में निर्दिष्ट निवेश की राशि और उसके प्रति बैंक शेष राशि में कुल ₹42.38 करोड़ की कमी दिखाई गई। इस प्रकार, निधियों के संबंध में निवेश मिलान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया था।

घ. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में 13 गैर-योजना वाले प्रगतिशील पूंजीगत कार्य शामिल थे, जिनके लिए कुल ₹7.83 करोड़ का भुगतान किया गया था और पिछले वर्ष ₹3.53 करोड़ के व्यय का पूंजीकरण किया गया था। पूर्णता प्रमाण पत्र के अभाव में ₹4.30 करोड़ की शेष राशि पूंजीकृत नहीं की गई। संबंधित डिवीजनों के द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण चालू वर्ष में ₹4.30 करोड़ की उपरोक्त राशि अभी भी सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दर्शायी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों को कम बताया गया है और प्रगतिशील पूंजीगत कार्य को ₹4.30 करोड़ अधिक बताया गया है। चूंकि उपरोक्त कार्यों के पूरा होने की तिथि का अभी पता नहीं चल पाया है, इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यहास के कम बताए जाने का पता नहीं लगाया जा सका है।

ड. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में लंबे समय से जिगरखली फ्लैट पर पूंजी ड्रेजिंग के लिए ₹17.32 करोड़ शामिल थे। उक्त प्रगतिशील कार्य को वर्ष 2001-02 के दौरान कोलकाता डॉक सिस्टम द्वारा हस्तांतरित किया गया था लेकिन इसे 'पूर्णता प्रमाण पत्र', 'अंतिम बिल की प्रति' आदि जैसे दस्तावेजों की कमी के कारण पूंजीकृत नहीं किया गया था। चूंकि व्यय की प्रकृति के संबंध में कोई अभिलेख/दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, इसलिए लाभ और हानि खाते के लिए राशि को प्रभारित किया जाना चाहिए था।

इस राशि को प्रभारित न करने से सीडब्ल्यूआईपी को ₹17.32 करोड़ तक अधिक बताया गया है और इसी राशि से अधिशेष को अधिक बताया गया है।

**च.** 14 जून 2013 को पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, संगठन द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर और उनकी वार्षिक रिपोर्ट में किए गए सभी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों का प्रकटीकरण अनिवार्य था। हालांकि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने 2019-20 के लिए ₹1.66 करोड़ का सीएसआर व्यय किया, लेकिन लेखाओं के नोट में इसका प्रकटीकरण नहीं किया गया।

**छ.** विविध ऋणी में 1999-2000 से 2011-12 तक ड्रेजिंग और नदी रखरखाव के लिए दावे के कारण ₹553.49 करोड़ शामिल किए थे, जिसे सरकारी लेखापरीक्षा द्वारा अनुमति नहीं दी गयी, जिनके प्रति श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता ने मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट 1963 (नोट संख्या 18 के संदर्भ में) की धारा 105 के तहत केंद्र सरकार से संपर्क किया था। यह दावा बहुत पुराना हो गया है जिस कारण वसूली होने की संभावना बहुत कम है।

पुराने बकाया देय के प्रति इस तरह प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप विविध ऋणी को अधिक बताने के साथ-साथ अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को ₹553.49 करोड़ तक कम बताया गया गया है।

## 20. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप

**क.** पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (पोर्ट) को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) आधार पर मेसर्स जेएसडब्ल्यू पारादीप टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (जेएसडब्ल्यूपीटीपीएल) को पारादीप में लौह अयस्क बर्थ के विकास और मेसर्स कलिंग इंटरनेशनल कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड को पारादीप में कोल बर्थ के विकास के लिए कार्यों को प्रदान किया गया। दोनों बर्थ के लिए कैपिटल ड्रेजिंग का काम मेसर्स ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) को सौंपा गया। बीओटी लौह अयस्क बर्थ के कारण पूंजी ड्रेजिंग का कार्य 31 मार्च, 2020 को पूरा किया गया था। लौह अयस्क बर्थ से जुड़े पूंजी ड्रेजिंग कार्य हालांकि, लौह अयस्क और कोयला बर्थ के लिए मेसर्स डीसीआईएल द्वारा समग्र रूप से निष्पादित किए जा रहे कुल कार्यों का 50 प्रतिशत है। चूंकि बीओटी लौह अयस्क बर्थ 1 अक्टूबर 2019 से जेएसडब्ल्यूपीटीपीएल द्वारा संचालित हो रही थी, इसलिए बीओटी लौह अयस्क बर्थ संबंधी कैपिटल ड्रेजिंग कार्यों को भी पूर्ण प्रमाणित किया गया है, इसलिए आनुपातिक पूंजीकृत

ड्रेजिंग कार्यों को वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'पूंजीगत कार्य प्रगति में' का अधिक और अचल परिसंपत्ति (नेट ब्लॉक) को ₹51.33 करोड़ तक कम बताया गया है, जिसमें आयकर से पहले निवल अधिशेष को ₹0.51 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

**ख.** पत्तन पर पारादीप पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (पीपीआरसीएल), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन में इक्विटी शेयरों के लिए ₹40 करोड़ का निवेश किया गया है। पीपीआरसीएल का निवल मूल्य पूरी तरह से क्षीण हो चुका है और 31 मार्च 2016 तक (-) ₹495.52 करोड़ थी। इस बीच 26 अक्टूबर 2018 को हुई बैठक में पत्तन के न्यासी बोर्ड को सूचित किया गया था कि एनएचएआई ने एसपीवी के समापन के लिए प्रस्ताव दिया था। इसलिए एएस-13 के तहत जरूरी लंबी अवधि के निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इस प्रकार, इसका प्रावधान न करने से निवेश को अधिक बताया गया है और कर से पहले निवल अधिशेष को ₹40 करोड़ अधिक बताया गया है।

**ग.** पत्तन ने कर्मचारियों और पेंशनभोगी के पेंशन और ग्रेच्युटी फंड के प्रबंधन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक परिभाषित लाभ योजना खरीदी। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट फंड में वार्षिक योगदान देता है जिसे लेखा बही में व्यय माना जाता है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹361.15 करोड़ प्रदान किए। अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में एलआईसी ने पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में गैप फंडिंग के लिए अतिरिक्त ₹402.44 करोड़ की मांग की है। एएस-15 के अनुसार, ₹402.44 करोड़ के गैप फंडिंग के लिए लेखों में उचित प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप कर से पहले निवल अधिशेष को अधिक बताया गया है, जिसमें 'चालू देयताएँ और प्रावधान' को ₹402.44 करोड़ तक कम बताया गया है।

**घ.** "मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कॉमन फ्रेमवर्क" (नवंबर 2002) को सीएजी द्वारा अनुमोदित किया गया था और उस ढांचे में भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। पत्तन ने छह महीने से अधिक पुराने ऋणों के प्रति वर्ष 2019-20 के लिए संदिग्ध ऋण के रूप में ₹52.68 करोड़ प्रदान नहीं किए हैं। इसके परिणामस्वरूप विविध ऋणियों के साथ-साथ निवल अधिशेष को ₹52.68 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

## 21. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई

तुलन पत्र

कॉर्पोस/कैपिटल फंड एंड लायबिलिटीज - ₹8647.25 करोड़ (अनुसूची I)

लेखों पर नोट्स - मद III-ख

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट का गठन कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयता को पूरा करने के लिए ट्रस्ट विलेख (14 जनवरी 2004) के तहत किया गया था। पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए एलआईसी को निधि प्रबंधक नियुक्त किया गया है। एलआईसी हर वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन करता है जिसके आधार पर मुंबई पत्तन ट्रस्ट द्वारा एलआईसी के साथ पैसा निवेश किया जाता है।

एलआईसी द्वारा सूचित 31 मार्च 2020 तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कुल पेंशन देयता ₹12,777.23 करोड़ (मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए ₹7,707.05 करोड़ और भावी पेंशनभोगियों के लिए ₹5,070.18 करोड़) थी। 31 मार्च 2020 तक पेंशन निधि शेष ₹8,647.25 करोड़ था (नोट संख्या III-ख में ₹8,709.14 करोड़ के रूप में वर्णित) है। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए निधि शेष में ₹4,129.98 करोड़ की कमी है।

पेंशन देयता के कम प्रावधान के परिणामस्वरूप देयता (पेंशन फंड खाता) और परिसंपत्तियों (चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिमों-"मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्य") को ₹4,129.98 करोड़ तक कम बताया गया है। लेखापरीक्षा ने 2012-2013 से प्रोविजनिंग में कमी की ओर इशारा किया है।

## 22. मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा

चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम- ₹308.30 करोड़ (अनुसूची 4)

विविध ऋणी - ₹72.99 करोड़

इसमें पट्टा किराया के लिए प्राप्य ₹7.26 करोड़ की राशि, विलंबित भुगतान पर ब्याज, वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए मेसर्स वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड से अतिक्रमण शुल्क शामिल है। माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 14 के तहत एमपीटी को किसी भी वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, भारग्रहण, विमुखन या निपटान से

प्रतिबंधित करने की घोषणा की (12 दिसम्बर 2017) इसलिए, मेसर्स वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड से ₹7.26 करोड़ की वसूली संदिग्ध है और इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप देनदारों को ₹7.26 करोड़ का अतिकथन किया गया है, जिसमें संदिग्ध ऋणों तथा हानि के लिए प्रावधानों को कम दर्शाया गया है। यद्यपि 2017-18 से लेखापरीक्षा द्वारा इसका उल्लेख किया जा रहा है, फिर भी प्रबंधन द्वारा इसे सुधारा जाना बाकी है।

### 23. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई

तुलन पत्र वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम (अनुसूची-6)

निवेश पर ब्याज - ₹227.15 करोड़

क. नकद और बैंक शेष (बैंकों के साथ टीडीआर सहित) - ₹3,349.93 करोड़

उपर्युक्त में ₹67.59 करोड़ की राशि शामिल है जो फरवरी 2014 में जमा की गई सावधि जमा की शेष राशि है और उस पर 31 मार्च 2020 तक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से अर्जित ब्याज ₹61.62 करोड़ लंबित प्राप्त है।

चूंकि जेएनपीटी के पास ₹67.59 करोड़ की सावधि जमा रसीद नहीं है और मामले की जांच सीबीआई न्यायालय द्वारा की जा रही है और एक अन्य मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास भी लंबित है और सुनवाई की अगली तारीख जनवरी 2021 में निर्धारित है, इसलिए संदिग्ध निवेश और उस पर उपचित ब्याज के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान न करने से लाभ में ₹129.21 करोड़, नकद और बैंक बैलेंस में ₹67.59 करोड़ का और निवेश पर उपचित ब्याज में ₹61.62 करोड़ ओवरस्टेटमेंट अर्जित हुई है।

यह मुद्दा लेखापरीक्षा द्वारा 2013-14 से उठाया जा रहा है।

ख. प्रगति में पूंजीगत कार्य ₹3,446.73 करोड़ (अनुसूची 3)

i) उपर्युक्त में पूंजी ड्रेजिंग कार्य के लिए किए गए खर्च के ₹1,704.18 करोड़ की राशि शामिल है, जिसे सलाहकार द्वारा 18 फरवरी 2019 को प्रमाणित पूर्णता प्राप्त किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए ₹17.04 करोड़, पूर्व अवधि व्यय (मूल्यहास) में ₹8.52 करोड़, सकल अचल संपत्ति में ₹1704.18 करोड़ कम दर्शाना और लाभ का ओवरस्टेटमेंट ₹25.56 करोड़ का हुआ है।



ii) उपर्युक्त में केंद्रीकृत पार्किंग जोन के विकास के लिए किए गए खर्च के लिए ₹183.74 करोड़ की राशि शामिल है, जो 5 दिसंबर 2019 को पूरी हुई थी। इसके गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) में ₹183.74 करोड़ अधिक और सकल अचल परिसंपत्तियों को इसी राशि से कम दिखाया गया है। इससे मूल्यहास में ₹2.3 करोड़ की कमी हुई है और इसी राशि से लाभ अधिक अनुमानित है।

iii) उपर्युक्त में 24 दिसंबर 2019 को मेसर्स एचओसीएल से ली गई परिसंपत्तियों (टैंक फार्म) की लागत ₹32.77 करोड़ शामिल है। ₹16.38 करोड़ की संपत्ति के वास्तविक मूल्य के प्रति, बुक की गई राशि दोगुनी थी। इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को ₹16.38 करोड़ का ओवरस्टेटमेंट हुआ और पूंजीगत कार्यों के लिए लेनदारों को ₹16.38 करोड़ तक अधिक बताया गया।

#### ग. ऋण और अग्रिम

##### संविदाकारों को अग्रिम - ₹313.84 करोड़ (अनुसूची 6)

इसमें विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) को दिए गए अग्रिम ₹280.89 करोड़ शामिल हैं। आईपीआरसीएल द्वारा इन परियोजनाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और ₹207.81 करोड़ की राशि का दावा आईपीआरसीएल द्वारा रनिंग अकाउंट बिलों के माध्यम से पूर्ण कार्यों में किया गया है।

पूंजीगत कार्य पर किए गए व्यय को सीडब्ल्यूआईपी में न स्थानांतरित करने से सीडब्ल्यूआईपी को ₹207.81 करोड़ कम और वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को ₹207.81 करोड़ अधिक बताया गया है। समान बिन्दु 2018-19 के लिए भी एसएआर में शामिल की गई थी।

##### घ. संपदा किराया - ₹129.18 करोड़ (अनुसूची-11)

##### एसईजेड आय - ₹9.91 करोड़

इसके बाद 2019-2020 के दौरान पत्तन द्वारा मान्यता प्राप्त ₹9.44 करोड़ की एसईजेड आय शामिल है। जेएनपीटी को जेएन पोर्ट पर लगभग 277.38 हेक्टेयर क्षेत्र पर विकसित किए जाने वाले पत्तन आधारित बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए डेवलपर के रूप में नियुक्त किया गया है।

जेएनपीटी ने 29 जुलाई 2020 को एनएचएवा शिवा बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ पट्टा विलेख निष्पादित किया था जिसमें पोर्ट ने ₹566.30 करोड़ की राशि के अग्रिम पट्टा प्रीमियम के प्रति 17.97 हेक्टेयर भूमि दी थी। पट्टा विलेख के अनुसार, पट्टा की अवधि 60 वर्ष की होगी जो विलेख की तारीख (जुलाई 2020) से शुरू होगी। एनएचएवा शिवा बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने जुलाई 2019 से जुलाई 2020 के दौरान पत्तन को ₹566.30 करोड़ का पट्टा प्रीमियम प्रेषित किया।

चूंकि पट्टा विलेख जुलाई 2020 से ही प्रभावी थी, इसलिए 2019-20 के दौरान एसईजेड आय की मान्यता के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों को कम दिखाया गया है और लाभ का ओवरस्टेटमेंट ₹9.44 करोड़ (₹566.30 करोड़/60 वर्ष) तक है।

#### 24. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई

##### तुलन पत्र

##### क. सामान्य आरक्षित निधि - ₹41.49 करोड़

मुख्य पत्तनों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए समान फ्रेमवर्क (सीएफएफआर) के अनुसार, लाभ और हानि लेखा के डेबिट शेष को अनिर्दिष्ट आरक्षित निधि ('सामान्य आरक्षित निधि' के रूप में भी संदर्भित) से कटौती की जानी चाहिए।

पोर्ट ने तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष पर ₹417.27 करोड़ को लाभ और हानि लेखा के तहत डेबिट शेष दर्शाया है और तुलन पत्र के देयता पक्ष पर ₹41.49 करोड़ की सामान्य आरक्षित निधि को दर्शाया है। पोर्ट को जनरल रिजर्व में उपलब्ध राशि के साथ लाभ और हानि लेखा के डेबिट शेष को समायोजित करना चाहिए था और परिसंपत्ति पक्ष पर केवल शेष राशि यानी ₹370.78 करोड़ (₹417.27 करोड़ घटा ₹41.49 करोड़) दर्शाया जाना चाहिए था।

दोनों आंकड़ों का समायोजन न करने से लाभ और हानि लेखा के डेबिट शेष और जनरल रिजर्व में ₹41.49 करोड़ अधिक बताए गए हैं।

**ख. चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम राशि****विविध ऋणी - ₹3,203.79 करोड़**

पत्तन ने 1 मार्च 1972 से 28 फरवरी 2002 की अवधि के लिए राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (आरसीएफ) को ₹7150.23 वर्ग मीटर की भूमि पट्टे पर दी थी। न्यासी बोर्ड ने ₹2.87 करोड़ की राशि के मूल्यांकित स्ट्रैप मूल्य पर भूमिसंपत्ति (टैंक फार्म) लेने और आरसीएफ से ₹6.69 करोड़ की वसूली योग्य राशि के प्रति राशि समायोजित करने का निर्णय किया (9 जनवरी 2018)। हालांकि आरसीएफ ने परिसंपत्तियों को वापिस कर दिया है, लेकिन पत्तन ने इस राशि को आरसीएफ से प्राप्य देय राशि के साथ समायोजन नहीं किया। इसलिए, ₹2.87 करोड़ के विविध ऋणी अधिक बताए गए हैं।

इसके अलावा, पत्तन ने आरसीएफ से पट्टे पर ली गई भूमि के मामले को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया है, जो सही नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

**25. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, मुंबई****तुलन पत्र****क. अनुसूची 9 - चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम राशि आदि।****चालू परिसंपत्ति - विविध देनदार (अन्य) - ₹121.82 करोड़**

उपर्युक्त में प्रतिनियुक्ति पर सेबी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति के कारण किसी बाहरी संगठन से प्राप्य ₹1.59 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप विविध ऋणी (अन्य)को कम बताया गया है और स्थापना व्यय को उसी हद तक अधिक बताया गया है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2020) कि कोविड-19 लॉक डाउन के कारण वार्षिक लेखा विवरण को अंतिम रूप देने तक राशि प्राप्त नहीं हुई थी और वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवश्यक सुधार प्रविष्टि की गई है।

## आय और व्यय लेखा

### ख. अनुसूची 15 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि।

#### मरम्मत और रखरखाव - भवन और परिसर - ₹ 31.90 करोड़

उपरोक्त में ₹44,99,837 की राशि के अग्नि दमन प्रणाली, एसपिरेसन स्मोक डिटेक्शन सिस्टम और रोडेन्ट रेपिलेंट सिस्टम शामिल हैं जिसे 19 मार्च 2020 को पूंजीकृत किया जाना था। अचल परिसंपत्ति के तहत इसे पूंजीकृत करने के बजाय व्यय के रूप में राशि की बुकिंग के परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्ति को कम और मरम्मत और रखरखाव को अधिक और व्यय की तुलना में अधिक आय को उस हद तक कम बताया गया है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2020 और दिसंबर 2020) कि यह भूलवश में व्यय शीर्ष 'मरम्मत और रखरखाव' के तहत लेखांकित था।

### 26. पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

#### तुलन पत्र

#### निर्धारित/विन्यास निधि- (अनुसूची-3): ₹2.20 करोड़

उपर्युक्त में स्वावलंबन योजना और अटल पेंशन योजना में सरकार से प्राप्त ₹152.40 करोड़ के उपयुक्त अनुदान शामिल नहीं हैं। पीएफआरडीए (लेखा एवं अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियमावली, 2015 के अनुसार निर्धारित प्रयोजनों के लिए अनुदान के रूप में प्राप्य राशि को अनुसूची 3 "निर्धारित/विन्यास निधि" के तहत उजागर किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार, सरकार से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और किसी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। चूंकि स्वावलंबन योजना और अटल पेंशन योजना के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाना था, इसलिए उन्हें निर्धारित निधियों के तहत अलग से दर्शाया जाना चाहिए था। वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों, उसमें किए गए भुगतान, वर्ष के अंत में अप्रयुक्त शेष को संबंधित निधियों के अंतर्गत ही दर्शाया जाना चाहिए।

लेखा पुस्तकों में आय के रूप में इन अनुदानों को लेने के परिणामस्वरूप विभिन्न लेखा शीर्षों अर्थात् कॉर्पस/पूंजी निधि, आय और व्यय का गलत चित्रण हुआ है। इस तरह के वर्गीकरण के कारण खातों के इन शीर्षों पर सटीक प्रभाव की गणना लेखापरीक्षा में नहीं

की जा सकी। हालांकि, इसके परिणामस्वरूप निर्धारित निधियों को कम बताया गया है और चालू देयताओं को ₹152.40 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

31 मार्च 2017, 2018 और 2019 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए एसएआरज़ में बार-बार इंगित किए जाने के बावजूद, पीएफआरडीए ने उपर्युक्त अनुदान को 'निर्धारित/विन्यास निधि' के तहत एक अलग निधि के रूप में चित्रित नहीं किया है।

### आय और व्यय लेखा

**अर्जित ब्याज (अनुसूची 17): ₹6.23 करोड़**

**अन्य प्रशासन व्यय (अनुसूची 21): ₹234.83 करोड़**

इसमें सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज ₹1.77 करोड़ (अटल पेंशन योजना ₹1.47 करोड़ और स्वावलंबन योजना ₹0.3 करोड़) शामिल हैं। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में मानने के बजाय 'निर्धारित/विन्यास निधि' (अनुसूची 3) के तहत अनुदानों में जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, अटल पेंशन योजना से संबंधित ₹209.61 करोड़<sup>3</sup> का खर्च अनुदान के माध्यम से कटौती करने के बजाय प्रशासन के अन्य खर्चों में लिया गया है।

इसके परिणामस्वरूप ₹1.77 करोड़ तक आय, ₹209.61 करोड़ तक व्यय और निर्धारित निधि को ₹207.84 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

## 27. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली

### तुलन पत्र

**क. चालू देयता और प्रावधान (अनुसूची 7): ₹268.35 करोड़**

उपर्युक्त में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रायबरेली कैंपस द्वारा आईटीआई लिमिटेड (आईटीआई) को देय ₹2.53 करोड़ का पट्टा किराया शामिल नहीं है। आईटीआई के साथ किए गए पट्टे समझौते की अवधि 14 नवंबर 2018 को समाप्त हो गई थी और आईटीआई से जमीन हस्तांतरित कराने के निफ्ट के प्रयास अभी तक मूर्त रूप नहीं ले सके हैं। इस दौरान आईटीआई ने पिछले समझौते के अनुसार अस्थायी आधार पर पट्टा किराया की मांग की। हालांकि निफ्ट ने 15 नवंबर 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के लिए प्रावधान

<sup>3</sup> एपीवाई सरकार का योगदान ₹107.38 करोड़, एपीवाई संवर्धन ₹2.29 करोड़ और एपीवाई के तहत प्रोत्साहन ₹99.94 करोड़

बनाया था, लेकिन वर्ष 2019-20 के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। पट्टा किराया का प्रावधान न होने से वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को ₹2.53 करोड़ कम दिखाया है और इस सीमा तक अधिशेष को अधिक बताया गया है।

### आय और व्यय लेखा

**ख. आस्थगित राजस्व आय - ₹22.40 करोड़**

**पूर्व अवधि आय - ₹4.74 करोड़**

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त में लेखाकरण मानक (एएस) -12 - सरकारी अनुदानों का लेखाकरण लागू होने के कारण आस्थगित मूल्यहास होने से आय एवं व्यय खाते में बुक किए गए ₹23.23 करोड़ (चालू वर्ष के दौरान ₹22.40 करोड़ और पूर्व अवधि के कारण 0₹.83 करोड़) शामिल हैं। निफ्ट ने सरकारी अनुदान को ₹747.42 करोड़ (आस्थगित मूल्यहास का निवल) तक पूंजीकृत किया, हालांकि, सरकारी अनुदानों से निर्मित संबंधित निवल संपत्ति ₹716.27 करोड़ दर्शायी गई है जिसके परिणामस्वरूप ₹31.15 करोड़ का अंतर आया है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में इंगित किए जाने के बावजूद निफ्ट ने अभी तक अंतर का मिलान नहीं किया है।

### 28. निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली

#### तुलन पत्र

**क. चालू देयता और प्रावधान**

**ईआईसी, ईआईए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि**

निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) और निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईएज़) को कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों के लिए किया गया बीमांकिक मूल्यांकन नहीं मिला है जो केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप में निहित निर्देशों के साथ-साथ आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखाकरण मानकों 15 (कर्मचारी लाभ) के विचलन में है, जो बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता के निर्माण के लिए निर्धारित करता है। तुलन पत्र की तिथि पर बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट के अभाव में, लेखापरीक्षा 31 मार्च 2019 तक सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रदान की जाने वाली देयता की मात्रा निर्धारित नहीं कर सका।

पिछले वर्षों (2014-15 से 2017-18) की अलग-अलग लेखापरीक्षा रिपोर्टों में इंगित किए जाने के बावजूद, ईआईसी/ईआईएज़ ने अभी तक लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं की है।

#### **ख. चालू देयताएं (अनुसूची 3)**

**केंद्रीय निधि : ₹671.16 करोड़**

##### **ईआईसी**

इसमें केंद्रीय निधि में अर्जित ₹3.39 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं है। ईआईसी द्वारा प्रबंधित केंद्रीय निधि में ईआईएज़ से प्राप्त राशि होती है। ईआईएज़ और ईआईसी का खर्च केंद्रीय निधि से पूरा होता है। चूंकि, यह फंड ईआईएज़ को बकाया है, इसलिए इस फंड पर अर्जित ब्याज को केवल फंड में ही जोड़ा जाना चाहिए था। इसके अलावा, ईआईसी ने अपने नोट्स टू अकाउंट्स (क्रम संख्या 5) में कहा है कि केंद्रीय निधि के जमा पर अर्जित ब्याज ईआईसी की आय होना आशयित नहीं है। हालांकि, अर्जित ब्याज को ईआईसी की आय के रूप में माना गया है जिसके परिणामस्वरूप आय को अधिक बताया गया है और चालू देयताओं को ₹3.39 करोड़ तक कम बताया गया है।

#### **आय और व्यय लेखा**

**मूल्यहास (अनुसूची - 16) - ₹0.98 लाख**

##### **ईआईसी**

इसमें पट्टे होल्ड बिल्डिंग पर ₹1.35 करोड़ का मूल्यहास शामिल नहीं है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) ने ईस्ट किडवर्ड नगर स्थित भवन/कार्यालय स्थान को ईआईसी को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिया है। अप्रैल 2016 से दिसंबर 2018 तक उक्त भवन के लिए एनबीसीसी को ₹67.37 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था और एनबीसीसी ने 17 अगस्त 2018 से कब्जा का प्रस्ताव किया था। हालांकि, ईआईसी द्वारा कथित भवन पर पूंजीकृत राशि पर कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया है और मूल्यहास व्यय को ₹1.35 करोड़ तक कम बताया गया है।

## 29. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली

### तुलन पत्र

ख. कार्यालय स्थान लेने के लिए सहायता अनुदान - ₹7.96 करोड़

निर्धारित/विन्यास निधि (अनुसूची 3) - शून्य

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को कार्यालय परिसर के लिए स्टांप ड्यूटी का भुगतान करने के लिए आवर्ती पूंजी परिसंपत्ति की दिशा में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से दिसंबर 2019 में ₹10.99 करोड़ प्राप्त हुए। इस संबंध में, निम्नलिखित देखा गया है।

i) कार्यालय परिसर के लिए स्टांप ड्यूटी के भुगतान के विशिष्ट उद्देश्य के लिए ₹10.99 करोड़ का उपरोक्त अनुदान प्राप्त हुआ है। तदनुसार, निधि आधारित लेखाकरण के अनुसार इसे निर्धारित/विन्यास निधियों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था।

ii) सीसीआई ने मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान शर्तों के विचलन में अन्य प्रयोजनों के लिए ₹3.17 करोड़<sup>4</sup> खर्च किए। इसके अलावा, विचलन के लिए मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन लेने के संबंध में कोई दस्तावेज रिकार्ड में नहीं पाए गए।

iii) तुलन पत्र में ₹7.96 करोड़ (₹10.99 करोड़ घटा ₹3.17 करोड़) की शेष राशि को 'कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए सहायता अनुदान' के रूप में दर्शाया गया है।

उपरोक्त के कारण सहायता अनुदान को ₹7.96 करोड़ तक अधिक बताया गया है, निर्धारित/विन्यास निधि को ₹11.13 करोड़ (₹10.99 करोड़ जमा उस पर ₹0.14 करोड़ ब्याज आय के रूप में) तक कम बताया गया है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप ₹2.09 करोड़ की अचल संपत्ति (सत्व द्वारा उनके गैर - स्वामित्व वाली भूमि पर अधिसंरचना को ₹0.02 करोड़ तक और फर्नीचर और फिक्स्चर को ₹2.07 करोड़<sup>5</sup> तक कम बताया गया है) को कम बताया गया और अधिशेष को ₹1.08 करोड़ (₹1.04 करोड़ राजस्व

<sup>4</sup> इंटीरियर फिट आउट के कारण एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसएल) को ₹2.11 करोड़ का भुगतान, परामर्श शुल्क के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) को ₹0.02 करोड़ का भुगतान और किशतों के भुगतान में देरी के लिए दंडात्मक ब्याज के कारण एनबीसीसी को ₹1.04 करोड़ का भुगतान।

<sup>5</sup> फर्नीचर और फिक्स्चर पर मूल्यहास के ₹2.11 करोड़ घटा ₹0.04 करोड़



व्यय प्रकृति वाला दंडात्मक ब्याज प्रभारित न करने और मूल्यहास के लिए ₹0.04 करोड़ तक अधिक बताया गया।

**ख. चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) - ₹105.13 करोड़**

**सीसीआई के निर्धारित/विन्यास कोषों से निवेश (अनुसूची 9) - शून्य**

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को कार्यालय परिसरों के लिए स्टॉप ड्यूटी का भुगतान करने के लिए आवर्ती पूंजी परिसंपत्ति की दिशा में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से दिसंबर 2019 में ₹10.99 करोड़ प्राप्त हुए।

यह देखा गया कि सीसीआई ने उपरोक्त राशि को निर्धारित/विन्यास निधियों से निवेश के तहत दर्शाने के बजाय चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों के तहत प्राप्त ₹0.14 करोड़ के ब्याज सहित उपरोक्त राशि दिखाई है, जो निधि आधारित लेखांकन के सिद्धांत के विरुद्ध है।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को अधिक बताया गया है और निर्धारित/विन्यास निधि से निवेश को ₹11.13 करोड़ (₹10.99 करोड़ जमा ₹0.14 करोड़) तक कम बताया गया है।

**30. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली**

**चालू देयता और प्रावधान (अनुसूची 4): ₹22.43 करोड़**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को प्रतिपूर्ति योग्य : ₹9.01 करोड़:**

**क.** एपीईडीए को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना के तहत निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता के रूप में वर्ष 2019-20 के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसी एंड आई) से ₹5.40 करोड़ की राशि का अनुदान प्राप्त हुआ। इस संबंध में, यह देखा गया कि:

i) चूंकि उपरोक्त अनुदान किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्राप्त किए गए थे, इसलिए इसे 'निर्धारित निधि' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी और संबंधित व्यय (पूंजी और राजस्व) को उसके विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए था। हालांकि, एपीईडीए ने अनुदानों के साथ-साथ आय और व्यय खाते में संबंधित व्यय को मान्यता दी है।

ii) गुवाहाटी में एपीईडीए के नए कार्यालय परिसरों के आंतरिक विकास के लिए वर्ष के दौरान उपरोक्त अनुदानों में से ₹70.44 लाख का व्यय किया गया था। हालांकि, चूंकि यह

व्यय अनुदानों के अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, इसलिए इसे आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना चाहिए था और इसे प्रगति में पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में बुक किया जाना चाहिए था।

iii) अनुदानों से जुड़े नियम और शर्तों में यह निर्धारित किया गया था कि किसी भी अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष के अंत तक अभ्यर्पित कर दिया जाएगा, जब तक कि अगले वर्ष के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति न दी जाए। इस प्रकार, ₹70.44 लाख की राशि मंत्रालय को वापस की जा सकती थी और इसे 'चालू देयता' के तहत मान्यता दी जानी चाहिए थी।

उपर्युक्त के परिणामस्वरूप अनुदानों/सब्सिडी (अनुसूची 8) और अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय (अनुसूची 15) ₹5.40 करोड़ तक अधिक बताया गया और चालू देयता और सीडब्ल्यूआईपी के ₹70.44 लाख तक कम बताया गया है। इसके अलावा, निर्धारित/विन्यास निधियों (अनुसूची 3) के तहत प्रकटीकरण में भी कमी थी।

**ख.** एपीईडीए ने एमओसीएंडआई से अनुरोध किया था (अक्टूबर 2018) कि वह ₹50 करोड़ तक परिवहन सहायता दावों के निपटान के लिए ₹45.81 करोड़ (जो उस समय एपीईडीए के साथ अप्रयुक्त पड़ा था) और अपने आंतरिक संसाधनों में से ₹4.19 करोड़ का उपयोग करे। एमओसीएंडआई ने एपीईडीए के अनुरोध को स्वीकार किया (जनवरी 2019)। हालांकि, एपीईडीए ने लंबित परिवहन सहायता दावों के निपटान के लिए 2018-19 के दौरान शीर्ष 'रिफंडेबल टू एमओसी एंड आई' से ₹50 करोड़ की पूरी राशि अनुदान/सब्सिडी शीर्ष को हस्तांतरित की।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयता के तहत 'रिफंडेबल टू एमओसी एंड आई' को कम बताया गया है और कॉर्पस फंड को ₹4.19 करोड़ अधिक बताया गया है।

### **31. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी), नई दिल्ली**

#### **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची 17)**

**क.** अपनी लेखांकन नीति संख्या 1(बी) के अनुपालन में, एनसीआरपीबी अपनी प्राप्तियों और भुगतान खाते और पूंजी और राजस्व शीर्ष में अपने आय और व्यय खाते से संबंधित शेड्यूल का वर्गीकरण कर रहा है। यह वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के समान प्रारूप के अनुरूप नहीं है। वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 की सीएजी के प्रतिवेदनों में

यह बात कही गई थी। हालांकि प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है और विसंगति बनी हुई है।

**ख.** लेखाकरण नीति संख्या 3(क) में कहा गया है कि “कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों/प्रतिपूर्ति को छोड़कर सभी खर्चों को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।” उपर्युक्त लेखाकरण नीति लेखाकरण की उपार्जन अवधारणा और वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाओं के समान प्रारूप के अनुरूप नहीं है। वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए सीएजी के प्रतिवेदनों में इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है और विसंगति बनी हुई है।

### 32. राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली

#### तुलन पत्र (देयताएँ)

#### क. चालू देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची 3) - ₹94.09 लाख

उपर्युक्त में क्रमशः ₹37.67 लाख और ₹25.70 लाख की अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का प्रावधान शामिल था। हालांकि, यह प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन मानक-15 "कर्मचारी लाभ" का उल्लंघन हुआ है। यह मुद्दा पहले 2017-18 और 2018-19 के दौरान उठाया गया था लेकिन प्रबंधन द्वारा आश्वासन के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

#### ख. आय एवं व्यय लेखा (व्यय)

उपर्युक्त में 2019-20 की अवधि से संबंधित ₹1.60 लाख का व्यय शामिल नहीं है। संबंधित बिल फरवरी और मार्च 2020 के महीनों में प्राप्त हुए थे। इस प्रकार, उपरोक्त के परिणामस्वरूप व्ययों को कम बताया गया है और चालू देयता और प्रावधानों को ₹1.60 लाख तक कम बताया गया है।

### 33. एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

#### सामान्य- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां (अनुसूची-24)

#### अचल परिसंपत्तिया (लेखाकरण नीति संख्या 5)

अचल परिसंपत्तियों के संबंध में उपर्युक्त महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति अचल परिसंपत्तियों के प्रस्तुत करने की निर्धारित विधि सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन मानक 12 के अनुरूप नहीं है।

अनुलग्नक-VIII  
{पैरा 1.8 में संदर्भित}

स्वायत्त निकायों जहां वर्ष 2019-20 दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
3.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता
4.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद
5.	काँफी बोर्ड, बेंगलुरु
6.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली
7.	निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, नई दिल्ली
8.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद
11.	पारादीप पतन ट्रस्ट, पारादीप
12.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली
13.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम
14.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन, कोलकाता
15.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर
16.	वी.ओ चिदंबरनार पतन ट्रस्ट, तूतीकोरिन

**अनुलग्नक-IX**  
{पैरा 1.8 में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2019-20 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद
3.	कॉयर बोर्ड, कोच्चि
4.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली
5.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई
6.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली
7.	मुंबई पतन ट्रस्ट, मुंबई
8.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद
9.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भोपाल
10.	नया मेंगलोर पतन ट्रस्ट, मेंगलोर
11.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा
12.	पारादीप पतन ट्रस्ट, पारादीप
13.	राजीव गांधी पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली
14.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन, कोलकाता
15.	विशाखापत्तनम पतन ट्रस्ट, विशाखापत्तनम
16.	वी.ओ चिदंबरनार पतन ट्रस्ट, तूतीकोरिन

अनुलग्नक-X  
{पैरा 1.8 में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2019-20 के दौरान माल का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
3.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद
4.	कॉयर बोर्ड, कोच्चि
5.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली
6.	मुंबई पतन ट्रस्ट, मुंबई
7.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भोपाल
8.	फैशन प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली
9.	पारादीप पतन ट्रस्ट, पारादीप
10.	राजीव गाँधी पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली
11.	मसाला बोर्ड, कोच्चि
12.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन, कोलकाता
13.	वि.ओ चिदंबरनार पतन ट्रस्ट, तूतीकोरिन

**अनुलग्नक-XI**  
**{पैरा 1.8 में संदर्भित}**

स्वायत्त निकाय, जो वसूली/ केश आधार पर अनुदान के लिए लेखांकन कर रहे हैं

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
3.	कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड, कोलकाता
4.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली
5.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता
9.	पारादीप पतन ट्रस्ट, पारादीप
10.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली
11.	राजीव गाँधी पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली
12.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन, कोलकाता

अनुलग्नक-XII  
{पैरा 1.8 में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जिन्होंने बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखा नहीं दिया है

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद
3.	कोचीन पत्तन ट्रस्ट, कोचीन
4.	कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु
5.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली
6.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट , मुंबई
7.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली
8.	मुंबई पत्तन ट्रस्ट, मुंबई
9.	मुंबई पत्तन ट्रस्ट पेंशन फंड, मुंबई
10.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि
11.	पारादीप पत्तन ट्रस्ट, पारादीप
12.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
13.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम
14.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता
15.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर
16.	विशाखापत्तनम पत्तन ट्रस्ट, विशाखापत्तनम



**अनुलग्नक-XIII**  
**{पैरा 1.8 में संदर्भित}**

स्वायत्त निकाय जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप लेखाओं को संशोधित किया

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	काँफी बोर्ड, बेंगलुरु
2.	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
3.	विशाखापत्तनम पत्तन ट्रस्ट, विशाखापत्तनम
4.	वी.ओ चिदंबरनार पत्तन ट्रस्ट, तूतीकोरिन

**अनुलग्नक-XIV  
(पैरा 1.9 में संदर्भित)**

**बकाया कार्रवाई में लिए गए नोटस की स्थिती**

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	बकाया एटीएनस की स्थिति	
			एटीएन एक बार भी प्राप्त नहीं हुई	विभिन्न चरणों प्रक्रिया के तहत
1.	वाणिज्य और उद्योग	मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए 2018 की प्रतिवेदन संख्या 4	0	1
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 10	0	1
2.	कारपोरेट कार्य	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3	0	1
3.	आवासन और शहरी कार्य	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3	4	7
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 10	0	1
4.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 10	0	1
5.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए 2016 की प्रतिवेदन संख्या 11	0	1
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 10	1	1
6.	विद्युत	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 3	1	0
7.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 3	1	0

8.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 3	1	4
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 10	1	4
9.	वस्त्र	मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 10	0	1
10.	पर्यटन	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 3	0	2
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 10	0	1
			<b>9</b>	<b>26</b>

**अनुलग्नक-XV**  
(पैरा 2.1.6 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा द्वारा ई-फार्म और सेवाओं के रूप में मांगा गया विवरण

(क) लगभग 100 ई-फार्म में से, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित 10 ई-फॉर्म से संबंधित आंकड़ों की मांग की

क्र.सं	ई-फार्म	ई-फार्म का विवरण
1.	एसपीआईसीई, (आईएनसी-32)	कंपनी के निगमन के लिए एकीकृत फार्म
2.	आईएनसी -33	संस्था के ज्ञापन (एमओए)
3.	आईएनसी -34	संस्था के लेख (एओए)
4.	डीआईआर- 3सी	रजिस्ट्रार, डीआईएन सेवाओं को कंपनी द्वारा निदेशक पहचान संख्या की सूचना
5.	डीआईआर-9	निदेशक की अपात्रता की सूचना देने के लिए कंपनी द्वारा आरओसी को प्रतिवेदन
6.	सीएचजी-1	सृजन के पंजीकरण के लिए आवेदन, प्रभार में संशोधन (उनसे अन्य, जो डिबेंचर से संबंधित है)
7.	सीएचजी -4	प्रभार की संतुष्टि के लिए विवरण
8.	सीएचजी -8	केंद्र सरकार को सृजन के पंजीकरण/संशोधन/प्रभार की संतुष्टि के विवरण दाखिल करने के लिए समय विस्तार के लिए आवेदन या किसी की चूक या विशेष रूप से प्रभार के सृजन/संशोधन/संतुष्टि के संबंध में गलत विवरण के सुधार के लिए
9.	एओसी-4/एओसी-4 (एक्सबीआरएल)	रजिस्ट्रार के पास वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज दर्ज करने के लिए फॉर्म/रजिस्ट्रार के पास वित्तीय विवरण संबंधी एक्सबीआरएल दस्तावेज और अन्य दस्तावेज दर्ज करने के लिए फॉर्म
10.	एमजीटी -7	कंपनी द्वारा वार्षिक रिटर्न दर्ज करने के लिए फॉर्म

(ख) जहां तक सेवाओं का संबंध है, ऑडिट ने हितधारकों को सेवा वितरण में दक्षता की जांच करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का पालन करने से संबंधित निम्नलिखित डेटा की मांग की

क्रम.सं.	सेवा का प्रकार	एमसीए21 परियोजना (यानी, एमसीए21 के संस्करण 2 के लिए) को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आर्थिक मामलों के लिए कैबिनेट समिति के लिए नोट में मंत्रालय द्वारा चित्रित समयसीमा और वर्तमान स्थिति		
		एमसीए21 से पहले	एमसीए21 के बाद	वर्तमान स्थिति
1.	निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करें	-	2-7 दिन	ऑनलाइन
2.	नाम अनुमोदन	7 दिन	1 दिन	ऑनलाइन/एक दिन
3.	कंपनी निगमन	15 दिन	1-2 दिन	1-2 दिन
4.	कंपनी का नाम परिवर्तन	15 दिन	3 दिन	ऑनलाइन
5.	प्रभार सृजन/ संशोधन	10-15 दिन	2 दिन	ऑनलाइन-ज्यादातर मामलों में तत्काल
6.	पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन	60 दिन	1-3 दिन	तत्काल
7.	प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि	60 दिन	1-3 दिन	24 घंटे में

**अनुलग्नक-XVI**  
**{{(पैरा 2.1.8.1 (क) में संदर्भित)}}**

**एक पैन पर एक से अधिक निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आवंटित**

क्र.सं.	डीआईएन	पहला_ नाम	मध्य_ नाम	आखरी नाम	पिता_पहला_नाम	पिता_मध्य_नाम	पिता_आखरी_नाम	पैन
1.	08720641	सुमन		भास्कर	नंदलाल			DQUPB2037R
2.	08720663	सुमन		भास्कर	नंदलाल			DQUPB2037R
3.	08653614	संदीप		शर्मा	सत्य	नारायण	शर्मा	EJCPS8791D
4.	08654372	संदीप		शर्मा	सत्य	नारायण	शर्मा	EJCPS8791D
5.	08637265	नरेश		प्रधान	बाल		प्रधान	ESBPP6467F
6.	08637534	नरेश		प्रधान	बाल		प्रधान	ESBPP6467F
7.	08720640	रुचिका		कपूर	अनिल		सोनी	EUSPK2803P
8.	08720642	रुचिका		कपूर	अनिल		सोनी ने	EUSPK2803P
9.	08643313	अमोल	सज्जन	शम्भरकर	सज्जन	रखू	शम्भरकर	GHWPS1895E
10.	08643336	अमोल	सज्जन	शम्भरकर	सज्जन	रखू	शम्भरकर	GHWPS1895E
11.	08646085	ममता	कुंवर	शक्तावत	प्रताप		सिंह	HAZPS4347N
12.	08652786	ममता	कुंवर	शक्तावत	प्रताप		सिंह	HAZPS4347N
13.	08461388	धीरज		कुमार	ओम	प्रकाश	गुप्ता	HJZPK5626K
14.	08461391	धीरज		कुमार	ओम	प्रकाश	गुप्ता	HJZPK5626K
15.	02649161	बाबू	लाल	सिंह	बदलू		सिंह	KZLPS7389A
16.	08484098	बाबू	लाल	सिंह	बदलू		सिंह	KZLPS7389A

17.	08643262	मिनाशी	अमोल	शाबरकर	बाबाराँव		भगत	MIBPS1243J
18.	08643335	मिनाशी	अमोल	शाबरकर	बाबाराँव		भगत	MIBPS1243J
19.	08462753	धीर		सिंह	नसीब		सिंह	FEGPS5082K
20.	08467978	धीर		सिंह	नसीब		सिंह	FEGPS5082K

अनुलग्नक - XVII  
{(पैरा 2.1.8.1 (ख) में संदर्भित)}

बिना किसी पहचान विवरण के निदेशक पहचान संख्या

क्र.सं.	डीआईएन	पहला_नाम	पैन	मतदाता पहचान पत्र _आईडी_सं.	पासपोर्ट_सं.	ड्राइविंग_लाइसेंस	अधार_सं.	जन्म_की_तिथि	स्टार्ट_तिथि
1.	07484742	अनंदन						19550301	20160404
2.	07491698	अभिषेक						19871117	20160413
3.	07496683	ग्रेगरी						19600528	20160419
4.	08408997	रिकी						19991102	20190401
5.	08409012	रिकी						19991102	20190401
6.	08411713	जगनमोहन						19740513	20190403
7.	08416198	निशिगंधा						19600501	20190408
8.	08428839	संतोष:						19840515	20190422
9.	08442988	रवि						19840707	20190503
10.	08461390	राकेश						19870927	20190523
11.	08469509	मनोवर						19810510	20190531
12.	08473875	विश्वनाथ						19620806	20190606
13.	08476198	सल्मा						19780525	20190610
14.	08478743	बलजीत						19860107	20190612
15.	08508552	आकांक्षा						19790619	20190712
16.	08517001	सरिता						19771001	20190722



17.	08539898	युसुफ						19830617	20190819
18.	08540928	हेतल						19781121	20190820
19.	08561281	हरिता प्रिया						19720401	20190912
20.	08516997	सरिता						19771001	20190722

अनुलग्नक-XVIII  
{(पैरा 2.1.8.1 (ग) में संदर्भित)}

निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के प्रारंभ दिनांक में खाली या शून्य

क्र.सं.	डीआईएन	शुरू करने की तिथि
1.	08233948	00000000
2.	08351388	00000000
3.	08318034	00000000
4.	08234645	00000000
5.	08231695	00000000
6.	08234197	00000000
7.	08238556	00000000
8.	08233905	00000000
9.	08234115	00000000
10.	08234622	00000000
11.	08234609	00000000
12.	08467984	00000000
13.	08238588	00000000
14.	08234693	00000000
15.	08234610	00000000
16.	08234113	00000000

17.	08234194	00000000
18.	08238515	00000000
19.	08234670	00000000
20.	08441704	00000000

**अनुलग्नक-XIX**  
**{(पैरा 2.1.8.2 (क) में संदर्भित)}**  
**अधिकतम सीमा से अधिक डायरेक्टरशिप**

क्र.सं.	डीआईएन	पहला_ नाम	मध्य_ नाम	डायरेक्टरशिप की संख्या
1.	00011923	निरंजन	लखुमल	163
2.	00005195	कमल		86
3.	03049865	सुभाष		82
4.	00084120	शरद	कुमार	81
5.	00912570	तयाग		79
6.	00289572	याज्ञदी	होशी	78
7.	00011487	सूरेन्द्र	लखूमाल	138
8.	01434873	सुधीर	केशवलाल	68
9.	00012837	अरुण	कुमार	66
10.	00084058	गारफील्ड	विलियम	67
11.	08088999	उर्मिला		62
12.	00011521	कमल	निरंजन	119
13.	01999406	गणेश	वी	59
14.	01994792	जितेंद्र	भास्कर	57
15.	00025832	शीओ	कुमार	64
16.	03036731	संजय	कुमार	48
17.	00916016	अमित		52
18.	00010924	शीओ	कुमार	45
19.	00200569	अशोक		45
20.	03101080	अनिल		41

**अनुलग्नक-XX**  
**{{(पैरा 2.1.8.2 (ख) में संदर्भित)}}**

**निजी कंपनियां जिनमें निदेशक निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम है**

क्र.सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	पूरा_नाम	आरओसी_कोड	कंपनी_वर्ग	निर्देशको की संख्या
1.	U99999DL1986PTC024697	बंटी फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
2.	U99999DL1956PTC002683	दीपक एजेंसीज़ प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
3	U65923DL1958PTC002890	ओम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
4.	U29190DL1966PTC004536	कॉन्सोल एलिवेटर प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
5.	U65921DL1963PTC003938	अमर ज्योति फाइनेसिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
6.	U19129DL1959PTC003029	पुक्का बाइंडर प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
7.	U65921DL1964PTC004152	प्रेम एगो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
8.	U29299DL1966PTC004538	एनसीलियरीज़ एंड कांम्पोनेट प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
9.	U74899DL1991PTC043662	पेरिफेरल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
10.	U19201DL1997PTC089496	आशीर्वाद फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
11.	U31200DL2000PTC152500	कल्पतरु एनेर्जी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
12.	U25199DL1959PTC003090	कल्सीट्रायर्स प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
13.	U31909DL1988PTC030646	एकता वायर इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं

2021 की प्रतिवेदन संख्या 16

14.	U74899DL1994PTC057374	एमआर मशरूमस और एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
15.	U74899DL1995PTC070921	पेंगुइन क्लोथिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
16.	U51223DL1997PTC086052	क्वालिटी चिक्स प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
17.	U74900DL1999PTC097841	सिरियो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
18.	U74300DL2001PTC110811	न्यू एडविरटाइज़मेंट मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
19.	U74140DL2004PTC127872	एसएसएफ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
20.	U51109DL2000PTC103781	फाल्गुनी इंडिया ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
21.	U32107DL2001PTC110655	एड-येबल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	एक निदेशक
22.	U74900DL2009PTC192719	किंगसवेल टेलिसाल्यूसनस प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	एक निदेशक

**अनुलग्नक-XXI**  
{(पैरा 2.1.8.2 (ख) में संदर्भित)}

**सार्वजनिक कंपनियों जिनमें निदेशकों की संख्या न्यूनतम संख्या से कम है।**

क्र.सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	आरओसी_कोड	पंजीकरण_सं.	कंपनी_श्रेणी	निदेशकों की संख्या
1.	U18101HR1979PLC009582	आरसी101	9582	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
2.	L17112HR1986PLC025724	आरसी101	25724	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
3.	U65910DL1983PLC014976	आरसी101	14976	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
4.	U51909DL1910PLC019317	आरसी101	19317	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
5.	L51909DL1984PLC018623	आरसी101	18623	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
6.	U74899DL1986PLC023107	आरसी101	23107	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
7.	U24231DL1986PLC023656	आरसी101	23656	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
8.	U27106DL1990PLC040627	आरसी101	40627	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
9.	U74899DL1992PLC048319	आरसी101	48319	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
10.	U93000DL1992PLC048501	आरसी101	48501	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
11.	U26941DL1992PLC048743	आरसी101	48743	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
12.	U67120DL1994PLC062103	आरसी101	62103	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
13.	U65993DL1996PLC075388	आरसी101	75388	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
14.	U74899DL2000PLC106740	आरसी101	106740	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
15.	L51909HR1974PLC009836	आरसी101	9836	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
16.	L43342HR1901PLC030576	आरसी101	30576	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
17.	U27100HR1991PLC031369	आरसी101	31369	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
18.	U74999DL1992PLC048186	आरसी101	48186	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
19.	U31900DL1992PLC047893	आरसी101	47893	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं

2021 की प्रतिवेदन संख्या 16

20.	U24232DL1992PLC048854	आरसी101	48854	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
21.	U67120DL1992PLC049520	आरसी101	49520	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
22.	U74899DL1996PLC075478	आरसी101	75478	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
23.	U24114DL1996PLC080667	आरसी101	80667	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं



**अनुलग्नक-XXII**  
**{{(पैरा 2.1.8.2 (ख) में संदर्भित)}}**

**एक व्यक्ति कंपनी जिसका कोई निदेशक नहीं है**

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	नाम_ओआरजी	कंपनी_श्रेणी
U74140DL2015OPC284935	ट्रेपरेक्स टेक्निकल सर्विस ओपीसी प्राइवेट	निजी (एक व्यक्ति कंपनी)
U74999KA2016OPC096171	पैकस्ट प्रोडक्ट पैकेजिंग ब्रांडिंग	निजी (एक व्यक्ति कंपनी)
U72900KA2016OPC096308	स्टीयरनेट टेक्नोलिजीज़ (ओपीसी) प्राइवेट	निजी (एक व्यक्ति कंपनी)
U72900TN2016OPC112987	डॉजप्ले (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	निजी (एक व्यक्ति कंपनी)

**अनुलग्नक-XXIII**  
(पैरा 2.1.8.3 में संदर्भित)

**कंपनी की निगम पहचान संख्या जिसमें व्यक्तिगत पैन है**

क्र. सं.	निगम पहचान संख्या (सीआईएन)	आरओसी_कोड	कंपनी_श्रेणी	पैन_संख्या
1.	U15316DL2009PTC196315	आरसी 101	निजी	AOEPS7229F
2.	U40106DL2015PTC281276	आरसी 101	निजी	AEUPJ3129H
3.	U74140HR2015PTC056340	आरसी 101	निजी	FRNPP9999P
4.	U74140DL2014PTC273623	आरसी 101	निजी	BMSPA4505R
5.	U72300DL2015PTC275085	आरसी 101	निजी	ARGPJ2351J
6.	U72900DL2008PTC177506	आरसी 101	निजी	AXGPJ6738D
7.	U74999DL2018PTC341275	आरसी 101	निजी	ANNPM3749A
8.	U74999HR2015PTC056484	आरसी 101	निजी	ALTPK5417B
9.	U70109DL2015PTC275342	आरसी 101	निजी	AAMPG3775E
10.	U72400DL2016PTC298171	आरसी 101	निजी	ASAPS5041B
11.	U74999DL2016PTC299862	आरसी 101	निजी	AHBPJ7392K
12.	U52310DL2007PTC163459	आरसी 101	निजी	ABAPG9511B
13.	U45208DL2002PTC115052	आरसी 101	निजी	ANFPS9597L
14.	U18109DL2015PTC288671	आरसी 101	निजी	AFEPK1445E
15.	U74999DL2016PTC300268	आरसी 101	निजी	AKFPS5450H
16.	U65992HR2015PTC056810	आरसी 101	निजी	ADNPK6655K
17.	U72200DL2005PTC137095	आरसी 101	निजी	AUVPK8594A
18.	U99999HR2001PTC034628	आरसी 101	निजी	AAIPC8981P
19.	U74140HR2010PTC040244	आरसी 101	निजी	AAFPC3879C
20.	U80904HR2017PTC067719	आरसी 101	निजी	AACPA1674C

**अनुलग्नक-XXIV**  
**(पैरा 2.1.8.4 में संदर्भित)**

**बिल्कुल एक ही नाम वाली कंपनियां**

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	पूरा_नाम	पता	कंपनी की स्थिति
1.	U22219DL2017PTC310457	आलवेज़ फर्स्ट पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	10/173, दक्षिण पुरी, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली 110062	एसीटीवी
	U22219DL2017PTC310460	आलवेज़ फर्स्ट पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	10/173, दक्षिण पुरी, नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली डीएल 110062 भारत	एसीटीवी
2.	U74999HR1994PTC035383	स्पेसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	13ए औद्योगिक देव.कॉलोनीमेहरौली रोड गुडगांव एचआर 000000 भारत	एसीटीवी
	U74899DL1994PTC063469	स्पेसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	112 लक्ष्मी चैंबर्स, डी 223 विकास मार्ग, नई दिल्ली डीएल 110092 भारत	एसीटीवी
3.	U55101HR1992PTC031831	गजराज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	मोटल गजराज कॉन्टिनेंटल, बहादुरगढ़ बाई-पास जाखोदा गांव के पास बहादुरगढ़ झज्जर एचआर 124507 भारत	एसीटीवी
	U55100JH1990PTC003758	गजराज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	एचआईजी 4 हाउसिंग कॉलोनी धनबाद धनबाद झा 826001 भारत	एसीटीवी
4.	U51909DL2001PTC113026	प्रथम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	सुइट 702 नीलगिरि प्लेस9 बाराखंबा रोड नई दिल्ली सेंट्रल दिल्ली डीएल 110001 भारत	एसीटीवी
	U50103WD2004PTC098342	प्रथम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	16ए एवरेस्ट हाउस 46सी जे एल नेहरू रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल 700071 भारत	एसीटीवी
5.	U74900DL1996PTC084079	पैराडाइस ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	शॉप सं. 8 डीडीए शॉपिंग सेंटर गीतांजलि ग्रीन पार्क नई दिल्ली डीएल 110070	एसीटीवी

2021 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	पूरा_नाम	पता	कंपनी की स्थिति
	U74899DL1990PTC038846	पैराडाइजस ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	1/7151, शिवाजी पार्क शाहदरा नई दिल्ली दिल्ली डीएल 110032 भारत	एसीटीवी
6.	U74899DL1989PTC037301	राजन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	11 - बी/8, पूसा रोड नई दिल्ली नई दिल्ली डीएल 110005 भारत	एसीटीवी
	U55101UP1989PTC011104	राजन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	3/9-ए एम जी रोड आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश यूपी 282001 भारत	एसीटीवी
7.	U70101RJ1993PTC007415	सुमेरु एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	16, लाल निवास, नारायण सिंह सर्कल, जयपुर आरजे 000000 भारत	एसीटीवी
	U70101WB2004PTC098704	सुमेरु एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	दूसरी मंजित उत्तरापन टी कोम के पास सेल एच.सी. रोड प्रधान नगर सिलीगुड़ी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल 734003 भारत	एसीटीवी
8.	U74900DL1999PTC098296	रत्नाकर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	फ्लैट नंबर 77, दूसरी मंजिल, ब्लॉक जी, पॉकेट 20, सेक्टर 7, रोहिणी, दिल्ली 110085, भारत	एसीटीवी
	U51101MP1998PTC013132	रत्नाकर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	415-ए, सिटी सेंटर, 570 एम जी रोड, इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001, भारत	एसीटीवी
9.	U15146DL2018PTC338243	कुशलता बेकस प्राइवेट लिमिटेड	सं. 1, राज नगर एन्क्लेव, पीतम पुरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली 110034, भारत	एसीटीवी
	U15146DL460L2018PTC339050	कुशलता बेकस प्राइवेट लिमिटेड	सं. 1, राज नगर एन्क्लेव, पीतम पुरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली 110034, भारत	एसीटीवी
10.	U70200DL2017PTC313461	एहाइट रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड	एच. सं. 3937, गली अस्पताल वाली, पहली मंजिल, दरिया गंज नई दिल्ली, सेन्ट्रल दिल्ली 110002, भारत	एसीटीवी

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	पूरा_नाम	पता	कंपनी की स्थिति
	U70200DL2017PTC313463	एहाइट रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड	एच. सं. 3937, गली अस्पताल वाली, पहली मंजिल, दरिया गंज नई दिल्ली, सेन्ट्रल दिल्ली 110002, भारत	एसीटीवी
11.	U74991DL2016PTC300162	दासबंध प्राइवेट लिमिटेड	डी-1, 111 जनकपुरी, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली 110058, भारत	एसीटीवी
	U74999DL2016PTC300612	दासबंध प्राइवेट लिमिटेड	डी-1, 111 जनकपुरी, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली 110058, भारत	एसीटीवी
12.	U01100MH2016PTC281003	कनेरा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	क्वाटर सं. बी/3 डब्ल्यूसीएल माइन्स रिज्यू स्टेशन इंदौरा कॉम्प्लेक्स, कल्पना नगर नागपुर नागपुर एमएच 440026 भारत	एसीटीवी
	U51599MH2016PTC281002	कनेरा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	क्वाटर सं. बी/3 डब्ल्यूसीएल माइन्स रिज्यू स्टेशन इंदौर कॉम्प्लेक्स, कल्पना नगर, नागपुर, नागपुर, महाराष्ट्र 440026, भारत	एसीटीवी
13.	U01100TG2016PTC109928	अनविथा एग्री बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	फ्लैट सं. 506, लिली ब्लॉक, नागार्जुन ड्रीम लैंड सेंट मार्टिस इंजीनियरिंग कॉलेज के पास कम्पल्ली हैदराबाद, तेलंगाना 500014 भारत	एसीटीवी
	U01100TG2016PTC109978	अनविथा एग्री बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	फ्लैट सं. 506, लिली ब्लॉक, नागार्जुन ड्रीम लैंड सेंट मार्टिस इंजीनियरिंग कॉलेज के पास कम्पल्ली हैदराबाद, तेलंगाना 500014 भारत	एसीटीवी
14.	U74999HR2016PTC064319	एप्सिनवो प्राइवेट लिमिटेड	जी-1002 सुशांत लोक-II सेक्टर 57 गुडगांव हरियाणा 122002 भारत	एसीटीवी
	U72900DL2016PTC300616	एप्सिनवो प्राइवेट लिमिटेड	हाउस सं. जी-1002, सुशांत लोक-II सेक्टर-57, गुडगांव गुडगांव सेंट्रल दिल्ली डीएल 110001 भारत	एसीटीवी

2021 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	पूरा_नाम	पता	कंपनी की स्थिति
15.	U24293TG2016PTC109763	पुटजेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	फ्लैट सं. 501ए एसवाई नंबर 165, 166, 167 17 साई गांव राजीव गृहकल्पा रोड प्रगति नगर हैदराबाद तेलंगाना 500090 भारत	एसीटीवी
	U2436TG2016PTC109969	पुटजेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	फ्लैट सं. 78, ब्लॉक सं. एस3, श्री साई सदन अपार्टमेंट्स मधुरा नगर, नियर.सरदी स्टूडियो हैदराबाद हैदराबाद टीजी 500038 भारत	एसीटीवी
16.	U51909DL1953PTC002351	बाली एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	27 बी/11 न्यू रोहतक रोड नई दिल्ली 000000 भारत	एसीटीवी
	U63090DL1999PTC099525	बाली एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	एफ-30 भगत सिंह मार्केट नई दिल्ली दिल्ली 110001 भारत	एसीटीवी
17.	U51909DL1997PTC087267	बेंचमार्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	13/436 सुंदर विहार क्वार्टर रिंग रोड पश्चिम विहार नई दिल्ली 110087 भारत	एसीटीवी
	U51395DL2001PTC111751	बेंचमार्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	पी-54 विष्णु उद्यान शीतला माता मंदिर के पास नई दिल्ली पश्चिम दिल्ली दिल्ली 110018 भारत	एसीटीवी
18.	U74899DL1994PLC058237	एस्सेल इंटरनेशनल लिमिटेड	12 साधना एन्क्लेव नई दिल्ली दिल्ली 110017 भारत	एसीटीवी
	U74899DL1994PLC059874	एस्सेल इंटरनेशनल लिमिटेड	जी-17 सिंगल स्टोरी बिल्डिंग विजय नगर मॉडल टाउन उत्तरी दिल्ली दिल्ली 110009 भारत	एसीटीवी
19.	U36109TG2016PTC109565	सीमिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट सं. एसवी-320/1 और 315/3 चंदा नगर स्लिंगमपल्ली हैदराबाद रंगारेड्डी तेलंगाना 500047 भारत	एसीटीवी

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	पूरा_नाम	पता	कंपनी की स्थिति
	U36900TG2016PTC109972	सीमिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सर्वेक्षण संख्या 18/ए कोकापेट राजेंद्र नगर हैदराबाद तेलंगाना 500075 भारत	एसीटीवी
20.	U01111MH2016PTC282294	कृषिपुत्र प्राइवेट लिमिटेड	शॉप सं. एसटी 30/बी02 बीज बाजार- नया बाजार यार्ड जालना जालना महाराष्ट्र 431203 भारत	एसीटीवी
	U01111MH2016PTC282295	कृषिपुत्र प्राइवेट लिमिटेड	शॉप सं. एसटी 30/बी02 बीज बाजार- नया बाजार यार्ड जालना जालना महाराष्ट्र 431203 भारत	एसीटीवी

**अनुलग्नक-XXV**  
(पैरा 2.1.8.6 में संदर्भित)

कंपनी के नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन करने के बाद कंपनियों के निगमन के लिए आवेदन करने में लगने वाला समय

क्र. सं. (क)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म का एसआरएन <sup>1</sup> सं. (ख)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म की आवेदन तारीख (ग)	आईएनसी-1 <sup>2</sup> का एसआरएन सं. (घ)	आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (ड.)	आईएनसी पत्र के अनुसार आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (च)	आईएनसी पत्र के अनुसार एसआरएन की वैधता (छ)	प्रस्तावित_नाम (ज)	नाम अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख से कंपनी के निगमन की तारीख तक लिया गया समय (ग-ड.) (दिन)
1.	G38132619	21-03-2017	C79370334	21-02-2016	21-02-2016	21-04-2016	रश्ते चैरिटेबल फाउंडेशन	394
2.	G35203181	06-11-2017	G33933730	27-01-2017	25-01-2017	26-03-2017	मोनो प्रिविलेज प्राइवेट लिमिटेड	283
3.	G36843043	06-11-2017	G35455658	14-02-2017	12-02-2017	13-04-2017	आइडिया 2 इम्प्लीमेंटेशन कंसल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	265
4.	G32632523	11-01-2017	G02783629	09-05-2016	07-05-2016	06-07-2016	एकजपेलेरी पॉवर कंट्रोल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	247
5.	H46202701	07-03-2019	G92606680	16-07-2018	11-07-2018	12-08-2018	संयुक्त सेवा फेडरेशन	234
6.	G36290674	28-06-2017	G31691405	09-01-2017	30-12-2016	28-02-2017	पोलस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	170

<sup>1</sup> सेवा अनुरोध संख्या

<sup>2</sup> फॉर्म आईएनसी-1 किसी कंपनी के नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए है



क्र. सं. (क)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म का एसआरएन <sup>1</sup> सं. (ख)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म की आवेदन तारीख (ग)	आईएनसी-1 <sup>2</sup> का एसआरएन सं. (घ)	आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (ड.)	आईएनसी पत्र के अनुसार आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (च)	आईएनसी पत्र के अनुसार एसआरएन की वैधता (छ)	प्रस्तावित_नाम (ज)	नाम अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख से कंपनी के निगमन की तारीख तक लिया गया समय (ग-ड.) (दिन)
7.	G35944990	20-02-2017	G10576312	05-09-2016	03-09-2016	02-11-2016	एलईडी रोडवे लाइटिंग एंड कंट्रोल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	168
8.	H48720445	30-03-2019	H24051328	29-10-2018	26-10-2018	03-12-2018	नन्ही तितली विकास फाउंडेशन	152
9.	G51080273	06-11-2017	G47211115	30-06-2017	29-06-2017	28-08-2017	एपोच इनोवा प्राइवेट लिमिटेड	129
10.	H41856154	16-01-2019	H11167517	17-09-2018	13-09-2018	14-10-2018	नीड बॉक्स फाउंडेशन	121
11.	H45991866	30-05-2019	H43262641	30-01-2019	29-01-2019	03-03-2019	कोचाल सेंट एंटोनी निधि लिमिटेड	120
12.	G35061001	08-02-2017	G16190464	21-10-2016	21-10-2016	20-12-2016	पुरनचंद डी. हेमलानी सहयोग फाउंडेशन	110
13.	G48172589	14-07-2017	G40054843	06-04-2017	04-04-2017	03-06-2017	जांयन फाउंडेशन	99
14.	G63540520	23-11-2017	G50940089	22-08-2017	21-08-2017	20-10-2017	साया सेवा फाउंडेशन	93
15.	G50048511	25-08-2017	G44426070	25-05-2017	25-05-2017	24-07-2017	टेक्नोशोर बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	92
16.	G50405794	11-09-2017	G45874104	13-06-2017	13-06-2017	12-08-2017	विरडी इनफिनिटम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	90

2021 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र. सं. (क)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म का एसआरएन <sup>1</sup> सं. (ख)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म की आवेदन तारीख (ग)	आईएनसी-1 <sup>2</sup> का एसआरएन सं. (घ)	आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (ड.)	आईएनसी पत्र के अनुसार आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (च)	आईएनसी पत्र के अनुसार एसआरएन की वैधता (छ)	प्रस्तावित_नाम (ज)	नाम अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख से कंपनी के निगमन की तारीख तक लिया गया समय (ग-ड.) (दिन)
17.	G35050087	08-03-2017	G28933810	09-12-2016	09-12-2016	07-02-2017	शांभवी एडुस्किल कंसल्टेंट्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	89
18.	H47206503	08-05-2019	H44308070	08-02-2019	08-02-2019	04-03-2019	अर्बन एलीट मेडिकेयर फाउंडेशन	89
19.	G53218319	19-09-2017	G46603783	23-06-2017	21-06-2017	20-08-2017	पेन्ना फाउंडेशन	88
20.	H46109773	09-05-2019	H44472223	11-02-2019	10-02-2019	17-03-2019	हसा गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	87
21.	G42599480	26-05-2017	G36809903	01-03-2017	28-02-2017	29-04-2017	सिटी हाउस माइक्रोफाइनेंस एसोसिएशन	86
22.	G73643884	17-01-2018	G57193138	23-10-2017	20-10-2017	19-12-2017	जोइन 2 आर फाउंडेशन	86
23.	G37957164	13-04-2017	G33183377	18-01-2017	17-01-2017	18-03-2017	मेक माई पिक पोस्ट प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	85
24.	G48294698	04-08-2017	G43591569	16-05-2017	15-05-2017	14-07-2017	टीगो सॉल्यूशंस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	80
25.	G42007237	18-05-2017	G36675718	28-02-2017	27-02-2017	28-04-2017	हाहारो इंफ्राकॉन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	79
26.	G45381043	08-06-2017	G38547212	21-03-2017	20-03-2017	19-05-2017	निराला टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	79

क्र. सं. (क)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म का एसआरएन <sup>1</sup> सं. (ख)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म की आवेदन तारीख (ग)	आईएनसी-1 <sup>2</sup> का एसआरएन सं. (घ)	आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (ड.)	आईएनसी पत्र के अनुसार आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (च)	आईएनसी पत्र के अनुसार एसआरएन की वैधता (छ)	प्रस्तावित_नाम (ज)	नाम अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख से कंपनी के निगमन की तारीख तक लिया गया समय (ग-ड.) (दिन)
27.	G37479953	08-03-2017	G30318117	22-12-2016	22-12-2016	20-02-2017	सिविल इंजीनियरों डेवलपमेंट एसोसिएशन	76
28.	G42451179	02-05-2017	G35585587	15-02-2017	14-02-2017	15-04-2017	चाल्सीडोनी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	76
29.	G34757914	07-02-2017	G27554054	30-11-2016	30-11-2016	29-01-2017	आस्पेरा नागालैंड लिमिटेड	69
30.	G68358696	15-12-2017	G55550537	10-10-2017	10-10-2017	09-12-2017	बार्गेन टेंट प्राइवेट लिमिटेड	66
31.	G43221977	17-05-2017	G37923596	14-03-2017	11-03-2017	10-05-2017	एसीएटी हाई-टेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	64
32.	G49300965	01-08-2017	G44856482	31-05-2017	30-05-2017	29-07-2017	महाकाल माइक्रो क्रेडिट एसोसिएशन	62
33.	H46548624	09-04-2019	H44137792	07-02-2019	06-02-2019	07-03-2019	एपी सेक्यूरिटीस जेके प्राइवेट लिमिटेड	61
34.	H35441658	21-01-2019	H30587943	03-12-2018	30-11-2018	24-12-2018	फास्टवेल प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड	49
35.	G93304855	26-07-2018	G88995345	12-06-2018	07-06-2018	19-07-2018	एससीएसआर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	44
36.	G86219102	07-05-2018	G80995236	28-03-2018	27-03-2018	03-05-2018	जयराम हॉस्पिटैलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड	40

2021 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र. सं. (क)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म का एसआरएन <sup>1</sup> सं. (ख)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म की आवेदन तारीख (ग)	आईएनसी-1 <sup>2</sup> का एसआरएन सं. (घ)	आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (ड.)	आईएनसी पत्र के अनुसार आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (च)	आईएनसी पत्र के अनुसार एसआरएन की वैधता (छ)	प्रस्तावित_नाम (ज)	नाम अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख से कंपनी के निगमन की तारीख तक लिया गया समय (ग-ड.) (दिन)
37.	G85740348	03-05-2018	G80681851	27-03-2018	26-03-2018	01-05-2018	पीकाबू फैशन प्राइवेट लिमिटेड	37
38.	H21543566	18-10-2018	H11509775	14-09-2018	13-09-2018	15-10-2018	जीपी शक्ति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	34
39.	G84625953	26-04-2018	G80571748	26-03-2018	24-03-2018	25-04-2018	एस्ट्रालाइट एलईडी प्राइवेट लिमिटेड	31
40.	G77039246	28-02-2018	G74815234	30-01-2018	27-01-2018	19-02-2018	सीसीएफजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	29
41.	G77794956	05-03-2018	G75922559	08-02-2018	07-02-2018	28-02-2018	बून वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड	25
42.	H50344456	11-04-2019	H47020045	20-03-2019	13-03-2019	09-04-2019	मनीराम रामरतन राठी प्राइवेट लिमिटेड	22

**अनुलग्नक-XXVI**  
(पैरा सं. 3.1.2 में संदर्भित)

**प्रमुख रबड़ उत्पादक देशों द्वारा प्राकृतिक रबड़ उत्पादन की स्थिति**

(हजार मीट्रिक टन में)

देश	1980	1990	2000	2010	2019
थाईलैंड	501	1275	2346	3252	4852
इंडोनेशिया	1020	1262	1501	2736	3301
वियतनाम	46	103	291	752	1185
चीन	113	264	445	665	813
<b>भारत</b>	<b>155</b>	<b>324</b>	<b>629</b>	<b>851</b>	<b>702</b>
मलेशिया	1530	1291	928	939	640
बाकी दुनिया	286	411	624	1211	2202
<b>कुल</b>	<b>3651</b>	<b>4930</b>	<b>6764</b>	<b>10406</b>	<b>13695</b>
भारत का प्राकृतिक रबड़ उत्पादन वैश्विक उत्पादन के प्रतिशत के रूप में	4.25	6.57	9.30	8.18	5.13
भारत में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में दशकीय वृद्धि या कमी	-	169	305	222	-149
भारत में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि या कमी	-	109.03	94.14	35.29	-17.51

**अनुलग्नक-XXVII**  
**{(पैरा सं. 3.1.7.1(क) में संदर्भित)}**

वर्षवार अनुमानित मात्रा और बीजकों के लिए शामिल सब्सिडी राशि जिसमें डीलरों ने वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान आरयूबीआईएस में अपना रिटर्न दर्ज नहीं किया या शून्य क्रय घोषित किया

वर्ष	आरयूबीआईएस में कोई रिटर्न दर्ज नहीं			आरयूबीआईएस में दर्ज रिटर्न में क्रय के रूप में शून्य मात्रा घोषित		
	उन डीलरों की संख्या जिन्होंने आरयूबीआईएस में रिटर्न दर्ज नहीं किया लेकिन डीबीटीएस के अनुसार इनवॉइस जारी किए	कुल मात्रा जिसके लिए सब्सिडी वितरित/स्वीकृत है (मीट्रिक टन)	सब्सिडी राशि (₹ करोड़ में)	डीलरों की संख्या जिन्होंने आरयूबीआईएस में रिटर्न में शून्य क्रय की घोषणा की लेकिन डीबीटीएस के अनुसार बिल जारी किए	कुल मात्रा जिसके लिए सब्सिडी वितरित/स्वीकृत है (मीट्रिक टन)	सब्सिडी राशि (₹ करोड़ में)
2016-17	1,775	42,723.93	89.16	29	1,44,357.30	0.27
2017-18	1,207	28,849.86	60.67	58	3,39,596.64	0.53
2018-19	1,320	38,214.28	92.49	117	4,00,162.96	0.54
2019-20	1,687	29,432.52	52.52	51	20,92,537.66	4.75
<b>कुल</b>	<b>5,989</b>	<b>1,39,220.61</b>	<b>294.84</b>	<b>255</b>	<b>29,76,654.57</b>	<b>6.09</b>

**अनुलग्नक-XXVIII**  
**{{(पैरा सं. 3.1.7.1(क) में संदर्भित)}}**

वर्ष-वार अनुमानित मात्रा और बीजको के लिए शामिल सब्सिडी राशि जिसमें डीलरों की आरयूबीआईएस में उनके रिटर्न में क्रय मात्रा उस मात्रा से कम थी जिसके लिए वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान सब्सिडी हस्तांतरित की गई थी।

वर्ष	कुल डीलर	कुल मात्रा जिसके लिए सब्सिडी हस्तांतरित की गई (मीट्रिक टन)	हस्तांतरित कुल सब्सिडी राशि (₹ करोड़ में)	औसत सब्सिडी राशि प्रति किया (₹)	आरयूबीआईएस में दर्ज रिटर्न में क्रय की गई घोषित कुल मात्रा (मीट्रिक टन)	सब्सिडी की मात्रा और रिटर्न में दर्शाई गई मात्रा के बीच का अंतर (मीट्रिक टन)	रिटर्न में न दर्शाई गई मात्रा पर हस्तांतरित कुल सब्सिडी राशि (मात्रा में अंतर) (₹ करोड़ में)
क	ख	ग	घ	ड.=घ/ग	च	छ = ग-च	ज= ड. x छ.
2016-17	68	2,128.79	4.27	20.06	835.13	1,293.66	2.60
2017-18	319	13,459.40	27.85	20.69	4,987.37	8,472.03	17.53
2018-19	203	8,004.56	19.25	24.05	3,541.59	4,462.97	10.73
2019-20	115	3,030.07	4.93	16.26	1,682.14	1,347.93	2.19
<b>कुल</b>	<b>705</b>	<b>26,622.82</b>	<b>56.30</b>		<b>11,046.23</b>	<b>15,576.59</b>	<b>33.05</b>

**अनुलग्नक-XXIX**  
(पैरा 4.1 में संदर्भित)

- (i) 'यू' डिवीजन द्वारा डीजेबी को जल प्रभार का भुगतान और आवंटियों से वसूल किए गए जल प्रभार

(₹ लाख में)

अवधि	'यू' डिवीजन द्वारा डीजेबी को जल प्रभार का भुगतान	आवंटियों से वसूल किए गए जल प्रभार	अंतर
2010-11	135.30	3.79	131.51
2011-12	124.89	4.40	120.49
2012-13	346.00	4.96	341.04
2013-14	281.54	5.30	276.24
2014-15	950.00	5.38	944.62
2015-16	990.98	6.24	984.74
2016-17	1,385.00	6.32	1,378.68
2017-18	2,034.00	5.92	2,028.08
2018-19	184.61	5.14	179.47
<b>कुल</b>	<b>6,432.32</b>	<b>47.45</b>	<b>6,384.87</b>
महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा मामले को उठाए जाने के बाद, ठेकेदारों से वसूली की गई थी			16.07
<b>कुल वित्तीय भार</b>			<b>₹63.69</b> करोड़

- (ii) जीपीआरए क्वार्टरों के संबंध में जल प्रभारों की वसूली की दरों का विवरण

(राशि ₹ में)

क्षेत्र	जल प्रभार की मासिक लागू दरें		
	टाईप II	टाईप III	टाईप V
यूडीएपी कॉलोनी, नेहरू नगर	-	36 (अंतिम अद्यतन 01.04.2002)	-
लोधी रोड कॉम्प्लेक्स	27 (अंतिम अद्यतन 01.04.1995)	27 (अंतिम अद्यतन की तारीख उपलब्ध नहीं है)	65 (अंतिम अद्यतन 01.12.2006)
प्रगति विहार छात्रावास (डबल सुइट क्वार्टर के लिए)	8.32 (अंतिम अद्यतन की तारीख उपलब्ध नहीं है)	-	-



**अनुलग्नक-XXX**  
(पैरा 4.3 में संदर्भित)

**आवंटियों से वसूले गए जल प्रभारों की तुलना में डिवीजन द्वारा किया गया भुगतान  
(रुपये में)**

डीडीए द्वारा डीजेबी को जल प्रभारों का भुगतान			डीडीए द्वारा आवंटियों से वसूले जल प्रभार		
स्रोत	अवधि	राशि	स्रोत	अवधि	राशि
डीजेबी द्वारा जारी बिलों से (पिछला भुगतान दिखा रहा है)	नवंबर 2012 से 13 दिसंबर 2012*	1,04,930	प्रभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर	नवंबर 2012 से जून 2019	54,93,540
	13 दिसंबर 2012 से 10 फरवरी 2013	2,08,364			
प्रभार द्वारा प्रस्तुत उत्तर	11 फरवरी 2013 से 15 जुलाई 2019	1,02,08,760		जुलाई 2019 से मार्च 2020	1,49,845 + 1,37,006 = 2,86,851
	15 जुलाई 2019 से मार्च 2020	8,35,235			
	कुल (क)	1,13,57,289		कुल (ख)	57,80,391
वित्तीय भार = (क)-(ख)					55,76,898 अथवा ₹55.77 लाख

**\*नोट:** 17 अप्रैल 2013 को डीजेबी द्वारा जारी बिल में पिछले दो बिलों के लिए भुगतान दिखाया गया है अर्थात् एक बिल 8 जून 2011 से 13 दिसंबर 2012 तक और अन्य बिल 13 दिसंबर 2012 से 11 फरवरी 2013 तक। 8 जून 2011 से 12 दिसंबर 2012 अर्थात् 12 दिसंबर 2012 की अवधि के बिल से 554 दिन, ₹18,58,940 की राशि, 42 दिनों के लिए जल खपत के लिए प्रभार अर्थात् 1 नवंबर 2012 से 12 दिसंबर 2012 तक, आनुपातिक आधार पर ₹18,58,940/ 554\*42 अर्थात् ₹ 1,04,930 के रूप में गणना की गई। चूंकि मंडल ने नवंबर 2012 से आवंटियों से की गई वसूली का ब्यौरा उपलब्ध कराया था, इसलिए डीजेबी को किए गए भुगतान की आनुपातिक राशि उसे वसूली की अवधि के अनुरूप बनाने के लिए निकाली गई थी।

**अनुलग्नक-XXXI**  
(पैरा 5.1.1.2 में संदर्भित)

**एटीआई योजना का कुल वित्त पोषण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत राशि	प्रशिक्षण के लिए जारी की गई राशि	प्रशिक्षण पर वास्तविक व्यय	स्वीकृत पूंजी परियोजनाओं की राशि	जारी पूंजी निधि
1.	2012-13	71.00	71.00	132.68	51.58	96.87	0.00	0.00
2.	2013-14	102.00	142.00	110.34	114.94	68.54	0.00	0.90*
3.	2014-15	132.00	87.00	124.01	85.44	113.93	0.965	0.81
4.	2015-16	80.00	75.02	46.18	71.97	44.03	0.00	0.90*
5.	2016-17	79.99	43.34	13.59	13.05	13.16	46.186	25.19
6.	2017-18	30.00	5.00	5.00	4.00	3.99	0.00	0.53
7.	2018-19	30.00	23.44	8.01	8.34	7.85	21.87	13.93
8.	2019-20	30.00	30.00	9.99	9.67	9.55	54.54	19.99
<b>कुल</b>		<b>554.99</b>	<b>476.80</b>	<b>449.80</b>	<b>358.99</b>	<b>357.92</b>	<b>123.561</b>	<b>62.25</b>

\* वित्त वर्ष 2010-11 में ₹ 2.70 करोड़ की मंजूरी के प्रति ईडीआई, जोट, अरुणाचल प्रदेश को दूसरी और तीसरी (अंतिम) किस्तों के रूप में जारी किया गया

**अनुलग्नक-XXXII**  
{(पैरा 5.1.2.1(क) में संदर्भित)}

**संस्थानों को आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य**

संस्था	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
एनआईईएसबीयूडी	1,737	2,066	2,255	500	-	-	-	-	6,558
एनआईएमएसएमई	1,292	1,062	1,613	1,075	135	130	25	53	5,385
आईआईई	1,222	562	680	-	-	-	-	-	2,464
सीटीआर	308	320	489	325	344	-	59	58	1,903
एनएसआईसी	380	101	54	96	187	137	161	189	1,305
<b>कुल</b>	<b>4939</b>	<b>4111</b>	<b>5091</b>	<b>1996</b>	<b>666</b>	<b>267</b>	<b>245</b>	<b>300</b>	<b>17,615</b>

मंत्रालय ने एनआईईएसबीयूडी को केवल 2015-16 तक और आईआईई को केवल 2014-15 तक प्रशिक्षण निधि प्रदान की

**अनुलग्नक-XXXIII**  
**{{(पैरा 5.1.2.2(घ)(i) में संदर्भित)}}**

**नवीनतम आंकड़ों में वर्ष-वार और शीर्ष संगठन-वार पाए गए डुप्लीकेट प्रशिक्षु**

शीर्ष संस्थान	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
एनआईई एसबीयूडी	3,147	1,392	1,113	252	एनए	एनए	एनए	एनए	5,904
सीटीआरएल	822	839	1,781	839	471	एनए	28	5	4,785
एनआईएम एसएमई	154	265	348	285	155	46	11	1	1,265
आईआईई	281	147	242	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	670
एनएसआईसी	78	12	18	32	12	15	18	35	220
<b>कुल</b>	<b>4,482</b>	<b>2,655</b>	<b>3,502</b>	<b>1,408</b>	<b>638</b>	<b>61</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>12,844</b>

**अनुलग्नक-XXXIV**  
**{(पैरा 5.1.2.2(घ)(ii) में संदर्भित)}**

**संस्थान-वार अस्पष्ट डुप्लीकेट मामले**

क्र. सं.	देखे गए मामले
1.	<b>एनआईईएसबीयूडी</b> लेखापरीक्षा में देखा गया कि सभी प्रशिक्षुओं का विवरण 2012/8821 और 2013/8823 (प्रशिक्षण मॉड्यूल दोनों कार्यक्रमों के लिए 'मोबाइल रिपेयरिंग' था) और 2014/16728 और 2016/22486 (प्रशिक्षण मॉड्यूल दोनों कार्यक्रमों के लिए इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयरिंग था) कार्यक्रमों में एक-दूसरे के साथ मिलते जुलते थे।
2.	<b>एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र, चेन्नई (एनएसआईसी की शाखा)</b> चार कार्यक्रमों (2012/6649, 2011/6694, 2012/6616 और 2012/6664) में 8 प्रशिक्षुओं को एक या दूसरे कार्यक्रम में रिपीट किया गया। कार्यक्रम 2012/6664 को एक ही तारीख अर्थात् 20.11.2012 को शुरू व खत्म कर दिया गया था।
3.	<b>आईआईई</b> दो कार्यक्रमों (2014/19273 और 2014/19162) में प्रत्येक कार्यक्रम में 30 प्रशिक्षुओं में से 13 के विवरण मिलते जुलते थे।
4.	<b>एनआईएमएसएमई</b> चार कार्यक्रमों (2016/71, 2017/50, 2017/51 और 2017/61) में प्रत्येक कार्यक्रम में 30 प्रशिक्षुओं में से 12 के विवरण मिलते जुलते थे।
5.	<b>विद्युत माप उपकरणों के डिजाइन के लिए संस्थान, मुंबई (सीटीआर का पीआई)</b> चार कार्यक्रमों (2012/9546, 2012/9538, 2012/9541 और 2012/9539) में प्रत्येक कार्यक्रम में 25 प्रशिक्षुओं में से 9 के विवरण मिलते जुलते थे।

**अनुलग्नक-XXXV**  
{(पैरा 5.1.2.3(क) में संदर्भित)}

**संस्थान-वार फंड की स्थिति**

(₹ लाख में)

संस्थान	प्रारंभिक जमा	जारी अनुदान	एटीआई निधियों पर अर्जित ब्याज	कुल उपलब्ध धन	व्यय हुआ	धन वापसी राशि	अंतिम शेष
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)	(5)	(6)	(7) = (4-5-6)
एनआईएमएस एमई	4.75	11954.30	72.29	12031.34	11904.45	0.00	126.89
एनआईईएस बीयूडी	0.00	10695.22	182.65	10877.87	10599.27	0.00	278.60
<b>कुल</b>							<b>405.49</b>
आईआईई	5.66	5148.87	0.00	5154.53	5154.52	0.00	0.01
सीटीआर	5.43*	4735.09	8.01	4748.53	4773.09	8.58	(33.14)
एनएसआईसी	0.00	1565.00	13.28	1578.28	1620.44	7.20	(49.36)#
<b>कुल</b>							<b>(82.49)</b>
<b>कुल योग</b>	<b>15.84</b>	<b>34098.48</b>	<b>276.23</b>	<b>34400.42</b>	<b>34051.77</b>	<b>15.78</b>	<b>323.00</b>

\* सीटीआर ने प्रशिक्षुओं से ₹5.43 लाख का प्रशिक्षण शुल्क लिया।

# मंत्रालय ने एनएसआईसी को शेष बकाया राशि जारी की।

**अनुलग्नक-XXXVI**  
(पैरा 8.1 में संदर्भित)

**सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फर्म) को किए गए भुगतान का विवरण**

क्र. सं.	बिल		भुगतान की तारीख	अभियान का माह	बिल राशि (₹)			कुल बिल राशि (₹)*	कुल वैट राशि (₹)*
	संख्या	तारीख			सकल राशि	वैट	कुल		
1.	2260001238	03.08.2018	16.08.2018	जुलाई 2018	49,154.72	9,339.40	58,494.12	47,05,851.95	7,51,354.73
2.	222617375	03.08.2018	16.08.2018	जून 2018	45,267.29	-	45,267.29	36,77,514.61	0
3.	22600002620	05.09.2018	21.09.2018	अगस्त 2018	42,206.43	8,019.22	50,225.65	40,89,874.68	6,53,005.08
4.	222530813	05.06.2018	02.10.2018	मई 2018	52,725.44	-	52,725.44	43,12,940.99	0
5.	2260003897	02.10.2018	10.10.2018	सितम्बर 2018	25,603.55	4,864.67	30,468.22	24,71,886.69	3,94,670.68
6.	2260005903	05.11.2018	09.01.2019	अक्टूबर 2018	128,668.17	24,446.95	153,115.12	1,31,21,965.80	20,95,103.62
7.	2260008049	04.12.2018	09.01.2019	नवम्बर 2018	29,219.69	5,551.74	34,771.43	30,27,896.12	4,83,445.52
8.	2260009465	03.12.2018	09.01.2019	दिसम्बर 2018	40,982.30	7,786.63	48,768.93	40,57,574.95	6,47,847.62
9.	2260011224	04.02.2019	18.03.2019	जनवरी 2019	43,924.09	8,345.58	52,269.67	43,23,224.41	6,90,262.92
10.	223388716	04.03.2019	18.03.2019	फरवरी 2019	29,718.76	-	29,718.76	24,55,066.76	0
11.	223468809	02.03.2019	29.05.2019	मार्च 2019	105,112.13	-	105,112.13	86,45,472.69	0
12.	223554208	04.05.2019	29.05.2019	अप्रैल 2019	51,077.56	-	51,077.56	40,41,256.55	0
13.	223613981	05.06.2019	28.08.2019	मई 2019	98,699.49	-	98,699.49	78,58,453.39	0

14.	223719668	02.07.2019	28.08.2019	जून 2019	62,876.39	-	62,876.39	49,72,893.69	0
15.	223843053	02.09.2019	11.10.2019	जुलाई 2019	**10,439.14	-	10,439.14	8,34,296.07	0
		<b>कुल</b>			<b>815,675.15</b>	<b>68,354.19</b>	<b>884,029.34</b>	<b>7,25,96,169.35</b>	<b>57,15,690.16</b>

\* संबंधित माह के लिए विनिमय दर ली गई।

\*\* €66.10 के क्रेडिट नोट के समायोजन के बाद (क्रेडिट मेमो संख्या 820190109 दिनांक 3 सितंबर 2019 के माध्यम से)







© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)